Hkkjr ds fu;a=d&egkys[kkijh{kd dk

Ekkpl 2015 dks lekIr gq, o"kZ dk ifrosnu

jkT; dk foÙk

fcgkj ljdkj

विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
प्राक्कथन		v
कार्यकारी सारांश		vii
अध्याय –I राज्य सरकार का वित्त		
बिहार का परिचय	1	1
प्रस्तावना	1.1	2
राज्य के संसाधन	1.2	6
राजस्व प्राप्तियाँ	1.3	8
पूँजीगत प्राप्तियाँ	1.4	14
लोक लेखा प्राप्तियाँ (निवल)	1.5	14
संसाधनों का उपयोग	1.6	15
व्यय की गुणवत्ता	1.7	20
सरकारी व्यय एवं निवेश का वित्तीय विश्लेषण	1.8	22
परिसंपत्तियाँ एवं देयताएँ	1.9	24
ऋण प्रबंधन	1.10	28
राजकोषीय असंतुलन	1.11	29
अनुवर्त्ती	1.12	32
निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ	1.13	33
अध्याय –II वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण		
प्रस्तावना	2.1	35
विनियोग लेखा का सारांश	2.2	36
वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन	2.3	37
विशेष रूप से सहायता अनुदान से व्यय की त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण	2.4	42
असमाशोधित व्यय	2.5	42
आकस्मिकता निधि से अग्रिम	2.6	43
अनुदान संख्या–23 "उद्योग विभाग" की समीक्षा	2.7	44
अनुदान संख्या–42 "ग्रामीण विकास विभाग" की समीक्षा	2.8	47
निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ	2.9	48

विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
अध्याय – III वित्तीय प्रतिवेदन		
असमायोजित सार आकस्मिक विपत्र	3.1	51
उपयोगिता प्रमाण–पत्र की प्रस्तुति में विलंब	3.2	52
निकायों और प्राधिकरणों को भुगतान किए गए अनुदानों या ऋणों के ब्योरो का अप्रस्तुतीकरण	3.3	53
प्रमाणीकरण हेतु प्राधिकरणों अथवा निकायों के लेखा/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति में विलंब	3.4	53
मुख्य उचंत एवं प्रेषण शीर्ष के अंतर्गत लंबित शेष	3.5	54
अस्थायी अग्रिम एवं अग्रदाय का असमायोजन	3.6	54
प्राप्तियों एवं व्यय का असमाशोधन	3.7	55
बहुप्रयोजनित लघु शीर्ष – 800 का परिचालन	3.8	56
निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ	3.9	56

परिशिष्ट

संख्या	विवरण	संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
1.1	राज्य का परिचय	1	59
1.2	भाग–कः सरकारी लेखे की संरचना एवं रूपरेखा	1.1	60
1.2	भाग–खः वित्त लेखे की रूपरेखा	1.1	60
1.3 भाग–क	राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजटीय प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम.)	1.1	63
1.3 भाग–ख	राजकोषीय स्थिति के निर्धारण हेतु अपनायी गयी पद्धति	1.1	64
1.4	वर्ष 2014–15 की प्राप्तियाँ एवं संवितरणों का सार	1.1.1, 1.6.2	65
1.5	वर्ष 2014–15 के लिए बजट प्राक्कलन यथा वास्तविकी	1.1.3	69
1.6	राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों को निधि का सीधा स्थानांतरण	1.2.2	70
1.7	राज्य सरकार के वित्त के कालश्रृंखला आँकड़े	1.3, 1.3.1.1	75
1.8	31 मार्च 2015 को बिहार सरकार के वित्तीय स्थिति का सार	1.9.1	77
2.1	₹ 10 करोड़ एवं कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से ज्यादा की बचत वाले अनुदानों/विनियोजनों की विवरणी	2.3.1	78

विषय सूची

संख्या	विवरण	संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
2.1 (क)	₹ 100 करोड़ तथा अधिक एवं कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से ज्यादा की बचत वाले अनुदानों/विनियोजनों की विवरणी	2.3.1	79
2.2	वर्ष 2010–15 के दौरान सतत् बचत सूचित करने वाले अनुदानों की सूची	2.3.2	81
2.3	विगत वर्षों में प्रावधान से आधिक्य जिसके नियमन की आवश्यकता है	2.3.3	82
2.4	अनुपूरक प्रावधान के मामले (प्रत्येक मामले में ₹ 10 लाख या उससे अधिक) जो अनावश्यक साबित हुए	2.3.5	83
2.5	निधियों का आधिक्य/अनावश्यक पुनर्विनियोजन	2.3.6	85
2.6	निधियों के पुनर्विनियोजन द्वारा अपर्याप्त निकासी	2.3.6	90
2.7	वर्ष के दौरान वृहत् अभ्यर्पण (₹ पाँच करोड़ या कुल प्रावधान का 50 प्रतिशत से अधिक)	2.3.7	94
2.8	निधियों का शत–प्रतिशत अभ्यर्पण (पाँच लाख से अधिक)	2.3.7	103
2.9	प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक एवं 10 प्रतिशत से ज्यादा अभ्यर्पित नहीं किए गए बचत की विवरणी	2.3.9	111
2.10	वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस में ₹ 10 करोड़ तथा कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक के निधियों का अभ्यर्पण के मामले	2.3.9	112
2.11	माह मार्च 2015 में सघन व्यय	2.3.10	115
2.12	वर्ष 2014–15 के दौरान ₹ 10 करोड़ से ज्यादा (प्रत्येक मामले में) की असमाशोधित राशि की विवरणी	2.5	116
2.13	नित्य प्रयोजन के लिये आकस्मिकता निधि से निकासी की विस्तृत विवरणी	2.6	118
2.14	अनावश्यक पूरक प्रावधान (अनुदान सं. 23)	2.7.2	120
2.15	वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन निधि का अभ्यर्पण (अनुदान सं. 23)	2.7.4	121
2.16	निधि के अनुपयोग के कारण शत–प्रतिशत अभ्यर्पण (अनुदान सं. 23)	2.7.5	122
2.17	महालेखाकार (ले. एवं हक.) तथा विभागीय व्यय के आँकड़े के बीच भिन्नता (अनुदान सं. 23)	2.7.6	123

विषय सूची

संख्या	विवरण	संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
2.18	वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन निधि का अभ्यर्पण (अनुदान सं. 42)	2.8.2	124
2.19	वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन कुल प्रावधान का अभ्यर्पण (अनुदान सं. 42)	2.8.2	127
2.20	निधि के अनुपयोग के कारण शत–प्रतिशत अभ्यर्पण (अनुदान सं. 42)	2.8.3	129
2.21	महालेखाकार (ले. एवं हक.) तथा विभागीय व्यय के आँकड़े के बीच भिन्नता (अनुदान सं. 42)	2.8.4	130
3.1	भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम की धारा 14 के तहत् चिह्नित लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों की सूची	3.3	131
3.2	प्रमाणीकरण हेतु प्राधिकरणों अथवा निकायों के लेखा/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति में विलंब	3.4	132
3.3	लघु शीर्ष 800–'अन्य प्राप्तियाँ' का परिचालन	3.8	133
	संकेताक्षरों की शब्दावली		135

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

पृष्ठभूमि

यह प्रतिवेदन वर्ष 2014–15 के दौरान बिहार सरकार के वित्त पर वित्तीय निष्पादन का आकलन करने तथा राज्य सरकार और राज्य विधान मंडल को उचित प्रकार से वित्तीय आंकड़ों पर लेखापरीक्षा विश्लेषण के रूप में सूचना प्रदान करने के उद्देश्य से प्रस्तुत है। इस विश्लेषण को उचित परिपेक्ष्य में रखने के लिए बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2010, तेरहवें वित्त आयोग के प्रतिवेदन एवं बजट अनुमान 2014–15 में दिये गए लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धियों की तुलना का प्रयास किया गया है।

यह प्रतिवेदन

मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए बिहार सरकार के लेखा परीक्षित लेखाओं पर आधारित यह प्रतिवेदन, सरकार के वार्षिक लेखे की विश्लेषणात्मक समीक्षा प्रस्तुत करती है। यह प्रतिवेदन तीन अध्यायों में संरचित है।

अध्याय–I वित्त लेखा की लेखापरीक्षा पर आधारित है और 31 मार्च 2015 तक के बिहार सरकार के राजकोषीय स्थिति का मूल्यांकन करता है। यह पूर्व वर्ष की तुलना में मुख्य राजकोषीय संचय में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। यह ब्याज, भुगतान, वेतन एवं मजदूरी, पेंशन, सब्सिडी तथा ऋण की अदायगी तथा उधार प्रतिमान की प्रवृत्तियों की जानकारी देने के अतिरिक्त बजट से इतर मार्ग से राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों को सीधे स्थानांतरित केंद्रीय निधियों का संक्षिप्त लेखा भी उपलब्ध कराता है।

अध्याय–II विनियोग लेखा की लेखापरीक्षा पर आधारित है और विनियोगों का अनुदानवार विवरण देता है तथा सेवा प्रदायी विभागों द्वारा आवंटित संसाधनों के प्रबंध के ढ़ंग का वर्णन करता है। इसमें "अनुदान संख्या–23 उद्योग विभाग" तथा "अनुदान संख्या–42 ग्रामीण विकास विभाग" नामक दो अनुदानों की विस्तृत समीक्षा दी गयी है। इसमें यह पता लगाने की चेष्टा की गयी है कि विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत हुए व्यय वास्तव में विनियोजन अधिनियम के अंतर्गत दिये गए प्राधिकरण में हुए थे अथवा नहीं।

अध्याय–III विभिन्न प्रतिवेदन संबंधी आवश्यकताओं एवं वित्तीय नियमों के साथ बिहार सरकार के अनुपालन की एक सूची है। लेखापरीक्षा निष्कर्ष के समर्थन में विभिन्न सरकारी विभागों/संगठनों से एकत्रित किए गए आँकड़े भी इस अध्याय में होते हैं।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

अध्याय I राज्य सरकार का वित्त

राजकोषीय स्थिति

- वर्ष 2014–15 के दौरान राज्य का राजस्व अधिशेष ₹ 5847.56 करोड़ था। चालू वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटा बढ़कर ₹ 11178.50 करोड़ हो गया। यह सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.78 प्रतिशत था, जो कि तेरहवें वित्त आयोग के अनुशंसा की सीमा (तीन प्रतिशत) के भीतर था।

(कंडिका 1.1.2 एवं 1.11.1)

राज्य क्रियान्वयन एजेंसियो को निधि का हस्थानांतरण

- वर्ष 2014–15 के दौरान, भारत सरकार ने राज्य क्रियान्वयन एजेंसियो को सीधे ₹ 651.74 करोड़ स्थानांतरण किया, जो कि पूर्व वर्ष की तुलना में 93.11 प्रतिशत कम था। मुख्य प्राप्तकर्ताओं में जिला योजना अधिकारी (स्थानीय निकाय) (₹ 246.50 करोड़ अर्थात् 37.82 प्रतिशत), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना (सरकारी स्वायत्त निकाय) (₹ 206.97 करोड़ अर्थात् 31.76 प्रतिशत) तथा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (सरकारी स्वायत्त निकाय) (₹ 82.00 करोड़ अर्थात् 12.58 प्रतिशत)।

(कंडिका 1.2.2)

संसाधन संग्रहण

- जबकि राज्य के राजस्व प्राप्तियों (₹ 78417.54 करोड़) में वर्ष 2014–15 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में 13.78 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो कि बजट प्राक्कलन से ₹ 23522 करोड़ कम था।

(कंडिका 1.1.1 एवं 1.1.3)

व्यय की गुणवता

- पूँजीगत व्यय 2013–14 के ₹ 14001 करोड़ से बढ़कर 2014–15 में ₹ 18150.41 करोड़ हो गया, जबकि चुनिंदा आर्थिक सेवाओ पर पूँजीगत व्यय कुल व्यय का 2013–14 के 48.29 प्रतिशत से बढ़कर 2014–15 में 51.99 प्रतिशत हो गया। तथापि, इनमें कमी मुख्य रूप से सामाजिक सेवाओं में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा आर्थिक सेवाओं में कृषि एवं संबद्ध सेवाएँ तथा सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के अंतर्गत देखा गया।

(कंडिका 1.1.1 एवं 1.7.2)

- चयनित सामाजिक आर्थिक सेवाओं के राजस्व व्यय में वेतन एवं मजदूरी का अंश 2013–14 में 27.90 प्रतिशत से घटकर 2014–15 में 24.24 प्रतिशत हो गया, जो राज्य वित्त में सकारात्मक परिवर्त्तन इंगित करता है।

(कंडिका 1.7.2)

- 31 मार्च 2015 तक, राज्य सरकार ने सरकारी कंपनियों, सहकारी संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों, सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंक तथा अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियों एवं साझेदारियों में ₹ 7068.79 करोड़ निवेश किया जिसके विरूद्ध वर्ष 2014–15 में सिर्फ ₹ 2.58 करोड़ प्रतिलाभ था।

(कंडिका 1.8.2)

- प्रत्येक वर्ष राज्य के विभिन्न संस्थाओं/संगठनों को ऋण की वृहत् राशि दी गयी थी लेकिन उसकी वसूली नगण्य थी जो पुनर्भुगतान के लिए एक वृहत् राशि ₹ 20255.01 करोड़ मार्च 2015 के अंत तक बकाया था।

(कंडिका 1.8.3)

राजकोषीय देयता

- राज्य की राजकोषीय देयता 2010–11 के ₹ 62858.01 करोड़ से बढ़कर 2014–15 में ₹ 99055.82 करोड़ हो गया। वर्ष के दौरान, राजस्व अधिशेष में ₹ 595 करोड़ की कमी हुई जबकि राजकोषीय घाटा 2013–14 के ₹ 8351 करोड़ से बढ़कर 2014–15 में ₹ 11179 करोड़ हो गए। तथापि, वर्ष 2014–15 में राजकोषीय घाटा तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात (0.028), तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित आकलन तथा एफ.आर.बी.एम. अधिनियम में वर्णित तीन प्रतिशत के भीतर था। राज्य सरकार ने अभी तक कोई प्रत्याभूति मोचन निधि का सृजन नहीं किया था।

(कंडिका 1.9.2 एवं 1.11.1)

अध्याय II वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण

अनुचित बजट प्राक्कलन के कारण वृहत् बचत

- वर्ष 2014–15 के दौरान ₹ 140022.59 करोड़ के कुल बजट प्रावधान के विरूद्ध वृहत् बचत ₹ 43925.80 करोड़ (31.37 प्रतिशत) था जो अनुचित बजट अनुमान को दर्शाता है। विभिन्न योजनाओं/उपशीर्षों के अंतर्गत वृहत् बचत राज्य में विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। गत पाँच वर्षो से सतत् बचत 10 विभागों में भी सूचित हुई। कुल बचत (₹ 43925.80 करोड़) में से ₹ 27334.02 करोड़ (62.23 प्रतिशत) ही अभ्यर्पित की गई और ₹ 22740.73 करोड़ (83.20 प्रतिशत) की राशि 31 मार्च 2015 को अभ्यर्पित की गई।

(कंडिका 2.2 तथा 2.3.2)

पूर्ववर्ती वर्षों के प्रावधान से आधिक्य का अपेक्षित नियमितिकरण

- पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान प्रावधानित राशि से अधिक व्यय की गई राशि ₹ 1062.46 करोड़ के आधिक्य व्यय को भारतीय संविधान की धारा 205 के तहत् नियमितिकरण कराना अपेक्षित था।

(कंडिका 2.3.3)

विभागीय आँकड़ों का असमाशोधन

- वर्ष 2014–15 के दौरान नियंत्री पदाधिकारियों ने महालेखाकार (ले. एवं हक.) के पुस्त के साथ 75 मुख्य शीर्षों के तहत ₹ 68657.81 करोड़ (प्रत्येक मामलों में ₹ 10 करोड़ से अधिक) का समाशोधन नहीं किया।

(कंडिका 2.5)

आकस्मिकता निधि से अग्रिम

- वर्ष 2014–15 के दौरान, आकस्मिकता निधि से ₹ 1875.84 करोड़ के 101 आहरण हुए, जिसमें से ₹ 1667.15 करोड़ (88.87 प्रतिशत) के 67 आहरण नित्य व्यय हेतु थे।

(कंडिका 2.6)

उद्योग तथा ग्रामीण विकास विभाग में बजटीय नियत्रंण में कमी

- उद्योग तथा ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा बजट नियमावली के प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा था फलतः विभाग में बजटीय नियत्रंण का अभाव था।

(कंडिका 2.7 तथा 2.8)

अध्याय III वित्तीय प्रतिवेदन

असमायोजित सार आकस्मिक विपत्रों

- विस्तृत आकस्मिक विपत्रों की प्रस्तुति न होने के कारण सार आकस्मिक विपत्रों पर आहरित ₹ 5381.42 करोड़ की महत्वपूर्ण राशि मार्च 2015 तक लंबित थे।

(कंडिका 3.1)

उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की प्रस्तुति में विलंब

- विभिन्न विभागों द्वारा सहायता अनुदान विपत्रों के विरूद्ध आहरित ₹ 31510.73 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण–पत्र 31 मार्च 2015 तक लंबित था। सहायता अनुदान विपत्रों के विरूद्ध वृहत् राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की अप्राप्ति, अभिप्रेत प्रयोजन हेतु अनुदान के ससमय व्यवहार के लिए नियम एवं पद्धति का पालन करने में विभागीय अधिकारियों की विफलता प्रदर्शित करती है।

(कंडिका 3.2)

प्रमाणीकरण हेतु प्राधिकरणों अथवा निकायों के लेखा/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुतीकरण में विलंब

- सभी चार प्राधिकरणों अथवा निकायों द्वारा प्रमाणीकरण के लिए लेखा/लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रस्तुति में एक साल एक महीना से तीन वर्षों से अधिक विलंब था।

(कंडिका 3.4)

अस्थायी अग्रिम एवं अग्रदाय का असमायोजन

- आठ विभागों/संगठन द्वारा 31 मार्च 2015 तक आहरित ₹ 186.08 करोड़ के अस्थायी अग्रिम एवं अग्रदाय असमायोजित थे।

(कंडिका 3.6)

ikDdFku

1. यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत बिहार के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है ।

2. इस प्रतिवेदन के अध्याय I एवं II में 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष में राज्य सरकार के क्रमशः वित्त लेखा तथा विनियोग लेखा की जाँच से उठे मामलों पर लेखापरीक्षा टिप्पणी शामिल है । जहाँ आवश्यक हुआ, बिहार सरकार से सूचना प्राप्त किया गया है ।

3. वित्तीय प्रतिवेदन पर अध्याय III चालू वर्ष के दौरान विभिन्न वित्तीय नियम, प्रक्रिया एवं निदेशों के प्रति राज्य सरकार के अनुपालन का विहंगावलोकन तथा स्थिति प्रस्तुत करता है ।

4. निष्पादन लेखापरीक्षा एवं विभिन्न विभागों के अनुपालन लेखापरीक्षा निष्कर्ष तथा सांविधिक निगमों, बोर्डों तथा सरकारी कम्पनियों के लेखापरीक्षा अवलोकन को शामिल करने वाले प्रतिवेदन एवं राजस्व प्राप्तियों पर अवलोकन को समाहित करने वाले प्रतिवेदन को अलग से प्रस्तुत किया जाता है।

अध्याय I
राज्य सरकार का वित्त

राज्य सरकार का वित्त

1. बिहार का परिचय

बिहार भू–भाग से घिरा एक ऐसा राज्य है जिसके पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड एवं उत्तर में नेपाल से सटी लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। भौगोलिक आकार (94163 वर्ग किमी) के दृष्टिकोण से यह भारत का तेरहवाँ एवं जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। बिहार राज्य में 38 जिले हैं।

बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि प्रधान है तथा राज्य के पास कोई महत्वपूर्ण खनिज संपदा नहीं है। जैसा कि ***परिशिष्ट 1.1*** में दर्शाया गया है कि जनसंख्या घनत्व 881 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी (2001) से बढ़कर 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी (2011) हो गया है। बिहार की गरीबी रेखा संपूर्ण भारत की औसत गरीबी से अधिक है। तथापि, राज्य ने 2005–06 से 2014–15 तक की अवधि में उच्च आर्थिक विकास प्रदर्शित किया है जैसा कि इसका सकल राज्य घरेलू उत्पाद का मिश्रित वार्षिक विकास दर 17.86 प्रतिशत रहा जबकि इसकी तुलना में सामान्य दर्जे के राज्यों[1] का विकास दर 15.44 प्रतिशत रहा। इस अवधि के दौरान इसकी जनसंख्या सामान्य दर्जे के राज्यों की जनसंख्या की औसत वृद्धि[2] 12.76 प्रतिशत की तुलना में 15.33 प्रतिशत हो गयी। वर्ष 2005–06 से 2014–15 के अवधि के दौरान बिहार में प्रति व्यक्ति आय मिश्रित वार्षिक विकास दर 16.40 प्रतिशत, सामान्य दर्जे के राज्यों की औसत मिश्रित वार्षिक विकास दर 13.86 प्रतिशत की तुलना में थोड़ा अधिक रहा।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.)

सकल राज्य घरेलू उत्पाद निश्चित समय की अवधि में राज्य के भीतर सभी अधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त अंतिम उत्पाद एवं सेवा का बाजार मूल्य होता है। राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का विकास राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण प्रदर्शक होता है क्योंकि यह राज्य की जनसंख्या का जीवन स्तर प्रदर्शित करता है। चालू मूल्य पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद एवं राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (आधार वर्ष 2004–05) के वार्षिक विकास की प्रवृति नीचे **तालिका 1.1** में दर्शायी गयी है।

तालिका 1.1: चालू मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद

वर्ष	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
भारत का सकल घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	7248860	8391691	9388876	10472807	11509810#
भारत के सकल घरेलू उत्पाद का विकास दर (प्रतिशतता)	18.66	15.77	11.88	11.54	-
राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	203555	243269	293616	343663	402283
राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का विकास दर (प्रतिशतता)	24.94	19.51	20.70	17.05	17.06

#तीन राज्यों जिनका नाम गोवा, ए. एण्ड एन. द्वीपसमूह और चंडीगढ़ को छोड़कर।
(स्रोतः जी.एस.डी.पी. के लिए 31 जुलाई 2015 को सी.एस.ओ. वेबसाइट पर उपलब्ध सूचनाएँ, एम.ओ.एस.पी.आई. तथा आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार)

[1] *ग्यारह विशेष श्रेणी के राज्यों (अरूणाचल प्रदेश, असम, जम्मु और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा तथा उत्तराखंड) के अतिरिक्त अन्य राज्य।*

[2] *सामान्य श्रेणी के राज्यों के अखिल भारतीय औसत की गणना 16 सामान्य श्रेणी के राज्यों से प्रदत्त आँकड़ों के आधार पर की गयी है (दिल्ली, गोवा तथा पुडुचेरी को छोड़कर)।*

1.1 प्रस्तावना

यह अध्याय चालू वर्ष के दौरान बिहार सरकार के वित्त का व्यापक परिदृश्य प्रस्तुत करता है। यह पिछले पाँच वर्षों के समग्र प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष की तुलना में मुख्य राजकोषीय संचय में विवेचनात्मक परिवर्तन को विश्लेषित करता है। सरकार के लेखा की संरचना एवं रूपरेखा ***परिशिष्ट 1.2 के भाग 'क'*** में वर्णित है तथा वित्तीय लेखा की रूपरेखा ***परिशिष्ट 1.2 के भाग 'ख'*** में दर्शाया गया है। यह विश्लेषण राज्य के वित्त लेखा तथा राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के आधार पर किया गया है। तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुपालन में, राज्य सरकार ने बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2010 (एफ.आर.बी.एम) बनाया है, जो कि ***परिशिष्ट 1.3 भाग 'क'*** में दर्शाया गया है। एफ.आर.बी.एम. (संशोधन) अधिनियम, 2010 द्वारा विनिर्दिष्ट नियम राज्य तथा राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन हेतु अपनायी गयी पद्धति ***परिशिष्ट 1.3*** के ***भाग 'ख'*** में दी गयी है।

1.1.1 राजकोषीय लेन–देन का सारांश

तालिका 1.2 पिछले वर्ष (2013–14) की तुलना में चालू वर्ष (2014–15) के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय लेन–देन के सारांश को दर्शाता है जबकि चालू वर्ष के दौरान समग्र राजकोषीय स्थिति के साथ–साथ प्राप्तियाँ एवं संवितरण का विस्तृत विवरण ***परिशिष्ट 1.4*** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.2: 2014–15 में राजकोषीय प्रचालन का सारांश

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ	2013-14	2014-15	संवितरण	2013-14	2014-15		
खण्ड–'क' राजस्व					**गैर–योजना**	**योजना**	**योग**
राजस्व प्राप्तियाँ	**68918.65**	**78417.54**	राजस्व व्यय	**62477.23**	**47058.87**	**25511.11**	**72569.98**
कर राजस्व	19960.68	20750.23	सामान्य सेवाएँ	22018.47	26303.07	105.11	26408.18
करेत्तर राजस्व	1544.83	1557.98	सामाजिक सेवाएँ	26394.85	12019.55	19693.16	31712.71
संघीय कर/ शुल्कों का अंश	34829.11	36963.07	आर्थिक सेवाएँ	14060.06	8732.21	5712.84	14445.05
भारत सरकार से प्राप्त अनुदान	12584.03	19146.26	सहायता अनुदान एवं अंशदान	3.85	4.04	0.00	4.04
खण्ड–'ख' पूँजीगत एवं अन्य							
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	0.00	0.00	पूँजीगत व्यय	14001.00	58.34	18092.07	18150.41
ऋण एवं अग्रिम की वसूली	15.03	1493.06	ऋण एवं अग्रिम का संवितरण	807.38	32.35	336.36	368.71
लोक ऋण प्राप्तियाँ	9907.09	13917.53	लोक ऋण का पुनर्भुगतान	3119.56			3608.95
अंतर्राज्यीय परिशोधन	0.00	0.00	अंतर्राज्यीय परिशोधन	0.00			0.00
आकस्मिकता निधि	1450.43	1650.00	आकस्मिकता निधि	1450.43			1650.00
लोक लेखा प्राप्तियाँ	33457.78	40251.12	लोक लेखा संवितरण	29452.57			39200.48
प्रारंभिक नकद शेष	3715.58	6156.39	अंतिम नकद शेष	6156.39			6337.11
योग	**117464.56**	**141885.64**	**योग**	**117464.56**			**141885.64**

(स्रोतः राज्य का वित्त लेखा, वर्ष 2014–15)

पूर्व वर्ष की तुलना में वर्ष 2014–15 के दौरान महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नलिखित हैं :

- वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियों में 13.78 प्रतिशत (₹ 9498.89 करोड़) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि अपने कर राजस्व में 3.96 प्रतिशत (₹ 789.55 करोड़) तथा संघीय करों/शुल्कों में राज्य के अंश में 6.13 प्रतिशत (₹ 2133.96 करोड़) की वृद्धि के कारण हुई।
- राज्य का अपना कर राजस्व (₹ 20750.23 करोड़) तेरहवें वित्त आयोग के निर्धारण (₹ 13510.40 करोड़) से 53.59 प्रतिशत (₹ 7239.83 करोड़) अधिक तथा बजट प्राक्कलन (₹ 25662.95 करोड़) से 19.14 प्रतिशत (₹ 4912.72 करोड़) कम था। वृद्धि का मुख्य कारण वाहन कर में 15.05 प्रतिशत (₹ 126.08 करोड़), माल एवं यात्री कर में 2.35 प्रतिशत (₹ 102.25 करोड़) तथा राज्य उत्पाद में 1.54 प्रतिशत (₹ 48.86 करोड़) की वृद्धि था।
- पूर्व वर्ष की तुलना में करेत्तर राजस्व (₹ 1557.98 करोड़) 0.85 प्रतिशत (₹ 13.15 करोड़) से अधिक हो गया। तथापि, करेत्तर राजस्व 49.44 प्रतिशत (₹ 1523.70 करोड़) बजट प्राक्कलन (₹ 3081.68 करोड़) से कम था तथा तेरहवें वित्त आयोग (₹ 2466.86 करोड़) के निर्धारण से 36.84 प्रतिशत (₹ 908.88 करोड़) कम था। करेत्तर राजस्व में वृद्धि का मुख्य कारण अलौह खनन् तथा धातुकर्म उद्योग में ₹ 310.73 करोड़ की वृद्धि था।
- वर्ष के दौरान राजस्व व्यय (₹ 72569.98 करोड़) में 16.15 प्रतिशत (₹ 10092.75 करोड़) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्यतः सामाजिक सेवाओं में 20.15 प्रतिशत (₹ 5317.86 करोड़), सामान्य सेवाओं में 19.94 प्रतिशत (₹ 4389.71 करोड़) तथा आर्थिक सेवाओं में 2.74 प्रतिशत (₹ 385 करोड़) व्यय की वृद्धि के कारण हुई। तथापि, वर्ष के दौरान राजस्व व्यय बजट प्राक्कलन (₹ 91765.43 करोड़) से 20.92 प्रतिशत (₹ 19195.45 करोड़) कम था।
- वर्ष 2013–14 के तुलना में इस वर्ष के दौरान गैर योजना व्यय (राजस्व एवं पूँजीगत) में 8.37 प्रतिशत (₹ 3639.54 करोड़) की वृद्धि हुई तथा योजनागत व्यय (राजस्व एवं पूँजीगत) में 32.13 प्रतिशत (₹ 10602.61 करोड़) की वृद्धि हुई।
- ऋण एवं अग्रिम की वसूली में ₹ 1478.03 करोड़ की वृद्धि हुई। इसी प्रकार, ऋण एवं अग्रिम के संवितरण में 54.33 प्रतिशत (₹ 438.67 करोड़) की कमी हुई। वर्ष के दौरान पूँजीगत व्यय में 29.64 प्रतिशत (₹ 4149.41 करोड़) की वृद्धि हुई।
- लोक लेखा प्राप्तियों में 20.30 प्रतिशत (₹ 6793.34 करोड़) की वृद्धि हुई जबकि संवितरणों में 33.10 प्रतिशत (₹ 9747.91 करोड़) की वृद्धि हुई।
- लोक ऋण के अंतर्गत प्राप्तियों में 40.48 प्रतिशत (₹ 4010.44 करोड़) की वृद्धि हुई जबकि इसके पुनर्भुगतान में 15.69 प्रतिशत (₹ 489.39 करोड़) की वृद्धि हुई।
- इन लेन–देन के परिणामस्वरूप वर्ष के अंत में नकद शेष के रूप में 2.94 प्रतिशत (₹ 180.72 करोड़) की वृद्धि हुई।

1.1.2 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

बिहार सरकार ने बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 बनाया। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम.) अधिनियम, 2006 का संशोधन वर्ष 2010 में किया गया तथा इसका नाम "बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2010" रखा गया।

इस अधिनियम के अनुपालन में, राज्य सरकार ने वर्ष 2014–15 की अवधि में प्रक्षेपण हेतु एक मध्यावधि राजकोषीय योजना (एम.टी.एफ.पी.) बनाया था (फरवरी 2014)। तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार राज्य को राजस्व घाटा दूर करना था तथा राजकोषीय घाटा को सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के तीन प्रतिशत के भीतर रखना था।

एफ.आर.बी.एम अधिनियम, 2006 की धारा (12) निर्दिष्ट करता है कि राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों का क्रियान्वयन करने हेतु अधिसूचना जारी कर नियम बनाएगी। परंतु, सितंबर 2015 तक अधिनियम के अंतर्गत कोई नियम नहीं बनाया गया।

तालिका 1.3: राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

राजकोषीय परिवर्ती कारक	2014-15				
	राज्य हेतु तेरहवें वित्त आयोग के लक्ष्य	एफ.आर.बी.एम. अधिनियम में विहित लक्ष्य	बजट में प्रस्तावित लक्ष्य	पंचवर्षीय राजकोषीय योजना / एम.टी.एफ.पी. में बनाये गये प्रक्षेपण	वास्तविकी
राजस्व घाटा (–) / आधिक्य(+) (₹ करोड़ में)	0.00	0.00	10174.03	10174.03	5847.56
राजकोषीय घाटा / जी.एस.डी.पी. (प्रतिशत में)	3.00	3.00	2.96	2.96	2.78
जी.एस.डी.पी. की तुलना में राज्य के कुल बकाया ऋण का अनुपात (प्रतिशत में)	41.60	41.60	19.66	19.66	24.62

(स्रोत: वर्ष 2014–15 के लिए तेरहवाँ वित्त आयोग, एफ.आर.बी.एम. अधिनियम, बजट तथा एम.टी.एफ.पी. आँकड़े तथा राज्य का वित्त लेखा, वर्ष 2014–15)

राज्य सरकार को वर्ष 2009–10 से 2014–15 तक राजस्व अधिशेष हुआ। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में राजकोषीय घाटा एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के विहित सीमा के भीतर ही रहा।

1.1.3 बजट प्राक्कलन एवं वास्तविकी

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट एक विशिष्ट राजकोषीय वर्ष के राजस्व एवं व्यय के प्रक्षेपण अथवा प्राक्कलन का विवरण प्रदान करता है। राजस्व तथा व्यय के आकलन में विशुद्धता की महत्ता समग्र आर्थिक प्रबंधन हेतु राजकोषीय नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन के संदर्भ में व्यापक रूप से स्वीकार किये जाते है। बजट प्राक्कलन से विचलन वांछित राजकोषीय उद्देश्यों की अप्राप्ति तथा इष्टतम उपयोग नहीं होने का सूचक है। **चार्ट 1.1** वर्ष 2014–15 के कुछ महत्वपूर्ण राजकोषीय मानक के बजट प्राक्कलन तथा वास्तविकी को प्रस्तुत करता है जिसे नीचे दर्शाया गया है। बजट प्राक्कलन की तुलना में यथा वास्तविकी का विस्तृत विवरण ***परिशिष्ट 1.5*** में भी दिया गया है।

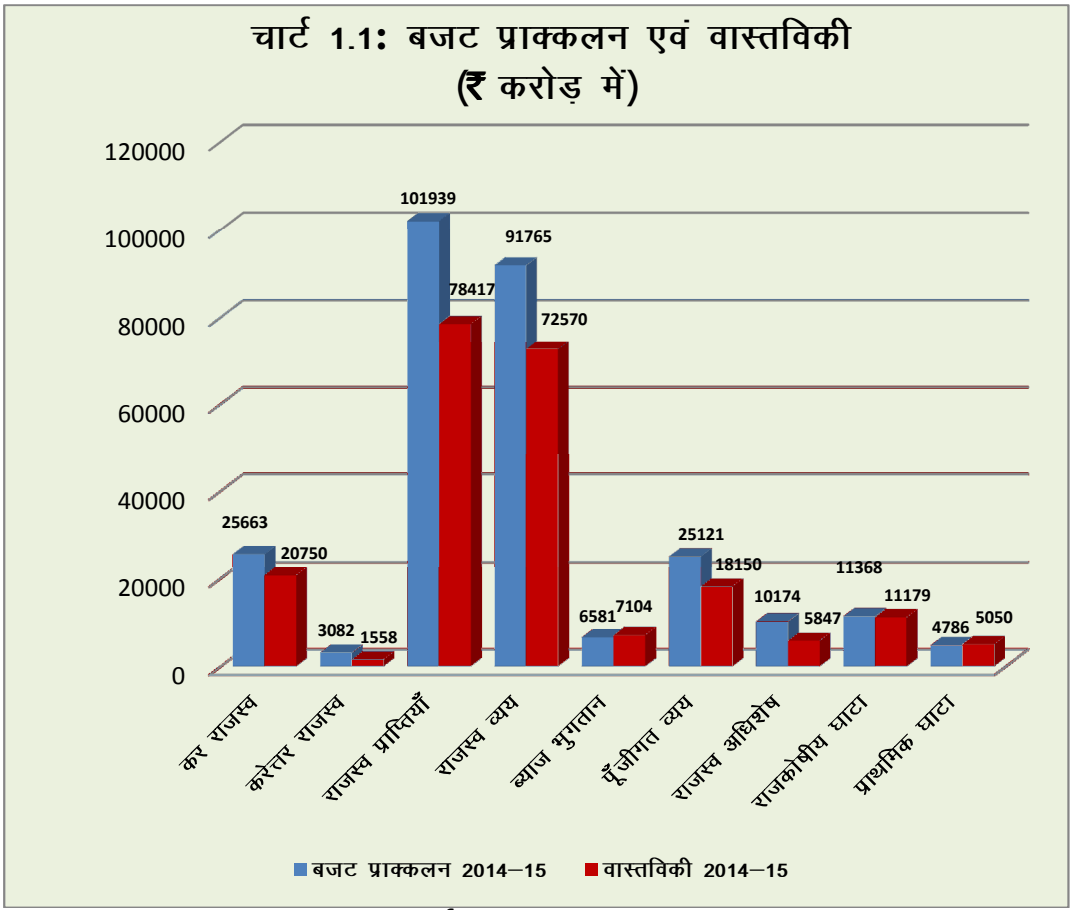

(स्रोतः बजट तथा राज्य का वित्त लेखा, वर्ष 2014–15)

उपर्युक्त चार्ट से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2014–15 के दौरान बजट प्राक्कलन के विरूद्ध वास्तविक आँकड़ो में निम्नलिखित परिवर्तन हुए जिसकी समीक्षा नीचे की गयी है:

- राजस्व प्राप्तियाँ, बजट प्राक्कलन में किये गये प्रक्षेपण से ₹ 23522 करोड़ (23 प्रतिशत) कम था जिसका मुख्य कारण कर राजस्व में ₹ 4913 करोड़ (19 प्रतिशत) तथा ₹ 1524 करोड़ (49 प्रतिशत) के करेत्तर राजस्व का बजट प्राक्कलन की तुलना में कमी होना था।
- राजस्व व्यय तथा पूँजीगत व्यय, बजट प्राक्कलन से क्रमशः ₹ 19195 करोड़ (21 प्रतिशत) एवं ₹ 6971 करोड़ (28 प्रतिशत) कम था। राजस्व व्यय में अंतर का कारण सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत ₹ 11905 करोड़, आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत ₹ 5543 करोड़ तथा सामान्य सेवाओं के अंतर्गत ₹ 1747 करोड़ का कम व्यय था।
- राजस्व अधिशेष बजट प्राक्कलन से ₹ 4327 करोड़ (43 प्रतिशत) कम था जिसका मुख्य कारण बजट प्राक्कलन में किये गये प्रक्षेपण से राजस्व प्राप्तियों में ₹ 23522 करोड़ की कमी था।
- बजट प्राक्कलन (₹ 11368 करोड़) में किये गये प्रक्षेपण से राजकोषीय घाटा ₹ 189 करोड़ कम था जिसका मुख्य कारण राजस्व व्यय में पूर्व वर्ष की तुलना में ₹ 19195 करोड़ की कमी थी जैसा की बजट प्राक्कलन में प्रावधानित था।
- बजट प्राक्कलन में किये गए प्रक्षेपण से प्राथमिक घाटा में ₹ 264 करोड़ की वृद्धि हो गयी।

1.2 राज्य के संसाधन

1.2.1 वार्षिक वित्त लेखे के आधार पर राज्य के संसाधन

राज्य सरकार के संसाधन, प्राप्तियों के दो प्रवाह–राजस्व और पूँजीगत से बने हैं। राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत कर राजस्व, करेत्तर राजस्व, संघीय करों/शुल्कों में राज्य के अंश एवं भारत सरकार का सहायता अनुदान शामिल है। पूँजीगत प्राप्तियों में विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ जैसे विनिवेश से प्राप्तियाँ, ऋण एवं अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्रोत से ऋण प्राप्ति (बाजार से ऋण, वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंको से उधार) तथा भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त संवितरण के पश्चात् लोक लेखा में उपलब्ध निधि का उपयोग भी सरकार द्वारा अपने घाटे का वित्त पोषण में किया गया। जैसा कि वार्षिक वित्त लेखा में अभिलिखित है, **तालिका 1.2** चालू वर्ष के दौरान राज्य की प्राप्तियाँ तथा संवितरण को प्रस्तुत करता है जबकि **चार्ट 1.2** वर्ष 2014–15 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के विभिन्न अवयवों की प्रवृति को प्रदर्शित करता है।

चार्ट 1.2: संसाधनों के घटक एवं उप–घटक

(₹ करोड़ में)

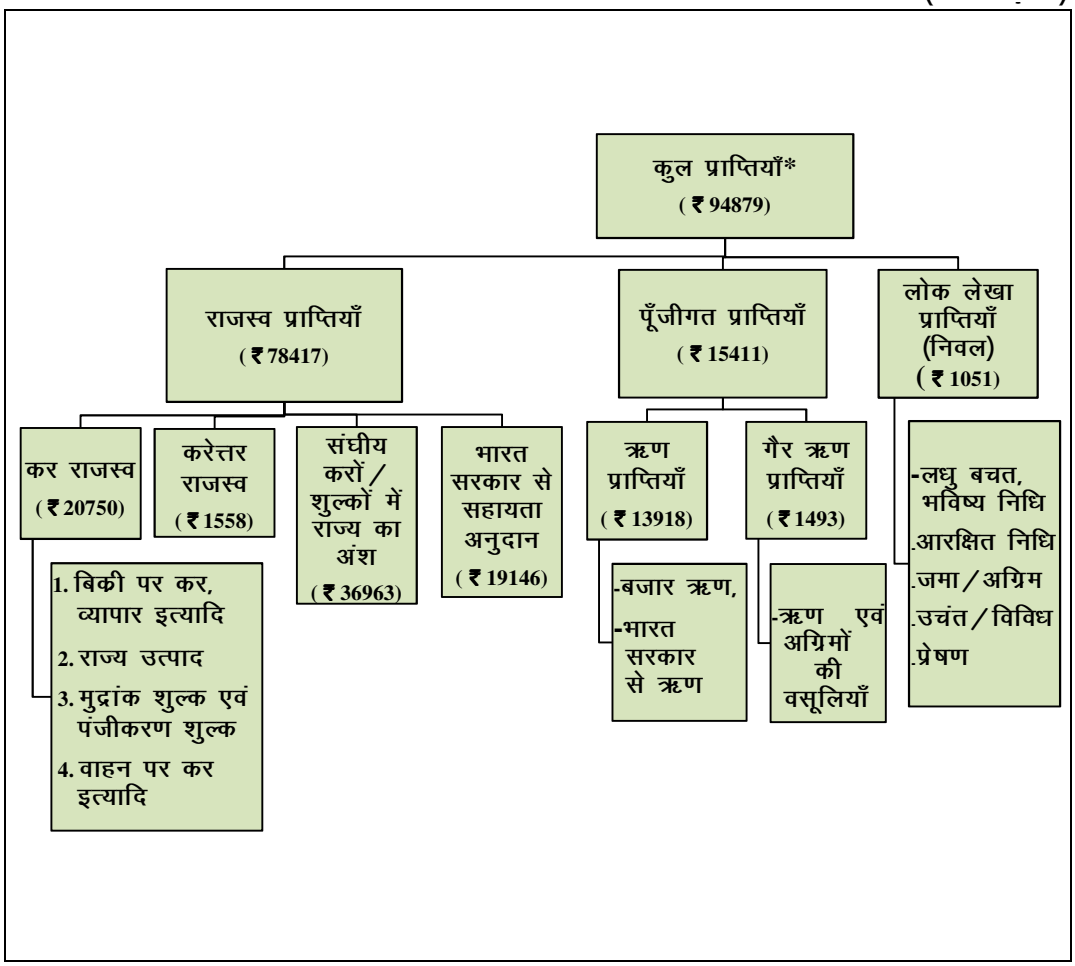

** कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियाँ, पूँजीगत प्राप्तियाँ एवं लोक लेखा प्राप्तियाँ (निवल) शामिल हैं ।*

(स्रोतः राज्य का वित्त लेखा, वर्ष 2014–15)

चार्ट 1.3 वर्ष 2010–15 के दौरान प्राप्तियों की प्रवृति को प्रदर्शित करता है तथा **चार्ट 1.4** वर्ष 2014–15 के दौरान इनके प्राप्तियों के घटक को इंगित करता हैं ।

चार्ट 1.3: संचयी प्राप्तियों की प्रवृत्ति
(₹ करोड़ में)

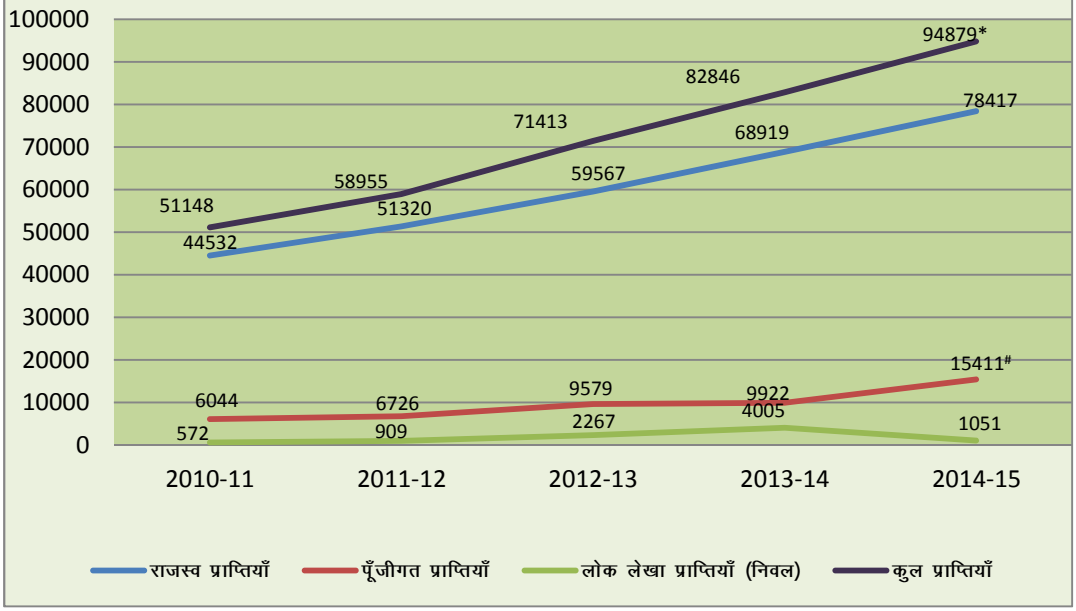

* *कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियाँ, पूँजीगत प्राप्तियाँ एवं लोक लेखा प्राप्तियाँ (निवल) शामिल है ।*
\# *पूँजीगत प्राप्तियाँ में लोक ऋण प्राप्तियाँ, ऋण एवं अग्रिमों की वसूली तथा अंतर्राज्यीय परिशोधन शामिल है।*
(स्रोतः संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा)

कुल प्राप्तियाँ वर्ष 2010–11 में ₹ 51148 करोड़ से 86 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2014–15 में ₹ 94879 करोड़ हो गयी। इसके अतिरिक्त पूर्व वर्ष की तुलना में प्राप्तियों में ₹ 12033 करोड़ (15 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

निम्नलिखित चार्ट वर्ष 2014–15 के कुल प्राप्तियों (₹ 94879 करोड़) की प्रतिशतता के रूप में प्राप्तियों के घटक की स्थिति को दर्शाता है ।

चार्ट 1.4: वर्ष 2014–15 के दौरान संचयी प्राप्तियों की प्रवृत्ति
(₹ करोड़ में)

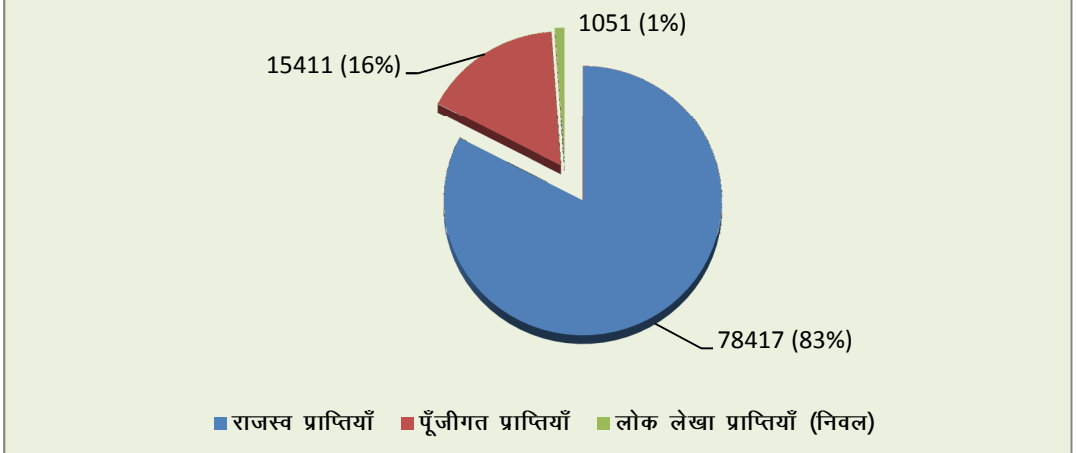

(स्रोतः राज्य का वित्त लेखा, वर्ष 2014–15)

वर्ष 2014–15 के दौरान कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का अंश 83 प्रतिशत था तथा यह ₹ 9498 करोड़ (14 प्रतिशत) वर्ष 2013–14 के ₹ 68919 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014–15 में ₹ 78417 करोड़ हो गया।

वर्ष 2014–15 में पूँजीगत प्राप्तियों का अंश कुल प्राप्तियों का 16 प्रतिशत था तथा यह ₹ 5489 करोड़ (55 प्रतिशत) से बढ़कर वर्ष 2013–14 के ₹ 9922 करोड़ से वर्ष 2014–15 में ₹ 15411 करोड़ हो गया ।

लोक लेखा प्राप्तियाँ उन प्राप्तियों का प्रतिनिधित्व करती है जिसके लिए सरकार लोक धन हेतु बैंकर/न्यासी की भूमिका अदा करती है। लोक लेखा प्राप्तियाँ (निवल) का अंश कुल प्राप्तियों में वर्ष 2014–15 के दौरान एक प्रतिशत था तथा यह ₹ 2954 करोड़ (74 प्रतिशत) से घटकर वर्ष 2013–14 के ₹ 4005 करोड़ से वर्ष 2014–15 में ₹ 1051 करोड़ हो गया।

1.2.2 राज्य बजट से अलग राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों को निधियों का स्थानांतरण

भारत सरकार द्वारा निधियों का एक बड़ा अंश विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र की योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु सीधे राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों[3] को स्थानांतरण किया जाता है जिसे संकटकालीन माना जाता है। चूँकि, वर्तमान प्रक्रिया में ये निधियाँ राज्य बजट/राज्य कोषागार प्रणाली से होकर नहीं गुजरती है और सरकार के लेखे में प्रदर्शित नहीं हो पाती है। इस प्रकार, राज्य का वार्षिक वित्त लेखे राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन संसाधनों का पूर्ण परिदृश्य प्रस्तुत नहीं करता है। कुल निधियों की उपलब्धता का वास्तविक चित्र प्रस्तुत करने के लिए राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों को सीधे निधियों का स्थानांतरण ***परिशिष्ट 1.6*** में दर्शाया गया है। हालांकि, भारत सरकार ने केंद्र प्रयोजित योजनाएँ/अतिरिक्त केंद्रीय सहायता चरणबद्ध तरीके से वर्ष 2014–15 में राज्यों को समेकित निधि के माध्यम से सीधे राज्य सरकार को धन स्थानांतरण करने के लिए निर्णय लिया (जुलाई 2013)।

वर्ष 2014–15 के दौरान भारत सरकार ने राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों को ₹ 651.74 करोड़ सीधे स्थानांतरण किया जो कि पूर्व वर्ष की तुलना में ₹ 8812.76 करोड़ (93.11 प्रतिशत) कम थी। मुख्य प्राप्तकर्ता जिला योजना पदाधिकारी (स्थानीय निकाय) (₹ 246.50 करोड़ अर्थात् 37.82 प्रतिशत), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना (सरकारी स्वायत्त निकाय) (₹ 206.97 करोड़ अर्थात् 31.76 प्रतिशत), अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (सरकारी स्वायत्त निकाय) (₹ 82.00 करोड़ अर्थात् 12.58 प्रतिशत), राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सहित गन्नी खान संस्थान (₹ 46.00 करोड़ अर्थात् 7.06 प्रतिशत) तथा स्वंयसेवी संस्थाओं सहित राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (₹ 10.72 करोड़ अर्थात् 1.64 प्रतिशत) को सहायता अनुदान थे।

1.3 राजस्व प्राप्तियाँ

वित्त लेखे का विवरण–14 सरकार के राजस्व प्राप्तियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। राजस्व प्राप्तियों में राज्य का अपना कर एवं करेत्तर राजस्व, केंद्रीय कर का स्थानांतरण एवं भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान शामिल है। वर्ष 2010–15 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति एवं संरचना को क्रमशः ***परिशिष्ट 1.7*** तथा **चार्ट 1.5** तथा **1.6** में दर्शाया गया है।

[3] *राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों में कोई भी संगठन/संस्थाएँ सहित वैसी गैर सरकारी संस्थाएँ शामिल है जो राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से राज्य में विशेष कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु निधि प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत है।*

चार्ट 1.5: वर्ष 2010–15 के दौरान राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति
(₹ करोड़ में)

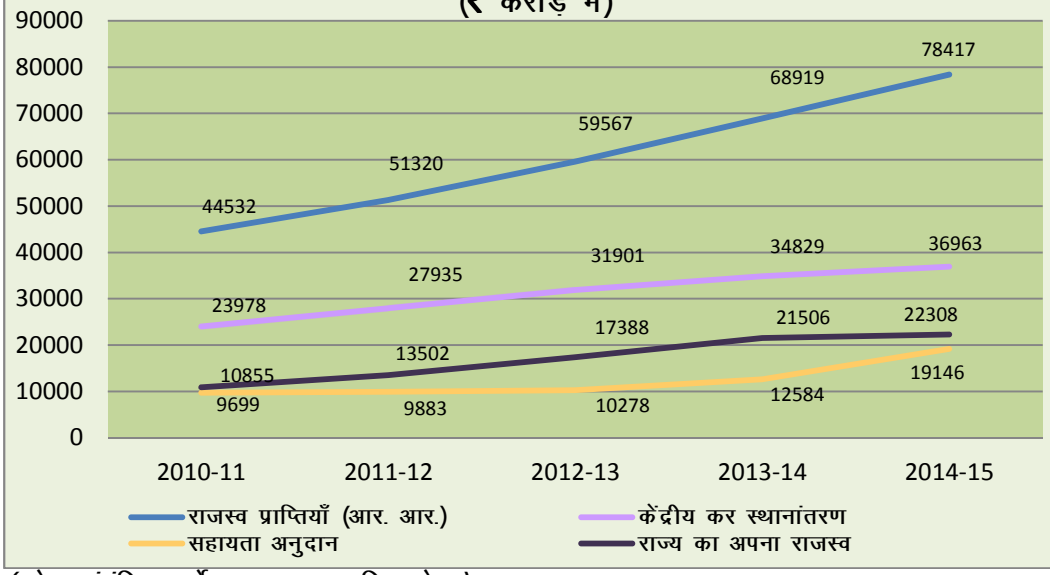

(स्रोतः संबंधित वर्षों का राज्य का वित्त लेखा)

चार्ट 1.6: वर्ष 2010–15 के दौरान राजस्व प्राप्तियों के घटक
(प्रतिशत में)

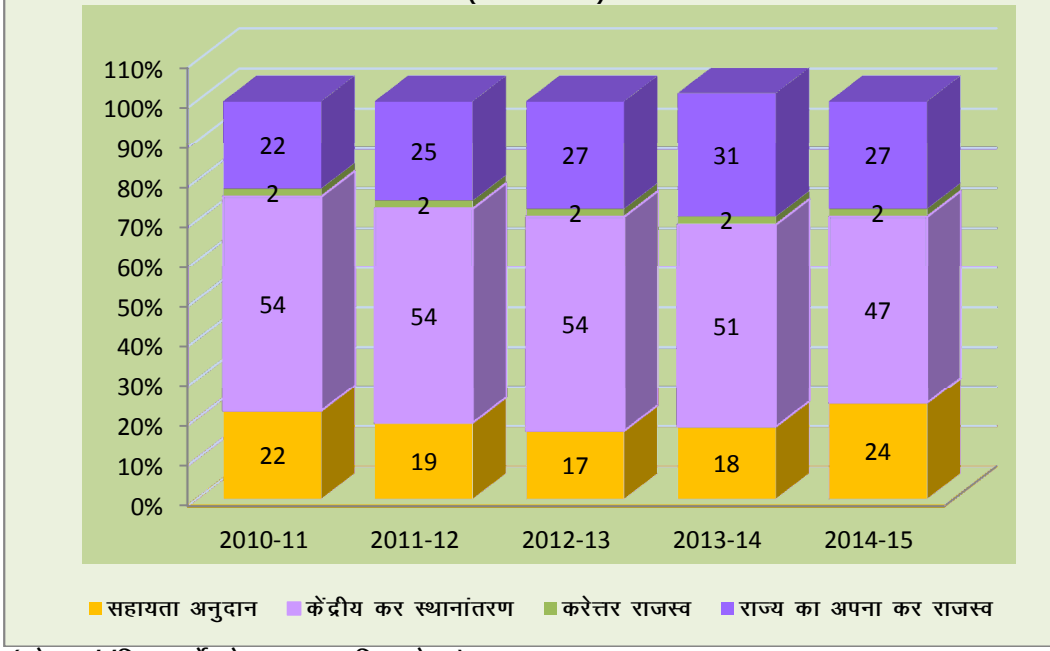

(स्रोतः संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा)

चार्ट 1.5 तथा 1.6 से प्रदर्शित होता है कि:

- राजस्व प्राप्तियों में वर्ष 2010–11 में ₹ 44532 करोड़ से वर्ष 2014–15 में ₹ 78417 करोड़ की क्रमिक वृद्धि हुई। भारत सरकार से सहायता अनुदान का अंश वर्ष 2010–11 में 22 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2014–15 में 24 प्रतिशत हो गया।
- राज्य के अपने स्रोत में कर राजस्व तथा करेत्तर राजस्व शामिल है। राजस्व प्राप्ति में कर राजस्व का अंश वर्ष 2010–15 के दौरान 22 से 31 प्रतिशत के बीच रहा। राजस्व प्राप्ति में राज्य का केंद्रीय कर स्थानांतरण का करों मे अंश वर्ष 2010–15

के दौरान 47 से 54 प्रतिशत के बीच रहा। राजस्व प्राप्ति की प्रतिशतता के रूप में करेत्तर राजस्व का अंश वर्ष 2010–15 के दौरान दो प्रतिशत था।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति **तालिका 1.4** में दर्शायी गयी है।

तालिका 1.4: सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
राजस्व प्राप्तियों (आर.आर.) (₹ करोड़ में)	**44532**	**51320**	**59567**	**68919**	**78417**
राजस्व प्राप्तियाँ की वृद्धि दर (प्रतिशत)	25.35	15.24	16.07	15.70	13.78
राज्य का अपना कर (₹ करोड़ में)	9870	12612	16253	19961	20750
राज्य का अपना कर की वृद्धि दर (प्रतिशत)	22.00	27.78	28.87	22.81	3.95
जी.एस.डी.पी. (₹ करोड़ में)	203555	243269	293616	343663	402283
जी.एस.डी.पी. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	24.94	19.51	20.70	17.05	17.06
आर. आर./जी.एस.डी.पी. (प्रतिशत)	21.88	21.10	20.29	20.05	19.49
उत्पलावकता अनुपात[4]					
जी.एस.डी.पी. के सापेक्ष में राजस्व उत्पलावकता	1.02	0.78	0.78	0.92	0.81
जी.एस.डी.पी. के सापेक्ष में राज्य का अपना कर उत्पलावकता	0.88	1.42	1.39	1.34	0.23

(स्रोतः संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा)

राज्य के राजस्व प्राप्तियों का विकास दर वर्ष 2010–15 के दौरान दो अंको में रहा। यह वर्ष 2010–11 के 25.35 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2014–15 में 13.78 प्रतिशत हो गया (वर्ष दर वर्ष घटते हुये)।

वर्ष 2010–11 तथा 2014–15 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राज्य का अपना कर उत्पलावकता अनुपात 0.23 प्रतिशत से 1.42 प्रतिशत के बीच रहा।

1.3.1 राज्य के निजी संसाधन

चूँकि केंद्रीय कर एवं सहायता अनुदान में राज्य के अंश का निर्धारण वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर होता हैं, संसाधन के संग्रहण में राज्य के निष्पादन का मूल्यांकन अपना कर एवं करेत्तर संसाधनों के अनुसार होनी चाहिए।

वर्ष 2014–15 के दौरान राज्य के वास्तविक कर एवं करेत्तर राजस्व साथ ही तेरहवें वित्त आयोग के आकलन एवं राज्य सरकार के बजट प्रक्षेपण को नीचे की **तालिका 1.5** में दर्शाया गया हैः

तालिका 1.5: वर्ष 2014–15 के दौरान प्रक्षेपण एवं वास्तविक प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	तेरहवें वित्त आयोग का प्रक्षेपण	बजट प्रक्षेपण	वास्तविकी
कर राजस्व	13510.40	25662.95	20750.23
करेत्तर राजस्व	2466.86	3081.68	1557.98

(स्रोतः राज्य का वित्त लेखा, बजट तथा तेहरवें वित्त आयोग के आँकड़े)

यद्यपि, राज्य का कर राजस्व वर्ष 2014–15 के दौरान तेरहवें वित्त आयोग के प्रक्षेपण से ₹ 7239.83 करोड़ ज्यादा तथा बजट प्रक्षेपण से ₹ 4912.72 करोड़ कम था। तथापि, करेत्तर राजस्व तेरहवें वित्त आयोग के प्रक्षेपण तथा राज्य बजट के प्रक्षेपण से चिंताजनक रूप से क्रमशः ₹ 908.88 करोड़ तथा ₹ 1523.70 करोड़ कम था जो राज्य के अवास्तविक बजट प्रक्षेपण को प्रदर्शित करता है।

[4] *उत्पलावकता अनुपात आधार चल में दिये बदलाव के संदर्भ में राजकोषीय चल की प्रतिक्रिया की सीमा या लचीलापन को इंगित करता है। जैसे–राजस्व उत्पलावकता 0.6 का मतलब है कि यदि जी.एस.डी.पी. एक प्रतिशत बढ़ता है तो राजस्व प्राप्तियाँ 0.6 प्रतिशत तक बढ़ेगा।*

1.3.1.1 कर राजस्व

राज्य का कर राजस्व 110 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2010–11 में ₹ 9870 करोड़ से वर्ष 2014–15 के दौरान ₹ 20750 करोड़ हो गया। वृद्धि के मुख्य घटक **तालिका 1.6** तथा **चार्ट 1.7** में दर्शाये गये है।

तालिका 1.6: वर्ष 2010–15 के दौरान राज्य के अपने कर संसाधनों के घटक

(₹ करोड़ में)

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ोतरी की प्रतिशतता
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	4557	7476	8671	8453	8607	1.82
राज्य उत्पाद	1523	1981	2430	3168	3217	1.55
मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क	1099	1480	2173	2712	2699	(-) 0.48
वाहन पर कर	456	569	673	837	964	15.17
भू–राजस्व	139	168	205	202	277	37.13
माल एवं यात्री पर कर	2006	828	1932	4349	4451	2.35
अन्य कर	90	110	169	240	535	122.92
योग	**9870**	**12612**	**16253**	**19961**	**20750**	**3.95**

(स्रोतः संबंधित वर्षों का राज्य का वित्त लेखा)

चार्ट 1.7: वर्ष 2010–15 के दौरान कर राजस्व के मुख्य घटक
(₹ करोड़ में)

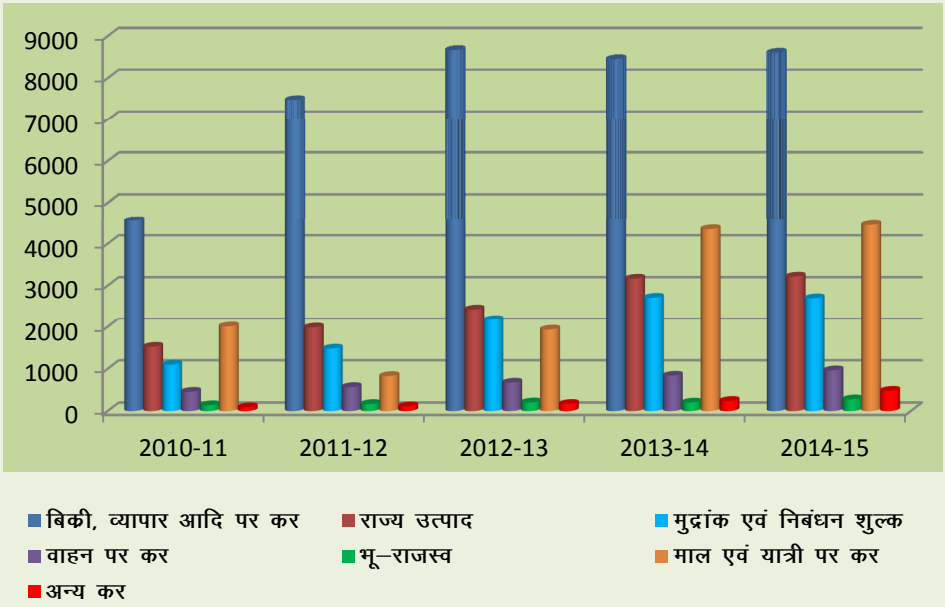

(स्रोतः संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा)

परिशिष्ट 1.7 वर्ष 2010–15 के दौरान राज्य सरकार के वित्त के कालश्रृंखला आँकड़े प्रस्तुत करता है। **परिशिष्ट** में कर राजस्व के घटकों के अध्ययन से प्रकट होता है कि:

- कर राजस्व का मुख्य अंश बिक्री, व्यापार आदि पर कर था तथा यह वर्ष 2010–11 में 46 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2014–15 में 41 प्रतिशत हो गया।
- राज्य उत्पाद का अंश वर्ष 2010–11 से 2014–15 के बीच 16 प्रतिशत पर स्थिर रहा, केवल 2013–14 को छोड़कर (15 प्रतिशत)।
- मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क का अंश वर्ष 2010–11 के 11 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2014–15 में 13 प्रतिशत हो गया।

- वाहनों पर कर का अंश वर्ष 2010–11 से 2014–15 के बीच पाँच प्रतिशत पर स्थिर रहा।
- माल एवं यात्री पर कर का अंश वर्ष 2010–11 में 20 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2014–15 में 21 प्रतिशत हो गया।
- अन्य करों का अंश वर्ष 2010–11 में एक प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2014–15 में तीन प्रतिशत हो गया।

1.3.1.2 करेत्तर राजस्व

वर्ष 2014–15 के दौरान कुल राजस्व प्राप्तियों में करेत्तर राजस्व (₹ 1557.98 करोड़) 1.99 प्रतिशत था। करेत्तर राजस्व संग्रहण पूर्व वर्ष से ₹ 13.15 करोड़ अधिक था। वर्ष 2010–11 से 2014–15 की अवधि के दौरान करेत्तर राजस्व के विभिन्न घटकों का तुलनात्मक अध्ययन **तालिका 1.7** तथा **चार्ट 1.8** में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 1.7 : करेत्तर राजस्व का वृद्धि दर

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष (करेत्तर राजस्व)	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता
ब्याज प्राप्तियाँ	237.96	573.70	167.12	269.48	344.77	27.94
लाभांश तथा लाभ	2.53	1.40	2.55	2.53	2.58	1.98
अन्य करेत्तर प्राप्तियाँ	745.04	314.76	965.60	1272.82	1210.63	(-) 4.89
योग	**985.53**	**889.86**	**1135.27**	**1544.83**	**1557.98**	**0.85**

(स्रोतः संबंधित वर्षों का राज्य का वित्त लेखा)

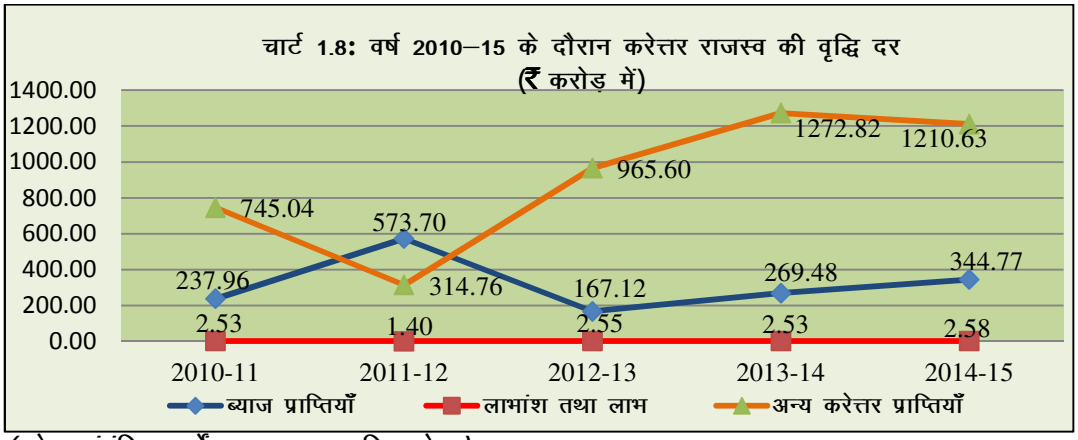

(स्रोतः संबंधित वर्षों का राज्य का वित्त लेखा)

1.3.2 भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान वर्ष 2010–11 में ₹ 9698.56 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014–15 में ₹ 19146.26 करोड़ हो गया जिसे **तालिका 1.8** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.8 : भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
गैर–योजना अनुदान	1924.78	2562.62	2412.58	3288.13	3271.21
राज्य योजना मदों के लिए अनुदान	5456.95	5065.39	5051.97	6238.39	14935.68
केंद्रीय योजना मदों के लिए अनुदान	175.70	95.78	35.69	136.65	117.49
केंद्र प्रायोजित योजना मदों के लिए अनुदान	2141.13	2159.19	2777.68	2920.86	821.88
विशेष योजना मदों के लिए अनुदान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योग	**9698.56**	**9882.98**	**10277.92**	**12584.03**	**19146.26**

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता	28.22	1.90	4.00	22.44	52.15
राजस्व प्राप्तियाँ	44532	51320	59567	68919	78417
राजस्व प्राप्तियों की तुलना में कुल अनुदान की प्रतिशतता	21.78	19.26	17.25	18.26	24.42

(स्रोतः संबंधित वर्षों का राज्य का वित्त लेखा)

पूर्व वर्ष की तुलना में वर्ष 2014–15 में भारत सरकार द्वारा अनुदानों में ₹ 6562.23 करोड़ की वृद्धि हुई इसका मुख्य कारण राज्य योजना (₹ 8697.29 करोड़) हेतु अनुदान था।

1.3.3 ऋण समेकन तथा राहत सुविधाओं के अंतर्गत ऋण माफी

तेरहवें वित्त आयोग द्वारा केंद्रीय ऋण के ऋण राहत की योजना बनायी गयी जिसे ऋण समेकन एवं राहत सुविधाएँ कहा गया तथा यह राज्य में घाटे की कमी से संबंधित राज्य राजकोषीय निष्पादन पर आधारित था। तेरहवें वित्त आयोग ने इस सुविधा का विस्तार कुछ राज्यों तक किया जिसमें बिहार सरकार भी शामिल है। इस योजना के अंतर्गत, वर्ष 2014–15 के दौरान कोई ऋण समेकन तथा राहत सुविधाओं का लाभ बिहार सरकार ने नहीं उठाया।

1.3.4 केंद्रीय कर स्थानान्तरण

तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिश पर राज्य के संघीय कर का अंश 30.50 प्रतिशत जैसा कि बारहवें वित्त आयोग में अनुशंसा की गयी थी से बढ़ाकर 32 प्रतिशत किया जाना था। राज्य सरकार के संघीय कर निवल प्राप्ति (सेवा कर को छोड़कर) एवं सेवा कर निवल प्राप्ति का अंश क्रमशः 10.917 प्रतिशत तथा 11.089 प्रतिशत नियत किया गया है। वर्ष 2014–15 के दौरान प्राप्त संघीय कर का अंश (₹ 36963.07 करोड़) प्राक्कलन (₹ 41775.05 करोड़) से (₹ 4811.98 करोड़) कम था। तथापि, पूर्व वर्ष की तुलना में संघीय करों/शुल्कों में राज्य के अंश में ₹ 2133.96 करोड़ की वृद्धि मुख्यतः निगम कर (₹ 1194.25 करोड़), निगम कर के अतिरिक्त आय पर कर (₹ 1504.39 करोड़), सीमा शुल्क (₹ 295.24 करोड़) तथा सेवा कर (₹ 224.92 करोड़) में कमी के अंतर्गत हुई।

1.3.5 तेरहवें वित्त आयोग अनुदान का इष्टतनीकरण

तेरहवें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2010–15 के दौरान राज्य को हस्तांतरण के रूप में ₹ 11588.70 करोड़ की अनुशंसा की गयी थी। तेरहवें वित्त आयोग के अनुशंसा के आधार पर राज्य को हस्तांतरित राशि के वास्तविक विमुक्ति एवं उपयोगिता **तालिका 1.9** में सारांशित किया गया है।

तालिका 1.9: हस्तांतरण एवं व्यय की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	हस्तांतरण	तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा	वास्तविक विमुक्ति	व्यय	अव्यवहृत अनुदान
1.	बुनियादी अनुदान (यू.एल.बी.)	476.00	482.34	482.34	0.00
2.	निष्पादन अनुदान (यू.एल.बी.)	252.03	68.77	68.77	0.00
3.	बुनियादी अनुदान (पी.आर.आई.)	3239.10	3282.27	3282.27	0.00
4.	निष्पादन अनुदान (पी.आर.आई.)	1714.97	1690.65	1690.65	0.00
5.	पथ एवं पुल	464.00	464.00	464.00	0.00
6.	प्रारंभिक शिक्षा	4018.00	4018.00	4018.00	0.00
7.	आपदा राहत	1386.20	1383.21	250.94	1132.27
8.	पर्यावरण (वन) संबंधित अनुदान	38.40	21.13	5.14	15.99
9.	शिशु मृत्यु दर में गिरावट	0.00	36.81	0.00	36.81
योग		**11588.70**	**11447.18**	**10262.11**	**1185.07**

(स्रोतः बिहार सरकार द्वारा प्रदत्त सूचना)

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर वर्ष 2010–15 के दौरान भारत सरकार द्वारा की गयी विमुक्ति एवं राज्य सरकार द्वारा संबंधित लेखा शीर्ष के तहत् इसकी उपयोगिता से संबंधित उपरोक्त सूचना का विश्लेषण यह दर्शाता है कि ₹ 11447.18 करोड़ में से ₹ 1185.07 करोड़ को छोड़कर ₹ 10262.11 करोड़ (89.65 प्रतिशत) का व्यय वर्ष 2010–15 के दौरान किया गया था। आपदा सहायता और पयार्वरण (वन) से संबंधित अनुदानों की राशि क्रमशः ₹ 1132.27 करोड़ तथा ₹ 15.99 करोड़ के साथ ही शिशु मृत्यु दर में गिरावट के लिए सहायता अनुदान की पूर्ण राशि ₹ 36.81 करोड़ अव्यवहृत रही।

1.4 पूँजीगत प्राप्तियाँ

पूँजीगत प्राप्तियाँ वर्ष 2010–11 में ₹ 6044 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014–15 में ₹ 15411 करोड़ (155 प्रतिशत) हो गयी। पूँजीगत प्राप्तियाँ का वृद्धि एवं संरचना की प्रवृत्ति **तालिका 1.10** में दर्शायी गयी है।

तालिका 1.10: प्राप्तियों के वृद्धि एवं संरचना की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

राज्य के प्राप्तियों के स्रोत	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
पूँजीगत प्राप्तियाँ (सी.आर)	6044	6726	9579	9922	15411
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	781.53	826.56	508.02	549.66	718.25
ऋण एवं अग्रिम की वसूलियाँ	12	23	25	15	1493
लोक ऋण प्राप्तियाँ	6032	6628	9554	9907	13918
लोक ऋण प्राप्तियों की वृद्धि दर	(-) 2	10	44	04	40
गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	-	-	-	-	-
जी.एस.डी.पी.	203555	243269	293616	343663	402283
जी.एस.डी.पी. की वृद्धि दर	24.94	19.51	20.70	17.05	17.06
सी.आर. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	(-) 2	11	42	04	55

(स्रोत : संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा)

1.4.1 ऋण तथा अग्रिम की वसूलियाँ

ऋण तथा अग्रिम की वसूली वर्ष 2013–14 में ₹ 15.03 करोड़ से बढकर वर्ष 2014–15 में ₹ 1493.06 करोड़ हो गयी। जिसमें मुख्यतः सांविधिक निकायों (₹ 1475.06 करोड़), सरकारी सेवक (15.04 करोड़) तथा सहकारी समितियों/सहकारी निकायों/बैंकों (₹ 2.96 करोड़) के लिए ऋण सम्मिलित है।

1.4.2 आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ

लोक ऋण प्राप्तियाँ वर्ष 2013–14 में ₹ 9907 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014–15 में ₹ 13918 करोड़ (40.49 प्रतिशत) हो गयी जिसमें मुख्यतः बाजार ऋण (₹ 8100 करोड़), नाबार्ड से ऋण (₹ 1151 करोड़) तथा केंद्र सरकार के राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों (₹ 3945 करोड़) की ऋण सम्मिलित थी।

1.5 लोक लेखा प्राप्तियाँ (निवल)

कुछ निश्चित लेन–देन जो समेकित निधि के भाग नहीं होते है जैसे लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा, उचंत, प्रेषण आदि के संबंध में प्राप्तियाँ तथा संवितरण, संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अधीन लोक लेखा में रखे जाते है तथा राज्य विधानमंडल से मतदान आवश्यक नहीं होता। यहाँ सरकार एक बैंकर की भूमिका अदा करती है। संवितरण के पश्चात् शेष सरकार के उपयोग हेतु निधि उपलब्ध होती है। **तालिका 1.11** के नीचे 2010–15 के दौरान लोक लेखा प्राप्तियाँ (निवल) के घटकों को प्रदर्शित करती है।

तालिका 1.11 : लोक लेखा प्राप्तियों के घटक (निवल)

(₹ करोड़ में)

विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत संसाधन	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
लोक लेखा प्राप्तियाँ (निवल)					
क. लघु बचत, भविष्य निधि आदि	252.70	(-) 2.13	(-) 215.64	(-) 297.90	(-) 182.77
ख. आरक्षित निधि	183.72	572.36	530.89	698.58	730.13
ग. जमा एवं अग्रिम	50.94	932.91	2199.05	3668.40	2222.58
घ. उचंत एवं विविध	4.91	(-) 556.93	(-) 266.52	(-) 44.86	(-) 1707.32
ड. प्रेषण	79.96	(-) 36.82	19.52	(-) 19.01	(-) 11.98
योग	**572.23**	**909.39**	**2267.39**	**4005.21**	**1050.64**

(स्रोत : संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा)

लोक लेखा प्राप्तियाँ (निवल) वर्ष 2010–11 में ₹ 572.23 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014–15 में ₹ 1050.64 करोड़ हो गयी। लोक लेखा प्राप्तियों में वृद्धि मुख्यतः वर्ष 2014–15 के दौरान जमा एवं अग्रिम (₹ 2171.64 करोड़) तथा आरक्षित निधि (₹ 546.41 करोड़) में वृद्धि के कारण था।

1.6 संसाधनों का उपयोग

राज्य सरकार स्तर पर व्यय के प्रावधानों का विश्लेषण महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि व्यय की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इन्हें ही सुपुर्द है। राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान की संरचना के अंतर्गत घाटे और उधार द्वारा वित्त पोषित लोक व्यय को बढ़ाने में बजटीय बाध्यता थी। तथापि, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि जारी राजकोषीय शुद्धि और राज्य स्तर सुदृढ़ीकरण, प्रक्रिया व्यय, विशेषकर विकास और सामाजिक क्षेत्रों की ओर प्रवृत्त व्यय की लागत पर न हो।

1.6.1 व्यय के संघटन एवं वृद्धि

चार्ट 1.9 पाँच वर्षों (2010–15) की अवधि में कुल व्यय की प्रवृत्ति को प्रस्तुत करता है।

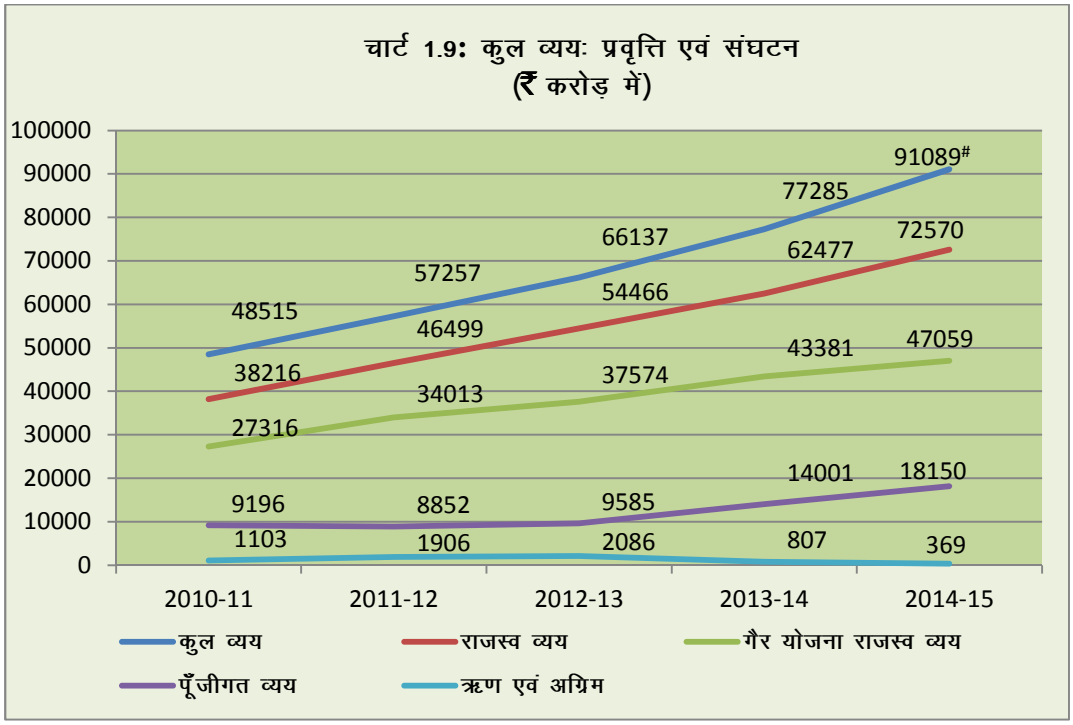

 # कुल व्यय में लोक ऋण अदायगी शामिल नहीं हैं।
(स्रोत : संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा)

- कुल व्यय जिसमें राजस्व व्यय, पूँजीगत व्यय तथा ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं, वर्ष 2010–11 में ₹ 48515 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014–15 में ₹ 91089 करोड़ (88 प्रतिशत) हो गया।

- पूर्व वर्ष की तुलना में वर्ष 2014–15 के दौरान कुल व्यय में ₹ 13804 करोड़ की वृद्धि का मुख्य कारण राजस्व व्यय में ₹ 10093 करोड़ (16 प्रतिशत) तथा पूँजीगत व्यय में ₹ 4149 करोड़ (30 प्रतिशत) की वृद्धि था।

- मुख्य पूँजीगत व्यय की बढ़ोतरी अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम में 2013–14 के ₹ 1934 करोड़ से 2014–15 में ₹ 4648 करोड़ (140 प्रतिशत), लोक निर्माण में 2013–14 के ₹ 412 करोड़ से 2014–15 में ₹ 985 करोड़ (139 प्रतिशत) तथा जलापूर्ति एवं स्वच्छता में 2013–14 के ₹ 618 करोड़ से 2014–15 में ₹ 885 करोड़ (43 प्रतिशत) थी।

- मुख्य राजस्व व्यय में बढ़ोतरी स्वास्थ्य एवं लोक स्वास्थ्य में 2013–14 के ₹ 1753 करोड़ से 2014–15 में ₹ 2915 करोड़ (66 प्रतिशत), सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण में 2013–14 के ₹ 2698 करोड़ से 2014–15 में ₹ 4311 करोड़ (60 प्रतिशत) तथा पुलिस में 2013–14 में ₹ 3805 करोड़ से 2014–15 में ₹ 4620 करोड़ (21 प्रतिशत) थी।

1.6.2 राजस्व व्यय

राजस्व व्यय सेवाओं के वर्त्तमान स्तर को बनाए रखने तथा पूर्व दायित्व के भुगतान करने में हुआ जिसके परिणामस्वरूप राज्य की आधारभूत संरचना एवं सेवा नेटवर्क का विस्तार नहीं हो सका। राजस्व व्यय के आधारभूत मापदंड की प्रवृत्ति नीचे **तालिका 1.12** में दर्शायी गयी है।

तालिका 1.12: राजस्व व्यय– आधारभूत मापदंड

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
राजस्व व्यय (आर.ई.) जिसमें (₹ करोड़ में)	38216	46499	54466	62477	72570
गैर योजना राजस्व व्यय (एन.पी.आर.ई.)	27316	34012	37574	43381	47059
योजना राजस्व व्यय (पी.आर.ई.)	10900	12487	16892	19096	25511
वृद्धि दर					
राजस्व व्यय (प्रतिशत)	17.28	21.67	17.13	14.71	16.15
गैर योजना राजस्व व्यय (प्रतिशत)	13.13	24.51	10.47	15.45	8.48
योजना राजस्व व्यय (प्रतिशत)	29.16	14.56	35.28	13.05	33.59
कुल व्यय में राजस्व व्यय का प्रतिशतता	78.77	81.21	82.35	80.84	79.67
गैर योजना राजस्व व्यय/जी.एस.डी.पी. (प्रतिशत)	13.42	13.98	12.80	12.62	11.70
कुल व्यय में गैर योजना राजस्व व्यय का प्रतिशतता	56.30	59.40	56.81	56.13	51.66
राजस्व प्राप्तियों में गैर–योजना राजस्व व्यय का प्रतिशतता	61.34	66.27	63.08	62.94	60.01
राजस्व व्यय की उत्पलावकता के साथ					
जी.एस.डी.पी (अनुपात)	0.69	1.11	0.83	0.86	0.95
राजस्व प्राप्तियाँ (अनुपात)	0.68	1.42	1.07	0.94	1.17

(स्रोतः संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा)

राजस्व व्यय

उपर्युक्त तालिका में देखा जा सकता है कि वर्ष 2014–15 के दौरान राजस्व व्यय पूर्व वर्ष की तुलना में ₹ 10093 करोड़ (16.15 प्रतिशत) तथा कुल व्यय[5] का 79.67 प्रतिशत बढ़ गया।

गैर योजना राजस्व व्यय

वर्ष 2014–15 के दौरान गैर योजना राजस्व व्यय (एन.पी.आर.ई.) ₹ 3678 करोड़ (8.48 प्रतिशत) बढ़ गया इसका मुख्य कारण सूचना एवं प्रसारण में ₹ 30.50 करोड़ (45.73 प्रतिशत), अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के कल्याण में ₹ 42.05 करोड़ (38 प्रतिशत) तथा सामान्य आर्थिक सेवाओं में ₹ 50.21 करोड़ (26.22 प्रतिशत) के अंतर्गत व्यय में वृद्धि था जिसका विवरण ***परिशिष्ट 1.4*** में दिया गया है।

योजना राजस्व व्यय

वर्ष 2014–15 के दौरान योजना राजस्व व्यय (पी.आर.ई.) ₹ 6415 करोड़ (33.59 प्रतिशत) बढ़ गया जिसका मुख्य कारण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में ₹ 1026.16 करोड़ (351.06 प्रतिशत), सामाजिक सुरक्षा एवं पोषण में ₹ 1583.55 करोड़ (41.12 प्रतिशत) तथा ग्रामीण विकास में ₹ 277.07 करोड़ (16.47 प्रतिशत) के अंतर्गत व्यय वृद्धि था जिसका विवरण ***परिशिष्ट 1.4*** में दिया गया है।

1.6.3 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व लेखा में राज्य सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में मुख्यतः ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी का व्यय, पेंशन तथा सब्सिडी शामिल है। **तालिका 1.13** तथा **चार्ट 1.10** 2010–15 के दौरान इन संघटकों पर व्यय की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करते हैं।

तालिका 1.13: 2010–15 के दौरान प्रतिबद्ध व्यय के संघटक

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	प्रतिबद्ध व्यय के संघटक	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	
						बजट अनुमान	वास्तविक व्यय
1	वेतन एवं मजदूरी जिसमें	10549.85 *(23.69)*	12193.69 *(23.76)*	13557.88 *(22.76)*	14036.67 *(20.37)*	19058.83	14607.44 *(18.63)*
1 (क)	गैर–योजना शीर्ष	*9954.35 (22.35)*	*11494.50 (22.40)*	12865.06 *(21.60)*	13315.36 *(19.32)*	18204.75	13910.31 *(17.74)*
1 (ख)	योजना शीर्ष	*595.51 (1.34)*	*699.19 (1.36)*	692.82 *(1.16)*	721.31 *(1.05)*	854.09	697.13 *(0.89)*
2	ब्याज भुगतान	4319.16 *(9.70)*	4303.66 *(8.39)*	4428.31 *(7.43)*	5459.04 *(7.92)*	6581.46	6128.75 *(7.82)*
3	पेंशन पर व्यय	6143.86 *(13.80)*	7808.45 *(15.22)*	8363.53 *(14.04)*	9481.73 *(13.76)*	11666.33	11344.50 *(14.47)*
4	ऋण की अदायगी	2190.03 *(20.76)*	2922.46 *(23.97)*	3069.96 *(5.15)*	3119.56 *(4.53)*	3562.90	3608.95 *(4.60)*
5	सब्सिडी	1349.96 *(3.03)*	2672.27 *(5.21)*	4313.45 *(7.24)*	1464.38 *(2.12)*	0.00	4628.36 *(5.90)*
6	**योग (1+2+3+4+5)**	**24552.86** ***(55.13)***	**29900.53** ***(58.26)***	**33733.13** ***(56.63)***	**33561.38** ***(48.70)***	**59928.36**	**54925.44** ***(70.04)***
7	अन्य संघटक (8-6)	13663.06 *(30.68)*	16598.96 *(32.34)*	20733.02 *(34.81)*	28915.85 *(41.96)*	31837.07	17644.54 *(22.50)*
8	राजस्व व्यय	**38215.92**	**46499.49**	**54466.15**	**62477.23**	**91765.43**	**72569.98**
9	राजस्व प्राप्तियाँ	**44532.32**	**51320.17**	**59566.66**	**68918.65**	**101939.46**	**78417.54**

कोष्ठक में दिये गए आँकड़े राजस्व प्राप्तियों से वास्तविक व्यय की प्रतिशतता प्रदर्शित करते है।

(स्रोत : संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा तथा वर्ष 2014–15 का बजट)

[5] *इसमें राजस्व व्यय, पूँजीगत व्यय तथा ऋण एवं अग्रिम का पुनर्भुगतान शामिल है।*

चार्ट 1.10: प्रतिबद्ध व्यय के संघटक
(₹ करोड़ में)

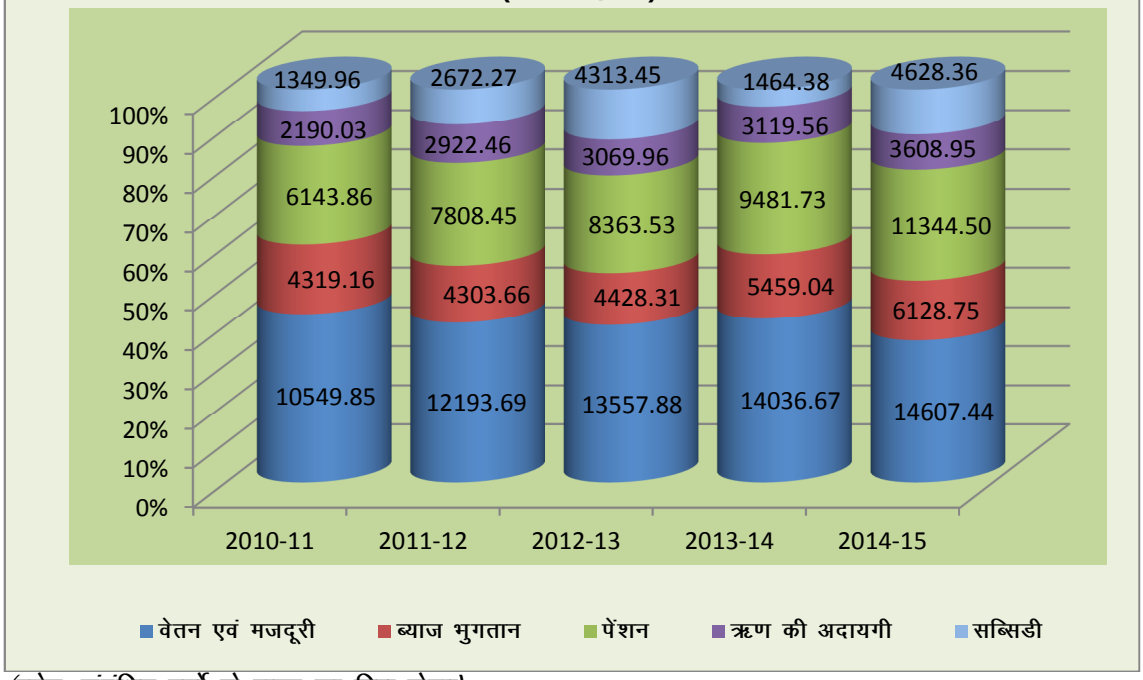

(स्रोतः संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा)

वेतन पर व्यय

राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में वेतन पर व्यय 2013–14 में 20.37 प्रतिशत से घटकर 2014–15 के दौरान 18.63 प्रतिशत हो गयी। वेतन पर ₹ 14607.44 करोड़ का व्यय तेरहवें वित्त आयोग के मूल्यांकन (₹ 11536.84 करोड़) से ₹ 3070.60 करोड़ अधिक था परन्तु, बजट प्राक्कलन (₹ 19058.83 करोड़) से ₹ 4451.39 करोड़ कम था।

पेंशन भुगतान पर व्यय

पेंशन भुगतान पर व्यय 2010–11 में ₹ 6143.86 करोड़ से बढ़कर 2014–15 में ₹ 11344.50 करोड़ हो गया अर्थात् ₹ 5200.64 करोड़ (84.65 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, वर्ष के दौरान केवल पेंशन भुगतान ही राज्य के राजस्व प्राप्ति का 14.47 प्रतिशत था तथा पूर्व वर्ष की तुलना में ₹ 1862.77 करोड़ (19.65 प्रतिशत) बढ़ गया।

ब्याज भुगतान

ब्याज भुगतान पर व्यय (₹ 6128.75 करोड़) पिछले वर्ष से 12.27 प्रतिशत अधिक था। राजस्व प्राप्तियों ब्याज भुगतान की प्रतिशतता 2010–11 में 9.70 प्रतिशत से घटकर 2014–15 में 7.82 प्रतिशत हो गयी। 2014–15 के दौरान ब्याज भुगतान (₹ 6128.75 करोड़) तेरहवें वित्त आयोग के मूल्यांकन से (₹ 5978.32 करोड़) से अधिक तथा बजट प्राक्कलन (₹ 6581.46 करोड़) से कम था।

ऋण के पुनर्भुगतान पर व्यय

ऋण के पुनर्भुगतान पर व्यय की राजस्व प्राप्तियाँ प्रतिशतता वर्ष 2010–11 में 20.76 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2014–15 में 4.60 प्रतिशत हो गयी। इस व्यय में बजट प्राक्कलन (₹ 3562.90 करोड़) से ₹ 46.05 करोड़ (1.29 प्रतिशत) की सामान्य वृद्धि हुई।

सब्सिडी

किसी भी कल्याणकारी राज्य में समाज से वंचित श्रेणी के लोगों को अनुदान/आर्थिक सहायता प्रदान करना सामान्य बात है। जनता को अनुदान न केवल प्रत्यक्ष परंतु, परोक्ष रूप से भी अनुदानित लोक सेवा के द्वारा दिया जा सकता है। वित्तीय संस्थानों को बजटीय

सहायता निवेशों पर अपर्याप्त वापसी और सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं से सेवा शुल्क जो कि राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है कि कम वसूली अप्रत्यक्ष अनुदान की श्रेणी के अंतर्गत आता है।

चालू वर्ष के दौरान कुल सब्सिडी ₹ 4628.36 करोड़ था जो पूर्व वर्ष से 216.06 प्रतिशत ज्यादा था तथा राजस्व प्राप्ति का 5.90 प्रतिशत था। इसमें से, समाज कल्याण विभाग हेतु ₹ 3088.86 करोड़, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग हेतु ₹ 564.66 करोड़ तथा गन्ना उद्योग विभाग हेतु ₹ 105.30 करोड़ प्रदान किये गये।

अंतर्निहित सब्सिडी

राज्य सरकार द्वारा अंतर्निहित सब्सिडी पर की गयी व्यय का वर्णन नीचे **तालिका 1.14** में किया गया है:

तालिका 1.14: वर्ष 2014–15 में दिया गया अंतर्निहित सब्सिडी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	**योजना का नाम**	**व्यय**
1.	मुख्यमंत्री पोशाक योजना (प्राथमिक शिक्षा)	326.34
2.	मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना (प्राथमिक शिक्षा)	213.50
3.	मुख्यमंत्री पोशाक योजना (अ.जा. के लिए प्राथमिक शिक्षा)	47.59
4.	मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना (माध्यमिक शिक्षा)	131.66
5.	मुख्यमंत्री पोशाक योजना (माध्यमिक+2 शिक्षा)	37.26
6.	मुख्यमंत्री बालक साइकिल योजना (माध्यमिक शिक्षा)	148.93
7.	मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना (माध्यमिक शिक्षा)	143.97
8.	मुख्यमंत्री बालक साइकिल योजना (अ.जा. के लिए माध्यमिक शिक्षा)	24.81
9.	मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना (अ.जा. के लिए माध्यमिक शिक्षा)	24.10
योग		**1098.16**

(स्रोतः शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा प्रदत्त सूचना)

तालिका 1.14 में देखा गया कि राज्य सरकार द्वारा 2014–15 के दौरान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के विद्यार्थियों को पोशाक एवं साइकिल प्रदान करने के लिए ₹ 1098.16 करोड़ का व्यय किया गया।

1.6.4 स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं को राज्य सरकार द्वारा दी गयी वित्तीय सहायता

2010–15 के दौरान स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को सहायता अनुदान के जरिये राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता की स्थिति नीचे **तालिका 1.15** में प्रस्तुत की गयी है।

तालिका 1.15: स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थाओं को वित्तीय सहायता	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**	**2013-14**	**2014-15**
शैक्षणिक संस्थाएँ (सहायता प्राप्त स्कूल, सहायता प्राप्त कॉलेज, विश्वविद्यालय)	1940.11	5581.07	8331.34	8420.44	11477.94
नगर निगम एवं नगर निकाय	690.21	557.30	873.56	1009.88	626.46
जिला परिषद् तथा अन्य पंचायती राज संस्थाएँ	1515.34	2534.41	2595.15	3506.69	2425.69
विकास एजेन्सियाँ	394.24	3029.74	3079.26	5683.72	6938.67
अस्पताल एवं अन्य धर्मार्थ संस्थाएँ	53.67	25.00	0.00	67.12	101.05
अन्य संस्थाएँ	28.25	2716.16	2574.43	247.16	789.48
योग	**4621.82**	**14443.68**	**17453.74**	**18935.01**	**22359.29**
राजस्व व्यय की प्रतिशतता के अनुसार सहायता	12.09	31.06	32.05	30.31	30.81

(स्रोतः संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा)

उपर्युक्त तालिका के विश्लेषण से प्रकट होता है कि 2014–15 के दौरान वित्तीय सहायता 2013–14 में ₹ 18935.01 करोड़ से ₹ 22359.29 करोड़ बढ़कर हो गयी। पूर्व वर्ष की तुलना में ₹ 3424.28 करोड़ (18.08 प्रतिशत) की वृद्धि प्रारंभिक रूप से शैक्षणिक संस्थाएँ (₹ 3057.50 करोड़), विकास एजेन्सियाँ (₹ 1254.95 करोड़), अस्पताल एवं अन्य धर्मार्थ

संस्थानों (₹ 33.93 करोड़) तथा अन्य संस्थानों (₹ 542.32 करोड़) में वृद्धि के कारण हुई। तथापि, नगर निगम एवं नगर निकाय तथा जिला परिषद् तथा अन्य पंचायती राज संस्थानों की सहायता में क्रमशः ₹ 383.42 करोड़ एवं ₹ 1081 करोड़ की कमी आई।

1.7 व्यय की गुणवत्ता

सामान्यतः राज्य में अच्छी सामाजिक एवं भौतिक आधारभूत संरचना की उपलब्धता इसके व्यय के गुणवत्ता को दर्शाती है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार मूलतः तीन अवयवों पर सन्निहित है, जिसमें व्यय की पर्याप्तता (अर्थात् लोक सेवाएँ प्रदान करने हेतु पर्याप्त प्रावधान), व्यय उपयोग की दक्षता एवं प्रभाव (चुनिंदा सेवाओं के लिए लागत–परिणाम संबंध का आकलन)।

1.7.1 लोक व्यय की पर्याप्तता

सामाजिक प्रक्षेत्र एवं आर्थिक आधारभूत संरचना से संबंधित व्यय दायित्व मुख्यतः राज्य का विषय है। मानवीय विकास स्तरों में वृद्धि हेतु राज्यों द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सदृश मुख्य सामाजिक सेवाओं पर अपने व्यय को बढ़ाने की आवश्यकता है।

तालिका 1.16 2014–15 के दौरान विकास व्यय, सामाजिक व्यय और पूँजीगत व्यय से संबंधित राज्य सरकार के राजकोषीय प्राथमिकता का विश्लेषण करता है।

तालिका 1.16: 2011–12 तथा 2014–15 में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता एवं राजकोषीय क्षमता

(प्रतिशत में)

राज्य द्वारा राजकोषीय प्राथमिकता	ए.ई./ जी.एस.डी.पी.	डी.ई[$]/ ए.ई.	एस.एस. ई/ए.ई.	सी.ई./ ए.ई.	शिक्षा/ ए.ई.	स्वास्थ्य /ए.ई.
[#]सामान्य श्रेणी राज्यों का औसत (अनुपात) 2011–12[*]	15.98	65.39	36.63	13.23	17.10	4.68
बिहार का औसत (अनुपात) 2011–12	23.54	67.93	34.12	15.46	17.84	3.71
सामान्य श्रेणी राज्य औसत (अनुपात) 2014–15	16.49	69.12	36.50	14.01	16.23	5.04
बिहार का औसत (अनुपात) 2014–15	22.64	69.07	36.65	19.93	18.15	3.96

[#]सामान्य श्रेणी के राज्यों के अखिल भारतीय औसत की गणना 18 सामान्य श्रेणी के राज्यों और नौ विशेष श्रेणी के राज्यों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर की गई है।

[*]जी.एस.डी.पी. की प्रतिशत के अनुसार

ए.ई.– संचयी व्यय, डी.ई. –विकास व्यय, एस.एस.ई.–सामाजिक क्षेत्र व्यय, सी.ई.–पूँजीगत व्यय,

[$]डी.ई.: विकासात्मक व्यय में शामिल है: विकासात्मक राजस्व व्यय, विकासात्मक पूँजीगत व्यय और वितरित ऋण तथा अग्रिम

(स्रोतः संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा, जी.एस.डी.पी. हेतु आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार)

1.7.2 व्यय उपयोगिता की दक्षता

विकास शीर्षों[6] पर लोक व्यय के महत्व को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए उचित व्यय का युक्तिसंगत उपाय करे तथा कोर पब्लिक और मेरिट गुड्स[7] के प्रावधान पर बल दे।

---

[6] *विकास शीर्ष के अंतर्गत विकास राजस्व व्यय, विकास पूँजीगत व्यय और वितरित ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित है ।*

[7] *कोर पब्लिक गुड्स वे हैं जिन्हें सभी नागरिक सार्वजनिक रूप में इस तरह उपयोग में लाते है कि व्यक्ति द्वारा इसके उपयोग और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसके उपयोग से कोई अंतर नहीं पड़ता है जैसे विधि–व्यवस्था का लागू होना, हमारे अधिकारों की सुरक्षा एवं बचाव, प्रदूषण मुक्त हवा एवं अन्य पर्यावरण संबंधी सामान तथा सड़क संरचना आदि। मेरिट गुड्स वे सौदा है जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र मुक्त अथवा अनुदानित दरों पर मुहैया करता है क्योंकि एक व्यक्ति अथवा सोसाइटी को उन्हें अपनी आवश्यकता क्षमता और इच्छा के आधार पर लेना होगा जबकि सरकार को इसके लिए भुगतान करना होगा और इसलिए भुगतान करना होगा जब वह इनके उपयोग को बढ़ाना चाहती है । ऐसे सामानों में गरीबों के लिए मुफ्त या अनुदानित दरों पर पौष्टिक आहार, जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और बीमारियों को कम करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की सुपुर्दगी, सभी को बुनियादी शिक्षा, पेयजल एवं स्वच्छता आदि शामिल है ।*

विकासात्मक व्यय[8] के आवंटन में सुधार करने के अलावा, हाल के वर्षों में, विशेषकर ऋण वितरण में कमी के कारण राजकोषीय अंतर के परिपेक्ष्य में, व्यय के उपयोगिता की दक्षता, पूँजीगत व्यय एवं कुल व्यय (एवं/या सकल राज्य घरेलू उत्पाद) के समानुपात तथा वर्तमान सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण पर हुए राजस्व व्यय के अनुपात द्वारा प्रतिबिंवित होता है। कुल व्यय पर इन घटकों का उच्चतर अनुपात, व्यय का बेहतर दक्षता होगा।

चयनित सेवाओं में व्यय की दक्षता तथा इसकी उपयोगिता की स्थिति **तालिका 1.17** में दर्शायी गयी है।

तालिका 1.17 चयनित सेवाओं में व्यय की दक्षता तथा इसकी उपयोगिता

(प्रतिशतता)

प्रक्षेत्र	**2013-14**		**2014-15**	
	कुल व्यय में पूँजीगत व्यय का अनुपात	**राजस्व व्यय में वेतन एवं मजदूरी का अंश**	**कुल व्यय में पूँजीगत व्यय का अनुपात**	**राजस्व व्यय में वेतन एवं मजदूरी का अंश**
सामाजिक सेवाएँ (एस.एस.)				
सामान्य शिक्षा	4.67	33.52	1.47	28.49
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	17.88	74.76	8.76	50.99
जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	17.69	7.87	19.88	6.63
योग (एस.एस.)	**8.51**	**34.09**	**5.96**	**28.25**
आर्थिक सेवाएँ (ई.एस.)				
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	13.00	14.93	5.11	14.37
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	63.39	56.27	58.26	58.00
विद्युत एवं ऊर्जा	36.96	0.00	52.53	0.00
परिवहन	74.76	15.44	80.83	22.81
योग (ई.एस.)	**48.29**	**14.40**	**51.99**	**14.23**
योग (एस.एस.+ई.एस.)	**26.33**	**27.90**	**26.18**	**24.24**

(स्रोतः संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा)

प्रक्षेत्रवार व्यय पर विश्लेषण तथा विकासात्मक सूचक से इसका संबंध यह प्रदर्शित करता है कि इन शीर्षों पर कुल व्यय की प्रतिशतता के रूप में इन चयनित सामाजिक–आर्थिक सेवाओं के पूँजीगत व्यय वर्ष 2013–14 में 26.33 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2014–15 में 26.18 प्रतिशत हो गया। इन शीर्षो के राजस्व व्यय में वेतन एवं मजदूरी का अंश वर्ष 2013–14 में 27.90 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2014–15 में 24.24 प्रतिशत हो गया, जो राज्य वित्त में सकारात्मक परिवर्तन इंगित करता है।

चयनित सेवाओं में, कुल व्यय के सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय की प्रतिशतता वर्ष 2013–14 में 8.51 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2014–15 में 5.96 प्रतिशत हो गयी। कुल व्यय के चयनित आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय की प्रतिशतता वर्ष 2013–14 में 48.29 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2014–15 में 51.99 प्रतिशत हो गयी। मुख्यतः सामाजिक सेवाओं में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा आर्थिक सेवाओं में कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ तथा सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के अंतर्गत कमी देखी गयी।

चयनित सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में वेतन एवं मजदूरी का अंश वर्ष 2013–14 में 34.09 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2014–15 में 28.25 प्रतिशत हो गया, जबकि चयनित आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में वेतन एवं मजदूरी का अंश वर्ष 2013–14 में 14.40 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2014–15 में 14.23 प्रतिशत हो गई। यह कमी मुख्यतः सामाजिक सेवाओं में सामान्य शिक्षा (5.03 प्रतिशत), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (23.77 प्रतिशत) तथा जलापूर्ति,

[8] *व्यय के आँकड़ों का विश्लेषण विकास एवं गैर–विकास व्यय के रूप में अलग–अलग किया गया है। राजस्व लेखा से संबंधित सभी व्यय, पूँजीगत व्यय एवं ऋण एवं अग्रिमों को सामाजिक सेवाएँ, आर्थिक सेवाएँ एवं सामान्य सेवाएँ की श्रेणियों में रखा गया है। विस्तृत रूप में सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं में विकास संबंधी व्यय, जबकि सामान्य सेवाओं पर होने वाले व्यय को गैर–विकास व्यय माना गया है।*

स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास (1.24 प्रतिशत) के अंतर्गत था। आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत वृद्धि मुख्यतः सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण (1.73 प्रतिशत) तथा परिवहन (7.37 प्रतिशत) में पाया गया।

1.8 राज्य सरकार के व्यय एवं निवेश का वित्तीय विश्लेषण

1.8.1 अपूर्ण परियोजनाएँ/कार्यों

अपूर्ण परियोजनाएँ/कार्यों पर निधि के अवरूद्ध होने से (मुकदमेबाजी के कारण रूके हुए परियोजनाएँ/कार्यों सहित) व्यय की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। **तालिका 1.18** में 31 मार्च 2015 तक के अपूर्ण परियोजनाओं/कार्यों की विभागवार सूचनाएँ दी गयी है। सम्मिलित रूप से 211 परियोजनाओं/कार्यों (प्राक्कलित लागत ₹ 3404.88 करोड़) को मार्च 2015 तक पूर्ण होना था, परंतु वे अपूर्ण रहे जिसके फलस्वरूप ₹ 1300.78 करोड़ अवरूद्ध हो गया। अपूर्ण परियोजनाएँ/कार्यों की भौतिक प्रगति मार्च 2015[9] को शून्य से 96 प्रतिशत के बीच रही।

तालिका 1.18 अपूर्ण परियोजनाओं/कार्यों का विभागवार विवरण

(₹ करोड़ में)

विभाग का नाम	अपूर्ण परियोजनाएँ/कार्यों की संख्या	प्राक्कलित लागत	मार्च 2015 तक प्रगतिशील व्यय
जल संसाधन	41	2161.60	767.55
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	104	459.79	204.23
पथ निर्माण	23	571.24	236.02
भवन निर्माण	18	129.95	55.59
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन	14	31.12	11.53
ग्रामीण कार्य	9	36.95	22.12
राष्ट्रीय राजमार्ग	2	14.23	3.74
योग	**211**	**3404.88**	**1300.78**

(स्रोतः वर्ष 2014–15 के राज्य का वित्त लेखा)

परियोजनाएँ/कार्यों को पूर्ण करने में विलंब से लागत वृद्धि का जोखिम बना रहता है। इसके अतिरिक्त परियोजनाओं को पूर्ण करने में विलंब के कारण परियोजनाओं से वांछित लाभ प्राप्त नहीं हो सका। इस प्रकार, समय तथा लागत वृद्धि को रोकने के लिए कार्य समय पर पूर्ण करने की आवश्यकता है।

1.8.2 निवेश एवं प्रतिलाभ

31 मार्च 2015 तक, राज्य सरकार ने सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंको, संयुक्त स्टॉक कंपनियों तथा सहकारी संस्थाओं में ₹ 7068.79 करोड़ निवेश किया जो कि **तालिका 1.19** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.19: निवेश पर प्रतिलाभ

निवेश/प्रतिलाभ/उधार की लागत	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
वर्ष के अंत में निवेश (₹ करोड़ में)	905.24	920.82	941.17	2867.18	7068.79
प्रतिलाभ (₹ करोड़ में)	2.53	1.40	2.55	2.53	2.58
प्रतिलाभ (प्रतिशत)	0.28	0.15	0.27	0.09	0.04
सरकारी उधार पर ब्याज की औसत दर[10] (प्रतिशत)	6.87	6.35	5.79	6.28	6.19
ब्याज दर तथा प्रतिलाभ में अंतर (प्रतिशत)	6.59	6.20	5.52	6.19	6.15

(स्रोतःसंबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा)

[9] *वित्त लेखा वर्ष 2014–15 का परिशिष्ट – IX।*

[10] *ब्याज की औसत दर = ब्याज भुगतान*100/राजकोषीय उत्तरदायित्व।*

वर्ष 2014–15 के दौरान ₹ 7068.79 करोड़ के निवेश के विरूद्ध केवल ₹ 2.58 करोड़ का प्रतिलाभ हुआ।

जैसा कि उपर्युक्त **तालिका 1.19** में देखा जा सकता है कि इन निवेशों पर औसत प्रतिलाभ पिछले पाँच वर्षों के दौरान 0.17 प्रतिशत था जबकि वर्ष 2010–15 के दौरान सरकार ने अपने उधार पर 6.30 प्रतिशत की औसत ब्याज दर का भुगतान किया। उधार पर ब्याज दर तथा निवेश पर प्रतिलाभ के दर के बीच के अंतर वर्ष 2010–11 से वर्ष 2012–13 में घटते हुए प्रवृति में था।

विभिन्न तत्वों के पूँजीगत अंश में राज्य सरकार द्वारा निवेश किये गये ₹ 7068.79 करोड़ में, 53 सरकारी कंपनियों में ₹ 6545.39 करोड़, 16 सहकारी संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों में ₹ 383.90 करोड़, तीन सांविधिक निगमों में ₹ 105.63 करोड़, एक ग्रामीण बैंक में ₹ 30.19 करोड़ तथा नौ अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियों एवं साझेदारियों में ₹ 3.68 करोड़ का निवेश था। वर्ष के दौरान सरकार ने ₹ 4201.61 करोड़ का निवेश किया। इनमें से सरकारी कंपनियों में ₹ 4200.61 करोड़ तथा सहकारी संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों में एक करोड़ का निवेश किया गया था।

1.8.3 राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

सहकारी संस्थाओं, निगमों तथा कंपनियों में निवेश करने के अतिरिक्त राज्य सरकार इनमें कई संस्थाओं/संगठनों को ऋण एवं अग्रिम भी प्रदान कर रही है।

तालिका 1.20 31 मार्च 2015 को लंबित ऋणों एवं अग्रिमों तथा विगत तीन वर्षो के दौरान ब्याज प्राप्तियों के साथ–साथ ब्याज भुगतान को दर्शाती है।

तालिका 1.20: राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त ऋणों पर प्राप्त औसत ब्याज

(₹ करोड़ में)

ऋण की राशि/ब्याज प्राप्तियाँ/उधार की लागत	2012-13	2013-14	2014-15
प्रारंभिक शेष	18525.76	20587.01	21379.36
वर्ष के दौरान प्रदत्त की राशि	2085.95	807.38	368.71
वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान की राशि	24.70	15.03	1493.06
अंतिम शेष	**20587.01**	**21379.36**	**20255.01**
निवल योग	2061.25	792.35	(-) 1124.35
ब्याज प्राप्तियाँ	167.12	269.48	344.77
बकाया ऋण एवं अग्रिम के रूप में ब्याज प्राप्तियाँ की प्रतिशतता	0.81	1.26	1.70
राज्य सरकार के बकाया राजकोषीय दायित्व के संदर्भ में ब्याज भुगतान की प्रतिशतता	5.79	6.28	6.19
ब्याज प्राप्तियाँ तथा ब्याज भुगतान के बीच अंतर (प्रतिशत)	(-) 4.98	(-) 5.02	(-) 4.49

(स्रोतः संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा)

प्रदत्त ऋणों की मात्रा वर्ष 2013–14 में ₹ 807.38 करोड़ से घटकर वर्ष 2014–15 में ₹ 368.71 करोड़ हो गयी। पुनर्भुगतान भी वर्ष 2013–14 में ₹ 15.03 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014–15 में ₹ 1493.06 करोड़ हो गयी। ब्याज प्राप्तियों की वसूली ज्यादा होने के कारण ब्याज भुगतान तथा ब्याज प्राप्तियों के बीच अंतर वर्ष 2013–14 में 5.02 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2014–15 में 4.49 प्रतिशत हो गया।

1.8.4 नकद शेष तथा नकद शेष का निवेश

तालिका 1.21 वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा किये गए नकद शेष तथा निवेशों को प्रस्तुत करता है।

तालिका 1.21: नकद शेष तथा नकद शेष का निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2014 को	31 मार्च 2015 को	वृद्धि / कमी
नकद शेष	6156.39	6337.11	180.72
नकद शेष से निवेश (क से घ)	4038.80	3528.80	(-) 510.00
क. भारत सरकार का कोषागार विपत्र	0.00	0.00	0.00
ख. भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ	4034.15	3524.15	(-) 510.00
ग. अन्य राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	4.65	4.65	0.00
घ. अन्य निवेश	0.00	0.00	0.00
उद्दिष्ट शेष (क एवं ख) से निवेश का निधिवार विखंडन	1367.75	2343.00	975.25
क. अकाल राहत कोष	0.10*	0.10*	0.00
ख. निक्षेप निधि	1367.65	2342.90	975.25
ब्याज प्राप्ति	233.07	311.77	78.70
* *वृद्धि नहीं, 0.0961 का पूर्णांक आँकड़ें शामिल किये गये*			

(स्रोतः संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा)

वर्ष के दौरान नकद शेष ₹ 6156.39 करोड़ से बढ़कर ₹ 6337.11 करोड़ हो गया। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के प्रतिभूतियों में राज्य सरकार का निवेश 31 मार्च 2015 को ₹ 4034.15 करोड़ से घटकर ₹ 3524.15 करोड़ हो गया। 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष में उद्दिष्ट शेष में निवेश ₹ 975.25 करोड़ बढ़ गया। वर्ष 2014–15 के दौरान निवेश पर ₹ 311.77 करोड़ ब्याज की प्राप्ति वर्ष 2013–14 के दौरान प्राप्त ब्याज (₹ 233.07 करोड़) से ₹ 78.70 करोड़ ज्यादा था।

1.9 परिसंपत्तियाँ एवं देयताएँ

1.9.1 परिसंपत्तियाँ एवं देयताओं के संघटक तथा वृद्धि

सरकार की वर्त्तमान लेखा प्रणाली में सरकारी भूमि और भवन जैसे अचल संपत्तियों का विस्तृत लेखांकन नहीं होता है। तथापि, सरकारी लेखा में सरकार की वित्तीय देयताएँ तथा की गई व्यय द्वारा सृजित परिसंपत्ति का लेखांकन होता है। ***परिशिष्ट 1.8*** 31 मार्च 2014 के संगत स्थिति की तुलना में 31 मार्च 2015 तक की ऐसी देयताएँ एवं परिसंपत्तियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है।

कुल देयताएँ राज्य की संचित निधि तथा लोक लेखा के अंतर्गत आने वाली देयताएँ है। संचित निधि देयताएँ में आंतरिक ऋण तथा भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम शामिल है। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम तथा विशिष्ट उद्देशीय परिवहन तथा अन्य समकक्ष साधनों द्वारा उधारी शामिल है जिसमें पुनर्भुगतान की देनदारी राज्य सरकार की होती है।

1.9.2 राजकोषीय देयताएँ

तालिका 1.22 में राज्य के बकाये राजकोषीय देयताओं की प्रवृत्ति को दर्शाया गया है।

तालिका 1.22: बकाया राजकोषीय देयताएँ[11]

वर्ष	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
राशि (₹ करोड़ में)	62858.01	67811.84	76503.07	86939.10	99055.82
वृद्धि दर	7.10	7.88	12.82	13.64	13.94
राजकोषीय देयताएँ का अनुपात					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.309	0.279	0.261	0.253	0.246
राजस्व प्राप्तियाँ	1.412	1.321	1.284	1.261	1.263
स्वयं के संसाधन	5.791	5.022	4.400	4.043	4.440
राजकोषीय देयताओं का उत्पलावकता अनुपात					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.285	0.404	0.619	0.800	0.817
राजस्व प्राप्तियाँ	0.280	0.517	0.798	0.869	1.011
स्वयं के संसाधन	0.633	0.323	0.445	0.576	3.737

(स्रोतः संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा)

राज्य की राजकोषीय देयताएँ वर्ष 2010–11 में ₹ 62858.01 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014–15 में ₹ 99055.82 करोड़ हो गया। पूर्व वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान राजकोषीय देयताओं का संघटक **चार्ट 1.11** में प्रस्तुत किया गया है।

चार्ट 1.11: वर्ष 2010–15 के दौरान राजकोषीय दायित्व के संघटन (₹ करोड़ में)

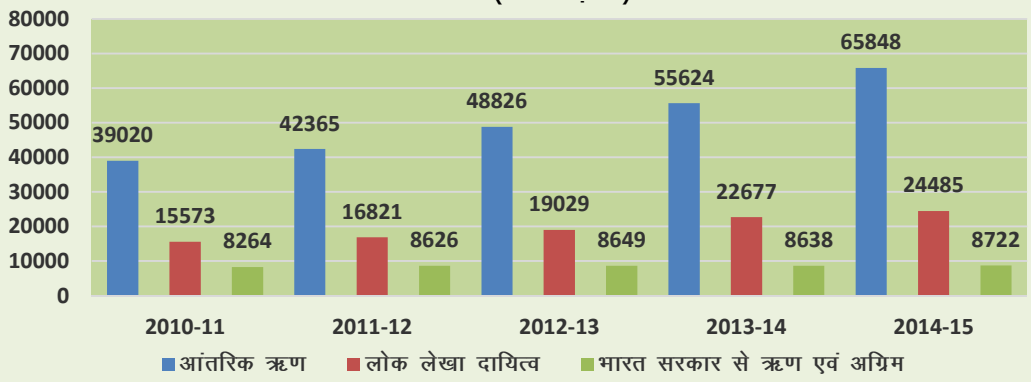

(स्रोतः संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा)

उपर्युक्त **तालिका 1.22** में देखा जा सकता है कि राज्य की कुल राजकोषीय देयताएँ वर्ष 2013–14 में ₹ 86939.10 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014–15 में ₹ 99055.82 करोड़ हो गया। राजकोषीय देयताएँ की वृद्धि दर 2013–14 के 13.64 प्रतिशत से बढ़कर 2014–15 में 13.94 प्रतिशत हो गया। तथापि, राजकोषीय देयताएँ का जी.एस.डी.पी. से अनुपात वर्ष 2010–11 में 30.90 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2014–15 के दौरान 24.60 प्रतिशत हो गया तथा यह तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित प्रतिमान 41.60 प्रतिशत से कम था। यह चालू वर्ष में एफ.आर.बी.एम के लक्ष्य 41.60 प्रतिशत से भी बहुत कम था। वर्ष 2014–15 के अंत में देयताएँ राजस्व प्राप्तियों का 1.26 गुणा तथा राज्य के अपने संसाधनों का 4.44 गुणा थी। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संबंध में इन देयताओं की उत्पलावकता पूर्व वर्ष के दौरान 0.800 की तुलना में इस वर्ष के दौरान 0.817 थी। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संबंध में राजकोषीय देयताओं के अनुपात में कमी की प्रवृत्ति राज्य के अपने देयताओं को निर्वाह करने की क्षमता को प्रदर्शित करता है।

[11] *बाजार ऋण, भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम, लघु बचत से ऋण, भविष्य निधि आदि तथा अन्य दायित्व।*

1.9.3 आरक्षित निधि के अंतर्गत लेन–देन

आरक्षित एवं आरक्षित निधि का सृजन राज्य सरकार (लोक लेखे) के लेखा में 'अ' प्रक्षेत्र के अंतर्गत विशिष्ट एवं सुपरिभाषित उद्देश्यों हेतु किया जाता है। इन निधियों में भारत अथवा राज्य अथवा बाहरी एजेंसियों द्वारा संचित निधि योगदान एवं अनुदान द्वारा पोषित होते है। इसके अतिरिक्त इन निधियों को "ब्याज वाली निधि" तथा "बिना ब्याज वाली निधि" के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। सामान्यतः आरक्षित निधि निम्नलिखित तीन श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत होते है जो उन स्रोत पर आधारित होते है जिसमें से पोषित होते है।

- अन्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान तथा साथ ही लोक अभिदान यथा केंद्रीय सड़क निधि से संसहायिकी से बनी निधि, से संचित की गयी निधि।
- विशिष्ट उद्देश्यों जैसे शून्यह्रास निधि हेतु की गयी व्यय के लिए संचय प्रदान करने हेतु भारत की संचित निधि अथवा राज्य की संचित निधि से संघ/राज्य द्वारा अलग रखी गयी राशि से संचित की गयी।
- राज्य सरकार को बाह्य एजेंसियो द्वारा दी गयी योगदान से संचित की गयी निधि।

वित्त लेखे के अनुसार, राज्य सरकार के लेखे में छः आरक्षित निधि[12] सृजित किये गये तथा उनका संधारण किया गया।

राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि

इस निधि का प्रारंभिक शेष 1 अप्रैल 2014 को ₹ 2054.69 करोड़ था। वर्ष के दौरान ₹ 428.37 करोड़ की राशि प्राप्त की गयी तथा राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से ₹ 673.49 करोड़ का संवितरण किया गया जिससे 31 मार्च 2015 को ₹ 1809.57 करोड़ का शेष रह गया।

निक्षेप निधि

वर्ष के दौरान 1 अप्रैल 2014 को प्रारंभिक शेष ₹ 1367.65 करोड़ था तथा ₹ 975.25 करोड़ की राशि निक्षेप निधि निवेश लेखा में निवेशित की गयी। निक्षेप निधि में 31 मार्च 2015 को अंतशेष ₹ 2342.90 करोड़ था ।

1.9.4 आकस्मिक देयताएँ

- #### प्रत्याभूति की स्थिति

यदि उधार लेने वाले जिसके लिए प्रत्याभूति का विस्तार किया गया और उसके द्वारा ऋण की अदायगी नहीं की जाती है तो गारंटी राज्य की संचित निधि पर आकस्मिक देयता होती है। संविधान के अनुच्छेद 293 के अंतर्गत राज्य विधान मंडल द्वारा ऐसा कोई नियम नहीं पारित किया गया है जिसके निर्धारित सीमा के अंतर्गत सरकार द्वारा राज्य की संचित निधि के प्रतिभूति पर गारंटी दिया जा सके। राज्य सरकार द्वारा दी गयी विगत तीन वर्षों की प्रत्याभूति की स्थिति **तालिका 1.23** में दर्शायी गयी है।

[12] *राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि, निक्षेप निधि, अकाल राहत निधि, विकास तथा कल्याण निधि, सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियाँ एवं मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि। वर्ष के दौरान शेष निधियों में कोई लेन–देन नहीं है। इसलिए इसपर कोई टिप्पणी नहीं।*

तालिका 1.23: सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूति

(₹ करोड़ में)

प्रत्याभूति	2012-13	2013-14	2014-15
प्रत्याभूत अधिकतम राशि	2046.44	2586.84	5314.84
प्रत्याभूति की बकाया राशि (मूलधन)	1089.23	1090.23	2000.90
कुल राजस्व प्राप्तियाँ से अधिकतम प्रत्याभूत राशि की प्रतिशतता	3.44 (*59567*)	3.75 (*68919*)	6.78 (*78417*)
(कोष्ठक में आँकड़े राजस्व प्राप्तियाँ इंगित करते है)			

(स्रोतः संबंधित वर्षों के राज्य का वित्त लेखा)

वित्त लेखे की विवरणी संख्या 9 की संवीक्षा से यह प्रकट हुआ कि सरकार ने वर्ष 2014–15 के दौरान राज्य सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूति के संबंध में स्थिति/सूचना प्रस्तुत नहीं किया तथा मार्च 2015 के अंत तक प्रत्याभूत अधिकतम राशि पूर्व वर्ष से ₹ 2728 करोड़ ज्यादा कर दी गई । 31 मार्च 2015 को प्रत्याभूति की ₹ 2000.90 करोड़ की बकाया राशि मुख्यतः ऊर्जा (₹ 734.35 करोड़), सहकारिता (₹ 348.69 करोड़), सड़क एवं परिवहन (₹ 193 करोड़), राज्य वित्तीय निगम (₹ 127.47 करोड़), शहरी विकास एवं आवास (₹ 17.21 करोड़), अन्य विनिर्माण (₹ 16.06 करोड़) एवं अन्य दूसरे (₹ 564.12 करोड़) से संबंधित था। इसके अतिरिक्त बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार राज्य सरकार द्वारा कोई भी देयता से मुक्ति हेतु प्रत्याभूति शुल्क के जरिये प्रत्याभूति मोचन निधि की स्थापना नहीं की गयी थी।

- ***ऑफ–बजट उधारी***

सरकारी कंपनियों/निगमों राज्य बजट से बाहर प्रक्षेपित विभिन्न राज्य योजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु बाजार/वित्तीय संस्थाओं से निधि उधार लेती है। इस तरह का कई उधारी कभी–कभी राज्य सरकार का देयता हो जाता है जिसे 'ऑफ–बजट उधारी' कहा जाता है। राज्य सरकार ने सूचित किया कि वर्ष 2010–15 के दौरान इसने किसी ऑफ–बजट उधारी का सहारा नहीं लिया।

1.9.5 बाजार उधारी सहित सरकार की उधारी का विश्लेषण

2010–15 के दौरान राज्य द्वारा नकद शेष तथा की गयी उधारी **तालिका 1.24** में दी गयी है।

तालिका 1.24: नकद शेष एवं उधारी की विवरणी

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राजकोषीय घाटा	कुल उधारी (बाजार उधारी सहित)	राजकोषीय घाटा से अधिक उधारी	मार्च का नकद शेष
2010-11	3971	6871	2900	2735
2011-12	5914	7660	1746	1509
2012-13	6545	10850	4305	3716
2013-14	8351	30249	21898	6156
2014-15	11179	41188	30009	6337

(स्रोतः संबंधित वर्षों का राज्य का वित्त लेखा)

उपर्युक्त में देखा जा सकता है कि वृहत् नकद शेष रहने के बावजूद राजकोषीय घाटा से उधारी ₹ 2900 करोड़, ₹ 1746 करोड़, ₹ 4305 करोड़, ₹ 21898 करोड़ तथा ₹ 30009 करोड़ क्रमशः वर्ष 2010–11, 2011–12, 2012–13, 2013–14 तथा 2014–15 के दौरान बढ़ गया। वर्ष 2010–15 के दौरान ₹ 1509 करोड़ से ₹ 6337 करोड़ के बीच वृहत् नकद शेष को राजकोषीय घाटा के स्तर तक हुए आधिक्य उधारी पर आरोपित की जा सकती थी जिसे **तालिका 1.24** में दर्शायी गयी है।

1.10 ऋण प्रबंधन

राजकोषीय घाटा सामान्यतः राज्य द्वारा उधारी के माध्यम से पोषित होता है । ऋण की वृद्धि दर, ऋण पुनर्भुगतान देयता, लोक ऋण पुनर्भुगतान, चालू व्यय को वित्त पोषित करने हेतु ऋण पर निर्भरता (पूँजीगत व्यय नहीं) सरकारी प्रतिभूति पर एस.पी.भी द्वारा बढ़ाये गये ऋण के कारण तथा ऋण चुकाने की वचनबद्धता नीचे प्रदर्शित की गयी है।

- *ऋण विवरणिका*

प्रति व्यक्ति ऋण को दिखाने के लिए विगत पाँच वर्षों का समयवार विश्लेषण नीचे **तालिका 1.25** में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 1.25: ऋण विवरणिका : सूचकांक तथा प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

ऋण विवरणिका के प्रदर्शक	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
उधार ली गयी निधि की निवल उपलब्धता[13]	71	651	4263	4977	5988
ब्याज भुगतान का भार (ब्याज भुगतान/राजस्व प्राप्ति अनुपात)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10

(स्रोतः संबंधित वर्षों का राज्य का वित्त लेखा)

उधार ली गयी निधि की निवल उपलब्धता वर्ष 2013–14 में ₹ 4977 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014–15 में ₹ 5988 करोड़ हो गयी।

वर्ष 2014–15 के वित्त लेखे की विवरणी संख्या 6 के अनुसार, सरकार द्वारा ₹ 13199.28 करोड़ के आंतरिक ऋण, ₹ 718.25 करोड़ भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम, ₹ 27270.73 करोड़ के अन्य देयताओं में वृद्धि की गई और ₹ 2975.36 करोड़ के आंतरिक ऋण, भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम ₹ 633.59 करोड़ का पुनर्भुगतान, ₹ 25462.59 करोड़ के अन्य देयताओं को चुकाया और ₹ 4951.85 करोड़ आंतरिक ऋण पर ब्याज, ₹ 401.74 करोड़ भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज और ₹ 771.89 करोड़ लघु देयताओं बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज भुगतान भी किया।

- *ऋण निर्वाहता*

राज्य सरकार के ऋणों की मात्रा के अतिरिक्त यह आवश्यक है कि उन सूचकों का विश्लेषण किया जाए जो कि राज्य सरकार की ऋण निर्वाहता[14] का निर्धारण करते है। यह खंड, ऋण स्थिरता,[15] गैर–ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता[16], उधार ली गई राशियों की निवल अनुपलब्धता,[17] ब्याज भुगतान का भार (राजस्व प्राप्तियों की तुलना में ब्याज भुगतान के अनुपात की माप) और राज्य सरकार के प्रतिभूतियों की परिपक्वता अनुपात के संदर्भ में राज्य सरकार के ऋण निर्वाहता की संवहनीयता का आकलन करता है।

---

[13] *उधार निधियों की निवल उपलब्धता = लोक ऋण तथा अन्य दायित्व के अंतर्गत कुल प्राप्तियाँ–(लोक ऋण का पुनर्भुगतान एवं अन्य दायित्व + गैरयोजना शीर्ष 2049 के अंतर्गत ब्याज भुगतान)।*

[14] *किसी समयावधि तक ऋण और जी.एस.डी.पी. अनुपात को स्थिर रखने की सरकार के सामर्थ्य को निर्वाहता के रूप में परिभाषित किया गया है एवं इसके ऋण चुकाने के सामर्थ्य भी शामिल है। ऋण की निर्वाहता इसलिए चालू था कि प्रतिबद्ध दायित्वों की पूर्ति के लिए परिशोधित परिसंपत्ति की पर्याप्तता का भी जिक्र करता है एवं अतिरिक्त ऋण की लागत एवं ऐसे ऋणों से निवेश के बीच संतुलन बनाये रखने की क्षमता रखता है। इसका तात्पर्य है कि राजकोषीय घाटा में वृद्धि ऋण की चुकाने की क्षमता में वृद्धि के बराबर होना चाहिए।*

[15] *स्थिरता के लिए आवश्यक शर्त है कि आर्थिक वृद्धि दर, ब्याज दर या लोक ऋण की लागत से अधिक हो, ऋण जी.एस.डी.पी. अनुपात स्थिर होने की संभावना है बशर्ते कि आरंभिक शेष या तो शून्य या धनात्मक या नाम मात्र ऋणात्मक हो। दिये गए दर विस्तार (जी.एस.डी.पी. वृद्धि दर–ब्याज दर) एवं परिणाम विस्तार (ऋण दर विस्तार), ऋण की स्थिति दर्शाता है यदि आरंभिक घाटा के साथ परिणाम विस्तार शून्य है तो ऋण जी.एस.डी.पी. अनुपात स्थिर होगा या ऋण अंततः स्थिर रहेगा। दूसरी ओर यदि प्रारंभिक घाटा के साथ विस्तार, ऋणात्मक हो तो ऋण जी.एस.डी.पी. अनुपात बढ़ेगा एवं धनात्मक मामले में ऋण जी.एस.डी.पी. अनुपात अंततः घटेगा।*

[16] *राज्य के बढ़ते हुए गैर ऋण प्राप्तियों को तभी पर्याप्त माना जाएगा यदि बढ़ते हुए ब्याज दायित्वों एंव बढ़ते हुए व्यय को पूरा कर सकें। यदि प्रारंभिक व्यय एवं ब्याज दायित्व में वृद्धि के पूर्ति हेतु गैर ऋण प्राप्तियों में वृद्धि हो सके तो ऋण निर्वाहता में आसानी हो सकती है।*

[17] *उधार निधियों की निवल उपलब्धता – इस कुल ऋण प्राप्तियों के ऋण मोचन अनुपात (मूलधन + ब्याज भुगतान) के रूप में परिभाषित किया गया है तथा यह ऋण मोचन एवं ऋण प्राप्तियों का अनुपात प्रदर्शित करता है कि निवल उपलब्ध उधार निधियों को दर्शाते हुए किस मात्रा में ऋण विमोचन में ऋण प्राप्तियों का उपयोग किया जाता है।*

तालिका 1.26 वर्ष 2010–15 की अवधि में इन सूचकों के अनुसार राज्य की ऋण निर्वाहता का विश्लेषण करता है।

तालिका 1.26: ऋण निर्वाहता : सूचकांक तथा प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

ऋण निर्वाहता के सूचकांक	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
लोक ऋण तथा अन्य देयताएँ	62858.01	67811.84	76503.07	86939.10	99055.82
लोक ऋण तथा अन्य देयताएँ / जी.एस.डी.पी. अनुपात	30.88	27.88	26.06	25.30	24.62
ऋण स्थिरता (प्रमात्रा विस्तार+प्रारंभिक अधिशेष)	9449.84	7910.80	8318.02	5419.37	5718.37
ऋण स्थिरता / जी.एस.डी.पी.	0.05	0.03	0.03	0.02	0.01
गैर ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता (संसाधन अंतर)	3372	(-) 1485.07	282.02	1331.24	(-) 46710.98
उधार निधियों की निवल उपलब्धता	71	651	4263	4977	5988
ब्याज भुगतान का भार (ब्याज भुगतान / राजस्व प्राप्ति अनुपात)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
राज्य ऋण की परिपक्वता की रूप रेखा* (वर्षों में)					
शून्य से एक वर्ष (2015)					1266.89 (3.34)
एक से तीन वर्ष (2016–2018)					2737.05 (7.21)
तीन से पाँच वर्ष (2019–2020)					6646.93 (17.51)
पाँच से सात वर्ष (2021–2022)					9600.00 (25.30)
सात वर्ष से अधिक (2023 के आगे)					17700.00 (46.64)
कुल बाजार ऋण					***37950.86 (100.00)#***

** तालिका में बाजार ऋण के परिपक्वता की रूपरेखा है जो केवल वर्ष 2014–15 में वित्त लेखे में उपलब्ध परिपक्वता का वर्ष है।*

 # कोष्ठक में दिये आँकड़े देय पुनर्भुगतान की प्रतिशतता को दर्शाते है ।

(स्रोतः संबंधित वर्षों का राज्य का वित्त लेखा)

दिये गये **तालिका 1.26** के अनुसार राज्य ऋण की परिपक्वता यह दर्शाता है कि राज्य सरकार को अपने ऋण का 7.21 प्रतिशत (₹ 2737.05 करोड़) एक से तीन वर्षों के बीच, 17.51 प्रतिशत (₹ 6646.93 करोड़) तीन से पाँच वर्षों के बीच एवं 25.30 प्रतिशत (₹ 9600 करोड़) पाँच से सात वर्षों के बीच पुनर्भुगतान करना है। यह साबित करता है कि राज्य को लगभग अपने ऋण का 50 प्रतिशत (₹ 18983.98 करोड़) का पुनर्भुगतान अगले सात वर्षों में करना है जो कि बहुत अधिक है।

राज्य को ऋण निर्वाहता सुधारने हेतु अच्छे ऋण प्रबंधन उपाय पर कार्य करना है। इसमें अतिरिक्त ऋण एवं संसाधन संग्रहण की वृद्धि शामिल है। जब तक कि ऋण निर्वाहता हेतु गंभीर प्रयास नहीं किए जाए तब तक राज्य में ऋण सेवा एवं ऋण के जाल की स्थिति गंभीर समस्या होगा।

1.10.1 ऋण सुदृढ़ीकरण तथा राहत सुविधा

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एन.एस.एस.एफ.) से उपलब्ध ऋण पर ब्याज राहत तथा भारत सरकार द्वारा बकाया ऋण का बट्टे खाते में डालना तथा राज्य विशिष्ट अनुदान को वर्ष 2011–12 से 2014–15 तक की अवधि में ऋण–जी.एस.डी.पी. अनुपात के लक्ष्य को सम्मिलित करने हेतु एफ.आर.बी.एम. अधिनियम में आवश्यक संशोधन / अधिनियम लाकर राज्यों को उपलब्ध करायी जानी थी। 2010 में संशोधित एफ.आर.बी.एम. अधिनियम, 2006 द्वारा निर्धारित सीमा के अंदर ऋण–जी.एस.डी.पी. अनुपात को बनाए रखने में राज्य सरकार सक्षम था। वर्ष 2014–15 के दौरान बिहार सरकार ने ऋण समेकन तथा राहत सुविधा प्राप्त नहीं किया।

1.11 राजकोषीय असंतुलन

तीन मुख्य राजकोषीय मापदंड राजस्व, राजकोषीय एवं प्रारंभिक घाटा–किसी विशेष अवधि में राज्य सरकार के वित्त के संपूर्ण वित्तीय असंतुलन की सीमा इंगित करता है। सरकारी लेखा में घाटा उसकी प्राप्ति तथा व्यय के बीच के अंतर को दर्शाता है। घाटे की प्रकृति

सरकार के राजकोषीय प्रबंधन के विवेक का संकेतक है। साथ ही, घाटे का वित्तीय पोषण एवं संसाधनों की उगाही तथा प्रयोग राजकोषीय स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण सूचक है। यह खंड इन घाटों की प्रवृत्ति, प्रकृति, परिणाम और इनके वित्तीय पोषक के तरीके तथा एफ.आर.बी.एम. नियमावली के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए निर्धारित लक्ष्य की तुलना में राजस्व एवं राजकोषीय घाटा के वास्तविक स्तर को दर्शाता है।

1.11.1 घाटे की प्रवृत्तियाँ

राज्य को वर्ष 2010–11 से राजस्व अधिशेष प्राप्त किया तथा इसके बाद राजस्व अधिशेष बना रहा। **चार्ट 1.12** से प्रकट होता है कि पूर्व वर्ष की तुलना में वर्ष 2013–14 के दौरान वास्तविक अधिशेष में ₹ 1341 करोड़ तथा वर्ष 2014–15 में ₹ 595 करोड़ की कमी हुई। वर्ष 2014–15 के दौरान ₹ 5847 करोड़ का राजस्व अधिशेष राज्य के बजट प्रक्षेपण ₹ 10174 करोड़ से काफी कम था।

चार्ट 1.12: घाटे की प्रवृत्ति के सूचक
(₹ करोड़ में)

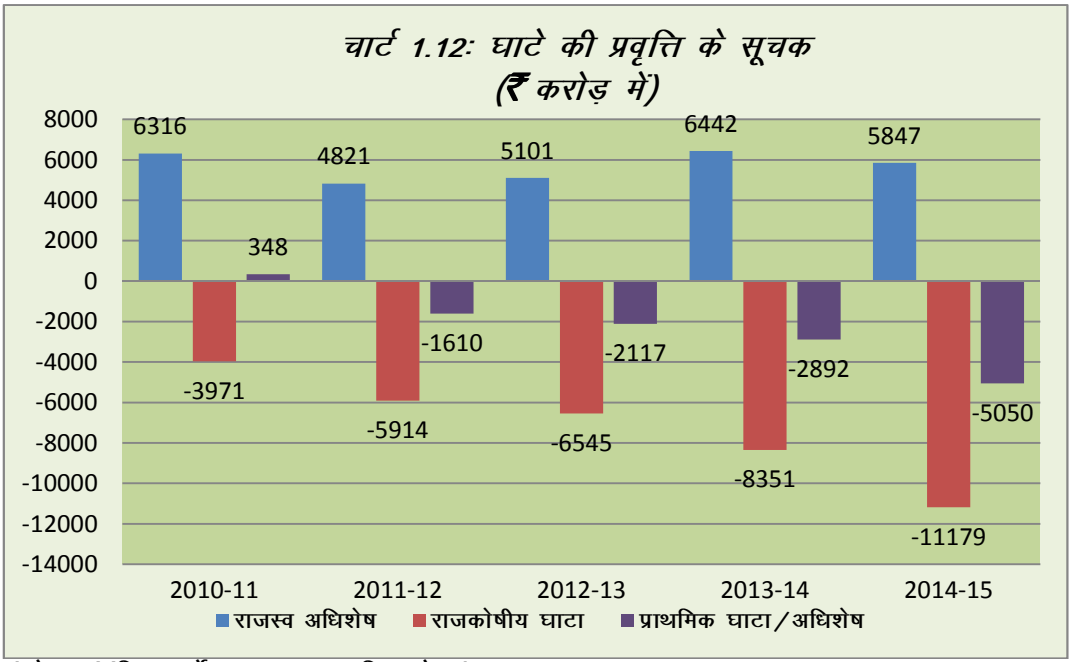

(स्रोतः संबंधित वर्षों का राज्य का वित्त लेखा)

तालिका 1.27: वर्ष 2010–15 की अवधि के दौरान घाटे की प्रवृत्ति के सूचक

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
राजस्व अधिशेष/जी.एस.डी.पी.	0.031	0.020	0.017	0.019	0.015
राजकोषीय घाटा/जी.एस.डी.पी.	(-) 0.020	(-) 0.024	(-) 0.022	(-) 0.024	(-) 0.028
प्राथमिक अधिशेष/जी.एस.डी.पी.	0.002	(-) 0.007	(-) 0.007	(-) 0.008	(-) 0.013

(स्रोतः संबंधित वर्षों का राज्य का वित्त लेखा)

चार्ट 1.12 एवं तालिका 1.27 में देखा जा सकता है कि वर्ष के दौरान राजस्व अधिशेष ₹ 595 करोड़ कम गया जबकि राजकोषीय घाटा वर्ष 2013–14 में ₹ 8351 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014–15 में ₹ 11179 करोड़ हो गया। राजकोषीय घाटा तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात (0.028) वर्ष 2014–15 हेतु तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित आकलन तथा एफ.आर.बी.एम. अधिनियम में वर्णित तीन प्रतिशत के भीतर था।

पुनः, ₹ 2892 करोड़ का प्रारंभिक घाटा (2013–14) बढ़कर ₹ 5050 करोड़ हो गया (2014–15) ।

1.11.2 राजकोषीय घाटा के घटक एवं इसकी वित्त व्यवस्था

राजकोषीय घाटे के व्यवस्था प्रतिमान में समग्र परिवर्त्तन हुए है जिसे **तालिका 1.28** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.28: राजकोषीय घाटा के घटक तथा इसकी वित्त व्यवस्था

(₹ करोड़ में)

विवरण		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
राजकोषीय घाटा की संरचना		**(-) 3970.31**	**(-) 5914.90**	**(-) 6545.26**	**(-) 8351.92**	**(-) 11178.50**
1	राजस्व घाटा/राजस्व अधिशेष	6316.40	4820.68	5100.51	6441.42	5847.56
2	निवल पूँजीगत व्यय	(-) 9195.94	(-) 8852.01	(-) 9584.52	(-) 14001.00	(-) 18150.41
3	निवल ऋण एवं अग्रिम	(-) 1090.77	(-) 1883.57	(-) 2061.25	(-) 792.35	(-) 1124.35
राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण प्रतिमान*						
1	बाजार उधारी	1707.78	2593.90	5763.88	5346.77	6666.51
2	भारत सरकार से ऋण	316.03	361.08	23.30	(-) 11.07	84.67
3	एन.एस.एस.एफ को जारी विशेष प्रतिभूति	1533.39	505.56	292.87	631.52	3150.22
4	वित्तीय संस्थाओं से ऋण	285.20	244.96	403.96	820.31	407.18
5	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	252.70	(-) 2.13	(-) 215.55	(-) 297.90	(-) 182.77
6	जमा एवं अग्रिम	50.94	932.91	2199.05	3668.41	2222.57
7	उचंत तथा विविध	1830.68	1238.71	(-) 1936.34	(-) 2007.59	(-) 1231.88
8	प्रेषण	79.96	(-) 36.82	19.51	(-) 19.01	(-) 11.98
9	आरक्षित निधि	23.72	335.93	275.94	262.31	(-) 245.12
10	अंतर्राज्यीय समाशोधन	-	74.02	-	-	-
11	**संपूर्ण अधिशेष/घाटा**	**6080.37**	**6248.12**	**6826.62**	**8393.74**	**10859.40**
12	नकद शेष में वृद्धि/कमी #	(-) 2110.06	333.22	281.36	41.82	319.10
13	**सकल राजकोषीय घाटा**	**3970.31**	**5914.90**	**6545.26**	**8351.92**	**11178.50**

**ये सभी आँकड़े वर्ष के दौरान निवल संवितरण/बर्हिगमन*

 # नकद शेष (रिजर्व बैंक में जमा और कोषागार में प्रेषण)

(स्रोत: संबंधित वर्षों का राज्य का वित्त लेखा)

तालिका 1.29: वर्ष 2014–15 के दौरान राजकोषीय घाटा को वित्तपोषण देने वाले प्राप्तियाँ एवं संवितरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	प्राप्तियाँ	संवितरण	निवल
1	बाजार उधारी	8100.00	1433.49	6666.51
2	भारत सरकार से ऋण	718.25	633.58	84.67
3	राष्ट्रीय लघु बचत निधि से जारी विशेष प्रतिभूति	3944.84	794.62	3150.22
4	वित्तीय संस्थाओं से ऋण	1154.44	747.26	407.18
5	लघु बचत, भविष्य निधि, आदि	1103.76	1286.53	(-) 182.77
6	जमा एवं अग्रिम	24971.54	22748.97	2222.57
7	उचंत तथा विविध	166624.10	167855.98	(-) 1231.88
8	प्रेषण	12221.55	12233.53	(-) 11.98
9	आरक्षित निधि	1403.62	1648.74	(-) 245.12
10	अंतर्राज्यीय समाशोधन			-
11	**संपूर्ण अधिशेष (+) घाटा (–)**			**10859.40**
12	नकद शेष मे वृद्धि/कमी			319.10
13	**सकल राजकोषीय घाटा**			**11178.50**

(स्रोत: राज्य का वित्त लेखा, 2014–15)

राजकोषीय घाटा, जो सरकार की उधारी एवं संसाधनों के अंतर को दर्शाता हैं, वह वर्ष 2013–14 में ₹ 8351.92 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014–15 में ₹ 11178.50 करोड़ हो गया परंतु, यह बजट प्राक्कलन (₹ 11367.84 करोड़) में प्रक्षेपण से कम था। वर्ष 2013–14 के दौरान राजकोषीय घाटा पूँजीगत व्यय का 59.65 प्रतिशत था परंतु, यह वर्ष 2014–15 के दौरान बढ़कर 61.59 प्रतिशत हो गया। पिछले वर्ष के तुलना में वित्तीय संस्थाएँ, लघु बचत,

भविष्य निधि आदि, जमा एवं अग्रिम, प्रेषण, आरक्षित निधि से ऋण में कमी थी। तथापि, बाजार उधारी, भारत सरकार से ऋण तथा एन.एस.एस.एफ. को जारी विशेष प्रतिभूति में वृद्धि हुई।

1.11.3 घाटा/अधिशेष की गुणवत्ता

राजस्व घाटा से राजकोषीय घाटा का अनुपात तथा प्रारंभिक घाटा का प्रारंभिक राजस्व घाटा[18] में अपघटन तथा पूँजीगत व्यय (ऋणों एवं अग्रिमों को सम्मिलित करते हुए) राज्य के वित्त में घाटा की गुणवत्ता को प्रदर्शित करते है। राजस्व घाटा से राजकोषीय घाटा का अनुपात उस विस्तार को बताता है जो चालू उपयोग हेतु उधार ली गयी निधि का उपयोग किया गया। इसके अतिरिक्त, राजस्व घाटा से राजकोषीय घाटा का उच्च अनुपात भी यह इंगित करता है कि राज्य का परिसंपत्ति आधार लगातार घट रहा था तथा उधारी का एक अंश (राजकोषीय देयताएँ) के पास कोई परिसंपत्ति पूर्तिकर नहीं था। प्रारंभिक घाटे का द्विभाजन (**तालिका 1.30**) उस सीमा की ओर इंगित करेगा जिस सीमा तक पूँजीगत व्यय बढ़ जाने के कारण प्रारंभिक घाटा हुआ, पूँजीगत व्यय में वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता में सुधार हेतु वांछित हो सकती है।

तालिका 1.30: प्रारंभिक घाटा/अधिशेष–कारकों का द्विभाजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गैर ऋण प्राप्तियाँ[19]	प्रारंभिक राजस्व व्यय[20]	पूँजीगत व्यय	ऋण एवं अग्रिम	प्रारंभिक व्यय	प्रारंभिक राजस्व घाटा (–)/ अधिशेष (+)	प्रारंभिक घाटा (–)/ अधिशेष (+)
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (2-3)	8 (2-6)
2010-11	44544	33897	9196	1103	44196	10647	(+) 348
2011-12	51343	42195	8852	1906	52953	9148	(-) 1610
2012-13	59592	50038	9585	2086	61709	9554	(-) 2117
2013-14	68934	57018	14001	807	71826	11916	(-) 2892
2014-15	79910	66441	18150	369	84960	13469	(-) 5050

(स्रोतः संबंधित वर्षों का राज्य का वित्त लेखा)

उपर्युक्त तालिका से प्रदर्शित होता है कि वर्ष 2010–11 में ₹ 10647 करोड़ का प्रारंभिक राजस्व अधिशेष हुआ जो वर्ष 2011–12 में घटकर ₹ 9148 करोड़ तथा 2014–15 में बढ़कर ₹ 13469 करोड़ हो गया। इसका कारण प्रारंभिक व्यय (जिसमें प्रारंभिक राजस्व व्यय, पूँजीगत व्यय तथा ऋण एवं अग्रिम शामिल है) वर्ष 2010–11 में ₹ 44196 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014–15 में ₹ 84960 करोड़ हो गया। विवरण से प्रकट होता है कि गैर ऋण प्राप्तियाँ, प्रारंभिक राजस्व व्यय को पूरा करने हेतु पर्याप्त थे तथा इन प्राप्तियों के कुछ अंश का उपयोग पूँजीगत व्यय को पूरा करने में हुआ। यद्यपि, वर्ष 2010–11 में राज्य का प्रारंभिक अधिशेष ₹ 348 करोड़ था तथापि, यह वर्ष 2014–15 में ₹ 5050 करोड़ के प्रारंभिक घाटे के रूप में परिणत हुआ।

1.12 अनुवर्त्ती

राज्य वित्त प्रतिवेदन राज्य विधान मंडल में 2008–09 से प्रस्तुत किया जा रहा है। लोक लेखा समिति में इस प्रतिवेदन पर चर्चा आयोजित की जाती रही है।

तथापि, वर्ष 2008–09 से 2013–14 के दौरान किसी कंडिका पर लोक लेखा समिति द्वारा अनुशंसा नहीं किया गया।

[18] *प्रारंभिक राजस्व राज्य के घाटा गैर ब्याज राजस्व व्यय एवं इसके गैर ऋण प्राप्ति के रूप में परिभाषित है तथा यह प्रदर्शित करता है कि किस हद तक गैर ऋण प्राप्ति राजस्व लेखा के अंतर्गत किया गया प्रारंभिक व्यय को पूरा करने में समग्र है ।*

[19] *राजस्व प्राप्ति तथा ऋण एवं अग्रिम की वसूली का संग्रहित रूप गैर ऋण प्राप्ति है ।*

[20] *प्रारंभिक राजस्व व्यय, राजस्व व्यय एवं ब्याज भुगतान में अंतर है ।*

1.13 निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ

राजकोषीय स्थिति

- वर्ष 2014–15 के दौरान राज्य का राजस्व अधिशेष ₹ 5847.56 करोड़ था। चालू वर्ष के दौरान, राजकोषीय घाटा बढ़कर ₹ 11178.50 करोड़ हो गया। यह सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.78 प्रतिशत था, जो कि तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित सीमा (तीन प्रतिशत) के भीतर था।

राज्य क्रियान्वयन एजेंसियो को निधि का स्थानांतरण

- वर्ष 2014–15 के दौरान, भारत सरकार ने राज्य क्रियान्वयन एजेंसियो को सीधे ₹ 651.74 करोड़ स्थानांतरित किया, जो कि पूर्व वर्ष की तुलना में 93.11 प्रतिशत कम था। मुख्य प्राप्तकर्ताओं में जिला योजना अधिकारी (स्थानीय निकाय) (₹ 246.50 करोड़ अर्थात् 37.82 प्रतिशत), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना (सरकारी स्वायत्त निकाय) (₹ 206.97 करोड़ अर्थात् 31.76 प्रतिशत) तथा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (सरकारी स्वायत्त निकाय) (₹ 82.00 करोड़ अर्थात् 12.58 प्रतिशत)।

  भारत सरकार द्वारा सीधे राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को स्थानांतरित निधि की उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए एक उचित लेखांकन और निगरानी प्रणाली लागू की जानी चाहिए।

संसाधन संग्रहण

- जबकि राज्य के राजस्व प्राप्तियों (₹ 78417.54 करोड़) में वर्ष 2014–15 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में 13.78 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो कि बजट प्राकक्लन से ₹ 23522 करोड़ कम था।

  सरकार को बजट दस्तावेज में प्रस्तुत प्राप्तियों के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए।

व्यय की गुणवत्ता

- पूँजीगत व्यय 2013–14 के ₹ 14001 करोड़ से बढ़कर 2014–15 में ₹ 18150.41 करोड़ हो गया, जबकि चुनिंदा आर्थिक सेवाओ पर पूँजीगत व्यय कुल व्यय का 2013–14 के 48.29 प्रतिशत से बढ़कर 2014–15 में 51.99 प्रतिशत हो गया। तथापि, इनमें कमी मुख्य रूप से सामाजिक सेवाओं में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा आर्थिक सेवाओं में कृषि एवं संबद्ध सेवाएँ तथा सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के अंतर्गत देखा गया।

  सरकार द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रमुखता के साथ सामाजिक क्षेत्र व्यय को अधिक प्राथमिकता देना चाहिए।

- चयनित सामाजिक आर्थिक सेवाओं के राजस्व व्यय में वेतन एवं मजदूरी का अंश 2013–14 में 27.90 प्रतिशत से घटकर 2014–15 में 24.24 प्रतिशत हो गया, जो राज्य वित्त में सकारात्मक परिवर्तन इंगित करता है।

- 31 मार्च 2015 तक, राज्य सरकार ने सरकारी कंपनियों, सहकारी संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों, सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंक तथा अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियों एवं साझेदारियों में ₹ 7068.79 करोड़ निवेश किया जिसके विरूद्ध वर्ष 2014–15 में सिर्फ ₹ 2.58 करोड़ प्रतिलाभ था।

  राज्य सरकार को संस्थानों/संगठन में निवेश पर अधिकतम प्रतिलाभ हेतु कदम उठाना चाहिए।

राजकोषीय देयता

- राज्य की राजकोषीय देयताएँ 2010–11 के ₹ 62858.01 करोड़ से बढ़कर 2014–15 में ₹ 99055.82 करोड़ हो गया। वर्ष के दौरान, राजस्व अधिशेष में ₹ 595 करोड़ की कमी हुई जबकि राजकोषीय घाटा 2013–14 के ₹ 8351 करोड़ से बढ़कर 2014–15 में ₹ 11179 करोड़ हो गए। वर्ष 2014–15 में राजकोषीय घाटा तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात (0.028), तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित आकलन तथा एफ.आर.बी.एम. अधिनियम में वर्णित तीन प्रतिशत के भीतर था। राज्य सरकार ने अभी तक कोई प्रत्याभूति मोचन निधि का सृजन नहीं किया था।

  राज्य द्वारा किसी भी देयता निर्वहन हेतु एक प्रत्याभूति मोचन निधि का सृजन करना चाहिए।

अध्याय II
वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण

अध्याय
II

वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण

2.1 प्रस्तावना

2.1.1 यह अध्याय विनियोग लेखा की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा विनियोग का अनुदानवार विवरण प्रस्तुत करता है साथ ही उस रीति को भी प्रकट करता है जिससे विनिहित स्रोतों का प्रबंधन सेवा प्रदाता विभाग द्वारा हुआ। इसके अतिरिक्त, बजटीय कार्यविधि तथा बजट पूर्वधारणा की लेखापरीक्षा से उठी टिप्पणी इस अध्याय में शामिल किया जा रहा है।

विनियोग लेखा सरकार के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दत्तमत और भारित व्ययों का लेखा है जो विनियोग की विनिर्दिष्ट अनुसूची में विभिन्न उद्देश्यों के लिए दत्तमत अनुदान एवं भारित विनियोग की राशियों के अनुरूप है। ये लेखे, मूल अनुदान, पूरक अनुदानों, बचतों, अभ्यर्पणों एवं पुनर्विनियोगों की स्पष्ट सूची बनाते हैं तथा विभिन्न विनिर्दिष्ट सेवाओं पर राजस्व एवं पूँजीगत व्यय के साथ–साथ बिहार विनियोग अधिनियम, 2014 द्वारा प्राधिकृत बजट के भारित एवं दत्तमत दोनों मदों को बताते हैं। इस प्रकार, विनियोग लेखा वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय प्रावधानों की निगरानी को आसान बनाते हैं, वे वित्त लेखा के पूरक हैं।

2.1.2 भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोग लेखा की लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विविध अनुदानों में किया गया वास्तविक व्यय बिहार विनियोग अधिनियम, 2014 की प्राधिकृत राशि के अंतर्गत है तथा संविधान के अनुरूप भारित है। लेखापरीक्षा यह भी सुनिश्चित करती है कि, किया गया व्यय विधिसम्मत नियम, कानून, विनियम और निर्देशों के अनुरूप है।

2.1.3 बिहार बजट नियमावली, 1963 के अनुसार विभिन्न विभागों से बजट अनुमान का आकलन प्राप्त कर वार्षिक बजट तैयार करने के लिए वित्त विभाग उत्तरदायी है। नियंत्री पदाधिकारी द्वारा आय एवं व्यय का विभागीय अनुमान विभागाध्यक्षों की सलाह पर तैयार कर वांछित तिथियों को वित्त विभाग को समर्पित की जानी है । वित्त विभाग विस्तृत अनुमान संचित कर 'अनुदानों की माँग' तैयार करता है। बजट तैयार करने में, जहाँ तक संभव हो वास्तविक लक्ष्य प्राप्त करने के निकट पहुँचना चाहिए। इस दुर्लभ कार्य, राजस्व प्राक्कलन एवं व्यय पूर्वानुमान, दोनों में दूरदर्शिता अपेक्षित है। किसी प्राक्कलन में परिहार्य अतिरिक्त प्रावधान उतनी ही बजटीय अनियमितता है जितनी कि स्वीकृत व्यय में अधिकता। बजट प्रक्रिया से तात्पर्य है कि किसी विशिष्ट मद पर व्यय के आकलन में प्रदत्त राशि वह राशि होनी चाहिए जिसे वर्ष में व्यय कर दी जाय। व्यय किये जाने वाले धन की बचत से उतनी ही वित्तीय अनियमितता होती है जितनी व्यय में अधिकता से। प्राप्तियों का बजट प्राक्कलन वर्तमान कर, शुल्क, फीस आदि के दर पर आधारित होनी चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाये गये बजट एवं व्यय के प्रबंधन की कमियाँ तथा बजट नियमावली के उल्लंघन की चर्चा उत्तरवर्ती कंडिकाओं में की गयी है।

2.2 विनियोग लेखा का सारांश

वर्ष 2014–15 की अवधि के दौरान 51 अनुदानों/विनियोजनों के विरूद्ध किये गये व्यय की सारभूत स्थिति **तालिका 2.1** में दर्शायी गयी है।

तालिका 2.1: वर्ष 2014–15 के मूल/पूरक प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की स्थिति

(₹ करोड़ में)

	व्यय की प्रकृत्ति	मूल अनुदान/ विनियोजन	पूरक अनुदान/ विनियोजन	कुल	वास्तविक व्यय	बचत (–)/ आधिक्य (+)	अभ्यर्पित राशि	31 मार्च को अभ्यर्पित राशि	31 मार्च को अभ्यर्पित बचतों की प्रतिशतता कालम 7/ कालम 6 *100
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
दत्तमत	I राजस्व	84991.81	11399.14	96390.95	65985.04	(-)30405.91	18155.66	16459.00	59.71
	II पूँजीगत	21151.35	9970.97	31122.32	18915.10	(-)12207.22	8300.31	5833.68	68.00
	III ऋण एवं अग्रिम	406.49	329.67	736.16	368.71	(-)367.45	366.76	366.76	99.81
कुल दत्तमत		**106549.65**	**21699.78**	**128249.43**	**85268.85**	**(-)42980.58**	**26822.73**	**22659.44**	**62.41**
भारित	IV *राजस्व*	*7180.19*	*986.63*	*8166.82*	*7218.99*	*(-)947.83*	*511.29*	*81.29*	*53.94*
	V *पूँजीगत*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	-
	VI *लोक ऋण पुनर्भुगतान*	*3562.90*	*43.44*	*3606.34*	*3608.95*	*2.61*	*0.00*	*0.00*	-
कुल भारित		***10743.09***	***1030.07***	***11773.16***	***10827.94***	***(-)945.22***	***511.29***	***81.29***	***54.04***
आकस्मिकता निधि में विनियोजन (यदि कोई हो)									
महायोग		**117292.74**	**22729.85**	**140022.59**	**96096.79**	**(-) 43925.80**	**27334.02**	**22740.73**	**62.23**

नोटः कुल व्यय में ₹ 634.05 करोड़ के राजस्व व्यय की वसूली/वापसी तथा व्यय में कमी के रूप में समायोजित ₹ 764.70 करोड़ के पूँजीगत व्यय की प्राप्ति शामिल है।

(स्रोतः विनियोग लेखा, बिहार सरकार, वर्ष 2014–15)

वर्ष के दौरान प्राप्त ₹ 22729.85 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान मूल प्रावधान का 19.38 प्रतिशत था। कुल बचत ₹ 43925.80 करोड़ की हुई जो कि ₹ 140022.59 करोड़ के कुल प्रावधान का 31.37 प्रतिशत था। ₹ 31353.74 करोड़ की बचत राजस्व भाग के अंतर्गत 46 अनुदानों तथा आठ विनियोगों में तथा ₹ 12207.22 करोड़ पूँजीगत भाग के अंतर्गत 31 अनुदानों में और ₹ 367.45 करोड़ ऋण एवं अग्रिम भाग के अंतर्गत सात अनुदानों में हुई। एक विनियोजन के अंतर्गत ऋण अदायगियाँ में ₹ 2.61 करोड़ का अधिक व्यय हुआ।

मूल प्रावधान ₹ 117292.74 करोड़ के विरूद्ध सिर्फ ₹ 96096.79 करोड़ का ही व्यय हुआ। ₹ 43925.80 करोड़ के बचत के बावजूद ₹ 22729.85 करोड़ का पूरक अनुदान का प्रावधान किया गया (जो कि बचतों का 51.75 प्रतिशत था) जो स्पष्ट रूप से निधि के त्रुटिपूर्ण प्राक्कलन तथा बजट प्राक्कलन पर नियंत्रण तंत्र की कमी को प्रदर्शित करता है। अनावश्यक पूरक प्रावधानों के मामलों की चर्चा **कंडिका 2.3.5** में की गयी है। कुल अभ्यर्पित राशि (₹ 27334.02 करोड़) की प्रतिशतता कुल बचत (₹ 43925.80 करोड़) का 62.23 प्रतिशत था। 31 मार्च 2015 को अभ्यर्पित राशि (₹ 22740.73 करोड़), कुल अभ्यर्पित राशि ₹ 27334.02 करोड़ का 83.20 प्रतिशत था। इसके अतिरिक्त, ₹ 16591.78 करोड़ (कुल बचत का 37.77 प्रतिशत) की राशि को अभ्यर्पित नहीं किया जा सका। महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार द्वारा नियंत्री पदाधिकारियों को बचत/आधिक्य की सूचना दी गयी थी (अगस्त 2015) परंतु, आधिक्य/बचत संबंधी उनके स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुए (अगस्त 2015)।

2.3 वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन

2.3.1 विनियोजन तथा आवंटन प्राथमिकता

बिहार बजट नियमावली के नियम 65 के अनुसार नियंत्री पदाधिकारी को संवितरण पदाधिकारी से प्राप्त बजट प्राक्कलन की जाँच करनी चाहिए तथा यह देखना चाहिए कि वे औपचारिक रूप से सही है। सभी विवरण एवं स्पष्टीकरण दिये गये हैं एवं स्पष्टीकरण पर्याप्त है। यदि वे अपर्याप्त है तो प्रावधान बदलना चाहिए। पुनः, बिहार बजट नियमावली के नियम 78 के अंतर्गत वित्त विभाग एवं प्रशासनिक विभाग द्वारा प्राक्कलन की प्रतियों की जाँच की जानी चाहिए तथा यदि किसी बिंदु पर जाँच की आवश्यकता हो, तो उसे तुरंत कर लेनी चाहिए। प्रशासनिक विभाग को, जिन बिंदुओं की जाँच होनी चाहिए, उन्हें पता लगाने के लिए वित्त विभाग की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए बल्कि उनकी प्राप्ति पर तुरंत प्राक्कलन की जाँच शुरू कर देनी चाहिए।

प्रशासनिक विभाग द्वारा किये गये जाँच का उद्देश्य बजट प्राक्कलन तथा इनके पुनरीक्षण में अधिक अथवा अपर्याप्त प्रावधानों का पता लगाना है, जिसे वे वित्त विभाग से ज्यादा आसानी से कर सकते हैं क्योंकि उन्हें वास्तविक स्थिति का ज्यादा गहरा ज्ञान है। यह भी आवश्यक है कि वित्त विभाग द्वारा जारी बजट पर्चियों के उत्तर देने में विलंब न हो। इसकी प्राप्ति तभी संभव है जब वित्त विभाग द्वारा संदर्भित बिन्दुओं पर संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा पहले ही विचार कर लिया गया हो एवं उनके द्वारा पूर्व में ही जाँच कर ली गयी हो। यह अत्यंत आवश्यक है कि साधारणतः बजट पर्ची का उत्तर इसकी प्राप्ति से एक सप्ताह में दे दिया जाए और किसी भी स्थिति में पर्ची को एक पखवारा से अधिक अनुत्तरित न रखा जाए।

विनियोजन लेखापरीक्षा के निष्कर्ष से प्रकट हुआ कि वर्ष 2014–15 के दौरान 35 अनुदानों में बचत, प्रत्येक मामलों में ₹ 10 करोड़ से अधिक तथा कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से भी अधिक था (***परिशिष्ट 2.1***) । 28 अनुदानों/विनियोजनों के अंतर्गत बचत के 38 मामले थे, प्रत्येक मामला ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक का था जो वर्ष 2014–15 के दौरान ₹ 39632.66 करोड़, कुल प्रावधान (₹ 95222.79 करोड़) का 41.62 प्रतिशत था, जैसा कि ***परिशिष्ट 2.1 (क)*** में दर्शाया गया है।

₹ 100 करोड़ से अधिक बचत वाले कुछ मामलों की समीक्षा निम्नवत हैः

(i) अनुदान संख्या 21–"शिक्षा विभाग" (राजस्व–दत्तमत)

पूरक प्रावधान ₹ 1166.45 करोड़ अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि ₹ 16335.41 करोड़ का कुल व्यय मूल प्रावधान ₹ 23703.68 करोड़ से कम था। कुल प्रावधान ₹ 24870.13 करोड़ में से बचत ₹ 8534.72 करोड़ मुख्यतः शीर्ष, 2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारंभिक शिक्षा–111–सर्व शिक्षा अभियान–0201–सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) (₹ 1959.93 करोड़); 101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय– 0001–राजकीय प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय (₹ 1905.27 करोड़); 111–सर्व शिक्षा अभियान–0301–सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) (₹ 456.69 करोड़); 789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना–0103–सर्व शिक्षा अभियान (₹ 343.05 करोड़) और 14 अन्य मामलों में ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक की बचत इस अनुदान के अंतर्गत था।

अंतिम बचत के कारणों की सूचना नहीं दी गयी है (अगस्त 2015)।

(ii) अनुदान संख्या 51–"समाज कल्याण विभाग" (राजस्व–दत्तमत)

कुल प्रावधान ₹ 7417.86 करोड़ के विरूद्ध व्यय केवल ₹ 4902.49 करोड़ था जिसके कारण ₹ 2515.37 करोड़ (33.91 प्रतिशत) की बचत हुई। बचत मुख्यतः शीर्ष, 2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–102–सामाजिक सुरक्षा

योजनाओं के अधीन पेंशन–0105–लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (₹ 128.20 करोड़); 0104–बिहार राज्य विकलांगता सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (₹ 103.45 करोड़) के अंतर्गत था।

अंतिम बचत के कारणों की सूचना नहीं दी गयी है (अगस्त 2015)।

(iii) अनुदान संख्या 16–"पंचायती राज विभाग" (राजस्व –दत्तमत)

मूल प्रावधान ₹ 4225.32 करोड़ के विरूद्ध व्यय केवल ₹ 2374.77 करोड़ था जिसके कारण ₹ 2334.24 करोड़ (55.24 प्रतिशत) की बचत हुई। इस तरह पूरक अनुदान के जरिये निधि का प्रावधान (₹ 483.69 करोड़) अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि वर्ष के दौरान पूरी राशि अव्यवहृत रह गई।

अंतिम बचत के कारणों की सूचना नहीं दी गयी है (अगस्त 2015) ।

(iv) अनुदान संख्या 03–"भवन निर्माण विभाग" (पूँजीगत–दत्तमत)

कुल प्रावधान ₹ 2842.64 करोड़ के विरूद्ध इस अनुदान में व्यय (₹ 1122.85 करोड़) मूल प्रावधान ₹ 2192.32 करोड़ के बिल्कुल अंतर्गत था। इस प्रकार, वर्ष के दौरान इसके अतिरिक्त पूरक प्रावधान के जरिये निधि का प्रावधान (₹ 650.32 करोड़) अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय, मूल प्रावधान के स्तर तक भी नहीं आ सका। इस अनुदान में बचत ₹ 1719.79 करोड़, कुल प्रावधान का 60.50 प्रतिशत था।

अंतिम बचत के कारणों की सूचना नहीं दी गयी है (अगस्त 2015)।

(v) अनुदान संख्या 35–"योजना एवं विकास विभाग" (पूँजीगत–दत्तमत)

पूरक प्रावधान ₹ 900.44 करोड़ अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि ₹ 1202.82 करोड़ का कुल व्यय मूल प्रावधान (₹ 1655.68 करोड़) के अंतर्गत था। बचत ₹ 1353.30 करोड़ मुख्यतः शीर्ष 4070–अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय–00–051–निर्माण–0107–मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना (₹ 820.71 करोड़); 789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना–0103–मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना (₹ 30.00 करोड़); 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय–00–102–सामुदायिक विकास–0203–वामपंथी उग्रवाद (एल.डब्लू.ई.) जिलों के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (ए.सी.ए.) (₹ 24.19 करोड़)।

अंतिम बचत के कारणों की सूचना नहीं दी गयी है (अगस्त 2015) ।

(vi) अनुदान संख्या 45–"गन्ना उद्योग विभाग" (पूँजीगत–दत्तमत)

इस अनुदान के अंतर्गत वर्ष के दौरान व्यय (₹ 0.63 करोड़) हुआ जो मूल प्रावधान ₹ 0.63 करोड़ के बराबर था। इस प्रकार, पूरक अनुदान के जरिये निधि का प्रावधान (₹ 166.99 करोड़) अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि वर्ष के दौरान पूरी राशि अव्यवहृत रह गई।

अंतिम बचत के कारणों की सूचना नहीं दी गयी है (अगस्त 2015)।

2.3.2 सतत् बचत

दस अनुदानों/विनियोजनों (विभागों) में प्रत्येक मामले में ₹ 20 करोड़ से अधिक की सतत् बचत हुई तथा यह गत पाँच वर्षों के दौरान कुल अनुदान का 13 से 76 प्रतिशत के बीच था जैसा कि ***परिशिष्ट 2.2*** में दर्शाया गया है। जिनमे से ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक की सतत् बचत मुख्यतः, पशु एवं मत्स्य संसाधन, स्वास्थ्य, विधि, पथ निर्माण (राजस्व–दत्तमत) और जल संसाधन, लघु जल संसाधन विभागों (पूँजीगत–दत्तमत) के अंतर्गत हुई।

सतत् बचत दर्शाता है कि विभागों में बजटीय नियंत्रण प्रभावी नहीं था तथा इस वर्ष के निधि के आवंटन में पिछले वर्षों के प्रवाह को ध्यान में नहीं लिया गया।

2.3.3 पिछले वर्षों के प्रावधान से आधिक्य का अपेक्षित नियमितिकरण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार किसी राज्य सरकार के लिए यह अनिवार्य है कि वह अनुदानों/विनियोजनों के आधिक्य को विधानमंडल द्वारा नियमित कराए। तथापि, पूर्ववर्ती वर्षों[1] के ₹ 1062.46 करोड़ के आधिक्य व्यय की राशि का नियमितिकरण होना बाकी था जैसा कि ***परिशिष्ट 2.3*** में दर्शाया गया है। यथेष्ट अवधि तक आधिक्य व्यय का नियमितिकरण नहीं होना संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है।

2.3.4 वर्ष 2014–15 की अवधि में प्रावधान से अधिक व्यय का नियमितिकरण अपेक्षित

जैसा कि **तालिका 2.2** में दर्शाया गया है, वर्ष 2014–15 के दौरान एक विनियोजन में ₹ 2.61 करोड़ के आधिक्य को, जो राज्य के संचित निधि में प्रावधानित राशि से अधिक था, का नियमितिकरण संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत करने की आवश्यकता थी।

तालिका 2.2: वर्ष 2014–15 के दौरान आधिक्य व्यय

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विनियोजन का नाम एवं संख्या	कुल विनियोजन	व्यय	आधिक्य
पूँजीगत–भारित				
1	14–ऋण अदायगियाँ	*3606.34*	*3608.95*	*2.61*
कुल		**3606.34**	**3608.95**	**2.61**

(स्रोतः विनियोग लेखा, बिहार सरकार, वर्ष 2014–15)

2.3.5 पूरक प्रावधान का औचित्य

बिहार बजट नियमावली के नियम 117 में पूरक अनुदान प्राप्त करने की प्रक्रिया वर्णित है। इस नियम के अनुसार, जब प्रशासनिक विभाग मानता है कि पूरक अनुदान आवश्यक है तो उसे पहले वित्त विभाग से परामर्श करना चाहिए, चाहे व्यय के किसी नये विशिष्ट मद को शामिल करना पड़े अथवा अप्रत्याशित कारणों से दत्तमत अनुदान में संभावित आधिक्य को पूरा करना पड़े।

वर्ष के दौरान 51 मामलों में (38 अनुदानों/विनियोजनों) प्राप्त कुल ₹ 11628.91 करोड़ का पूरक प्रावधान जिसके प्रत्येक मामले में ₹ 10 लाख या अधिक शामिल था, अनावश्यक साबित हुआ क्योंकि व्यय मूल प्रावधान के स्तर तक नहीं हुआ जैसा कि ***परिशिष्ट 2.4*** में दर्शाया गया है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि नियंत्री पदाधिकारी बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 11 के प्रावधानों को लागू कराने में विफल रहे। वास्तविक आवश्यकताओं का मूल्यांकन किये बगैर पूरक प्रावधानों की माँग नियंत्री पदाधिकारियों के नियंत्रण की कमी को दर्शाता है।

2.3.6 निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन

बिहार बजट नियमावली का नियम 37 पुनर्विनियोजन को, किसी विशिष्ट धनराशि का सक्षम प्राधिकारी द्वारा निधि का हस्तांतरण जो विनियोजन के एक इकाई से दूसरी इकाई के अंतर्गत विशिष्ट व्यय को पूरा करता है, के रूप में परिभाषित करता है।

[1] *1977–78 से 1978–79, 1981–82 से 1984–85, 1986–87 से 1999–00, 2003–04 से 2005–06 और 2010–11।*

विस्तृत विनियोजन लेखा तथा अनुदान लेखापरीक्षा पंजी के नमूना जाँच से प्रकट हुआ कि 106 उपशीर्षों सहित 28 अनुदानों/विनियोजनों के अंतर्गत जो ₹ 482.20 करोड़ की अतिरिक्त निधि पुनर्विनियोजन के जरिये प्रदान की गयी थी वह अनावश्यक साबित हुआ क्योंकि अंतिम बचत ₹ 1458.72 करोड़ थी जैसा कि ***परिशिष्ट 2.5*** में दर्शाया गया है।

इसके अतिरिक्त, पुनर्विनियोजन के जरिये सात मामलों में ₹ 11.45 करोड़ की निकासी अविवेकपूर्ण ढ़ंग से की गयी जबकि ₹ 6.57 करोड़ का आधिक्य व्यय था, जैसा कि **तालिका 2.3** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.3: निधियों के पुनर्विनियोजन द्वारा अविवेकपूर्ण निकासी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान सं.	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनि–योजन	कुल अभ्यर्पण	व्यय	अंतिम आधिक्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	03	2059-80-053-0001-रख–रखाव एवं मरमम्त	219.50	0.85	15.61	204.58	1.54
2	16	2515-00-198-0010- ग्राम कचहरी के विभिन्न मद	45.36	2.04	25.41	19.60	1.69
3	19	2406-02-110-0003- अभ्यारण	4.87	0.93	0.06	3.95	0.07
4	33	2070-00-115-0003- परिसदन	10.38	1.37	4.15	4.88	0.02
5	35	3454-02-205-0101- समग्र सांख्यिकी विकास योजना	91.67	4.00	80.63	7.05	0.01
6	40	2029-00-104-0001- राजस्व प्रशासन पर व्यय	544.29	0.05	155.52	390.12	1.40
7	41	3054-03-052-0001-मशीनरी तथा उपस्कर	4.10	0.21	0.45	3.62	0.18
8		3054-03-103-0001-कार्यभारित व्यय	8.00	2.00	4.97	2.69	1.66
योग			**928.17**	**11.45**	**286.80**	**636.49**	**6.57**

(स्रोतः अनुदान अंकेक्षण पंजी एवं विस्तृत विनियोग लेखा, बिहार सरकार, वर्ष 2014–15)

अनुदान संख्या–3 के अंतर्गत शीर्ष "2059–लोक निर्माण कार्य–80–सामान्य–053–रख–रखाव एवं मरम्मत–0001– रख–रखाव एवं मरम्मत" के अंतर्गत पुनर्विनियोजन के जरिये ₹ 0.85 करोड़ की निकासी हुई जबकि ₹ 1.54 करोड़ का आधिक्य व्यय हुआ।

अनुदान संख्या–16 के शीर्ष "2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–00–198–ग्राम पंचायत को सहायता–0010–ग्राम कचहरी के विभिन्न मद" के अंतर्गत पुनर्विनियोजन के जरिये ₹ 2.04 करोड़ की निकासी हुई जबकि ₹ 1.69 करोड़ का आधिक्य व्यय हुआ।

इसी प्रकार, अनुदान संख्या–41 के शीर्ष "3054–सड़क तथा सेतु–03–राजकीय मार्ग–103–रख–रखाव एवं मरम्मत–0001–कार्यभारित व्यय" के अंतर्गत पुनर्विनियोजन के जरिये ₹ 2.00 करोड़ की निकासी हुई जबकि ₹ 1.66 करोड़ का आधिक्य व्यय हुआ।

इस प्रकार, आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अतिरिक्त निधि प्रदान करने के स्थान पर, निधि की निकासी की गई, जिससे दोषपूर्ण वित्तीय प्रबंधन प्रदर्शित हुआ।

इसके अतिरिक्त, 76 मामलों में अनुपयोगित प्रावधान का समुचित आकलन नहीं हुआ क्योंकि पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 683.87 करोड़ की निकासी के बाद भी यह अपर्याप्त सिद्ध हुआ क्योंकि इन अनुदानों के संगत विस्तृत शीर्षों के अंतर्गत ₹ 4498.61 करोड़ की बचत रह गयी जैसा कि ***परिशिष्ट 2.6*** में दर्शाया गया है।

उपर्युक्त उदाहरण से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि नियंत्री पदाधिकारी वास्तविक आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाने में विफल रहे तथा उन्हें व्यय एवं पुनर्विनियोजन संबधी अद्यतन सूचना नहीं थी।

2.3.7 वृहत् अभ्यर्पण

बिहार बजट नियमावली, 1963 के नियम 112, के अनुसार व्यय करने वाले विभागों को अनुदानों/विनियोजनों या उनके भाग की बचत की संभावना होने पर वर्ष के अंत तक प्रतीक्षा किये बिना वित्त विभाग को अभ्यर्पित करना है, जब तक कि इस बात का निश्चित पूर्वानुमान न कर लिया जाय कि दूसरी इकाई या इकाईयों के आधिक्य को पूरा करने के लिए वे जरूरी है। कोई भी बचत संभावित आधिक्य के लिए सुरक्षित नहीं रखा जाना चाहिए।

कुल प्रावधान ₹ 16534.26 करोड़ के 154 मामलों में से ₹ 12102.42 करोड़ (73.20 प्रतिशत) अभ्यर्पित किये गये जैसा कि ***परिशिष्ट 2.7*** में दर्शाया गया है। प्रत्येक इकाई के अंतर्गत अभ्यर्पण 50.32 से 99.95 प्रतिशत के बीच रहा (प्रत्येक मामले में ₹ पाँच करोड़ एवं कुल प्रावधान के 50 प्रतिशत से अधिक)।

इसके अतिरिक्त 38 अनुदानों/विनियोजनों के अंतर्गत 238 योजनाओं में शत–प्रतिशत निधि (₹ 4347.77 करोड़) का अभ्यर्पण हुआ (***परिशिष्ट 2.8***) जिससे लाभार्थी इन योजनाओं से होने वाले लाभों एवं सेवाओं से वंचित रहे।

2.3.8 वास्तविक बचत से अधिक का अभ्यर्पण

तीन मामलों में अविवेकपूर्ण ढ़ंग से अभ्यर्पित की गयी राशि (प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख या अधिक) वास्तविक बचत से अधिक थी जो इन विभागों में अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण या कमी को दर्शाती है। बचत की राशि ₹ 976.67 करोड़ के विरूद्ध अभ्यर्पित राशि ₹ 1045.84 करोड़ थी, फलतः ₹ 69.17 करोड़ का अधिक अभ्यर्पण हो गया जैसा कि **तालिका 2.4** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.4: वास्तविक बचत (₹ 50 लाख या अधिक) से अधिक का अभ्यर्पण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान /विनियोजन संख्या एवं नाम	कुल अनुदान/ विनियोजन	बचत	अभ्यर्पित राशि	आधिक्य में अभ्यर्पित राशि (5–4)=6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजस्व –दत्तमत					
1	41–पथ निर्माण विभाग	1258.75	359.65	427.40	67.75
योग		**1258.75**	**359.65**	**427.40**	**67.75**
पूँजीगत–दत्तमत					
2	36–लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	1486.83	601.57	602.40	0.83
3	43–विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	38.21	15.45	16.04	0.59
योग		**1525.04**	**617.02**	**618.44**	**1.42**
महायोग		**2783.79**	**976.67**	**1045.84**	**69.17**

(स्रोतः विनियोग लेखा, बिहार सरकार, वर्ष 2014–15)

अस्तित्वहीन अधिशेष निधि का अविवेकपूर्ण अभ्यर्पण विभाग के नियंत्री पदाधिकारी के पर्यवेक्षण की कमी को दर्शाता है।

2.3.9 अनुमानित बचतों का अभ्यर्पण नहीं किया जाना/विलंबित अभ्यर्पण

बिहार बजट नियमावली, 1963 के नियम 112 के अनुसार व्यय करने वाले विभागों को अनुदानों/विनियोजनों या उसके भाग की बचत की संभावना होने पर वर्ष के अंत तक प्रतीक्षा किए बिना वित्त विभाग को अभ्यर्पित करना है। वर्ष 2014–15 के अंत में बचत के

22 मामलों में ₹ 12348.28 करोड़ में से ₹ 11711.83 करोड़ (94.85 प्रतिशत) अभ्यर्पित नहीं किये गये जैसा कि ***परिशिष्ट 2.9*** में दर्शाया गया है।

इसके अतिरिक्त 82 मामलों में ₹ 21275.26 करोड़ (कुल प्रावधान का 31.92 प्रतिशत), प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से अधिक तथा कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक का अभ्यर्पण वित्तीय वर्ष 2014–15 के अंतिम कार्य दिवस में किया गया जैसा कि ***परिशिष्ट 2.10*** में दर्शाया गया है।

इससे पता चलता है कि नियंत्री पदाधिकारी बजटीय नियंत्रण के लिए जवाबदेह होने की मौलिक जिम्मेदारी के निर्वहन में विफल रहे। इन निधियों का उपयोग न तो उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किए गए जिनके लिए ये आवंटित की गयी थी न ही अन्य जरूरतमंद शीर्षों के उपयोग के लिए पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध कराया गया।

2.3.10 सघन व्यय

बिहार बजट नियमावली, 1963 के नियम 113 के अनुसार धन को जल्दबाजी में अथवा बिना विचार किये सिर्फ इसलिए व्यय नहीं करना चाहिए कि धन उपलब्ध है अथवा अनुदान के व्यपगत होने का खतरा है। विशेषकर वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में सघन व्यय वित्तीय नियमितता–भंग के रूप में माना जाता है।

पाँच मुख्य शीर्षों के अंतर्गत, कुल व्यय का 50 प्रतिशत से अधिक का व्यय मार्च 2015 के दौरान हुआ जिसे ***परिशिष्ट 2.11*** में सूचीबद्ध किया गया है। इन मामलों में, पाँच मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹ 2164.29 करोड़ का व्यय, कुल व्यय ₹ 4237.68 करोड़ का (51.07 प्रतिशत) मार्च 2015 में हुआ। इस प्रकार, वर्ष के अंतिम भाग में विभाग द्वारा वृहत् राशि का व्यय, दोषपूर्ण वित्तीय प्रबंधन, नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा व्यय पर प्रभावी नियंत्रण का अभाव तथा केवल वित्तीय वर्ष के अंतिम भाग में बजट का उपयोग करने की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

2.4 विशेष रूप से सहायता अनुदान से व्यय की त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण

भारत सरकार लेखा मानक (आई.जी.ए.एस.) 2–"लेखाकरण एवं सहायता अनुदान का वर्गीकरण" के अनुसार, अनुदाता द्वारा अनुदानग्राही को संवितरित सहायता अनुदान को उद्देश्य के निरपेक्ष अनुदाता की वित्तीय विवरणी में राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत एवं लेखांकित की जाएगी, जिसके लिए भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत मामलों को छोड़कर निधि सहायता अनुदान के रूप में संवितरित की जाती है उसे सरकार की वित्तीय विवरणी में लेखा के पूँजीगत शीर्ष के नामे लिखना है।

वित्तीय वर्ष 2014–15 में बिहार सरकार के लेखा के नमूना जाँच के दौरान यह पाया गया कि ₹ 25 करोड़ का सहायता अनुदान जिसे आई.जी.ए.एस. –2 प्रतिमान के अनुसार राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत करने की आवश्यकता थी, उसे पूँजीगत व्यय माना गया। इसमें ₹ एक करोड़, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकृत मिशन योजना और ₹ 24 करोड़, वृद्धाश्रम के निर्माण से संबंधित था।

2.5 असमाशोधित व्यय

बिहार वित्तीय नियमावली 475 (viii) के अनुसार विभाग के प्रधान के लेखा में दर्शाये गए आँकड़े और महालेखाकार (ले. एवं हक.) के खाते में दर्शाये गए आँकड़ों के समाशोधन के लिए संयुक्त रूप से विभागाध्यक्ष एवं महालेखाकार (ले. एवं हक.), बिहार उत्तरदायी होंगे जब तक कि इसके विपरीत कोई विशेष आदेश या नियम न हो। पुनः, बिहार बजट नियमावली के नियम, 134 के अनुसार, महालेखाकार के पुस्त से विभागीय लेखाओं के मिलान हेतु विभागाध्यक्षों को अपने कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना चाहिए।

यद्यपि, विभागीय आँकड़ों का समाशोधन नहीं किये जाने के संबंध में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में नियमित रूप से इंगित किया जाता रहा है, तथापि, वर्ष 2014–15 के दौरान 75 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत विभागाध्यक्षों ने ₹ 68657.81 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से अधिक) के व्यय का समाशोधन नहीं किया जैसा कि ***परिशिष्ट 2.12*** में दर्शाया गया है। जिसमें में से ₹ 55992.16 करोड़ (81.55 प्रतिशत) 14 मुख्य शीर्षों से संबंधित है जैसा कि **तालिका 2.5** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.5: वर्ष 2014–15 के दौरान व्यय का असमाशोधन

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	मुख्य शीर्ष	लेखांकित व्यय	असमाशोधित राशि
(1)	(2)	(3)	(4)
1	2049–ब्याज अदायगियाँ	5048.38	5032.27
2	2055–पुलिस	4619.72	1643.92
3	2071–पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	11342.93	11340.93
4	2202–सामान्य शिक्षा	16114.52	11506.23
5	2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	2915.37	2762.21
6	2216–आवास	1521.00	1436.51
7	2217–शहरी विकास	1415.85	1407.87
8	2235–सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	2304.50	2010.37
9	2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	4165.70	3870.20
10	2236–पोषण	1196.78	990.04
11	2515–अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	3152.06	3116.27
12	4515–अन्य ग्राम विकास पर पूँजीगत परिव्यय	4647.83	4561.82
13	4801–विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत व्यय	4153.00	2136.77
14	5054–पथों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय	4176.75	4176.75
योग		**66774.39**	**55992.16**

(स्रोतः कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा प्रदत्त सूचना)

उपर्युक्त से यह स्पष्ट होता है कि यदि सरकार ने व्यय के समाशोधन का मुद्दा उपरोक्त वर्णित 14 विभागों से किया होता तो कुल असमाशोधित व्यय के 81.55 प्रतिशत का समाशोधन हो गया होता।

2.6 आकस्मिकता निधि से अग्रिम

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 (2) एवं 283 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 (2012 में संशोधित) के द्वारा राज्य की आकस्मिकता निधि का सृजन किया गया। सिर्फ अपूर्वानुमानित प्रकृति के व्यय, जिसे विधानमंडल की स्वीकृति तक टाला नहीं जा सकता, के लिए निधि से अग्रिम दिया जा सकता है। यह निधि अग्रदाय प्रकृति की है। 1 अप्रैल 2014 के आरंभिक वर्ष को शेष ₹ 350 करोड़ था। चालू वित्तीय वर्ष में कैबिनेट द्वारा ऊर्जा एवं अन्य प्रक्षेत्र के लिए आकस्मिकता निधि काय को अस्थाई तौर पर ₹ 1650 करोड़ से बढ़ा दिया गया (फरवरी 2015)। यद्यपि, वित्तीय वर्ष के अंत में अंत शेष ₹ 350 करोड़ था।

वर्ष 2014–15 के दौरान आकस्मिकता निधि से ₹ 1875.84 करोड़ के 101 आहरण हुए जिसमें से ₹ 1667.15 करोड़ के 67 आहरण, कुल आहरण का 88.87 प्रतिशत ***(परिशिष्ट 2.13)***, नित्य व्यय हेतु थे जैसे विद्युत विपत्रों का भुगतान, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, धान कृषकों का लाभांश, बी.पी.एल. परिवारों को खाद्य सामग्री, ग्राम सड़क के लिये जमा, आतंकवाद प्रतिरोधी दस्ता (आ.प्र.द.) स्थापना (प्रत्येक मामला ₹ पाँच करोड़ या अधिक), कृषि वृक्षारोपण, पारिवारिक न्यायालय की स्थापना, राष्ट्रीय

सहकारी विकास निगम (एन.सी.डी.सी.) इत्यादि। चूँकि, इन मदों में व्यय का पूर्वानुमान किया जा सकता था, राज्य की आकस्मिकता निधि से अग्रिम की निकासी अनियमित एवं गलत था।

चयनित अनुदानों की समीक्षा

बजटीय प्रक्रिया एवं व्यय पर नियंत्रण की समीक्षा वर्ष 2014–15 के दौरान बचत, आधिक्य एवं माँग की विस्तार तथा पूरक माँग के परिणाम के आधार पर अनुदान संख्या – 23 "उद्योग विभाग" तथा अनुदान संख्या–42 "ग्रामीण विकास विभाग" के संबंध में की गयी (अगस्त एवं सितंबर 2015)। समीक्षा के परिणाम निम्नवत है:

2.7 अनुदान संख्या–23 "उद्योग विभाग" की समीक्षा

उद्योग विभाग राज्य में उद्योग तथा औद्योगिक क्रियाकलापों के विकास के लिए मुख्य संस्था हैं। उद्योग निदेशालय को जिला स्तर के कार्यालयों द्वारा किये जा रहे कार्य अर्थात् जिला औद्योगिक केंद्र द्वारा विभाग के विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण का कार्य सौंपा गया है।

बजटीय प्रक्रिया एवं व्यय पर नियंत्रण की समीक्षा वर्ष 2014–15 के दौरान बचत, आधिक्य एवं माँग की विस्तार तथा पूरक माँग के आधार पर अनुदान संख्या–23 "उद्योग विभाग" के संबंध में की गयी (अगस्त एवं सितंबर 2015)।

तालिका 2.6: वर्ष 2014–15 के लिए सारांशीकृत विनियोग की स्थिति

(₹ करोड़ में)

बजट प्राक्कलन	मूल प्रावधान	पूरक प्रावधान	कुल प्रावधान (2+3)	कुल व्यय	बचत	प्रतिशतता में बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
राजस्व दत्तमत	807.83	624.59	1432.42	496.37	936.05	65.35
पूँजीगत दत्तमत	13.50	0.00	13.50	0.01	13.49	99.93
योग	**821.33**	**624.59**	**1445.92**	**496.38**	**949.54**	**65.67**

(स्रोत: विनियोग लेखा, बिहार सरकार, वर्ष 2014–15)

समीक्षा के परिणाम निम्नवत हैं:

2.7.1 वृहत् बचत

राजस्व दत्तमत शीर्ष के अंतर्गत ₹ 1432.42 करोड़ के कुल प्रावधान के विरूद्ध ₹ 496.37 करोड़ का व्यय हुआ (34.65 प्रतिशत) तथा पूँजीगत दत्तमत शीर्ष के अंतर्गत ₹ 13.50 करोड़ के कुल प्रावधान के विरूद्ध ₹ 0.01 करोड़ का व्यय हुआ, जिसके कारण पूँजीगत शीर्ष के अंतर्गत 99.93 प्रतिशत बचत हुआ जो निर्यात के अवसंरचना विकास हेतु राज्यों को सहायता, औद्योगिक विकास के लिए भूमि अर्जन तथा बिहार राज्य वित्तीय निगम को ऋण के लिए था। ₹ 496.38 करोड़ का समग्र व्यय वर्ष 2014–15 के कुल प्रावधान ₹ 1445.92 करोड़ का केवल 34.33 प्रतिशत था जिसके कारण ₹ 949.54 करोड़ (65.67 प्रतिशत) की वृहत् बचत हुई जिसका विवरण **तालिका 2.6** में दिया गया है।

उप निदेशक (उ. नि.), उद्योग विभाग ने बताया (अक्टूबर 2015) कि निधि का प्रावधान गैर योजनांतर्गत स्थापना व्यय में किया जाना तथा योजना मद में पुनरीक्षित राशि की कटौती होना, वृहत् बचत का कारण था।

जवाब इस तथ्य को इंगित करता है कि विभाग द्वारा निधि के प्रावधान का उचित प्राक्कलन करने में चूक हुई।

2.7.2 अनावश्यक पूरक प्रावधान

बिहार बजट नियमावली का नियम 117, पूरक अनुदान प्राप्त करने की प्रक्रिया का वर्णन करता है। इस नियम के अनुसार जब प्रशासनिक विभाग किसी पूरक अनुदान को आवश्यक मानता है, चाहे वह व्यय के नये विशिष्ट मद को पूरा करने के लिए हो अथवा अप्रत्याशित कारणों से दत्तमत अनुदान में संभावित आधिक्य को पूरा करने के लिए, इसे पहले वित्त विभाग से संपर्क करना चाहिए।

अभिलेखों की समीक्षा से प्रकट हुआ कि ₹ 246.25 करोड़ की राशि का प्रावधान पूरक प्रावधानों के जरिये मुख्य शीर्षों 2408, 2851 तथा 2852 के अंतर्गत किया गया जबकि ₹ 316.76 करोड़ के कुल मूल प्रावधान के विरूद्ध सिर्फ ₹ 39.86 करोड़ ही व्यय किए गये जैसा कि ***परिशिष्ट 2.14*** में दर्शाया गया है। वर्ष के दौरान इन तीन मुख्य शीर्षों में प्राप्त कुल ₹ 246.25 करोड़ का पूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय मूल प्रावधान के स्तर तक नहीं आया ।

उ. नि., उद्योग विभाग ने बताया (अक्टूबर 2015) कि राशि को अभ्यर्पित किया गया तथा प्रथम पूरक अनुदान द्वारा सब्सिडी मद में पुनः उसी उपशीर्ष में उपबंधित किया गया तथा विस्तृत कोषागार प्रबंधन सूचना प्रणाली (सी.टी.एम.आई.एस.) के आधार पर व्यय के आँकड़े में संशोधन किया गया।

तथापि, जवाब मूल प्रावधान के अंतर्गत राशि उपलब्ध रहने के बावजूद पूरक अनुदान के जरिये निधि का प्रावधान किये जाने पर मौन है।

2.7.3 निधि का अनावश्यक पुनर्विनियोजन

बिहार बजट नियमावली का नियम 37, पुनर्विनियोजन को एक विशेष धन राशि का सक्षम पदाधिकारी द्वारा विनियोजन की एक इकाई से अन्य के अंतर्गत विशिष्ट व्यय को पूरा करने हेतु निधि के हस्तांतरण के रूप में परिभाषित करता है।

नमूना जाँच से प्रकट हुआ कि विस्तृत शीर्ष "2851–00–103–0001", "2852–08–001–0001", "2852–80–102–0160" तथा "4885–02–050–0101" के अंतर्गत पुनर्विनियोजन के जरिये प्रदत्त ₹ 15.19 करोड़ की अतिरिक्त निधि अनावश्यक सिद्ध हुई क्योंकि कुल व्यय मूल प्रावधान से कम था। जैसा कि **तालिका 2.7** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.7: निधि का अनावश्यक पुनर्विनियोजन

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	लेखा शीर्ष	मूल प्रावधान	पुनर्विनि-योजन	कुल (3+4)	व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	2851–ग्राम तथा लघु उद्योग–00–103– हस्तकरघा उद्योग–0001–हस्तकरघा के विकास की योजना	1.89	0.10	1.99	1.23
2	2852–उद्योग–08–उपभोक्ता उद्योग–001–निदेशन तथा प्रशासन–0001–खाद्य प्रसंस्करण उद्योग निदेशालय	0.55	0.08	0.63	0.54
3	2852–उद्योग–80–सामान्य–102– औद्योगिक उत्पादकता–0160–प्री–प्रोडक्सन एवं पोस्ट प्रोडक्शन सुविधाओं की योजना	670.00	15.00	685.00	366.32
4	4885–उद्योगों तथा खनिजों पर पूँजीगत परिव्यय–02–पिछड़े क्षेत्रों का विकास–050–भूमि–0101–औद्योगिक विकास के लिए भूमि का अर्जन	0.20	0.01	0.21	0.01
योग		**672.64**	**15.19**	**687.83**	**368.10**

(स्रोतः विस्तृत विनियोग लेखा एवं अनुदान अंकक्षेण पंजी, 2014–15)

उ. नि., उद्योग विभाग ने बताया (अक्टूबर 2015) कि वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन पुनर्विनियोजन की स्वीकृति के कारण निधि की निकासी नहीं की जा सकी।

तथापि, मूल प्रावधान के अंतर्गत बचत रहने के बावजूद पुनर्विनियोजन के कारणों का जवाब उपलब्ध नहीं कराया गया।

2.7.4 वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन निधि का अभ्यर्पण

बिहार बजट नियमावली के नियम 112 के अनुसार खर्च करने वाले विभागों को बचत प्रत्याशित होने पर वर्ष के अंत की प्रतीक्षा किये बिना अनुदान/विनियोजन अथवा इसके अंश को वित्त विभाग को अभ्यर्पित कर देना चाहिए जब तक कुछ इकाई अथवा इकाईयों के अंतर्गत आधिक्य को पूरा करना आवश्यक न हो जो कि निश्चित रूप से उस समय प्रत्याशित होता है। भविष्य के संभावित आधिक्य व्यय की प्रत्याशा में बचत संचित नहीं किया जाना चाहिए।

₹ 40.38 करोड़ (10 मामलों में) के कुल प्रावधान में से ₹ 22.82 करोड़ (56.51 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2014–15 के अंतिम दिन अभ्यर्पित किये गये जैसा कि ***परिशिष्ट 2.15*** में दर्शाया गया है। अभ्यर्पित राशि, राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन, टूल रूम प्रशिक्षण केन्द्र, निर्यात के लिए अवसंरचना विकास हेतु राज्यों को सहायता, औद्योगिक विकास के लिए भू–अर्जन तथा बिहार राज्य वित्तीय निगम आदि को ऋण से संबंधित था।

उ. नि., उद्योग विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया।

2.7.5 निधि के अनुपयोग के कारण शत–प्रतिशत अभ्यर्पण

वर्ष 2014–15 के दौरान मूल प्रावधान, पूरक प्रावधान एवं अभ्यर्पण से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि चार मुख्य शीर्षों के अंतर्गत छः उपशीर्षों का ₹ 14.25 करोड़ का संपूर्ण प्रावधान अनुपयोगित रहा तथा इसे पूर्णतः अभ्यर्पित किया गया जैसा कि ***परिशिष्ट 2.16*** में दर्शाया गया है।

उ. नि., उद्योग विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया।

2.7.6 विभागीय व्यय आँकड़ों का असमाशोधन

बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 475 (viii) निर्दिष्ट करता है कि विभागाध्यक्ष, महालेखाकार (ले. एवं हक.) के पुस्त के आँकड़े तथा उनके संबंधित लेखा में दिये गये आँकड़े के समाशोधन हेतु जिम्मेवार होंगें, जब तक किसी मामले में इसके विपरीत कोई नियम अथवा आदेश न हो। इसके अतिरिक्त, बिहार बजट नियमावली के नियम 134 के प्रावधानों के अंतर्गत विभागों को यह सुनिश्चित करना है कि मूल प्रावधान, पूरक प्रावधान, पुनर्विनियोजन, व्यय, अभ्यर्पण एवं बचत वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तुरंत बाद आँकड़ें महालेखाकार (ले. एवं हक.) के कार्यालय द्वारा तैयार की गयी विस्तृत विनियोग लेखा से समाशोधित है। इस प्रक्रिया को समय सीमा में करने हेतु वर्ष 2014–15 से संबंधित आँकड़ों के समाशोधन की अंतिम तिथि महालेखाकार (ले. एवं हक.), बिहार द्वारा 25 जून 2015 निर्धारित की गयी थी।

तथापि, विभाग द्वारा उचित समाशोधन नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप तीन मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹ 40.44 करोड़ के व्यय के आँकड़ों में अंतर आ गया, जैसा कि ***परिशिष्ट 2.17*** में दर्शाया गया है।

उ. नि., उद्योग विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया तथा कहा (अक्टूबर 2015) कि जिला उद्योग केन्द्रों के महाप्रबंधकों को व्यय के आँकड़ों का समाशोधन करने हेतु निर्देशित किया गया था।

2.8 अनुदान संख्या–42 "ग्रामीण विकास विभाग" की समीक्षा

ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार, बिहार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित विकास का कार्य जैसा कि तकनीकी शिक्षा, ग्रामीण आवास, स्वरोजगार योजना, रोजगार तथा ग्रामीण जीविकोपार्जन को कार्यान्वित करने हेतु उत्तरदायी है। इस अनुदान के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 में सात मुख्य शीर्ष (2203, 2216, 2501, 2505, 2515, 3451 तथा 4515) संचालित हो रहे थे।

बजटीय प्रक्रिया एवं व्यय पर नियंत्रण से संबंधित समीक्षा वर्ष 2014–15 के दौरान बचत, आधिक्य एवं माँग के विस्तार तथा पूरक माँग के परिणाम के आधार पर अनुदान संख्या– 42 "ग्रामीण विकास विभाग" के संबंध में की गयी (अगस्त तथा सितंबर 2015)।

तालिका 2.8: वर्ष 2014–15 के लिये सारांशीकृत विनियोग की स्थिति

(₹ करोड़ में)

बजट प्राक्कलन	मूल प्रावधान	पूरक प्रावधान	कुल प्रावधान (2+3)	व्यय	बचत	कुल प्रावधान की प्रतिशतता के रूप में बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
राजस्व दत्तमत	6725.84	0	6725.84	3126.42	3599.42	53.51
पूँजीगत दत्तमत	30.00	0.0001	30.00	9.49	20.51	68.36
योग	**6755.84**	**0.0001**	**6755.84**	**3135.91**	**3619.93**	**53.58**

(स्रोतः विनियोग लेखा, बिहार सरकार, वर्ष 2014–15)

समीक्षा के परिणाम निम्नवत है :

2.8.1 वृहत् बचत

कुल प्रावधान ₹ 6755.84 करोड़ (मूल ₹ 6755.84 करोड़ एवं पूरक ₹ 0.0001 करोड़) के विरुद्ध ₹ 3135.91 करोड़ का व्यय हुआ जिससे वर्ष 2014–15 के अंतर्गत ₹ 3619.93 करोड़ (कुल प्रावधान का 53.58 प्रतिशत) की बचत हुई जैसा कि ***तालिका 2.8*** में दर्शाया गया है।

मूल तथा पूरक प्रावधान एवं व्यय की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि राजस्व दत्तमत शीर्ष के अंतर्गत ₹ 6725.84 करोड़ के कुल प्रावधान के विरुद्ध ₹ 3126.42 करोड़ का व्यय हुआ जिसके कारण ₹ 3599.42 करोड़ (53.51 प्रतिशत) की बचत हुई तथा पूँजीगत दत्तमत शीर्ष के अंतर्गत ₹ 30.00 करोड़ के कुल प्रावधान के विरुद्ध ₹ 9.49 करोड़ का व्यय हुआ जिसके कारण ₹ 20.51 करोड़ (68.36 प्रतिशत) की बचत हुई जो कि बिहार एकीकृत सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना (ई.ए.पी.) तथा प्रखंड लघु निर्माण कार्य के लिए था। इससे पता चलता है कि विभाग द्वारा योजना के विरुद्ध प्रावधान का अनुचित प्राक्कलन किया गया।

अनेक स्मार जारी करने के बावजूद ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जवाब उपलब्ध नहीं कराया गया।

2.8.2 वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन निधि का अभ्यर्पण

बिहार बजट नियमावली के नियम 112 के अनुसार खर्च करने वाले विभागों को बचत प्रत्याशित होने पर वर्ष के अंत की प्रतीक्षा किये बिना अनुदान/विनियोजन अथवा इसके अंश को वित्त विभाग को अभ्यर्पित कर देना चाहिए जब तक कुछ इकाई अथवा इकाइयों के अंतर्गत आधिक्य को पूरा करना आवश्यक न हो जो कि निश्चित रुप से उस समय प्रत्याशित होता है। बचत को भविष्य के संभावित आधिक्य हेतु सुरक्षित नहीं रखना चाहिए।

जैसा कि ***परिशिष्ट 2.18*** में दर्शाया गया है, ₹ 6030.46 करोड़ के कुल प्रावधान में से ₹ 3140.77 करोड (52.08 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2014–15 के अंतिम दिवस में, 28 मामले में अभ्यर्पित किये गए। इसमें से ₹ 2750.80 करोड़ (कुल अभ्यर्पित राशि का 87.58 प्रतिशत) की कुल राशि के 14 मामले, ग्रामीण आवास तथा ग्रामीण रोजगार से संबंधित था ***(परिशिष्ट 2.19)***।

अनेक स्मार जारी करने के बावजूद ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जवाब उपलब्ध नहीं कराया गया।

2.8.3 निधि के अनुपयोग के कारण शत–प्रतिशत अभ्यर्पण

वर्ष 2014–15 के दौरान अनुदान के मूल प्रावधान, पूरक प्रावधान एवं अभ्यर्पण राशि से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि चार मुख्य शीर्षों के अंतर्गत आठ उपशीर्षों का ₹ 126.97 करोड़ का संपूर्ण प्रावधान अनुपयोगित रहा तथा इसे पूर्णतः अभ्यर्पित किया गया जैसा कि ***परिशिष्ट 2.20*** में दर्शाया गया है।

शत–प्रतिशत अभ्यर्पित राशि में से चार मामले (क्रम सं. 3 से 6) की राशि ₹ 116.97 करोड़ (92.12 प्रतिशत) ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम योजना से संबंधित था।

अनेक स्मार जारी करने के बावजूद ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जवाब उपलब्ध नहीं कराया गया।

2.8.4 विभागीय व्यय आँकड़ों का असमाशोधन

बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 475 (VIII) निर्दिष्ट करता है कि विभागाध्यक्ष, महालेखाकार (ले. एवं हक.) के पुस्त के आँकड़ें तथा उनके संबंधित लेखा में दिए गये आँकड़ें के समाशोधन हेतु जिम्मेवार होंगे, जब तक किसी मामले में इसके विपरीत कोई नियम अथवा आदेश न हो। इसके अतिरिक्त, बिहार बजट नियमावली के नियम 134 के प्रावधानों के अंतर्गत विभागों को यह सुनिश्चित करना है कि प्रावधान, पूरक प्रावधान, पुनिर्वियोजन, व्यय, अभ्यर्पण एवं बचत वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तुरंत बाद आँकड़ें महालेखाकार (ले. एवं हक.) के कार्यालय द्वारा तैयार की गयी विस्तृत विनियोग लेखा से समाशोधित है। इस प्रक्रिया को तय सीमा में करने हेतु वर्ष 2014–15 से संबंधित आँकड़ों के समाशोधन की अंतिम तिथि महालेखाकार (ले. एवं हक.), बिहार के कार्यालय द्वारा 25 जून 2015 को निर्धारित की गयी थी । तथापि, विभाग द्वारा उचित समाशोधन नहीं किया गया जिसके फलस्वरुप छः मुख्य शीर्ष के अंतर्गत ₹ 475.81 करोड़ के व्यय के आँकड़ों में अंतर आ गया, जैसा कि ***परिशिष्ट 2.21*** में दर्शाया गया है।

अनेक स्मार जारी करने के बावजूद ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जवाब उपलब्ध नहीं कराया गया।

2.9 निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ

अनुचित बजट प्राक्कलन के कारण वृहत् बचत

- वर्ष 2014–15 के दौरान ₹ 140022.59 करोड़ के कुल बजट प्रावधान के विरूद्ध वृहत् बचत ₹ 43925.80 करोड़ (31.37 प्रतिशत) था जो अनुचित बजट अनुमान को दर्शाता है। विभिन्न योजनाओं/उपशीर्षों के अंतर्गत वृहत् बचत राज्य में विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। गत पाँच वर्षो से सतत् बचत 10 विभागों में भी सूचित हुई। कुल बचत (₹ 43925.80 करोड़) में से ₹ 27334.02 करोड़ (62.23 प्रतिशत) ही अभ्यर्पित की गई और ₹ 22740.73 करोड़ (83.20 प्रतिशत) की राशि 31 मार्च 2015 को अभ्यर्पित की गई।

  सरकारी विभागों में बजटीय नियत्रंण तंत्र को वृहत् बचत से बचने के लिए सुदृढ़ किया जाना चाहिए विशेषतः जहाँ बचत सतत् रूप से हो और पूरक अनुदान से बचा जाए जो अव्यवहृत रह जाए। निधि का ससमय अभ्यर्पण किया जाना चाहिए ताकि निधि का उपयोग अन्य शीर्षों में किया जा सके।

पूर्ववर्ती वर्षों के प्रावधान से आधिक्य का अपेक्षित नियमितिकरण

- पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान प्रावधानित राशि से अधिक व्यय की गई राशि ₹ 1062.46 करोड़ के आधिक्य व्यय को भारतीय संविधान की धारा 205 के तहत् नियमितिकरण कराना अपेक्षित था।

विभागीय आँकड़ों का असमाशोधन

- वर्ष 2014–15 के दौरान नियंत्री पदाधिकारियों ने महालेखाकार (ले. एवं हक.) के पुस्त के साथ 75 मुख्य शीर्षों के तहत् ₹ 68657.81 करोड़ (प्रत्येक मामलों में ₹ 10 करोड़ से अधिक) का समाशोधन नहीं किया।

  नियंत्री पदाधिकारियों अपने व्ययित आँकड़ो को प्रत्येक माह महालेखाकार (ले. एवं हक.) के पुस्त के साथ मिलान करना चाहिए।

आकस्मिकता निधि से अग्रिम

- वर्ष 2014–15 के दौरान आकस्मिकता निधि से ₹ 1875.84 करोड़ के 101 आहरण हुए जिसमें से ₹ 1667.15 करोड़ (88.87 प्रतिशत) के 67 आहरण नित्य व्यय हेतु थे।

  सिर्फ अप्रत्याशित प्रकृति के व्यय के निर्वहन करने के लिए आकस्मिकता निधि से अग्रिम दिया जाना चाहिए।

उद्योग तथा ग्रामीण विकास विभाग में बजटीय नियंत्रण में कमी

- उद्योग तथा ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा बजट नियमावली के प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा था फलतः विभाग में बजटीय नियत्रंण का अभाव था।

  उद्योग तथा ग्रामीण विकास विभागों द्वारा बजट नियमावली के प्रावधानों का पालन विभाग के बजट अनुश्रवण प्रणाली को अपनाकर करना चाहिए।

अध्याय III
वित्तीय प्रतिवेदन

प्रासंगिक एवं विश्वसनीय सूचना के साथ एक अच्छी आंतरिक वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली, राज्य सरकार के कुशल एवं प्रभावशाली शासन में महत्वपूर्ण योगदान करती है। इस प्रकार, वित्तीय नियम, प्रक्रियाओं एवं निर्देशों के अनुपालन के साथ ऐसे अनुपालन की स्थिति के प्रतिवेदन की समयपरता एवं गुणवत्ता अच्छे शासन के कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं में एक है। अनुपालन एवं नियंत्रण पर प्रतिवेदन यदि प्रभावशाली एवं क्रियात्मक हो तो चुस्त योजना बनाने एवं निर्णय लेने में राज्य सरकार को उनके प्रबंधात्मक उत्तरदायित्व के निर्वहन में सहायता मिलती है। यह अध्याय, राज्य सरकार के चालू वित्तीय वर्ष के साथ पूर्व वर्षों के विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशों का विहंगावलोकन एवं स्थिति प्रस्तुत करता है।

3.1 असमायोजित सार आकस्मिक विपत्र

बिहार कोषागार संहिता, 2011 का नियम 177 उपबंधित करता है कि आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र दिया जाएगा कि आकस्मिक विपत्र पर आहरित धन उसी वित्तीय वर्ष में व्ययित कर दिया जाएगा तथा अव्ययित राशि वर्ष के 31 मार्च के पूर्व कोषागार को प्रेषित कर दी जाएगी। पुनः बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 194 के अनुसार जिस महीना में सार विपत्र आहरित की गयी थी, उसके छः माह के भीतर प्रतिहस्ताक्षरित विस्तृत आकस्मिक विपत्र प्रस्तुत कर दी जाएगी तथा छः माह की अवधि की समाप्ति के बाद कोई सार विपत्र आहरित नहीं की जाएगी यदि विस्तृत आकस्मिक विपत्र प्रस्तुत नहीं की जाती है।

सार आकस्मिक विपत्रों पर राशि के आहरण एवं समायोजन का वर्षवार ब्यौरा नीचे दी गयी है:

तालिका 3.1: लंबित सार आकस्मिक विपत्रों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आहरित सार आकस्मिक विपत्र		समायोजित सार आकस्मिक विपत्र		लंबित सार आकस्मिक विपत्र	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2012-13 तक	94017	31946.11	77325	29292.92	16692	2653.19
2013-14	1294	728.61	155	33.96	1139	694.65
2014-15(*)	2097	2040.06	40	6.48	2057	2033.58
योग	**97408**	**34714.78**	**77520**	**29333.36**	**19888**	**5381.42**

(*) **2097 आकस्मिक विपत्रों में से ₹ 1845.68 करोड़ की राशि का 959 सार आकस्मिक विपत्र 31 मार्च 2015 के बाद देय होंगे।**

(स्रोतः वर्ष 2014–15 के लेखे पर टिप्पणियाँ)

तालिका 3.1 के अनुसार 97408 सार आकस्मिक विपत्रों पर आहरित ₹ 34714.78 करोड़ में से सिर्फ ₹ 29333.36 करोड़ के 77520 सार आकस्मिक विपत्रों महालेखाकार (ले. एवं हक.), बिहार द्वारा समायोजित किया गया। तथापि, नियमित अंतराल पर यह मुद्दा राज्य सरकार के साथ उठाए जाने पर भी 31 मार्च 2015 तक 19888 सार आकस्मिक विपत्रों पर आहरित ₹ 5381.42 करोड़ का विस्तृत आकस्मिक विपत्र प्रस्तुत होना बाकी था।

संवीक्षा से प्रकट हुआ कि सार आकस्मिक विपत्र पर वर्ष 2014–15 में आहरित ₹ 2040.06 करोड़ में से ₹ 726.65 करोड़ (35.62 प्रतिशत) की राशि मार्च 2015 में आहरित हुई। मार्च में सार आकस्मिक विपत्रों के माध्यम से अत्यधिक व्यय इंगित करता है कि निकासी मुख्यतः बजट प्रावधानों को व्यपगत होने से बचाने के लिए किया गया था और यह अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण को दर्शाता है।

3.2 उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की प्रस्तुति में विलंब

सहायता अनुदान मद में स्थानीय निकायों, धार्मिक, धर्मार्थ या शैक्षणिक संस्थान, वृत्तिका, छात्रवृत्ति, सार्वजनिक प्रदर्शनियों को अंशदान इत्यादि सम्मिलित है। बिहार वित्तीय नियमावली का नियम 341 (2) कहता है कि वित्तीय वर्ष के दौरान उतने ही अनुदान का भुगतान करना चाहिए जितनी कि वर्ष के दौरान व्यय का अनुमान है, बिहार कोषागार संहिता, 1937 के नियम 431 के अंतर्गत सहायता अनुदान के लिए विपत्र हस्ताक्षरित या प्रतिहस्ताक्षरित करने वाले अधिकारी को देखना चाहिए कि आवश्यकता से पहले धन का आहरण न हो। मार्च महीना में इन अनुदानों के सघन भुगतान का कोई अवसर नहीं होना चाहिए। पुनः, वित्त विभाग का कार्यपालक आदेश दिनांक 16 जनवरी 1975 ने उपयोगिता प्रमाण–पत्र देने के लिए संस्वीकृति की तिथि से एक वर्ष की समय सीमा निर्धारित की। तथापि, निर्धारित समय सीमा का वित्त विभाग के कार्यपालक आदेश दिनांक 19 अक्टूबर 2011 के द्वारा इसे संशोधित कर 18 माह कर दिया गया।

31 मार्च 2015 को लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की स्थिति को **तालिका 3.2** में सारांशीकृत किया गया है।

तालिका 3.2: लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्रों का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रतीक्षित उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की संख्या	राशि
2011-12 तक	1194	14641.73
2012-13	404	9090.10
2013-14	112	7778.90
	295*	5414.30
2014-15	466*	22359.29
योग	**2471**	**59284.32**

* उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की संख्या 31 मार्च 2015 को देय नहीं।

(स्रोतः वर्ष 2014–15 के लेखे पर टिप्पणियाँ)

31 मार्च 2015 को ₹ 31510.73 करोड़ राशि का 1710 उपयोगिता प्रमाण–पत्र लंबित था। प्रतीक्षित उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की राशि का 65 प्रतिशत शिक्षा (₹ 12753.40 करोड़ के 396 उपयोगिता प्रमाण–पत्र) तथा पंचायती राज विभागों (₹ 7778.41 करोड़ के 198 उपयोगिता प्रमाण–पत्र) से संबंधित है। निर्दिष्ट अवधियों से परे लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र अभिप्रेत प्रयोजनों के लिए अनुदान की उपयोगिता पर अविश्वास को दर्शाता है।

जैसा कि वृहत् धन राशि अनुपयोगित है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि निधि का विचलन/दुरूपयोग नहीं हो, विमुक्ति/उपयोग का चूक तथा जबावदेही की प्राथमिकता होनी चाहिए।

3.3 निकायों और प्राधिकरणों को भुगतान किए गए अनुदानों या ऋणों के ब्योरो का अप्रस्तुतीकरण

संस्थाओं/संगठनों, जिसका लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 के अनुभाग 14 तथा 15 के अंतर्गत किया जाता है, को चिह्नित करने के लिए सरकार/विभागाध्यक्षों द्वारा लेखापरीक्षा को प्रत्येक वर्ष विभिन्न संस्थानों को दिए गए वित्तीय सहायता दिए जाने का उद्देश्य तथा कुल व्यय का विस्तृत सूचना देना होता है। पुनः, लेखा तथा लेखापरीक्षा नियमावली, 2007 उपबंधित करता है कि सरकार तथा विभागाध्यक्षों, जो कि निकायों या प्राधिकरणों को अनुदान और/या ऋण संस्वीकृत करते हैं, को प्रत्येक वर्ष जुलाई के अंत तक वैसे निकायों तथा प्राधिकरणों, जिनको अनुदान और/या ऋण कुल ₹ 10 लाख या अधिक का पिछले वर्ष भुगतान किया गया है, के बारे में एक विवरणी जो सहायता का रकम जिसके लिए स्वीकृत की गई उसका उद्देश्य और निकाय या प्राधिकरण का कुल खर्च बताता है, लेखापरीक्षा कार्यालय को देगा।

बिहार सरकार का कोई भी विभाग वर्ष 2014–15 का ऐसा ब्योरा नहीं दिया था। यह मुद्दा वित्त विभाग के साथ मई 2015 में उठाया गया। सितंबर 2015 तक जवाब प्रतीक्षित था।

लेखापरीक्षा द्वारा राज्य में 23 निकायों/प्राधिकरणों को चिह्नित किया गया है जिनका लेखापरीक्षा नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 के अनुभाग 14 के अंतर्गत किया जा सकता है जिसमे 22 निकायों/प्राधिकरणों जो ***परिशिष्ट 3.1*** में दिखाया गया है का लेखापरीक्षा विभिन्न अवधियों के लिए जुलाई 2015 तक किया गया है।

सरकार द्वारा निकायों/प्राधिकरणों को दिए गए वित्तीय सहायता, यह सहायता दिए जाने का उद्देश्य तथा इस तरह के निकायों/प्राधिकरणों द्वारा किए गए कुल व्यय के ब्योरे के अप्रस्तुतीकरण के कारण, विधायिका/सरकार के उन तरीकों के बारे मे आश्वासन देना संभव नहीं था जिसके अंतर्गत उनके द्वारा किए गए भुगतान/अनुदानों की संस्वीकृति का उपयोग किया गया है। यह सरकारी व्यय प्रणाली के ऊपर नियंत्रण को कम करता है।

3.4 प्रमाणीकरण हेतु प्राधिकरणों अथवा निकायों के लेखा/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति में विलंब

नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 के अनुभाग 20 (1) में वर्णित प्रावधान के अनुसार किसी भी निकाय या प्राधिकरण के लेखाओं की लेखापरीक्षा यदि नियंत्रक–महालेखापरीक्षक को किसी कानून के द्वारा सौंपी जाती है या यदि किसी विधान सभा वाले राज्य के राज्यपाल द्वारा ऐसा करने का अनुरोध किया जाता है तो लेखापरीक्षा की जिम्मेदारी उनके और संबंधित सरकार के बीच सहमति प्राप्त शर्त्तों–प्रतिबंधों पर ली जा सकती है तथा ऐसे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों हेतु निकायों एवं प्राधिकरणों के बही एवं लेखाओं तक पहुँच का अधिकार होगा।

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के लेखाओं की लेखापरीक्षा स्थायी रूप से नियंत्रक–महालेखापरीक्षक को सौंपी गयी। इसके अतिरिक्त बिहार राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड (2009–10 तक), बिहार राज्य आवास बोर्ड (2003–04 तक) तथा राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा, समस्तीपुर (2011–12 तक) के लेखाओं की लेखापरीक्षा नियंत्रक–महालेखापरीक्षक को सौंपी गयी। इन निकायों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण, नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का निर्गमन तथा राज्य विधान मंडल में इनकी प्रस्तुति ***परिशिष्ट 3.2*** में दर्शाया गया है।

3.5 मुख्य उचंत एवं प्रेषण शीर्ष के अंतर्गत लंबित शेष

वित्त लेखा उचंत एवं प्रेषण शीर्ष के अंतर्गत निवल शेष को प्रदर्शित करता है। इन शीर्षों के अंतर्गत लंबित शेष, विभिन्न शीर्षो के अंतर्गत लंबित ऋण तथा जमा शेष को अलग से जोड़कर तैयार किया गया। विगत तीन वर्षों के अंत तक कुछ मुख्य उचंत तथा प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत सकल आँकड़ों की स्थिति **तालिका 3.3** में दर्शायी गयी है।

तालिका 3.3: उचंत एवं प्रेषण शेष की स्थिति

(₹ करोड़ में)

लघु शीर्ष का नाम	2012-13		2013-14		2014-15	
	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
8658–101–वेतन एवं लेखा कार्यालय उचंत	214.35	0.00	235.47	0.00	245.63	0.00
निवल	**(नामे) 214.35**		**(नामे) 235.47**		**(नामे) 245.63**	
8658–102–उचंत लेखा (सिविल)	1707.43	253.37	1778.62	258.09	3423.16	282.10
निवल	**(नामे) 1454.06**		**(नामे) 1520.53**		**(नामे) 3141.06**	
8658–110–रिजर्व बैंक उचंत–केन्द्रीय लेखा कार्यालय	1237.71	894.60	1225.14	894.60	1235.26	894.60
निवल	**(नामे) 343.11**		**(नामे) 330.54**		**(नामे) 340.66**	
8782–102–लोक निर्माण प्रेषण	8624.88	8806.17	12047.47	12187.96	11913.94	11994.34
निवल	**(जमा) 181.29**		**(जमा) 140.49**		**(जमा) 80.40**	
8782–103–वन प्रेषण	127.82	119.95	208.11	185.49	248.82	227.19
निवल	**(नामे) 7.87**		**(नामे) 22.62**		**(नामे) 21.63**	

(स्रोत: वर्ष 2014–15 के लेखे पर टिप्पणियाँ)

वर्ष 2013–14 की तुलना में 101–वेतन एवं लेखा कार्यालय उचंत के अंतर्गत ₹ 10.16 करोड़ (नामे), 102–उचंत लेखा (सिविल) के अंतर्गत ₹ 1620.53 करोड़ (नामे) तथा 110–रिजर्व बैंक उचंत–केंद्रीय लेखा कार्यालय के अंतर्गत ₹ 10.12 करोड़ (नामे) की निवल वृद्धि हुई।

यदि ये राशि असमाशोधित रह जाते है तो उचंत शीर्ष के अंतर्गत शेष संचित हो जाएगी तथा सरकार के व्यय का सही चित्र प्रस्तुत नहीं करेगी। इस प्रकार, उचंत शीर्ष के अंतर्गत बकाया शेष के समाशोधन के लिए प्रबल रूप से प्रयास करने की आवश्यकता है।

3.6 अस्थायी अग्रिम एवं अग्रदाय का असमायोजन

बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 176 के अनुसार, जब तक तुरंत भुगतान की आवश्यकता नहीं हो, कोषागार से धन आहरित नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, नियम 177 के अनुसार कोषागार से व्यय की प्रत्याशा में, कार्य के क्रियान्वयन हेतु जिसे पूर्ण करने में बहुत समय लग सकता है अथवा विनियोजन की व्यपगत होने से बचने के लिए अग्रिम का आहरण करना स्वीकार्य नहीं है। यदि विशेष परिस्थिति में धन का अग्रिम आहरण होता है तो ऐसी आहरित राशि का अव्ययित शेष अगले विपत्र अथवा चालान, जो पहले संभावित अवसर हो, में न्यून आहरण द्वारा कोषागार में वापस जमा करना चाहिए तथा किसी तरह आहरित राशि उसी वित्तीय वर्ष के अंत तक जमा होनी चाहिए। जिसमें यह आहरित हुई है।

यह पाया गया कि अस्थायी अग्रिम एवं अग्रदाय का ₹ 186.08 करोड़, आठ संबंधित विभागों/संगठन के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा 31 मार्च 2015 तक आहरित किया गया। 31 मार्च 2015 तक लंबित अग्रिम एवं अग्रदाय का विभागवार/संगठनवार विश्लेषण **तालिका 3.4** में दिया गया है।

तालिका 3.4: लंबित अग्रिम एवं अग्रदाय का विभागवार/संगठनवार विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विभाग/संगठन का नाम	असमायोजित अग्रिम एवं अग्रदाय की कुल राशि		
		अस्थायी अग्रिम	अग्रदाय	कुल
1	भवन निर्माण	5.69	2.15	7.84
2	सिंचाई	36.93	10.86	47.79
3	राष्ट्रीय राजमार्ग	0.82	0.12	0.94
4	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	8.38	3.33	11.71
5	पथ निर्माण	67.52	0.24	67.76
6	ग्रामीण कार्य	9.95	9.65	19.60
7	स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन	16.49	9.66	26.15
8	नलकूप तथा लघु सिंचाई	2.08	2.21	4.29
योग				**186.08**

(स्रोत: वर्ष 2014–15 के लेखे पर टिप्पणियाँ)

अग्रिम एवं अग्रदाय के लंबित मामले, वृहत् राशि के अग्रिम के समायोजन संबंधी विधिक प्रावधान के अनुपालन में विभागीय अधिकारियों की शिथिलता प्रदर्शित करती है।

3.7 प्राप्तियों एवं व्यय का असमाशोधन

बिहार वित्तीय नियमावली का नियम 475 (viii) के अनुसार विभागाध्यक्ष द्वारा संधारित लेखा में दिये गए आँकड़ों तथा महालेखाकार (ले. एवं हक.) के पुस्त में दर्शायी गई आँकड़ों के समाशोधन हेतु विभागाध्यक्ष तथा महालेखाकार (ले. एवं हक.), बिहार संयुक्त रूप से जिम्मेवार होगें। समाशोधन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विभागीय लेखा व्यय का कुशल विभागीय नियंत्रण प्रदान करने हेतु उपयुक्त रूप से सही है।

तथापि, संवीक्षा से प्रकट हुआ कि पूर्व प्रतिवेदनों में विभागीय लेखा के असमाशोधन के मामलों के इंगित किए जाने तथा महालेखाकार (ले. एवं हक.) द्वारा अनुसरणों के बावजूद नियंत्री पदाधिकारी द्वारा ऐसी चूक 2014–15 के दौरान भी जारी रही। वर्ष 2014–15 के दौरान ₹ 90720.39 करोड़ के कुल व्यय के विरूद्ध कुल व्यय का सिर्फ ₹ 35942.61 करोड़ (39.62 प्रतिशत) का समाशोधन हुआ। वर्ष 2014–15 के दौरान ₹ 78417.54 करोड़ की कुल प्राप्ति में से नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा सिर्फ ₹ 58378.97 करोड़ (74.45 प्रतिशत) का समाशोधित किया गया। कुल 20465 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों में सिर्फ 2492 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों ने (12.18 प्रतिशत) ही 31 मार्च 2015 तक अपने लेखाओं का समाशोधन किए हैं।

3.8 बहुप्रयोजनित लघु शीर्ष – 800 का परिचालन

लघु शीर्ष '800–अन्य प्राप्तियाँ', तथा '800–अन्य व्यय' के अंतर्गत प्राप्तियों अथवा व्यय को दर्ज करने को प्राप्तियाँ तथा व्यय का अपारदर्शी वर्गीकरण माना जाता है, क्योंकि ये शीर्ष राशि से संबंधित योजनाओं, कार्यक्रमों को प्रकट नहीं करते है। यह शीर्ष उपलब्ध कार्यक्रम लघु शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं होने वाले व्यय को समायोजित करता है।

वर्ष 2014–15 के दौरान, व्यय भाग के 25 राजस्व तथा पूँजीगत मुख्य शीर्ष के खातों के अंतर्गत कुल ₹ 461.55 करोड़ का व्यय लघु शीर्ष '800 – अन्य व्यय' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया जो कि संबंधित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल व्यय का 0.51 प्रतिशत था। इसी तरह, राजस्व प्राप्तियाँ (सहायता अनुदान को छोड़कर) के 43 राजस्व मुख्य शीर्ष के अंतर्गत ₹ 470.52 करोड़ की कुल राजस्व प्राप्तियाँ लघु शीर्ष–'800–अन्य प्राप्तियाँ' के अंतर्गत वर्गीकृत की गयी जो कि संबंधित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल राजस्व प्राप्ति का 0.60 प्रतिशत था। लघु शीर्ष '800–अन्य व्यय/प्राप्तियाँ' के अंतर्गत वास्तविक रूप से दर्ज (संबंधित मुख्य शीर्षों के अधीन दर्ज कुल व्यय का 50 प्रतिशत से अधिक) उदाहरणों को ***परिशिष्ट 3.3*** में दर्शाया गया है। जैसा कि संबंधित मुख्य शीर्षों के अधीन लघु शीर्ष '800 – अन्य व्यय' के अंतर्गत व्यय की राशि 50 प्रतिशत से कम थी, इसलिए अलग से परिशिष्ट स्पष्ट रूप से संलग्न नहीं किया गया है।

3.9 निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ

असमायोजित सार आकस्मिक विपत्र

- विस्तृत आकस्मिक विपत्रों की प्रस्तुति न होने के कारण सार आकस्मिक विपत्रों पर आहरित ₹ 5381.42 करोड़ की महत्वपूर्ण राशि मार्च 2015 तक लंबित थे।

  राज्य सरकार द्वारा विद्यमान नियमों एवं प्रावधानों के अनुसार विस्तृत आकस्मिक विपत्रों की ससमय प्रस्तुति सुनिश्चित करना चाहिए।

उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की प्रस्तुति में विलंब

- विभिन्न विभागों द्वारा सहायता अनुदान विपत्र (जी.आई.ए.) के विरूद्ध आहरित ₹ 31510.73 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण–पत्र 31 मार्च 2015 तक लंबित था। सहायता अनुदान विपत्रों के विरूद्ध वृहत् राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की अप्राप्ति, अभिप्रेत प्रयोजन हेतु अनुदान के ससमय व्यवहार के लिए नियम एवं पद्धति का पालन करने में विभागीय अधिकारियों की विफलता प्रदर्शित करती है।

  राज्य सरकार द्वारा अभिप्रेत प्रयोजन हेतु अनुदान की ससमय उपयोगिता एवं उसके विरूद्ध उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की प्रस्तुति सुनिश्चित करना चाहिए।

प्रमाणीकरण हेतु प्राधिकरणों अथवा निकायों के लेखा/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुतीकरण में विलंब

- सभी चार प्राधिकरणों अथवा निकायों द्वारा प्रमाणीकरण के लिए लेखा/लेखापरीक्षा की प्रस्तुति में एक साल एक महीना से तीन वर्षों से अधिक विलंब था।

  सरकारी विभागों द्वारा महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को प्राधिकरणों अथवा निकायों के लेखा की ससमय प्रस्तुति सुनिश्चित करना चाहिए।

अस्थायी अग्रिम एवं अग्रदाय का असमायोजन

- आठ विभागों/संगठन द्वारा 31 मार्च 2015 तक आहरित ₹ 186.08 करोड़ के अस्थायी अग्रिम एवं अग्रदाय असमायोजित थे।

सरकारी विभागों/संगठन द्वारा वर्ष के अंत तक अस्थायी अग्रिम एवं अग्रदाय की वसूली/समायोजन सुनिश्चित करना चाहिए।

पटना
दिनांकः 15 जनवरी 2016

(प्रवीण कुमार सिंह)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांकः 19 जनवरी 2016

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1
(संदर्भः कंडिका 1; पृष्ठ 1)
राज्य का परिचय

अ.	सामान्य आँकड़ें		
क्रम सं.	विवरण		आँकड़े
1	क्षेत्रफल		**94163** वर्ग कि.मी.
2	जनसंख्या		
	अ	2001 के जनगणना के अनुसार	**8.30** करोड़
	ब	2011 के जनगणना के अनुसार	**10.38** करोड़
3	अ	जनसंख्या का घनत्व (2001 के जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय घनत्व = 325 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.)	**881** व्यक्ति प्रति वर्ग किमी
	ब	जनसंख्या का घनत्व (2011 के जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय घनत्व = 382 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.)	**1106** व्यक्ति प्रति वर्ग किमी
4	गरीबी रेखा के नीचे का जनसख्यां (बी.पी.एल.) (राष्ट्रीय औसत = 29.50 प्रतिशत)		**41.30** प्रतिशत
5	अ	साक्षरता (2001 के जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय औसत = 64.80 प्रतिशत)	**47.00** प्रतिशत
	ब	साक्षरता (2011 के जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय औसत = 73.00 प्रतिशत)	**61.80** प्रतिशत
6	शिशु मृत्यु दर (प्रति 1000 जन्म पर) (राष्ट्रीय औसत = 40 प्रति 1000 जन्म पर)		**42**
7	जीवन का संभावित जन्म दर (राष्ट्रीय औसत = 67.50 वर्ष)		**67.70** वर्ष
8	गिन्नी गुणांक[1]		
	अ	ग्रामीण (संपूर्ण भारत = 0.29)	**0.23**
	ब	शहरी (संपूर्ण भारत = 0.38)	**0.33**
9	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) 2014–15 के वर्तमान दर पर (₹ करोड़ में)		**402283**
10	प्रति व्यक्ति जी.एस.डी.पी.[2] सी.ए.जी.आर.[3] (2005–06 से 2014–15)	बिहार	**16.40**
		सामान्य कोटि के राज्य	**13.86**
11	जी.एस.डी.पी. सी.ए.जी.आर. (2005–06 से 2014–15)	बिहार	**17.86**
		सामान्य कोटि के राज्य	**15.44**
12	जनसंख्या वृद्धि (2005–06 से 2014–15)	बिहार	**15.33**
		सामान्य कोटि के राज्य	**12.76**

ब.	वित्तीय आँकड़ें				
क्रम सं.		विवरण	सी.ए.जी.आर. (आँकड़े प्रतिशत में)		
1			2005–06 से 2013–14		2013–14 से 2014–15
			सामान्य कोटि के राज्य	बिहार	सामान्य कोटि के राज्य	बिहार
	क	राजस्व प्राप्तियों का	**15.76**	**18.41**	**16.10**	**13.78**
	ख	अपने कर राजस्व का	**15.32**	**4.55**	**10.51**	**3.96**
	ग	गैर कर राजस्व का	**13.53**	**14.52**	**10.07**	**0.85**
	घ	कुल व्यय का	**15.23**	**17.28**	**19.32**	**17.86**
	ड	पूँजीगत व्यय का	**14.61**	**26.88**	**21.87**	**29.64**
	च	शिक्षा पर राजस्व व्यय का	**17.10**	**15.99**	**14.55**	**13.44**
	छ	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का	**16.20**	**11.01**	**28.73**	**66.34**
	ज	वेतन एवं मजदूरी का	**15.23**	**11.72**	**11.75**	**4.07**
	झ	पेंशन का	**18.70**	**18.40**	**12.43**	**19.65**

स्रोतः जी.एस.डी.पी., 31वीं जुलाई 2015 को सी.एस.ओ. बेबसाइट पर उपलब्ध सूचनाएँ, भारत की जनगणना 2011 एवं बिहार राज्य का परिचय, विशेषज्ञ समूह (रंगराजन) का निधर्नता के माप हेतु समीक्षा पद्धति का प्रतिवेदन, योजना आयोग (जून 2014), पृष्ठ 66, एचटीटीपी://योजना आयोग.निक.इन/डाटा/डाटाबेस/डाटा 2312/डाटाबुक दिसम्बर 2014%20106. पी.डी.एफ., सितंबर 2014 के एसआरएस बुलेटिन, आर्थिक सर्वेक्षण 2014–15, तालिका 9.1 पृष्ठ ए 129, जनसंख्या प्रक्षेपण पर तकनीकी समूह की भारत और राज्यों 2001–2026 के लिए जनसंख्या का अनुमान (दिसंबर 2006 संशोधित) जनसंख्या प्रायोजना पर राष्ट्रीय आयोग जनसंख्या तालिका–14 द्वारा गठित तकनीकी समूह का प्रतिवेदन लिंग के अधार पर कुल आबादी का प्रायोजित पहली अक्टूबर 2001–2026, बिहार सरकार में वित्त विभाग के वित्तीय आँकड़े पर आधारित आँकड़े)

[1] *यह आय के असामान्य वितरण का माप है जहाँ शून्य पूर्ण समानता को दर्शाता है एवं एक पूर्ण असमानता को दर्शाता है ।*
[2] *जी.एस.डी.पी. = सकल राज्य घरेलू उत्पाद।*
[3] *सी.ए.जी.आर = मिश्रित वार्षिक विकास दर।*

परिशिष्ट–1.2

(**संदर्भः कंडिका** 1.1**; पृष्ठ** 2)

भाग–कः सरकारी लेखे की संरचना एवं रूपरेखा

सरकारी लेखे की संरचना : सरकार के लेखे को तीन भागों में रखा जाता है (i) संचित निधि (ii) आकस्मिकता निधि एवं (iii) लोक लेखा

भाग I संचित निधि : सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, कोषागार विपत्रों को निर्गत कर इकट्ठा किए गए सभी ऋण, वाह्य एवं आंतरिक ऋण एवं ऋणों के पुनर्भुगतान हेतु सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन एक संचित निधि का निर्माण करेंगे जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के अंतर्गत स्थापित "राज्य की संचित निधि" कहा जाता है ।

भाग II आकस्मिकता निधि : संविधान के अनुच्छेद 267 (2) के अंतर्गत स्थापित राज्य की आकस्मिकता निधि राज्यपाल के व्ययन हेतु एक कोष है जो विधानमंडल के लंबित प्राधिकार तक आवश्यक अप्रत्याशित व्यय की पूर्ति हेतु अग्रिम मुहैय्या करता है । तत्पश्चात्, विधान मंडल से ऐसे व्यय एवं संचित निधि से समतुल्य राशि की निकासी हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाता है जिससे आकस्मिकता निधि से अग्रिम निधि की प्रतिपूर्ति हो जाती है ।

भाग III लोक लेखा : कुछ विशेष लेन–देन जैसे लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा उचंत, प्रेषण इत्यादि जो संचित निधि का अंश नहीं है, से संबंधित प्राप्तियाँ एवं भुगतान संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखा में रखे जाते हैं एवं विधान मंडल द्वारा मत हेतु प्रस्तुत नहीं होते हैं ।

परिशिष्ट 1.2 भाग ख : वित्त लेखे की रूपरेखा

विवरणी	रूपरेखा
वित्त लेखा दो भागों में वितरित है। भाग I सरकार के वित्तीय विवरण के सारांशीकृत रूप में और भाग II में विस्तृत विवरण प्रस्तुत है । **भाग I** में भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रमाण–पत्र तेरह सारांश विवरण और लेखाओं की योजना पर टिप्पणी को सम्मिलित करते हुए नीचे दिया गया है ।	
विवरण संख्या 1	**वित्तीय स्थिति का विवरण :** यह विवरणी वर्ष के अंत में राज्य सरकार की परिसंपत्तियों एवं दायित्वों के संचयी आँकड़ों की स्थिति तथा गत वर्ष की समाप्ति पर उनकी स्थिति से तुलित करते हुए दर्शाता है ।
विवरण संख्या 2	**प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण :** यह विवरणी राज्य सरकार के चालू वर्ष में सरकारी लेखे के तीन भागों, यथा–समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा में कुल प्राप्तियों तथा संवितरणों को दर्शाता है । इसके अतिरिक्त, इसमें सरकार के रोकड़ शेष (निवेश सहित) के वैकल्पिक वर्णन को दर्शाते हुए एक अनुसूचि शामिल होता है । परिशिष्ट सरकार के अर्थोपाय अग्रिम की स्थिति का भी विस्तृत रूप में उल्लेख करता है ।
विवरण संख्या 3	**प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि) :** इस विवरणी में राज्य सरकार के राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियाँ (विनिवेश, उधार और राज्य सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिमों की वसूलियाँ सहित) सम्मिलित होता है । यह विवरणी वित्त लेखे के खण्ड II में विस्तृत विवरणियाँ 14, 17 तथा 18 के अनुरूप होता है ।
विवरण संख्या 4	**व्यय की विवरण (समेकित निधि) :** वित्त लेखे में लघु शीर्ष स्तर के सामान्य वर्णन से इतर, यह विवरणी व्यय की व्यवहारिक प्रवृत्ति (व्यय के उद्देश्यों) का भी सविस्तार वर्णन प्रदान करता है । यह विवरणी खण्ड II में विस्तृत विवरणी 15, 16, 17 तथा 18 के अनुरूप होता है ।
विवरण संख्या 5	**प्रगाामी पूँजीगत व्यय का विवरण :** यह विवरणी खण्ड II में विस्तृत विवरण 16 के अनुरूप होता है ।
विवरण संख्या 6	**उधार एवं अन्य दायित्वों का विवरण :** सरकार के उधार में उसके द्वारा लिए गए बाजार ऋण (आंतरिक ऋण) एवं भारत सरकार से प्राप्त कर्ज तथा अग्रिम सम्मिलित होते हैं । 'अन्य दायित्वों' में 'लघु बचत, भविष्य निधि आदि, 'आरक्षित निधि तथा 'जमा' सम्मिलित होते हैं । इस विवरणी में ऋणशोधन कार्य संबंधी एक टिप्पणी होता है और यह खण्ड II में विस्तृत विवरण 17 के अनुरूप होता है ।

परिशिष्ट 1.2 भाग–ख : वित्त लेखे की रूपरेखा	
विवरण	**रूपरेखा**
विवरण संख्या 7	**सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा पेशगियों का विवरण :** यह विवरणी राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणियों के ऋणग्राहियों जैसे–सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्वायत्तशासी एवं अन्य निकायों/प्राधिकरणों तथा व्यक्तिगत प्राप्तकर्त्ताओं (सरकारी सेवक सहित) को दिए गए कुल कर्ज तथा पेशगियों को दर्शाता है । यह विवरणी खण्ड II में विस्तृत विवरण 18 के अनुरूप होता है ।
विवरण संख्या 8	**सरकार के निवेशों का विवरण** : यह विवरणी राज्य सरकार का सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियों, सहकारी संस्थानों तथा स्थानीय निकायों के समता पूँजी में किए गए निवेश को दर्शाता है । यह विवरणी खण्ड II में विस्तृत विवरण 19 के अनुरूप होता है ।
विवरण संख्या 9	**सरकार द्वारा दी गयी गारंटियों का विवरण :** यह विवरणी सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों द्वारा लिए गए कर्जों पर मूलधन तथा ब्याज के भुगतान हेतु राज्य सरकार द्वारा दिए गए गारंटियों का सारांश प्रस्तुत करता है । यह विवरणी खण्ड II में विस्तृत विवरण 20 के अनुरूप होता है ।
विवरण संख्या 10	**सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान का विवरण :** यह विवरणी राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणियों के अनुदानग्राहियों जैसे– सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्वायत्तशासी एवं अन्य निकायों/प्राधिकरणों तथा व्यक्ति विशेष को दिए गए कुल सहायता अनुदानों को दर्शाता है । परिशिष्ट III प्राप्तकर्त्ता संस्थानों का विस्तृत विवरण प्रदान करता है ।
विवरण संख्या 11	**दत्तमत एवं प्रभारित व्यय का विवरण :** यह विवरणी वित्त लेखे में प्रदर्शित निवल आँकड़ों को विनियोग लेखे में प्रदर्शित सकल आँकड़ों के साथ अनुरूपता दर्शाने में सहायता करता है ।
विवरण संख्या 12	**राजस्व लेखे से भिन्न व्यय के लिए निधियों के स्रोतों तथा अनुप्रयोग का विवरण :** यह विवरणी इस सिद्धांत पर आधारित है कि राजस्व व्यय की प्रतिपूर्ति राजस्व प्राप्तियों से होना चाहिए जबकि पूँजीगत व्यय को राजस्व आधिक्य, लोक लेखा में निवल जमा शेष, वर्ष के आदि रोकड़ शेष तथा उधारों से पूरित होना चाहिए।
विवरण संख्या 13	**समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के अंतर्गत शेषों का सार :** यह विवरणी लेखे की शुद्धता को प्रमाणित करने में सहायता करता है । यह विवरणी खण्ड II में विस्तृत विवरणी 14, 15, 16, 17, 18 तथा 21 के अनुरूप होता है।
वित्त लेखे के खण्ड II में दो भाग होते हैं– भाग– I में नौ विस्तृत विवरणियाँ तथा भाग II में तेरह परिशिष्टें ।	
विवरण संख्या 14	**लघु शीर्षवार राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण :** यह विवरणी वित्त लेखे के खण्ड I में संक्षिप्त विवरणी 3 के अनुरूप होता है ।
विवरण संख्या 15	**लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण :** यह विवरणी, जो खण्ड I में संक्षिप्त विवरणी 4 के अनुरूप होता है, राज्य सरकार के योजना (राज्य योजना, राज्य योजना को केंद्रीय सहायता, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना तथा योजना) एवं गैर योजना के अधीन हुए राजस्व व्यय को दर्शाता है । प्रभारित एवं दत्तमत व्यय अलग–अलग दर्शाए जाते हैं ।
विवरण संख्या 16	**लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण :** यह विवरणी, जो खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 5 के अनुरूप होता है, राज्य सरकार के योजना (राज्य योजना, राज्य योजना को सहायता, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना तथा योजना) एवं गैर–योजना के अधीन हुए पूँजीगत व्यय (वर्ष के दौरान तथा संचयी रूप से) को दर्शाता है । पूँजीगत व्यय को लघु शीर्ष के स्तर तक विस्तृत वर्णन करने के अतिरिक्त, यह विवरणी महत्वपूर्ण योजनाओं के संबंध में उपशीर्ष के स्तर को भी दर्शाता है ।

विवरण	रूपरेखा
विवरण संख्या 17	**उधार तथा अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण :** यह विवरणी, जो खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 6 के अनुरूप होता है, राज्य सरकार द्वारा लिए गए कुल ऋण (बाजार ऋण, बन्ध पत्र, केंद्र सरकार से कर्ज, वित्तीय संस्थानों से कर्ज, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को निर्गत विशेष प्रतिभूतियाँ आदि) तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विस्तारित अर्थोपाय अग्रिम के विस्तृत वर्णन को सम्मिलित करता है । यह विवरणी ऋण संबंधी सूचना को तीन श्रेणियों : (क) प्रत्येक ऋण का विस्तृत विवरण; (ख) परिपक्वता पार्श्वचित्र अर्थात प्रत्येक वर्ष में विभिन्न श्रेणी के ऋण के सापेक्ष भुगतेय राशि; तथा (ग) बकाए ऋण का ब्याज दर पार्श्वचित्र एवं अनुलग्नक बाजार ऋण को प्रदर्शित करता है ।
विवरण संख्या 18	**सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा पेशगियों का विस्तृत विवरण :** यह विवरणी खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 7 के अनुरूप होता है ।
विवरण संख्या 19	**सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण :** यह विवरणी, विवरणी संख्या 16 तथा 19 के मध्य विसंगतियों, यदि कोई हो, का विवरण ईकाई वार तथा मुख्य एवं लघु शीर्ष वार प्रस्तुत करता है । यह विवरणी खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 8 के अनुरूप होता है ।
विवरण संख्या 20	**सरकार द्वारा दी गयी गारंटियों का विस्तृत विवरण :** यह विवरणी सरकार द्वारा दिए गए गारंटियो का ईकाई वार विवरण प्रस्तुत करता है । यह विवरणी खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 9 के अनुरूप होता है ।
विवरण संख्या 21	**आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा के संव्यवहारों का विस्तृत विवरण** : यह विवरणी लघु शीर्ष स्तर तक वर्ष के दौरान आकस्मिकता निधि में अप्रतिपूरित राशियों, लोक लेखे के संव्यवहारों की समेकित स्थिति तथा वर्ष के अंत में बकाए रोकड़ शेष को विस्तृत रूप में दर्शाता है । यह विवरणी खंण्ड I में संक्षिप्त विवरण 13 के अनुरूप होता हैं।
विवरण संख्या 22	**उद्दिष्ट निधियों के निवेशों का विस्तृत विवरण** : यह विवरणी आरक्षित निधि एवं जमा (लोक लेखा) से किए गए निवेशों को विस्तृत रूप में दर्शाता है ।

(स्रोत : वित्त लेखे वर्ष 2014–15)

परिशिष्ट–1.3 भाग–क
(संदर्भ: कंडिका 1.1; पृष्ठ 2)
राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजटीय प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम)

(2010 का बिहार अधिनियम संख्या 25)
बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2010

प्रस्तावनाः–राजकोषीय समेकन के लिये तेरहवें वित्त आयोग द्वारा यथा अनुशंसित पुनरीक्षित रूपरेखा को लागू करने एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन प्रक्रिया को और पारदर्शी तथा व्यापक बनाने के लिए राजकोषीय लक्ष्यों में संशोधन का उपबंध करने हेतु बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 का संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधियमित थेः–

1. (अ) यह अधिनियम बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2010 कहा जा सकेगा ।

   (ब) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

   (स) यह उस तिथि से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राजपत्र में इस निमित को नियमित करें ।

2. बिहार अधिनियम 5, 2006 की धारा–2 में संशोधन 1–बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 5, 2006) की धारा 2 की उप–धारा (ठ) के बाद निम्नलिखित नयी उप–धारा (ड) जोड़ी जायेगीः

   (ड) "ऋण" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा ब्याज पर ली गई उधार की राशि ।

3. बिहार अधिनियम 5, 2006 की धारा–3 में संशोधन 1–बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 5, 2006) की धारा–3 की उप धारा (क) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी :

   (अ) "राजकोषीय सुधार के मार्ग पर आने के लिए वर्ष 2007-08 में शून्य राजस्व घाटा अथवा राजस्व अधिशेष प्राप्त करने पर वर्ष 2011–12 तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद का तीन प्रतिशत राजकोषीय घाटा प्राप्त करेगी और उसे उसके बाद बनाये रखना होगा " ।

4. बिहार अधिनियम 5, 2006 की धारा–9 में संशोधन 1–बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 5, 2006) की धारा 9 (2) (अ) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी:

   (ब)"वित्तीय वर्ष 2010–11 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का राजकोषीय घाटा 3.5 प्रतिशत करेगी एवं वर्ष 2011–12 में यह तीन प्रतिशत होगी और इसे वर्ष 2014–15 तक बनाये रखना होगा" ।

5. बिहार अधिनियम 5, 2006 की धारा 9 में संशोधन ।–बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 5, 2006) की धारा–9 की उप–धारा 2 के खंड (अ) के बाद निम्नलिखित नया खण्ड (ग) जोड़ा जायेगा :

   (स)"ऋण को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में वित्तीय वर्ष 2010–11, 2011–12, 2012–13, 2013–14 एवं 2014–15 के लिये क्रमशः 48.2, 46.4, 44.6. 43.0 एवं 41.6 तक लायेगी"।

परिशिष्ट 1.3 भाग–ख

(संदर्भ: कंडिका 1.1; पृष्ठ 2)

राजकोषीय स्थिति के निर्धारण हेतु अपनायी गयी पद्धति

चुनिंदा राजकोषीय परिवर्तनशीलता के लिए तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित प्रतिमान/उच्चतम सीमा एवं राजकोषीय समूहों के लिए इनके प्रक्षेपण के साथ राज्य सरकार द्वारा अपने राजकोषीय अधिनियम एवं अन्य विवरणियों में अपनी प्रतिबद्धता/प्रेक्षण अधिनियम (***परिशिष्ट 1.2 का भाग ख***) के अंतर्गत विधानमंडल के समक्ष मुख्य राजकोषीय योग की प्रवृत्ति एवं प्रतिरूप के गुणात्मक निर्धारण हेतु रखे जाने की आवश्यकता है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद को राज्य के आर्थिक निष्पादन का अच्छा सूचक मानते हुए मुख्य राजकोषीय समुच्चय जैसे कर एवं करेत्तर राजस्व, राजस्व एवं पूँजीगत व्यय, आंतरिक ऋण तथा मुख्य राजकोषीय घाटा को चालू बाजार दर पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में प्रस्तुत किया गया।

विगत पाँच वर्षों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्ति नीचे दर्शायी गई है :

चालू मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) की प्रवृत्ति

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	203555	243269	293616 (पी)	343663 (क्यू)	402283 (ए)
सकल राज्य घरेलू उत्पाद का विकास दर	24.94	19.51	20.70	17.05	17.06

(स्रोत : निदेशालय सांख्यिकी एवं आर्थिक विभाग, बिहार सरकार)

पी–अंतिम, क्यू–त्वरित, ए–अग्रिम

कुछ चुने हुए शब्दावली जिनका प्रयोग राजकोषीय समुच्चय के प्रवृति एवं प्रकृति के निर्धारण में किया गया है, परिभाषा के साथ नीचे दिए गए है:

शब्दावली	गणना का आधार
प्राचल की उत्पलावकता	प्राचल की वृद्धि दर/जी.एस.डी.पी. वृद्धि दर
अन्य प्राचल (ब) के संदर्भ में प्राचल (अ) की उत्पलावकता	प्राचल (अ) की वृद्धि दर/ प्राचल (ब) की वृद्धि दर
वृद्धि दर (आर.ओ.जी.)	[(चालू वर्ष की राशि/पूर्व वर्ष की राशि)-1]*100
विकास व्यय	सामाजिक सेवायें + आर्थिक सेवायें
समुच्चित व्यय	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + ऋण एवं अग्रिम
राज्य द्वारा औसत ब्याज भुगतान	ब्याज भुगतान /[(पिछले वर्ष की राजकोषीय दायित्व की राशि + चालू वर्ष की राजकोषीय दायित्व)2]*100
ब्याज विस्तार	जी.एस.डी.पी. वृद्धि – औसत ब्याज दर
प्रमात्रा विस्तार	संचित ऋण * ब्याज विस्तार
बकाया ऋणों की प्रतिशतता में प्राप्त ब्याज	प्राप्त ब्याज [(प्रारंभिक शेष + ऋण एवं अग्रिम का अंतशेष)/2]*100
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्ति – राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम – राजस्व प्राप्तियाँ – विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ
प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा – ब्याज भुगतान
चालू राजस्व से शेष (बी.सी.आर.)	राजस्व प्राप्तियाँ **घटावें** मुख्य शीर्ष 2048 ऋण की परिहार्यता की कमी के लिए विनियोजन में अंकित व्यय को छोड़कर सभी योजना अनुदान एवं गैर योजना राजस्व व्यय

परिशिष्ट–1.4

(संदर्भ: कंडिका 1.1.1 एवं 1.6.2; पृष्ठ 2 एवं 16)

वर्ष 2014–15 की प्राप्तियाँ एवं संवितरणों का सार

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ					संवितरण					
2013-14			2014-15		2013-14			2014-15		
								गैर योजना	योजना	योग
		खण्ड: अ राजस्व								
68918.65	**I**	**राजस्व प्राप्तियाँ**		**78417.54**	**62477.23**	**I**	**राजस्व व्यय**	**47058.87**	**25511.11**	**72569.98**
19960.68		कर राजस्व	20750.23		22018.47		सामान्य सेवाएँ	26303.07	105.11	26408.18
1544.83		करेत्तर राजस्व	1557.98		26394.85		सामाजिक सेवाएँ	12019.55	19693.16	31712.71
34829.11		संघीय करों का राज्यांश	36963.07		14343.54		शिक्षा खेल, कला एवं संस्कृति	8444.13	7823.04	16267.17
3288.13		गैर योजना अनुदान	3271.21		2113.42		स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1969.74	1318.46	3288.20
6238.39		राज्य योजना हेतु अनुदान	14935.68		2966.97		जलापूर्ति, स्वच्छता,आवास एवं शहरी विकास	722.47	2917.00	3639.47
3057.51		केंद्रीय एवं केंद्र प्रायोजित योजना हेतु अनुदान	939.37		74.36		सूचना एवं प्रसारण	97.20	18.18	115.38
					2073.60		अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	152.71	2151.79	2304.50
					111.13		श्रम एवं श्रम कल्याण	90.28	28.44	118.72
					4726.18		समाज कल्याण एवं पोषाहार	492.67	5434.57	5927.24
					(-) 14.34		अन्य	50.35	1.68	52.03
					14060.06		आर्थिक सेवाएँ	8732.21	5712.84	14445.05
					3193.27		कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप	772.17	2658.63	3430.80
					4059.78		ग्रामीण विकास	2109.86	1959.67	4069.53
							विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00
					1039.03		सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	881.58	138.40	1019.98
					3235.74		ऊर्जा	3752.95	20.00	3772.95
					580.24		उद्योग एवं खनिज	66.87	494.36	561.23
					1380.85		परिवहन	907.08	88.52	995.60

प्राप्तियाँ					संवितरण					
2013-14			2014-15		2013-14		2014-15			
								गैर योजना	योजना	योग
							विज्ञान, प्रावैधिकी एवं पर्यावरण	0.00	0.00	0.00
					571.14		सामान्य आर्थिक सेवाएँ	241.70	353.26	594.96
					3.85		सहायता अनुदान एवं अंशदान	4.04	0.00	4.04
			78417.54		**62477.23**		**कुल**	**47058.87**	**25511.11**	**72569.98**
	II	**खण्ड ब में ले जाए गए राजस्व घाटे**			**6441.42**	**II**	**खण्ड ब में से ले जाए गए राजस्व अधिशेष**			**5847.56**
68918.65		**कुल**		**78417.54**	**68918.65**		**कुल**			**78417.54**
		खण्ड ब अन्य								
3715.58	**III**	**स्थायी अग्रिम तथा रोकड़ शेष निवेश को शामिल करते हुए आरंभिक रोकड़ शेष**		**6156.39**		**III**	**भारतीय रिजर्व बैंक से प्रारंभिक ओवर ड्राफ्ट**			
	IV	**विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ**			**14001.00**	**IV**	**पूँजीगत परिव्यय**	**58.34**	**18092.07**	**18150.41**
					1332.53		सामान्य सेवाएँ	**47.11**	**1701.58**	1748.69
					1857.89		सामाजिक सेवाएँ	11.57	1662.02	1673.59
					703.64		शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	0.00	263.45	263.45
					460.17		स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0.00	315.77	315.77
					637.66		जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	11.57	891.37	902.94
					(-)0.04		सूचना एवं प्रसारण	0.00	(-)0.08	(-)0.08
					6.07		अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	0.00	(-) 20.63	(-) 20.63
					(-) 32.57		समाज कल्याण एवं पोषाहार	0.00	30.20	30.20
					82.96		अन्य सामाजिक सेवाएँ	0.00	181.94	181.94

प्राप्तियाँ					संवितरण					
2013-14			**2014-15**		**2013-14**			**2014-15**		
								गैर योजना	**योजना**	**योग**
					10810.59		आर्थिक सेवाएँ	(-) 0.34	14728.47	14728.13
					476.97		कृषि एवं संबंद्ध कार्यकलाप	0.00	184.59	184.59
					1933.51		ग्रामीण विकास	0.00	4647.84	4647.84
							विशेष क्षेत्रीय कायक्रम	0.00	0.00	0.00
					1798.91		सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	0.00	1423.95	1423.95
					1897.48		ऊर्जा	0.00	4175.10	4175.10
					535.00		उद्योग एवं खनिज	0.00	3.01	3.01
					4090.26		परिवहन	(-) 0.34	4198.39	4198.05
					78.46		सामान्य आर्थिक सेवाएँ	0.00	95.59	95.59
15.03	**V**	**ऋण एवं अग्रिमों की वसूली**		**1493.06**	**807.38**	**V**	**ऋण एवं अग्रिमों का संवितरित**	**32.35**	**336.36**	**368.71**
		विद्युत परियोजनाओं से			724.79		विद्युत परियोजनाओं हेतु	18.24	225.92	244.16
14.08		सरकारी सेवकों से	15.04		10.91		सरकारी सेवकों को	13.48	0.00	13.48
0.95		अन्य से	1478.02		71.68		अन्य से	0.63	110.44	111.07
6441.42	**VI**	**राजस्व आधिक्य नीचे ले जाए गए**		**5847.56**		**VI**	**राजस्व घाटा नीचे ले जाए गए**			
9907.09	**VII**	**लोक ऋण प्राप्तियाँ**		**13917.53**	**3119.56**	**VII**	**लोक ऋण का पुनर्भुगतान**			**3608.95**
		बाहरी ऋण					बाहरी ऋण			
9357.43		अर्थोपाय अग्रिमों एवं ओभरड्राफ्ट के अलावे आंतरिक ऋण	13199.28		2558.83		अर्थोपाय अग्रिमों एवं ओवरड्राफ्ट के अलावे आंतरिक ऋण			2975.37
		अर्थोपाय अग्रिमों के अंतर्गत निवल लेन–देन					अर्थोपाय अग्रिमों के अंतर्गत निवल लेन–देन			
		ओभर ड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन–देन								
549.66		केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम	718.25		560.73		केंद्र सरकार को ऋण एवं अग्रिमों का पुनर्भुगतान			633.58
शून्य		**अंतर्राज्यीय समाशोधन**	शून्य		शून्य		**अंतर्राज्यीय समाशोधन**			

प्राप्तियाँ					संवितरण					
2013-14			2014-15		2013-14		2014-15			
								गैर योजना	योजना	योग
1450.43	**VIII**	**आकस्मिकता निधि को विनियोजन**		**1650.00**	**1450.43**	**VIII**	**आकस्मिकता निधि को विनियोजन**			**1650.00**
	IX	**आकस्मिकता निधि के राशि का स्थानांतरण**				**IX**	**आकस्मिकता निधि से व्यय**			
33457.78	**X**	**लोक लेखा प्राप्तियाँ**		**40251.12**	**29452.57**	**X**	**लोक लेखा संवितरण**			**39200.48**
1072.30		लघु बचत एवं भविष्य निधियाँ		1103.76	1370.20		लघु बचत एवं भविष्य निधियाँ		1286.53	
823.48		आरक्षित निधि		1403.62	124.90		आरक्षित निधि		673.49	
579.05		उचंत एवं विविध		550.65	623.91		उचंत एवं विविध		2257.97	
12373.58		प्रेषण		12221.55	12392.59		प्रेषण		12233.53	
18609.37		जमा एवं अग्रिम		24971.54	14940.97		जमा एवं अग्रिम		22748.96	
	XI	**भारतीय रिजर्व बैंक से अंतिम ओवरड्राफ्ट**			**6156.39**	**XI**	**अंतिम रोकड़ शेष**			**6337.11**
							कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण			
					230.03		रिजर्व बैंक के पास जमा		(-) 89.06	
					519.81		विभागीय रोकड़ शेष स्थायी अग्रिम सहित		554.37	
					5406.55		रोकड़ शेष निवेश		5871.80	
54987.33		**योग**		**69315.66**	**54987.33**		**योग**			**69315.66**

(स्रोतः वित्त लेखे वर्ष 2014–15)

परिशिष्ट–1.5

(संदर्भः कंडिका 1.1.3; पृष्ठ 3)

वर्ष 2014–15 के लिए बजट प्राक्कलन यथा वास्तविकी

(₹ करोड़ में)

विवरण	बजट अनुमान	वास्तविकी	आधिक्य (+)/ घाटा (–)	प्रतिशतता आधिक्य(+)/घाटा (–)
राजस्व प्राप्तियाँ	101939.46	78417.54	(-) 23521.92	(-) 23.07
अपने कर राजस्व	25662.95	20750.23	(-) 4912.72	(-) 19.14
करेत्तर राजस्व	3081.68	1557.98	(-) 1523.70	(-) 49.44
संघीय करों एवं शुल्कों में अंश	41775.05	36963.07	(-) 4811.98	(-) 11.52
भारत सरकार से सहायता अनुदान	31419.78	19146.26	(-) 12273.52	(-) 39.06
राजस्व व्यय	91765.43	72569.98	(-) 19195.45	(-) 20.92
सामान्य सेवाएँ	28155.44	26408.18	(-) 1747.26	(-) 6.21
राज्य का अंग	1261.89	1012.92	(-) 248.97	(-) 19.73
राजकोषीय सेवाएँ	981.57	698.35	(-) 283.22	(-) 28.85
ब्याज भुगतान और कर्ज परिशोधन	7011.47	7104.01	92.54	1.32
प्रशासनिक सेवाएँ	7234.18	6248.39	(-) 985.79	(-) 13.63
पेंशन और विविध सामान्य सेवाएँ	11666.33	11344.51	(-) 321.82	(-) 2.76
सामाजिक सेवाएँ	43617.60	31712.71	(-) 11904.89	(-) 27.29
शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	23989.08	16267.17	(-) 7721.91	(-) 32.19
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	4084.70	3288.20	(-) 796.50	(-) 19.50
जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास	6498.73	3639.47	(-) 2859.26	(-) 44.00
सूचना और प्रसारण	95.43	115.38	19.95	20.91
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	2625.89	2304.40	(-) 321.49	(-) 12.24
श्रम एवं श्रम कल्याण	231.13	118.73	(-) 112.40	(-) 48.63
समाज कल्याण और पोषाहार	6026.46	5927.23	(-) 99.23	(-) 1.65
अन्य	66.18	52.03	(-) 14.15	(-) 21.38
आर्थिक सेवाएँ	19988.27	14445.05	(-) 5543.22	(-) 27.73
कृषि और संबद्ध सेवाएँ	4012.23	3430.80	(-) 581.43	(-) 14.49
ग्रामीण विकास	7438.44	4069.53	(-) 3368.91	(-) 45.29
सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	1459.07	1019.98	(-) 439.09	(-) 30.09
ऊर्जा	3071.41	3772.95	701.54	22.84
उद्योग और खनिज	976.09	561.23	(-) 414.86	(-) 42.50
परिवहन	1757.94	995.60	(-) 762.34	(-) 43.37
सामान्य आर्थिक सेवाएँ	1273.09	594.96	(-) 678.13	(-) 53.27
सहायता अनुदान और अंशदान	4.12	4.04	(-) 0.08	(-) 1.94
पूँजीगत व्यय	25120.74	18150.41	(-) 6970.33	(-) 27.75
सामान्य सेवाएँ	2297.29	1748.69	(-) 548.60	(-) 23.88
सामाजिक सेवाएँ	3519.71	1673.59	(-) 1846.12	(-) 52.45
शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	1036.72	263.45	(-) 773.27	(-) 74.59
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	718.64	315.77	(-) 402.87	(-) 56.06
जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास	1447.95	902.94	(-) 545.01	(-) 37.64
सूचना और प्रसारण	0.00	(-) 0.08	(-) 0.08	
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	18.00	(-) 20.63	(-) 38.63	(-) 214.61
समाज कल्याण और पोषाहार	298.40	30.20	(-) 268.20	(-) 89.88
अन्य	0.00	181.94	181.94	
आर्थिक सेवाएँ	15334.35	14728.13	(-) 606.22	(-) 3.95
कृषि और संबद्ध सेवाएँ	824.24	184.59	(-) 639.65	(-) 77.60
ग्रामीण विकास	5436.57	4647.84	(-) 788.73	(-) 14.51
सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	1927.83	1423.95	(-) 503.88	(-) 26.14
ऊर्जा	2890.00	4175.10	1285.10	44.47
उद्योग और खनिज	10.74	3.01	(-) 7.73	(-) 71.97
परिवहन	4022.44	4198.04	175.60	4.37
सामान्य आर्थिक सेवाएँ	209.96	95.59	(-) 114.37	(-) 54.47
अन्य	12.57	0.00	(-) 12.57	(-) 100.00
राजस्व आधिक्य (+)/घाटा (–)	(-) 10174.03	5847.56	16021.59	(-) 157.48
राजकोषीय घाटा (–)	11367.84	11178.50	(-) 189.34	(-) 1.67
प्राथमिक आधिक्य (+)/घाटा (–)	4786.38	5049.75	263.37	5.50

(स्रोतः बिहार सरकार का बजट प्राक्कलन एवं वित्त लेखे, वर्ष 2014–15)

परिशिष्ट–1.6

(संदर्भः कंडिका 1.2.2; पृष्ठ 8)

राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों को निधि का सीधा स्थानांतरण

(₹ करोड़ में)

भारत सरकार की योजना	क्रियान्वित करने वाले अभिकरण	2013-14	2014-15
		केंद्रांश	केंद्रांश
शैक्षणिक संस्थानों एवं गैर सरकारी स्वंयसेवी संगठनो को सहायता	वैशाली जन जागरण समिति {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.00	0.01
ज्ञान अभिवृद्धि हेतु तकनीकी विकास तथा प्रसार (ए2 के+)	उद्यमिता विकास संस्थान, बिहार {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.00	0.03
संधि तथा अनुसंधान एवं विकास मिशन	दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय (सांविधिक निकाय)	0.00	0.02
अभिलेखागार तथा अभिलेखीय पुस्तकालय	खुदाबख्श ओरिएण्टल सार्वजनिक पुस्तकालय (सरकारी स्वायत्त निकाय)	0.00	0.38
आतिथ्य प्रबंधन एवं विज्ञान संस्थान (आई.एच. एम.एस.), खाद्य शिल्प संस्थानों (एफ.सी.आई.एस.) इत्यादि को सहायता	होटल प्रबंधन संस्थान खान-पान एवं पोषाहार, हाजीपुर (सरकारी स्वायत्त निकाय)	0.00	0.28
सामाजिक सुरक्षा सेवा प्रदान करने वाले स्वंयसेवी संगठनो को सहायता	अल्पसंख्यक एवं हरिजन समाज कल्याण केंद्र {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.00	0.12
	एकता ग्राम सेवा संस्थान {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.00	0.09
	जागरण {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.00	0.12
	सिस्टर निवेदिता मेमोरियल ट्रस्ट {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.00	0.08
	केदार पांडेय समाज कल्याण संघ {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.00	0.09
	ग्राम उत्थान केंद्र {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.00	0.08
	पर्यावरण परामर्श विकास केंद्र {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.00	0.05
	बिहार विकास परिषद {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.00	0.04
वृद्धों से संबंधित कार्यक्रमों के लिए स्वंयसेवी संगठनों को सहायता	सिस्टर निवेदिता मेमोरियल ट्रस्ट {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.00	0.03
	एकता ग्राम सेवा संस्थान {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.00	0.02
वायुमंडलीय निरीक्षण प्रणाली नेटवर्क	बिहार कृषि विश्वविद्यालय (सांविधिक निकाय)	0.00	0.16
	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय (सांविधिक निकाय)	0.00	0.04
जागरूकता उत्थान एवं प्रचार	विवेक विकलांग सह-जन उत्थान संस्थान {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.00	0.04
बाबा साहेब अम्बेदकर हस्तशिल्प विकास योजना	अम्बपाली हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प बहु राज्य सहयोग समिति {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.00	0.01
जैव सूचना विज्ञान	तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय (सांविधिक निकाय)	0.00	0.16
सामाजिक उत्थान हेतु जैव तकनीकी	खडग्धारी ग्रामीण विकास संस्थान {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.00	0.21
	तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय (सांविधिक निकाय)	0.00	0.05
	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय (सांविधिक निकाय)	0.00	0.09
बौद्ध तथा तिब्बती अध्धयन	नव नालन्दा महाविहार (सरकारी स्वायत्त निकाय)	0.00	17.61
सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण	होटल प्रबंधन संस्थान खान-पान एवं पोषाहार, हाजीपुर (सरकारी स्वायत्त निकाय)	0.00	0.79
वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग	बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी (सरकारी स्वायत्त निकाय)	0.00	0.13
तस्करी के विरूद्ध व्यापक योजना	भारतीय ग्रामीण पुनर्निर्माण एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.00	0.07

भारत सरकार की योजना	क्रियान्वित करने वाले अभिकरण	2013-14 केंद्रांश	2014-15 केंद्रांश
दीन दयाल अशक्त पुनर्वास योजना (एस.जे.ई.)	ज्ञान सरोवर {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.00	0.19
	बाबा गरीबनाथ विकलांग-सह-जनसेवा संस्थान {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.00	0.15
	बाबा बैद्यनाथ बालिका मूक बधिर विद्यालय {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.00	0.13
	बिहार विकलांग कल्याण परिषद {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.00	0.07
निरूपण एवं तकनीकी उन्नयन योजना	भारत बुनकर सेवा समिति {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.00	0.05
	अम्बपाली हस्तकर्घा एवं हस्तशिल्प बहु राज्य सहयोग समिति {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.00	0.05
	तपेश्वर राय ग्रामोद्योग विकास संस्थान {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.00	0.05
विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं के लिए दिशा कार्यक्रम	ब्रज मोहन दास महाविद्यालय (सरकारी स्वायत्त निकाय)	0.00	0.06
	पटना विश्वविद्यालय (सांविधिक निकाय)	0.00	0.18
	अनुग्रह नारायण महाविद्यालय (राज्य सरकार संस्थान)	0.00	0.01
	मगध महिला महाविद्यालय (राज्य सरकार संस्थान)	0.00	0.06
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डी.आर.डी.ए.) प्रशासन	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (सरकारी स्वायत्त निकाय)	21.22	0.00
पर्यावरणीय सूचना शिक्षा एवं जागरूकता	बिहार राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड (सरकारी स्वायत्त निकाय)	0.00	0.06
पर्यावरण सूचना प्रणाली (ई.एन.वी.आई.एस.)	बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सरकारी स्वायत्त निकाय)	0.06	0.00
अल्पसंख्यकों के लिए मुफ्त कोचिंग एवं सम्बद्ध योजना (सी.एस.)	मिल्लत कल्याण न्यास (नालन्दा असैनिक सेवा अकादमी) (न्यास)	0.00	0.08
अनुसूचित जातियों तकनीकी के छात्रों एवं छात्राओं के लिए छात्रावास निर्माण हेतु सहायता (सी.एस.)	सीमांचल तकनीकी तथा शैक्षणिक विकास संस्थान {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.00	0.81
उच्च शिक्षा सांख्यिकी एवं जन सूचना प्रणाली (एच.ई.एस.पी.आई.एस.)	राज्य नोडल पदाधिकारी, उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (ए.आई.एस.एच.इ.) (सरकारी स्वायत्त निकाय)	0.00	0.11
अस्पताल एवं औषधालय (एन.आर.एच.एम. अंतर्गत)	राज्य स्वास्थ्य समिति (सरकारी स्वायत्त निकाय)	778.60	0.00
जैव तकनीकी हेतु मानव संसाधन विकास	तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय (सांविधिक निकाय)	0.00	0.00
	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (सरकारी स्वायत्त निकाय)	0.00	0.07
हस्तशिल्प हेतु मानव संसाधन विकास	मानस ग्रामीण उत्थान समिति {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.00	0.01
	भारत बुनकर सेवा समिति {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.00	0.02
	तपेश्वर राय ग्रामोद्योग विकास संस्थान {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.00	0.06
	अम्बपाली हस्तकरधा एवं हस्तशिल्प बहु राज्य सहयोग समिति {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.00	0.08
संरचना विकास एवं क्षमता निर्माण	उद्योग मित्र (सरकारी स्वायत्त निकाय)	0.00	0.21
कृषि जनगणना एवं सांख्यिकी की समेकित योजना	कृषि-आर्थिक अनुसंधान केंद्र, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय (सरकारी स्वायत्त निकाय)	0.00	0.30
	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय (सांविधिक निकाय)	0.00	0.50
समेकित जलाच्छादन प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्लू.एम.पी.)	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (सरकारी स्वायत्त निकाय)	16.78	0.00
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना (सरकारी स्वायत्त निकाय)	0.00	0.17

भारत सरकार की योजना	क्रियान्वित करने वाले अभिकरण	2013-14 केंद्रांश	2014-15 केंद्रांश
महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (सरकारी स्वायत्त निकाय)	1580.71	0.00
महिला समाख्या	बिहार महिला समाख्या समिति {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	7.06	0.00
विपणन समर्थन एवं सेवाएँ तथा निर्यात प्रोत्साहन योजना	शिल्पीका {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.00	0.02
	समाज विकास संगठन {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.00	0.03
	कस्तुरबा महिला विकास कल्याण समिति {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.00	0.05
बाजार विकास सहायता कार्यक्रम (एम.डी.ए.)	लॉरिन्स इंटरप्राईजेज (वैयक्तिक)	0.00	0.00
	नेचुरल्स डेरी (प्रा.) लिमिटेड (निजी क्षेत्र की कंपनियाँ)	0.00	0.00
	श्री श्री-शंभुनाथ फुड प्रोडक्ट्स (निजी क्षेत्र की कंपनियाँ)	0.00	0.01
	बिजय रोलर फ्लावर मिल्स प्राईवेट लिमिटेड (निजी क्षेत्र की कंपनियाँ)	0.00	0.01
	रेनोविजन एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड (निजी क्षेत्र की कंपनियाँ)	0.00	0.00
स्मारक तथा अन्य	नव नालन्दा महाविहार (सरकारी स्वायत्त निकाय)	2.25	0.00
सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	जिला योजना पदाधिकारी (स्थानीय निकाय)	326.50	246.50
राष्ट्रीय वानिकी योजनाएं	बिहार वन विकास अभिकरण (सरकारी स्वायत्त निकाय)	12.84	0.00
स्वयंसेवी संस्थाओं को सहायता अनुदान सहित राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना	राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना समिति (सरकारी स्वायत्त निकाय)	5.06	10.72
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	राज्य कृषि प्रबंधन, प्रशिक्षण एवं प्रसार (सरकारी स्वायत्त निकाय)	15.22	0.00
राष्ट्रीय हरित पट्टी (एन.जी.सी.)	बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सरकारी स्वायत्त निकाय)	2.30	0.00
राष्ट्रीय हस्तकरघा विकास कार्यक्रम (सी.एस.)	बिहार राज्य भेड़ तथा ऊन बुनकर सहकारी संघ लिमिटेड (सरकारी स्वायत्त निकाय)	0.00	0.13
	बिहार राज्य हस्तकरघा बुनकर सहकारी संघ लिमिटेड (सरकारी स्वायत्त निकाय)	0.00	0.06
राष्ट्रीय बागवानी मिशन (पुर्नगठित)	बिहार बागवानी विकास समिति (सरकारी स्वायत्त निकाय)	20.00	0.05
राष्ट्रीय औषधीय पौधा परिषद	अंबपाली हस्तकरधा एवं हस्तशिल्प विकास स्वावलंबी सहयोग समिति लिमिटेड {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.00	0.03
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन.आर.डी.डब्लू.पी.)	बिहार राज्य जल तथा स्वच्छता मिशन, पटना (सरकारी स्वायत्त निकाय)	338.95	0.00
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) केंद्रीय क्षेत्र	पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)	0.72	0.00
राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.) केंद्रीय क्षेत्र	बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन समिति (सरकारी स्वायत्त निकाय)	0.00	0.67
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) केंद्रीय क्षेत्र घटक	जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (सरकारी स्वायत्त निकाय)	0.00	1.85
राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, हाजीपुर (एन.आइ.पी.ई.आर.)	राष्ट्रीय औषध शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (सरकारी स्वायत्त निकाय)	0.00	4.00
ऑफ ग्रीडस डी.आर.पी.एस.	सिद्धी रिफॉएल एण्ड इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड (निजी क्षेत्र की कंपनियाँ)	0.00	0.40
	बिहार अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (सरकारी लोक उपक्रम)	3.64	6.15
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.)	पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)	725.71	0.00
प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना (सरकारी स्वायत्त निकाय)	0.00	82.00
कला एवं संस्कृति का प्रोत्साहन एवं प्रचार	पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)	1.58	0.00

भारत सरकार की योजना	क्रियान्वित करने वाले अभिकरण	2013-14 केंद्रांश	2014-15 केंद्रांश
अशक्तों के बीच खेल का प्रोत्साहन	उमंग बाल विकास {(पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.00	0.03
	बिहार अशक्त खेल अकादमी {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.00	0.03
	बाल प्रतिष्ठान {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.00	0.03
	विकलांग सम्मान संस्थान {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.00	0.03
सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर निर्माण को प्रोत्साहन (डी.आई.टी.)	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना (सरकारी स्वायत्त निकाय)	0.00	0.34
सरकार में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व को बढ़ावा हेतु सूचना के अधिकार अधिनियम का प्रसार	बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (सरकारी संस्थान)	0.00	0.09
सार्वजनिक पुस्तकालय	खुदाबख्श ओरिएण्टल सार्वजनिक पुस्तकालय (सरकारी स्वायत्त निकाय)	0.00	1.89
तकनीकी सहयोग संस्थानो एवं कार्यक्रम की गुणवत्ता	आकाशदीप पाइप्स एण्ड फिटिंग्स प्राईवेट लिमिटेड (निजी क्षेत्र की कंपनियाँ)	0.00	0.01
	शिवा पॉलीट्यूब्स प्राईवेट लिमिटेड (निजी क्षेत्र की कम्पनियाँ)	0.00	0.01
	मेसर्स् कृष्णा इण्डस्ट्रीज (व्यैक्तिक)	0.00	0.01
संतुलित संवितरण योजना	विक्रमशिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड (सरकारी स्वायत्त निकाय)	0.35	0.00
	विक्रमशिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड (सरकारी स्वायत्त निकाय)	0.05	0.00
	विक्रमशिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड (सरकारी स्वायत्त निकाय)	0.05	0.00
सभी गॉवों में ग्रामीण अनुप्रयोग हेतु अपारम्परिक ऊर्जा	बिहार अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (सरकारी लोक उपक्रम)	0.00	0.18
शोध एवं विकास (हस्तशिल्प)	अम्बपाली हस्तकरधा एवं हस्तशिल्प बहु राज्य सहयोग समिति {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.00	0.02
जैव तकनीकी शोध एवं विकास विभाग	बिहार कृषि विश्वविद्यालय (सांविधिक निकाय)	0.00	0.28
	पटना विश्वविद्यालय (सांविधिक निकाय)	0.00	0.05
	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, पूर्वी क्षेत्र (केंद्र सरकार)	0.00	0.03
	बालाजी उत्थान संस्थान {(पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.00	0.09
ग्रामीण आवास इन्दिरा आवास योजना	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (सरकारी स्वायत्त निकाय)	2957.04	0.00
सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.)	बिहार शिक्षा परियोजना परिषद (सरकारी स्वायत्त निकाय)	2610.13	0.00
मानव संसाधन एवं दक्षता विकास योजना (एफ.पी.आई.)	कृषि विज्ञान केंद्र (केंद्र सरकार)	0.00	0.02
	पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)	0.00	0.02
अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए नेतृत्व विकास योजना (सी.एस.)	पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)	0.00	0.64
तकनीकी उन्नयन/स्थापना/खाद्य प्रसंस्करण आधुनिकीकरण की योजना	निजी क्षेत्र की कंपनियाँ	0.00	0.64
कला संस्कृति तथा शताब्दी समारोह की योजना (अन्य मिशन योजनाएं)	रामकृष्ण मिशन सेवा आश्रम {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.00	0.75
नि:शक्त व्यक्तियों के लिए लागू योजनाओं के क्रियान्वयन से उत्पन्न योजना (सामाजिक न्याय सशक्तीकरण)	भारतीय रेड क्रास सोसायटी {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.00	0.06
	समग्र क्षेत्रीय केंद्र (सी.आर.सी.) (सरकारी स्वायत्त निकाय)	0.00	4.72
सामाजिक आर्थिक विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रम	सरकारी संस्थान	0.51	0.04
	पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)	0.00	0.40
	महावीर कैंसर संस्थान (न्यास)	0.00	0.00
कौशल विकास पहल (सी.एस.)	विवेकानंद पर्यावरण एवं आरोग्य मिशन {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.00	0.42

भारत सरकार की योजना	क्रियान्वित करने वाले अभिकरण	2013-14	2014-15
		केंद्रांश	केंद्रांश
राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रम	बिहार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (सरकारी स्वायत्त निकाय)	0.00	0.32
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.), पटना को सहयोग	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना (सरकारी स्वायत्त निकाय)	0.00	206.97
गनी खान संस्थान सहित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.) को सहयोग	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना (सरकारी स्वायत्त निकाय)	0.00	46.00
गैर सरकारी संगठनों/संस्थानों/राज्य संसाधन केन्द्रों को प्रौढ़ शिक्षा एवं कौशल विकास हेतु सहायता	राज्य संसाधन केंद्र दीपायतन {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	6.54	0.50
	आद्री राज्य संसाधन केंद्र दीपायतन {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.00	0.42
	जन शिक्षण संस्थान {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.00	2.40
स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (सरकारी स्वायत्त निकाय)	30.61	0.00
सिनर्जी प्रोजेक्ट सीटीएस (प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय)	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना (सरकारी स्वायत्त निकाय)	0.00	0.07
प्रौद्योगिकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (वर्त्तमान एवं नया चरण)	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना (सरकारी स्वायत्त निकाय)	0.00	5.00
प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम	सांविधिक निकाय	0.00	0.02
अनुसूचित जातियों के लिए उत्तम दर्जा शिक्षा योजना	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना (सरकारी स्वायत्त निकाय)	0.00	0.14
	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना (सरकारी स्वायत्त निकाय)	0.00	0.11
	होटल प्रबंधन संस्थान खान-पान एवं पोषाहार, हाजीपुर (सरकारी स्वायत्त निकाय)	0.00	0.05
अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए छतरी योजना	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना (सरकारी स्वायत्त निकाय)	0.00	0.04
	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना (सरकारी स्वायत्त निकाय)	0.00	0.11
युवा छात्रावास	वैयक्तिक	0.00	0.01
आंचलिक सांस्कृतिक केंद्र	पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)	0.00	1.60
	वैयक्तिक	0.00	0.19
	योग	**9464.50**	**651.74**

(स्रोतः वित्त लेखे वर्ष 2014–15)

परिशिष्ट– 1.7

(संदर्भः कंडिका 1.3 एवं 1.3.1.1; पृष्ठ 8 एवं 11)

राज्य सरकार के वित्त के कालश्रृंखला आंकड़े

(₹ करोड़ में)

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
खंड अ प्राप्तियाँ					
1.राजस्व प्राप्तियाँ	**44532**	**51320**	**59567**	**68919**	**78417**
(i) कर राजस्व	**9870 (22)**	**12612 (25)**	**16253(27)**	**19961 (29)**	**20750(26)**
विक्रय, व्यापार आदि पर कर	4557 (46)	7476 (59)	8671(53)	8453(42)	8607 (41)
राज्य उत्पाद	1523 (16)	1981 (16)	2430(15)	3168(16)	3217 (16)
वाहन पर कर	456 (5)	569 (4)	673(4)	837(4)	964(5)
मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क	1099 (11)	1480 (12)	2173(14)	2712(14)	2699(13)
भू–राजस्व	139 (1)	168 (1)	205(1)	202(1)	277(1)
माल एवं यात्री कर	2006 (20)	828 (7)	1932(12)	4349(22)	4451(21)
अन्य कर	90 (1)	110 (1)	169(1)	240(1)	535(3)
(ii) करेत्तर राजस्व	**985 (2)**	**890 (2)**	**1135(2)**	**1545(2)**	**1558(2)**
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का अंश	**23978(54)**	**27935 (54)**	**31901(54)**	**34829(51)**	**36963(47)**
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	**9699 (22)**	**9883 (19)**	**10278(17)**	**12584(18)**	**19146(24)**
2. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	0	**0**	**0**	**0**	**0**
3. ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	**12**	**23**	**25**	**15**	**1493**
4. कुल राजस्व एवं गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	**44544**	**51343**	**59592**	**68934**	**79910**
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	**6032**	**6628**	**9554**	**9907**	**13917**
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओभरड्राफ्ट को छोड़कर)	5251	5801	9046	9357	13199
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओभरड्राफ्ट के तहत निवल लेन–देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	781	827	508	550	718
6. अंतर्राज्यीय समाशोधन		**75**	**-**	**-**	**-**
7. संचित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5+6)	**50576**	**58046**	**69146**	**78841**	**93827**
8. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
9. लोक लेखा प्राप्तियाँ	**17321**	**22303**	**27066**	**33458**	**40251**
10. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (7+8+9)	**67897**	**80349**	**96212**	**112299**	**134078**
खंड ब व्यय/संवितरण					
11. राजस्व व्यय	**38216**	**46499**	**54466**	**62477**	**72570**
योजना	**10900 (29)**	**12487 (27)**	**16892(31)**	**19096(31)**	**25511(35)**
गैर–योजना	**27316 (71)**	**34012 (73)**	**37574(69)**	**43381(69)**	**47059(65)**
सामान्य सेवाएँ (ब्याज भुगतान सहित)	15287(40)	17729(38)	18645(34)	22018(35)	26408(36)
सामाजिक सेवाएँ	15090 (39)	18729 (40)	23107(43)	26395(42)	31713(44)
आर्थिक सेवाएँ	7836 (21)	10038 (22)	12710(23)	14060(23)	14445(20)
सहायता अनुदान एवं अंशदान	3	3	4	4	4
12. पूँजीगत व्यय	**9196**	**8852**	**9585**	**14001**	**18150**
योजना	**9150 (99)**	**8812 (99)**	**9492(99)**	**13904(99)**	**18092(99)**
गैर–योजना	**46 (1)**	**40 (1)**	**93(1)**	**97(1)**	**58(1)**
सामान्य सेवाएँ	396 (4)	608 (7)	717(7)	1333(10)	1748(10)
सामाजिक सेवाएँ	1072 (12)	807 (9)	1331(14)	1858(13)	1674(9)
आर्थिक सेवाएँ	7728 (84)	7437 (84)	7537(79)	10810(77)	14728(81)
13. ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरण	**1103**	**1906**	**2086**	**807**	**369**
14. कुल (11+12+13)	**48515**	**57257**	**66137**	**77285**	**91089**
15. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	**2190**	**2922**	**3070**	**3120**	**3609**
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओभरड्राफ्ट को छोड़कर)	1725	2457	2585	2559	2975
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओभरड्राफ्ट के तहत निवल लेन–देन	-	-	-	-	-

(₹ करोड़ में)

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	465	465	485	561	634
16. आकस्मिकता निधि को विनियोजन	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
17. अंतर्राज्यीय समाशोधन	**-**	**2**	**-**	**-**	**-**
18. संचित निधि से कुल संवितरण (14+15+16+17)	**50705**	**60181**	**69207**	**80405**	**94698**
19. आकस्मिकता निधि संवितरण	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
20. लोक लेखा संवितरण	**16749**	**21393**	**24799**	**29453**	**39200**
21. राज्य द्वारा कुल संवितरण (18+19+20)	**67454**	**81574**	**94006**	**109858**	**133898**
खंड स घाटा					
22. राजस्व घाटा (–)/राजस्व आधिक्य (+) (1–11)	**6316**	**4821**	**5101**	**6442**	**5847**
23. राजकोषीय घाटा (–)/राजकोषीय आधिक्य (+) (4-14)	**(-)3971**	**(-)5914**	**(-)6545**	**(-)8351**	**(-)11179**
24. प्रारंभिक घाटा/ प्रारंभिक आधिक्य (23+25)	**348**	**(-)1610**	**(-)2117**	**(-)2892**	**(-)5050**
खंड द अन्य आँकड़ें					
25. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में शामिल)	**4319**	**4304**	**4428**	**5459**	**6129**
26. स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता	**4622**	**14444**	**17454**	**18935**	**22359**
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.)[@]	**203555**	**243269**	**293616**	**343663**	**402283**
28. लंबित राजकोषीय देयताएँ (वर्ष के अंत में)	**62858**	**67812**	**76503**	**86939**	**99056**
29. लंबित प्रत्याभूति (वर्ष के अंत में)	**588**	**1092**	**1089**	**1090**	**2001**
30. अधिकतम दी गई गारंटी (वर्ष के अंत में)	**1549**	**2049**	**2046**	**2587**	**5315**
31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	**350**	**380**	**298**	**227**	**211**
32. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरूद्ध पूँजी	**1005**	**1579**	**1488**	**1274**	**1301**
खंड ई राजकोषीय स्थिति का संकेतक					
I संसाधन संग्रहण					
निजी राजस्व कर/जी.एस.डी.पी.	**0.048**	**0.052**	**0.055**	**0.058**	**0.052**
निजी करेत्तर राजस्व/जी.एस.डी.पी.	**0.005**	**0.004**	**0.004**	**0.004**	**0.004**
केंद्रीय स्थानांतरण/जी.एस.डी.पी.	**0.118**	**0.115**	**0.109**	**0.101**	**0.092**
II व्यय प्रबंधन					
कुल व्यय/जी.एस.डी.पी.	**0.201**	**0.199**	**0.195**	**0.192**	**0.226**
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियाँ	**1.089**	**1.116**	**1.110**	**1.121**	**1.162**
राजस्व व्यय/कुल व्यय	**0.787**	**0.812**	**0.824**	**0.808**	**0.797**
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	**0.333**	**0.341**	**0.370**	**0.366**	**0.309**
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	**0.343**	**0.338**	**0.306**	**0.322**	**0.320**
पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	**0.189**	**0.155**	**0.145**	**0.181**	**0.199**
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	**0.181**	**0.144**	**0.134**	**0.164**	**0.180**
III राजकोषीय असंतुलन का प्रबंधन					
राजस्व घाटा (आधिक्य)/जी.एस.डी.पी.	**0.031**	**0.020**	**0.017**	**0.019**	**0.015**
राजकोषीय घाटा/जी.एस.डी.पी.	**(-)0.020**	**(-)0.024**	**(-)0.022**	**(-)0.024**	**(-)0.028**
प्राथमिक घाटा (आधिक्य)/जी.एस.डी.पी.	**0.002**	**(-)0.007**	**(-)0.007**	**(-)0.008**	**(-)0.013**
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	**(-)1.591**	**(-)0.815**	**(-)0.779**	**(-)0.771**	**(-)0.523**
IV राजकोषीय दायित्वों का प्रबंधन					
राजकोषीय दायित्व/जी.एस.डी.पी.	**0.309**	**0.279**	**0.261**	**0.253**	**0.246**
राजकोषीय दायित्व/आर.आर.	**1.412**	**1.321**	**1.284**	**1.261**	**1.263**
राजकोषीय दायित्व/राज्य का अपना संसाधन	**5.791**	**5.022**	**4.400**	**4.043**	**4.440**

कोष्ठक में दिए गए आँकड़े प्रत्येक उप–शीर्षों के कुल प्रतिशतता दिखलाते हैं।
@ सरकार द्वारा अपनाई गई सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आँकड़े
(स्रोतः वित्त लेखे वर्ष 2014–15)

परिशिष्ट– 1.8

(संदर्भ: कंडिका 1.9.1; पृष्ठ 24)

31 मार्च 2015 को बिहार सरकार के वित्तीय स्थिति का सार

(₹ करोड़ में)

31/3/2014 तक	देयताएँ		31/3/2015 तक
55624.10	**आंतरिक ऋण**		**65848.02**
	ब्याज वाले बाजार ऋण	37950.86	
	बिना ब्याज वाले बाजार ऋण	0.21	
	भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	21.55	
	अन्य संस्थाओं से ऋण	27875.40	
8637.79	**केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम**		**8722.45**
	1984–85 से पूर्व ऋण	3.91	
	गैर–योजना ऋण	55.68	
	राज्य योजना के लिए ऋण	8618.36	
	केंद्रीय योजना के लिए ऋण	1.01	
	केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं हेतु ऋण	0.53	
	अर्थोपाय योजनाओं के लिए मद	42.96	
350.00	**आकस्मिकता निधि**		**350.00**
9047.85	**लघु बचत, भविष्य निधि आदि**		**8865.08**
11548.35	**जमा**		**13784.38**
3448.76	**आरक्षित निधि**		**4178.89**
74.01	**अंतर्राज्यीय समाशोधन**		**74.01**
27787.35	सरकारी लेखा में आधिक्य		**33634.91**
	(i) घटावें चालू वर्ष का राजस्व अधिशेष	5847.56	
	(ii) वर्ष के प्रारंभ में संचित अधिशेष	27787.35	
116518.21			**135457.74**
	परिसम्पत्तियाँ		
85885.39	**स्थायी परिसम्पत्तियों पर सकल पूँजीगत परिव्यय**		**104035.80**
	कंपनियाँ, निगमों आदि के शेयरों में निवेश	7068.79	
	अन्य पूँजीगत परिव्यय	96967.01	
21379.36	**ऋण एवं अग्रिम**		**20255.00**
	उर्जा परियोजना हेतु ऋण	15305.09	
	अन्य विकास ऋण	4878.76	
	सरकारी सेवकों को ऋण तथा विविध ऋण	71.15	
1180.67	**प्रेषण**		**1192.65**
130.57	**अग्रिम**		**144.02**
1785.83	**उचंत और विविध शेष**		**3493.16**
6156.39	**रोकड़**		**6337.11**
	कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण		
	रिजर्व बैंक में जमा	(-) 89.06	
	विभागीय रोकड़ शेष	210.56	
	स्थायी अग्रिम	343.81	
	उद्दिष्ट निधियों के साथ रोकड़ शेष निवेश	5871.80	
116518.21			**135457.74**

(स्रोतः वित्त लेखे वर्ष 2014–15)

परिशिष्ट– 2.1

(संदर्भःकंडिका 2.3.1; पृष्ठ 37)

₹ 10 करोड़ एवं कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से ज्यादा की बचत वाले अनुदानों / विनियोजनों की विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान संख्या	अनुदान / विनियोजन का नाम	कुल अनुदान / विनियोजन	व्यय	बचत	प्रतिशत
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
1	1	कृषि विभाग	3655.89	2031.21	1624.68	44.44
2	2	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	658.91	447.31	211.60	32.11
3	3	भवन निर्माण विभाग	3328.44	1516.50	1811.94	54.44
4	7	निगरानी विभाग	39.27	29.04	10.23	26.05
5	8	कला,संस्कृति एवं युवा विभाग	99.98	64.72	35.26	35.27
6	9	सहकारिता विभाग	994.12	689.29	304.83	30.66
7	10	ऊर्जा विभाग	11551.95	8202.66	3349.29	28.99
8	12	वित्त विभाग	3355.83	1140.32	2215.51	66.02
9	16	पंचायती राज विभाग	4809.51	2374.77	2434.74	50.62
10	17	वाणिज्य–कर विभाग	134.72	95.89	38.83	28.82
11	18	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	1149.83	646.54	503.29	43.77
12	20	स्वास्थ्य विभाग	5296.29	3642.02	1654.27	31.23
13	21	शिक्षा विभाग	25933.64	16576.84	9356.80	36.08
14	23	उद्योग विभाग	1445.92	496.38	949.54	65.67
15	24	सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	206.26	115.83	90.43	43.84
16	25	सूचना प्रावैधिकी विभाग	225.64	47.04	178.60	79.15
17	26	श्रम संसाधन विभाग	472.03	222.64	249.39	52.83
18	27	विधि विभाग	673.21	494.12	179.09	26.60
19	28	उच्च न्यायालय, बिहार	129.00	81.41	47.59	36.89
20	33	सामान्य प्रशासन विभाग	547.83	374.30	173.53	31.68
21	35	योजना एवं विकास विभाग	3712.69	1818.61	1894.08	51.02
22	36	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	1908.20	1205.53	702.67	36.82
23	37	ग्रामीण कार्य विभाग	5727.28	4284.14	1443.14	25.20
24	38	निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	145.23	102.39	42.84	29.50
25	39	आपदा प्रबंधन विभाग	1116.60	454.57	662.03	59.29
26	40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	738.19	498.82	239.37	32.43
27	42	ग्रामीण विकास विभाग	6755.84	3135.91	3619.93	53.58
28	43	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	154.05	85.14	68.91	44.73
29	45	गन्ना उद्योग विभाग	422.69	85.46	337.23	79.78
30	46	पर्यटन विभाग	165.20	86.16	79.04	47.85
31	47	परिवहन विभाग	60.00	44.74	15.26	25.43
32	48	नगर विकास एवं आवास विभाग	3301.59	1778.46	1523.13	46.13
33	49	जल संसाधन विभाग	3466.70	2013.78	1452.92	41.91
34	50	लघु जल संसाधन विभाग	1013.71	457.29	556.42	54.89
35	51	समाज कल्याण विभाग	7418.36	4902.49	2515.87	33.91
योग			**100814.60**	**60242.32**	**40572.28**	**40.24**

(स्रोतः राज्य का विनियोग लेखा, वर्ष 2014–15)

परिशिष्ट– 2.1(क)

(संदर्भःकंडिका 2.3.1; पृष्ठ 37)

₹ 100 करोड़ तथा अधिक एवं कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से ज्यादा की बचत वाले अनुदानों/विनियोजनों की विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान/विनियोजन संख्या तथा नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल	व्यय	बचत	बचत की प्रतिश–तता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
राजस्व							
1	1-कृषि विभाग	2800.95	806.09	3607.04	2016.16	1590.88	44.10
2	2-पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	531.13	127.78	658.91	447.31	211.60	32.11
3	9-सहकारिता विभाग	415.26	418.27	833.53	565.55	267.98	32.15
4	10-ऊर्जा विभाग	3099.00	1710.61	4809.61	3783.39	1026.22	21.34
5	12-वित्त विभाग	273.97	2.60	276.57	151.58	124.99	45.19
6	12-वित्त विभाग (भारित)	430.01	975.25	1405.26	975.26	430.00	30.60
7	16-पंचायती राज विभाग	4225.32	483.69	4709.01	2374.77	2334.24	49.57
8	18-खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	796.86	352.97	1149.83	646.54	503.29	43.77
9	20-स्वास्थ्य विभाग	4100.54	131.56	4232.10	3317.99	914.11	21.60
10	21-शिक्षा विभाग	23703.68	1166.45	24870.13	16335.41	8534.72	34.32
11	23-उद्योग विभाग	807.83	624.59	1432.42	496.37	936.05	65.35
12	25-सूचना प्रावैधिकी विभाग	192.25	23.39	215.64	43.04	172.60	80.04
13	26-श्रम संसाधन विभाग	334.51	132.82	467.33	219.32	248.01	53.07
14	27-विधि विभाग	659.33	13.88	673.21	494.12	179.09	26.60
15	33-सामान्य प्रशासन विभाग	412.26	131.19	543.45	370.79	172.66	31.77
16	35-योजना एवं विकास विभाग	1129.82	26.75	1156.57	615.79	540.78	46.76
17	36-लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	417.90	3.47	421.37	320.27	101.10	23.99
18	37-ग्रामीण कार्य विभाग	1121.95	0.00	1121.95	282.02	839.93	74.86
19	39-आपदा प्रबंधन विभाग	910.73	205.47	1116.20	454.37	661.83	59.29
20	40-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	701.81	4.61	706.42	482.28	224.14	31.73
21	41-पथ निर्माण विभाग	902.40	356.35	1258.75	899.10	359.65	28.57
22	42-ग्रामीण विकास विभाग	6725.84	0.00	6725.84	3126.42	3599.42	53.52
23	45-गन्ना उद्योग विभाग	118.00	137.07	255.07	84.83	170.24	66.74

क्रम सं.	अनुदान/विनियोजन संख्या तथा नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल	व्यय	बचत	बचत की प्रतिश–तता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
24	48-नगर विकास एवं आवास विभाग	2419.94	880.65	3300.59	1778.46	1522.13	46.12
25	50-लघु जल संसाधन विभाग	651.67	0.25	651.92	276.50	375.42	57.59
26	51-समाज कल्याण विभाग	4630.64	2787.22	7417.86	4902.49	2515.37	33.91
कुल राजस्व		**62513.60**	**11502.98**	**74016.58**	**45460.13**	**28556.45**	**38.58**
पूँजीगत							
27	3-भवन निर्माण विभाग	2192.32	650.32	2842.64	1122.85	1719.79	60.50
28	10-ऊर्जा विभाग	3255.97	3486.37	6742.34	4419.27	2323.07	34.45
29	12-वित्त विभाग	24.00	1650.00	1674.00	13.48	1660.52	99.19
30	16-पंचायती राज विभाग	100.50	0.00	100.50	0.00	100.50	100.00
31	20-स्वास्थ्य विभाग	705.19	359.00	1064.19	324.03	740.16	69.55
32	21-शिक्षा विभाग	1011.51	52.00	1063.51	241.43	822.08	77.30
33	22-गृह विभाग	540.96	94.21	635.17	490.56	144.61	22.77
34	35-योजना एवं विकास विभाग	1655.68	900.44	2556.12	1202.82	1353.30	52.94
35	36-लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	1376.83	110.00	1486.83	885.26	601.57	40.46
36	45-गन्ना उद्योग विभाग	0.63	166.99	167.62	0.63	166.99	99.62
37	49-जल संसाधन विभाग	1679.00	832.50	2511.50	1248.88	1262.62	50.27
38	50-लघु जल संसाधन विभाग	248.83	112.96	361.79	180.79	181.00	50.03
कुल पूँजीगत		**12791.42**	**8414.79**	**21206.21**	**10130.00**	**11076.21**	**52.23**
महायोग		**75305.02**	**19917.77**	**95222.79**	**55590.13**	**39632.66**	**41.62**

(स्रोतः विनियोग लेखा, बिहार सरकार, वर्ष 2014–15)

परिशिष्ट– 2.2

(संदर्भः कंडिका 2.3.2; पृष्ठ 38)

वर्ष 2010–15 के दौरान सतत् बचत सूचित करने वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	राशि एवं बचत की प्रतिशतता									
		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		2014-15	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	
राजस्व–दत्तमत											
		राशि	प्रतिश-तता	राशि	प्रतिश-तता	राशि	प्रतिश-तता	राशि	प्रतिश-तता	राशि	प्रतिश-तता
1	2-पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	165.72	40.67	210.59	43.22	426.49	44.31	607.69	62.55	211.60	32.11
2	12-वित्त विभाग	55.64	**13.46**	122.72	43.27	223.31	31.97	106.32	27.48	124.99	45.19
3	20-स्वास्थ्य विभाग	479.42	23.92	528.85	21.52	569.78	22.26	623.24	22.30	914.11	21.60
4	27-विधि विभाग	130.41	26.37	148.50	26.19	151.31	26.11	141.61	22.78	179.09	26.60
5	40-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	128.43	23.06	148.70	24.05	72.52	14.96	132.67	21.20	224.14	31.73
6	41-पथ निर्माण विभाग	198.29	33.58	120.06	18.44	109.32	16.45	413.22	32.96	359.65	28.57
7	50-लघु जल संसाधन विभाग	108.29	15.78	291.77	50.39	92.81	25.99	668.14	66.10	375.42	57.59
योग		**1266.20**		**1571.19**		**1645.54**		**2692.89**		**2389.00**	
पूँजीगत–दत्तमत											
8	3-भवन निर्माण विभाग	66.52	36.16	292.26	57.49	722.07	69.33	659.52	40.88	1719.79	60.50
9	36-लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	268.62	29.99	137.81	31.09	265.47	50.66	97.55	13.62	601.57	40.46
10	49-जल संसाधन विभाग	1722.91	56.81	625.86	25.65	672.73	27.47	1853.56	53.61	1262.62	50.27
11	50-लघु जल संसाधन विभाग	181.26	**75.96**	110.50	42.42	127.24	43.26	108.10	35.51	181.00	50.03
योग		**2239.31**		**1166.43**		**1787.51**		**2718.73**		**3764.98**	
महायोग		**3505.51**		**2737.62**		**3433.05**		**5411.62**		**6153.98**	

(स्रोतः राज्य के विनियोग लेखा, 2014–15)

परिशिष्ट– 2.3

(संदर्भः कंडिका 2.3.3; पृष्ठ 39)

विगत वर्षों में प्रावधान से आधिक्य जिसके नियमन की आवश्यकता है

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	वर्ष	अनुदान/विनियोजन की संख्या	अनुदान/विनियोजन संख्या	आधिक्य की राशि
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
1	1977-78	1	24	0.06
2	1978-79	1	27	0.32
3	1981-82	2	3, 13	5.12
4	1982-83	1	22	0.98
5	1983-84	1	12	9.45
6	1984-85	2	3,14	2.63
7	1986-87	1	13	65.63
8	1987-88	3	9, 19, 38	15.53
9	1988-89	2	9, 38	6.59
10	1989-90	3	25, 27, 38	99.40
11	1990-91	2	37, 38	47.55
12	1991-92	2	6, 38	71.24
13	1992-93	1	38	87.77
14	1993-94	2	25, 37	157.68
15	1994-95	1	37	170.61
16	1995-96	2	25, 37	213.22
17	1996-97	2	23, 37	21.16
18	1997-98	1	7	0.01
19	1998-99	1	30	0.33
20	1999-00	1	40	0.01
21	2003-04	3	11, 30, 50	81.23
22	2004-05	2	20, 21	5.57
23	2005-06	1	40	0.02
24	2010-11	1	5	0.35
योग				**1062.46**

(स्रोतः लोक लेखा समिति अनुभाग से प्रदत्त सूचना)

परिशिष्ट– 2.4

(संदर्भः कंडिका 2.3.5, पृष्ठ 39)

अनुपूरक प्रावधान के मामले (प्रत्येक मामले में ₹ 10 लाख या उससे अधिक) जो अनावश्यक साबित हुए

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	मूल प्रावधान	व्यय	मूल प्रावधान में से बचत	अनुपूरक प्रावधान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अ. राजस्व (भारित)					
1	5-राज्यपाल सचिवालय	10.00	8.79	1.21	0.68
2	13-सूद भुगतान	6581.46	6128.75	452.71	4.05
3	28-उच्च न्यायालय, बिहार	127.02	81.41	45.61	1.98
योग भारित		**6718.48**	**6218.95**	**499.53**	**6.71**
अ. राजस्व (दत्तमत)					
4	1-कृषि विभाग	2800.95	2016.16	784.79	806.09
5	2-पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	531.13	447.31	83.82	127.78
6	3-भवन निर्माण विभाग	473.68	393.65	80.03	12.12
7	4-मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	131.25	104.84	26.41	15.14
8	7-निगरानी विभाग	31.07	29.04	2.03	8.20
9	8-कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	93.77	64.72	29.05	6.21
10	11-पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	1469.79	1444.68	25.11	16.29
11	12-वित्त विभाग	273.97	151.58	122.39	2.60
12	15-पेंशन	11655.25	11348.90	306.35	0.12
13	16-पंचायती राज विभाग	4225.32	2374.77	1850.55	483.69
14	17-वाणिज्य–कर विभाग	113.76	95.89	17.87	20.96
15	18-खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	796.86	646.54	150.32	352.97
16	20-स्वास्थ्य विभाग	4100.54	3317.99	782.55	131.56
17	21-शिक्षा विभाग	23703.68	16335.41	7368.27	1166.45
18	22-गृह विभाग	5820.78	5195.79	624.99	377.62
19	23-उद्योग विभाग	807.83	496.37	311.46	624.59
20	25-सूचना प्रावैधिकी विभाग	192.25	43.04	149.21	23.39
21	26-श्रम संसाधन विभाग	334.51	219.32	115.19	132.82
22	27-विधि विभाग	659.33	494.12	165.21	13.88
23	30-अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	83.45	70.58	12.87	5.42
24	33-सामान्य प्रशासन विभाग	412.26	370.79	41.47	131.19
25	35-योजना एवं विकास विभाग	1129.82	615.79	514.03	26.75
26	36-लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	417.90	320.27	97.63	3.47
27	38-निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	144.98	102.39	42.59	0.25
28	39-आपदा प्रबंधन विभाग	910.73	454.37	456.36	205.47
29	40-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	701.81	482.28	219.53	4.61
30	41-पथ निर्माण विभाग	902.40	899.10	3.30	356.35
31	43-विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	114.12	62.38	51.74	1.72
32	44-अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	1158.54	942.33	216.21	11.18
33	45-गन्ना उद्योग विभाग	118.00	84.83	33.17	137.07
34	47-परिवहन विभाग	48.00	41.94	6.06	5.00
35	48-नगर विकास एवं आवास विभाग	2419.94	1778.46	641.48	880.65
36	49-जल संसाधन विभाग	826.20	764.90	61.30	129.00
37	50-लघु जल संसाधन विभाग	651.67	276.50	375.17	0.25
योग दत्तमत		**68255.54**	**52487.03**	**15768.51**	**6220.86**
योग राजस्व		**74974.02**	**58705.98**	**16268.04**	**6227.57**

क्रम सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	मूल प्रावधान	व्यय	मूल प्रावधान में से बचत	अनुपूरक प्रावधान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ब. पूँजीगत (दत्तमत)					
38	1-कृषि विभाग	25.85	15.05	10.80	23.00
39	3-भवन निर्माण विभाग	2192.32	1122.85	1069.47	650.32
40	12-वित्त विभाग	24.00	13.48	10.52	1650.00
41	20-स्वास्थ्य विभाग	705.19	324.03	381.16	359.00
42	21-शिक्षा विभाग	1011.51	241.43	770.08	52.00
43	22-गृह विभाग	540.96	490.56	50.40	94.21
44	35-योजना एवं विकास विभाग	1655.68	1202.82	452.86	900.44
45	36-लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	1376.83	885.26	491.57	110.00
46	37-ग्रामीण कार्य विभाग	4170.91	4002.12	168.79	434.42
47	40-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	31.27	16.54	14.73	0.50
48	43-विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	23.21	22.76	0.45	15.00
49	45-गन्ना उद्योग विभाग	0.63	0.63	0.00	166.99
50	49-जल संसाधन विभाग	1679.00	1248.88	430.12	832.50
51	50-लघु जल संसाधन विभाग	248.83	180.79	68.04	112.96
योग पूँजीगत		**13686.19**	**9767.20**	**3918.99**	**5401.34**
महायोग		**88660.21**	**68473.18**	**20187.03**	**11628.91**

(स्रोतः राज्य का विनियोग लेखा, 2014–15)

परिशिष्ट– 2.5

(संदर्भः कंडिका 2.3.6; पृष्ठ 39)

निधियों का आधिक्य/अनावश्यक पुनर्विनियोजन

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनि–योजन (+)	वास्तविक व्यय	अभ्यर्पण	अंतिम बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	1	2401-00-001-0001-निदेशन	9.10	0.43	8.54	0.27	0.72
2		2401-00-108-0320-राष्ट्रीय तिलहन तथा पाम ऑयल मिशन	6.30	0.68	0.97	5.20	0.81
3		2401-00-789-0128-वेयर हाउसिंग एवं स्टोरेज का विकास	4.48	0.64	0.64	4.33	0.15
4		2402-00-789-0101-भूमि संरक्षण कार्य	4.04	0.50	2.16	0.00	2.38
5		2415-01-004-0006-मिट्टी जाँच एवं गुण नियंत्रण प्रयोगशाला की योजना	5.18	0.35	5.02	0.26	0.25
6		2415-01-277-0005-राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान	92.40	5.26	92.42	0.00	5.24
7	2	2403-00-101-0004-पशु स्वास्थ्य उत्पादन संस्थान	0.62	0.25	0.84	0.02	0.01
8		2405-00-001-0101-मत्स्य निदेशालय का पुनर्गठन	1.43	0.42	0.59	1.16	0.10
9	3	2059-80-001-0001-निदेशन	15.43	0.93	14.37	1.97	0.02
10		2059-80-001-0011-उद्यान (स्थापना)	20.71	0.10	19.56	1.19	0.06
11	6	2015-00-102-0001-मुख्यालय प्रभार और सामान्य स्थापना	22.16	1.76	17.88	5.63	0.41
12		2015-00-106-0001-राज्य विधान–सभा निर्वाचन	3.77	7.60	8.78	2.49	0.10
13	9	2425-00-001-0001-निदेशन	3.79	0.06	3.66	0.08	0.11
14	12	2054-00-095-0002-भविष्य निधि लेखा का संधारण	18.39	1.83	14.40	5.58	0.24
15	13	2049-04-101-0002-1989–90 से प्राप्त ब्लौक कर्जे से ब्याज	74.55	36.60	109.09	0.00	2.06
16		2049-60-701-0005-विलंबित सभी तरह के पेंशन (पारिवारिक पेंशन सहित) और मृत्यु–सह–निवृति उपादान के बकाये राशि पर ब्याज	0.10	0.10	0.14	0.00	0.06
17	16	2515-00-001-0003-जिला पंचायत की स्थापना	232.95	1.00	168.64	49.20	16.11
18		2515-00-003-0001-पंचायत कर्मचारियों का प्रशिक्षण	2.85	0.18	2.29	0.55	0.19
19		3451-00-090-0028- पंचायती राज विभाग	1.19	0.08	0.97	0.24	0.06
20	18	3456-00-001-0003-जिला प्रभार (उपभोक्ता संरक्षण)	15.25	0.02	9.48	0.00	5.79
21	19	2406-01-003-0001-प्रशिक्षण, जनसंपर्क एवं शोध	1.78	0.10	1.59	0.23	0.06
22		2406-01-800-0105-पथ तट फार्म	37.25	4.68	38.95	2.97	0.01

क्रम सं.	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनि–योजन (+)	वास्तविक व्यय	अभ्यर्पण	अंतिम बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
23	20	2210-01-110-0002-दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल	62.89	4.82	56.09	0.00	11.62
24		2210-01-110-0006-मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गया	28.17	2.90	29.69	0.00	1.38
25		2210-01-110-0010-इन्दिरा गाँधी हृदयरोग संस्थान, पटना	28.29	0.75	20.48	0.00	8.56
26		2210-03-110-0001-लोक स्वास्थ्य केन्द्र	84.61	1.15	63.14	21.89	0.73
27		2210-05-105-0003-दरभंगा मेडिकल कॉलेज	48.75	8.66	51.37	0.00	6.04
28		2210-05-105-0007-मगध मेडिकल कॉलेज	18.98	5.21	22.63	0.00	1.56
29		2210-05-105-0008-श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरपुर	21.70	1.67	20.54	0.00	2.83
30		2210-05-105-0022-वर्द्धमान इन्स्टीच्यूट ऑफ हेल्थ साईंस, पावापुरी	8.16	7.41	8.74	0.00	6.83
31		2210-05-105-0023-राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया	13.18	4.82	11.15	0.00	6.85
32		2210-06-001-0001-अधीक्षण	7.36	0.03	6.00	1.24	0.15
33		2210-06-003-0002-लोक स्वास्थ्य संस्थायें	15.55	0.04	7.89	0.00	7.70
34		2210-06-107-0001-लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएँ	3.79	1.06	3.64	0.95	0.26
35		2210-06-113-0001-प्रशिक्षण एवं प्रसार अभियान	0.56	0.02	0.54	0.02	0.02
36		2211-00-101-0205- स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	335.34	2.00	288.75	0.00	48.59
37		2251-00-090-0007-स्वास्थ्य विभाग	3.82	0.12	3.02	0.67	0.25
38	21	2202-01-001-0001-प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय	3.70	0.14	2.93	0.00	0.91
39		2202-01-102-0001-गैर–सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को सहायता	25.00	6.04	20.89	0.00	10.15
40		2202-01-104-0001-निरीक्षण	118.82	9.49	97.81	0.00	30.50
41		2202-01-107-0001-प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय	40.32	4.00	35.44	0.00	8.88
42		2202-01-109-0103-मध्य विद्यालयों के छात्रों का परिभ्रमण	28.73	29.72	17.29	0.00	41.16
43		2202-01-111-0101-सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.)	1.50	48.59	25.41	0.00	24.68
44		2202-02-001-0002-जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी	30.84	5.00	26.77	0.00	9.07
45		2202-02-001-0101-माध्यमिक शिक्षा निदेशालय	41.44	6.48	2.32	0.00	45.60

क्रम सं.	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनि–योजन (+)	वास्तविक व्यय	अभ्यर्पण	अंतिम बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
46	21	2202-02-107-0105-मुख्यमंत्री बालक साईकिल योजना	159.50	1.35	136.81	0.00	24.04
47		2202-02-107-0106- मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना	155.25	6.93	145.74	0.00	16.44
48		2202-02-109-0207-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर.एम.एस.ए.)	137.66	8.60	137.66	0.00	8.60
49		2202-02-110-0003-माध्यमिक बहुदेशीय अल्पसंख्यक विद्यालय	44.00	8.00	44.01	0.00	7.99
50		2202-02-191-0001-नगर माध्यमिक शिक्षकों को समेकित भुगतान	15.43	0.99	13.00	0.00	3.42
51		2202-02-192-0001-नगर माध्यमिक शिक्षकों को समेकित भुगतान	17.95	3.51	17.52	0.00	3.94
52		2202-02-789-0101-मुख्यमंत्री बालक साईकिल योजना	25.50	5.92	24.22	0.00	7.20
53		2202-02-789-0102-मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना	24.75	5.31	23.47	0.00	6.59
54		2202-03-001-0001-निदेशन तथा प्रशासन	2.86	4.02	5.25	0.00	1.63
55		2202-03-102-0009-भागलपुर विश्वविद्यालय	422.84	18.28	308.79	0.00	132.33
56		2202-03-102-0012-कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय	105.06	1.98	62.23	0.00	44.81
57		2202-03-102-0119-नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, नालंदा	0.00	26.31	0.00	0.00	26.31
58		2202-03-800-0002-अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड	0.06	0.01	0.06	0.00	0.01
59		2202-04-001-0002-जन शिक्षा निदेशालय	1.85	0.18	1.92	0.00	0.11
60		2202-04-200-0001-जिला जन शिक्षा कार्यालय	6.15	0.29	4.97	0.00	1.47
61		2202-80-001-0001-मुख्यालय स्थापना	5.84	0.14	4.87	0.00	1.11
62		2202-80-001-0002-राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान निदेशालय	0.79	0.38	0.76	0.00	0.41
63		2202-80-004-0003-जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनैतिक शोध संस्थान, पटना	1.34	1.98	2.02	0.00	1.30
64		2202-80-004-0005-अरबी तथा फारसी में अनुसंधान	0.40	0.04	0.38	0.00	0.06
65		2202-80-004-0006-प्राचीन जैन शिल्प कला शोध संस्थान, वैशाली	0.71	0.01	0.67	0.00	0.05
66		2202-80-004-0007-के.पी. जायसवाल शोध संस्थान, पटना	1.43	0.43	1.47	0.00	0.39

क्रम सं.	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनि–योजन (+)	वास्तविक व्यय	अभ्यर्पण	अंतिम बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
67	21	2204-00-104-0108-बिहार सबजूनियर स्पोर्ट्स मीट तरंग कार्यक्रम	2.00	2.45	3.13	0.00	1.32
68		2205-00-105-0001-सार्वजनिक पुस्तकालय	1.32	0.60	1.58	0.00	0.34
69	22	2052-00-090-0006-गृह (पुलिस) विभाग	4.59	0.12	4.51	0.19	0.01
70		2055-00-001-0001-अधीक्षण	31.09	0.33	27.35	0.00	4.07
71		2055-00-101-0001-आपराधिक जाँच विभाग	140.86	0.18	125.51	0.00	15.53
72		2055-00-104-0002-पैदल सैन्य पुलिस	619.55	11.54	549.55	0.00	81.54
73		2055-00-109-0017-नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधित व्यय	8.50	4.75	11.60	0.00	1.65
74		2055-00-114-0001-संकेत	44.70	0.60	42.03	0.00	3.27
75		2055-00-115-0001-पुलिस आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत केन्द्र सरकार के समतुल्य राशि	36.00	6.28	8.55	0.00	33.73
76		2056-00-101-0006-मुक्त कारागार	0.82	0.08	0.56	0.00	0.34
77		2235-60-200-0004-दंगा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत	3.50	0.50	3.28	0.00	0.72
78	23	2851-00-103-0001-हस्तकरघा विकास योजना	1.89	0.10	1.23	0.00	0.76
79		2852-08-001-0001-खाद्य प्रसंस्करण उद्योग निदेशालय	0.55	0.08	0.54	0.00	0.09
80		2852-80-102-0160-प्री–प्रोडक्सन एवं पोस्ट–प्रोडक्सन सुविधाओं की योजना	670.00	15.00	366.32	295.00	23.68
81	24	2220-01-001-0001-निदेशन तथा प्रशासन	10.17	0.42	3.35	7.00	0.24
82		2251-00-090-0014-सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	0.83	0.07	0.42	0.47	0.01
83	26	2230-01-789-0102-बंधुआ मजदूर कल्याण कार्यक्रम	0.13	0.20	0.13	0.19	0.01
84	29	2853-02-001-0001-खनन एवं भूतत्त्व स्थापना	18.71	0.01	13.50	5.09	0.13
85	33	2053-00-101-0001-मुख्य कार्यालय	20.15	1.37	17.40	3.82	0.30
86	35	2052-00-090-0012-विकास आयुक्त	0.77	0.03	0.59	0.18	0.03
87		2070-00-001-0105-बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00
88	38	2039-00-001-0001-अधीक्षण	6.44	0.04	4.15	2.28	0.05
89		2052-00-092-0007-स्टाम्प्स और उत्पाद आयुक्त	0.53	0.04	0.43	0.08	0.06
90	39	2235-01-200-0004-कटाव से विस्थापितों को हुई भूमि की क्षति के लिए सहायता अनुदान	12.17	3.50	8.98	0.09	6.60

क्रम सं.	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनि–योजन (+)	वास्तविक व्यय	अभ्यर्पण	अंतिम बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
91	39	2245-02-101-0010-वज्रपात से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुदान	2.00	2.00	3.21	0.66	0.13
92	41	5054-03-101-0101-सेतु	621.31	13.69	1.05	27.23	606.72
93		5054-03-337-0206-केन्द्रीय सड़क निधि	100.00	25.05	62.42	11.11	51.52
94	42	2216-03-796-0202-इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.)	25.92	37.00	29.77	20.72	12.43
95		2216-03-796-0302-इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.)	11.36	14.00	11.34	7.04	6.98
96	43	2203-00-105-0101-स्नातक–स्तरीय पाठ्यक्रम–विश्व बैंक संपोषित पॉलिटेक्नीक शिक्षा सुदृढ़ीकरण योजना	0.46	0.05	0.33	0.15	0.03
97	47	2041-00-001-0001-राज्य परिवहन प्राधिकरण	5.92	0.20	4.47	1.39	0.26
98		2041-00-101-0002-मोटरवाहनों का नियंत्रण	30.13	0.68	24.28	6.32	0.21
99	48	2217-80-001-0002-नगर और प्रादेशिक संगठन की स्थापना	1.28	0.11	1.19	0.18	0.02
100		2217-80-001-0004-नगरपालिका भवन न्यायाधिकरण	0.00	0.37	0.12	0.04	0.21
101		2251-00-090-0005-नगर विकास एवं आवास विभाग	5.43	1.04	4.99	0.74	0.74
102	49	2700-02-001-0001-स्थापना	79.67	3.05	79.85	2.80	0.07
103		2700-03-001-0001-स्थापना	152.26	5.00	152.32	4.46	0.48
104		2701-04-001-0001-स्थापना	30.19	1.16	30.32	1.00	0.03
105		4700-04-001-0101-स्थापना	7.50	0.16	6.93	0.71	0.02
106	50	2702-03-103-0002-राजकीय नलकूप	269.60	18.00	141.98	142.70	2.92
योग			**5652.89**	**482.20**	**4028.59**	**647.78**	**1458.72**

(स्रोतः विस्तृत विनियोग लेखा, (अनुदान अंकेक्षण पंजी को सम्मिलित कर) बिहार सरकार, 2014–15)

परिशिष्ट- 2.6

(संदर्भ: कंडिका 2.3.6; पृष्ठ 39)

निधियों के पुनर्विनियोजन द्वारा अपर्याप्त निकासी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	पुनर्विनि–योजन	अभ्यर्पण	अंतिम बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	1	2401-00-109-0001-प्रमंडलीय, जिला एवं अनुमंडलीय स्थापना	212.82	147.28	8.86	52.27	4.41
2		2401-00-119-0001- उद्यान विकास योजना	16.23	11.43	0.43	3.75	0.62
3		2402-00-102-0112-भूमि संरक्षण कार्य	23.97	11.19	0.40	0.00	12.38
4	2	2403-00-103-0003-रेंज मुर्गीपालन प्रक्षेत्र एवं केन्द्रीय मुर्गीपालन विकास और मुर्गीपालन खाद्य के उत्पादन एवं वितरण की योजना	5.99	4.71	0.25	0.00	1.03
5		2405-00-101-0104-तालाब मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार	39.50	7.74	1.00	30.40	0.36
6	6	2015-00-105-0001-संसदीय चुनाव	215.00	189.26	9.36	7.09	9.29
7	9	2425-00-001-0002-अधीक्षण	57.49	56.49	0.06	0.65	0.29
8	12	2052-00-090-0008-वित्त विभाग	61.71	36.78	1.83	22.62	0.48
9		7610-00-201-0001-सरकारी सेवकों को गृह–निर्माण अग्रिम	7.00	5.29	1.50	0.01	0.20
10		7610-00-204-0001-पदाधिकारियों को कंप्यूटर खरीदने के लिए अग्रिम	2.00	0.69	0.50	0.79	0.02
11	13	2049-01-101-0001-बिहार राज्य विकास ऋणों, (ब्याजदेय) पर सूद	2909.60	2644.69	54.42	0.00	210.49
12	19	2406-01-789-0102-नहर तट फार्म	11.17	9.77	0.79	0.29	0.32
13	20	2210-01-001-0002-जिला चिकित्सा पदाधिकारी	33.10	26.96	0.07	5.75	0.32
14		2210-01-110-0001-पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल	125.00	105.98	2.90	0.00	16.12
15		2210-01-110-0008-श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल, मुजफ्फरपुर	39.85	32.25	2.00	0.00	5.60
16		2210-01-200-0008-रक्त अधिकोष	3.98	2.20	0.95	0.00	0.83
17		2210-03-101-0003- स्वास्थ्य उपकेन्द्र	61.73	40.40	4.82	0.00	16.51
18		2210-03-103-0001-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	867.05	701.01	13.50	147.16	5.38
19		2210-05-105-0001- पटना मेडिकल कॉलेज	77.91	61.65	1.00	0.00	15.26

क्रम सं.	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	पुनर्विनि–योजन	अभ्यर्पण	अंतिम बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
20	20	2210-05-105-0009- दंत कॉलेज, पटना	5.10	3.43	0.52	0.00	1.15
21		2210-05-105-0013- फार्मेसी प्रशिक्षण	1.67	1.05	0.20	0.00	0.42
22		2210-05-105-0017- इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान,पटना	75.50	50.00	15.49	0.00	10.01
23		2210-06-101-0003- राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम	37.24	24.50	7.41	0.00	5.33
24		2210-06-104-0001-औषध नियंत्रण स्थापना	11.71	9.13	0.04	0.00	2.54
25		2211-00-001-0204- स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	41.36	20.95	2.00	0.00	18.41
26	21	2202-01-101-0001-राजकीय प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय	5409.62	3465.68	38.67	0.00	1905.27
27		2202-01-111-0301- सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.)	2621.05	2030.31	134.05	0.00	456.69
28		2202-02-109-0208-प्रखंड स्तर पर उत्कृष्टता के बेंचमार्क के रूप में 6000 आदर्श विद्यालयों की स्थापना की योजना	305.30	0.00	8.60	0.00	296.70
29		2202-02-196-0001-जिला परिषद् माध्यमिक शिक्षकों को समेकित अनुदान	316.17	228.16	4.51	0.00	83.50
30		2202-03-102-0002-मगध विश्वविद्यालय	819.88	559.94	24.87	0.00	235.07
31		2202-03-102-0003-बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर (बिहार विश्वविद्यालय)	468.99	316.89	0.68	0.00	151.42
32	22	2055-00-001-0009- प्रतिनियुक्ति अर्द्धसैनिक बलों पर व्यय	677.74	651.70	0.12	0.00	25.92
33		2055-00-104-0003-विशेष टास्क फोर्स	124.46	56.88	0.60	0.00	66.98
34		2055-00-109-0001-जिला कार्यकारी दल	2566.97	2219.33	6.65	0.00	340.99
35		2055-00-109-0005-स्पेशल ऑक्जलरी पुलिस	166.25	131.66	11.54	0.00	23.05
36		2055-00-109-0006-सुरक्षा संबंधित व्यय (एस.आर.ई.) स्कीम के तहत नक्सल प्रभावित थानों/बाह्य पोस्ट का सुदृढ़ीकरण	16.00	8.90	3.00	0.00	4.10

क्रम सं.	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	पुनर्विनि–योजन	अभ्यर्पण	अंतिम बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
37	22	2055-00-109-0009-एस.आर.ई. योजना से आच्छादित जिलों में आपात स्थिति में किराये पर लिए जाने वाले वाहनों/ हेलिकॉप्टरों/ संचार संसाधन हेतु (प्रतिपूर्ति भारत सरकार से)	11.00	0.04	1.75	0.00	9.21
38		2055-00-111-0002-ऑर्डर पुलिस	179.52	153.62	0.15	0.00	25.75
39		2056-00-101-0001-केन्द्रीय कारा	99.76	66.24	0.08	8.48	24.96
40		2056-00-101-0002-जिला कारा	121.17	71.00	0.15	11.00	39.02
41		2056-00-102-0001-केन्द्रीय कारा	16.75	15.40	0.11	0.86	0.38
42		2235-60-200-0009-जे.पी. सेनानी सम्मान योजना	13.00	11.40	0.20	1.39	0.01
43		2235-60-200-0011-मानवता के दृष्टिकोण से राहत	2.00	0.68	0.50	0.00	0.82
44		4055-00-051-0101-पुलिस भवनों का निर्माण एवं संधारण	227.16	192.95	31.00	0.00	3.21
45	23	2851-00-102-0001-प्रदर्शन केन्द्र	33.06	18.28	0.10	0.00	14.68
46		2851-00-103-0113-शिल्प अनुसंधान संस्थान की योजना का सुदृढ़ीकरण	18.70	1.47	4.00	0.10	13.13
47		2851-00-107-0101-पिछड़ी जातियों के लिए विशेष अंगीभूत रेशम विकास योजना	48.00	11.72	11.00	0.00	25.28
48		2852-80-001-0002-निदेशन	27.63	18.31	0.08	0.00	9.24
49	24	2220-01-106-0002-जिला इकाईयाँ	25.25	13.86	0.49	10.43	0.47
50	26	2230-01-109-0101-बीड़ी श्रमिकों के लिए गृह निर्माण	0.40	0.24	0.10	0.05	0.01
51		2230-01-114-0102-अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों की पुनर्वापसी पर व्यय	1.57	0.97	0.14	0.43	0.03
52	29	3451-00-090-0004- खान एवं भूतत्त्व विभाग	0.52	0.43	0.01	0.07	0.01
53	35	2053-00-094-0007- योजना तंत्र का सुदृढ़ीकरण	89.86	60.48	0.24	27.72	1.42
54	36	2215-01-102-0002- हस्त चालित ट्यूबवेल्स, तालाब, कुएँ एवं उच्च प्रवाही नलकूप	146.91	121.49	3.00	22.09	0.33

क्रम सं.	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	पुनर्विनि–योजन	अभ्यर्पण	अंतिम बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
55	38	2030-03-001-0002- जिला प्रभार	57.78	38.45	0.04	18.08	1.21
56		2039-00-001-0002- जिला प्रभार	65.79	45.76	0.05	18.55	1.43
57	39	2245-01-101-0001- निःसहायों एवं विकलांगों को नकद भुगतान	30.00	0.00	7.50	0.00	22.50
58		2245-80-800-0102- जागरूकता एवं क्षमता निर्माण	11.28	1.91	2.58	6.72	0.07
59	41	3054-80-001-0002-पर्यवेक्षण	252.40	191.57	1.20	57.41	2.22
60		5054-02-337-0101- भारत–नेपाल सीमा सड़क	224.00	148.38	8.74	16.54	50.34
61		5054-03-101-0104- मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना	400.00	70.60	30.00	18.20	281.20
62	42	2216-03-105-0202-इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.)	1144.80	425.28	37.00	649.40	33.12
63		2216-03-105-0302- इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.)	484.88	160.61	112.00	207.40	4.87
64	43	2203-00-112-0001- स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम	25.26	23.74	0.03	1.21	0.28
65	44	2225-01-277-0003-आवासीय विद्यालय	95.26	73.28	0.05	21.84	0.09
66	45	2401-00-108-0109-गन्ना विकास	125.46	35.39	12.60	76.75	0.72
67		2401-00-789-0108- गन्ना विकास	17.51	1.70	2.25	13.29	0.27
68	48	2217-80-193-0007- शहरी प्रबंधक	1.17	0.84	0.12	0.13	0.08
69	49	2700-03-101-0002- अन्य रख–रखाव व्यय	29.60	11.65	5.00	9.27	3.68
70		2711-01-103-0002- अन्य रख–रखाव व्यय	110.45	82.02	10.30	18.01	0.12
71		4700-04-051-0101- किउल–बडुआ–चान्दन बेसिन की सिंचाई परियोजना (कार्य)	20.70	2.68	1.00	16.90	0.12
72		4701-03-001-0101- स्थापना	1.80	1.42	0.16	0.21	0.01
73		4711-01-051-0102- जल निस्सरण परियोजनाएं (कार्य)	13.03	2.97	2.00	7.50	0.56
74	50	2702-03-103-0007-अन्य रख–रखाव व्यय	106.47	6.29	18.00	82.17	0.01
75		4702-00-101-0101-लघु सिंचाई	53.98	35.04	11.24	7.47	0.23
76		4702-00-789-0101-लघु सिंचाई योजना	21.27	14.49	5.32	1.40	0.06
योग			**22791.26**	**16006.93**	**683.87**	**1601.85**	**4498.61**

(स्रोतः विस्तृत विनियोग लेखा, (अनुदान अंकेक्षण पंजी को सम्मिलित कर) बिहार सरकार, 2014–15)

परिशिष्ट– 2.7

(संदर्भ:कंडिका 2.3.7; पृष्ठ 41)

वर्ष के दौरान वृहत् अभ्यर्पण (₹ पाँच करोड़ या कुल प्रावधान का 50 प्रतिशत से अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	योजनाओं का नाम (लेखाओं का शीर्ष)	कुल प्रावधान	व्यय	अभ्यर्पित राशि	बचत	प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	1–कृषि विभाग	2401-00-001-0112-वेयर हाउसिंग एवं स्टोरेज का विकास	27.07	3.75	22.98	0.34	84.89
2		2401-00-102-0301- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	16.92	0.22	16.70	0.00	98.70
3		2401-00-103-0109-बीज गुणन फार्मो का विस्तार–खेती पर व्यय	90.93	26.90	63.30	0.73	69.61
4		2401-00-103-0115-बिहार राज्य बीज निगम द्वारा बीजोत्पादन कार्यक्रम	34.96	3.83	31.02	0.11	88.73
5		2401-00-103-0417-गुणवत्ता बीजों के उत्पादन एवं वितरण हेतु आधारभूत सुविधाओं का विकास एवं सुदृढ़ीकरण	38.31	0.57	37.51	0.23	97.91
6		2401-00-105-0106-जैविक खेती का उन्नयन	169.20	64.91	104.29	0.00	61.64
7		2401-00-105-0307-राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन	38.07	17.23	20.84	0.00	54.74
8		2401-00-109-0103-बाढ़/सुखाड़ की आपातकालीन योजना	215.72	85.91	129.81	0.00	60.18
9		2401-00-109-0114-एग्री बिजनेस इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स (ई.ए.पी.)	34.24	0.26	33.98	0.00	99.24
10		2401-00-109-0217-राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिक मिशन	141.80	0.00	122.97	18.83	86.72
11		2401-00-119-0224-राष्ट्रीय बागवानी मिशन	44.54	7.00	37.54	0.00	84.28
12		2401-00-119-0324- राष्ट्रीय बागवानी मिशन	36.90	13.99	22.91	0.00	62.09
13		2401-00-789-0116- बिहार राज्य बीज निगम द्वारा बीजोत्पादन कार्यक्रम	5.82	0.61	5.18	0.03	89.00
14		2401-00-789-0117- बीज उत्पादन कार्यक्रम	16.14	3.41	12.64	0.09	78.31
15		2401-00-789-0125- बाढ़/सुखाड़ की आपातकालीन योजना	51.53	11.83	38.64	1.06	74.99
16		2401-00-789-0126- जैविक खेती का उन्नयन	28.00	7.22	20.14	0.64	71.93
17		2401-00-796-0147- बाढ़/सुखाड़ की आपातकालीन योजना	5.76	0.61	5.07	0.08	88.02
18		2402-00-102-0213- एकीकृत जल प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्लू.एम.पी.)	70.00	11.47	58.53	0.00	83.61

क्रम सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	योजनाओं का नाम (लेखाओं का शीर्ष)	कुल प्रावधान	व्यय	अभ्यर्पित राशि	बचत	प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
19	1–कृषि विभाग	2402-00-102-0313- एकीकृत जल प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्लू.एम.पी.)	20.73	0.00	19.59	1.14	94.50
20		2415-01-004-0107-मिट्टी, बीज एवं उर्वरक प्रयोगशाला का सुदृढ़ीकरण	11.97	3.73	8.16	0.08	68.17
21		2415-01-277-0110- कृषि महाविद्यालय, पूर्णिया	39.99	18.68	21.31	0.00	53.29
22		2415-07-277-0101-उद्यान महाविद्यालय, नालन्दा	14.41	5.68	8.73	0.00	60.58
23		4401-00-051-0101- कृषि कार्यालय भवनों की स्थापना	41.55	12.51	29.04	0.00	69.89
24	02-पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	2403-00-103-0106- रेंज मुर्गीपालन प्रक्षेत्र एवं केन्द्रीय मुर्गीपालन विकास और मुर्गीपालन खाद्य के उत्पादन एवं वितरण की योजना	28.11	5.93	22.18	0.00	78.90
25		2403-00-106-0210- राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम	34.87	2.12	32.75	0.00	93.92
26		2403-00-106-0310- राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम	7.50	1.11	6.39	0.00	85.20
27		2405-00-101-0104- तालाब मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार	39.50	7.74	31.40	0.36	79.49
28	03-भवन निर्माण विभाग	2059-01-053-0017- विधि विभाग के भवनों का अनुरक्षण एवं मरम्मत	7.71	2.58	5.13	0.00	66.54
29		2059-60-052-0401- व्यक्तिगत अशक्तता अधिनियम, 1995 के क्रियान्वयन के लिए योजना (एस.आई.पी.डी.ए.)	5.86	0.21	5.65	0.00	96.42
30		2059-80-051-0001- अन्य प्रशासनिक सेवाएं	9.00	1.14	7.86	0.00	87.33
31		2059-80-053-0002- कार्य भारित स्थापना	10.00	1.58	8.41	0.01	84.10
32		4047-00-051-0101- वाणिज्य–कर विभाग के भवन	5.93	0.26	5.67	0.00	95.62
33		4047-00-051-0105- कोषागार कार्यालय में अतिरिक्त संसाधन का अधिष्ठापन	29.99	6.80	23.19	0.00	77.33
34		4059-01-051-0104- सामान्य प्रशासन विभाग के समाहरणालय एवं अन्य कार्यालय भवनों का निर्माण	35.29	15.74	19.55	0.00	55.40
35		4059-01-051-0107- वित्त विभाग का भवन	15.00	0.40	14.60	0.00	97.33
36		4059-01-051-0118- पंचायती राज विभाग के भवनों का आधुनिकीकरण	6.16	0.55	5.61	0.00	91.07

क्रम सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	योजनाओं का नाम (लेखाओं का शीर्ष)	कुल प्रावधान	व्यय	अभ्यर्पित राशि	बचत	प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
37	03-भवन निर्माण विभाग	4059-60-051-0104- परिसदन का निर्माण एवं संधारण	14.00	2.98	11.02	0.00	78.71
38		4059-60-051-0112- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई.टी.आई.) के भवनों का निर्माण/पुनर्निर्माण/उन्नयन	14.00	4.17	9.73	0.10	69.50
39		4059-60-051-0218- अनुसूचित जातियों के विकास के लिए योजना	19.60	5.25	12.14	2.21	61.94
40		4210-01-110-0116- शहरी अस्पतालों के भवनों का निर्माण	33.00	3.44	29.56	0.00	89.58
41		4216-01-051-0102- सामान्य प्रशासन विभाग के लिए आवासीय भवनों का निर्माण	18.00	4.09	13.91	0.00	77.28
42		4216-01-700-0101-अन्य आवास	15.00	0.15	14.85	0.00	99.00
43		4408-02-101-0101- लक्षित जनवितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्न का भंड़ारण हेतु गोदामों के निर्माण का कार्यक्रम	623.00	11.68	611.32	0.00	98.13
44	09-सहकारिता विभाग	2408-02-190-0101- बिहार राज्य भंड़ार निगम को गोदाम निर्माण हेतु अनुदान	33.80	14.37	19.43	0.00	57.49
45		2425-00-001-0107- सहकारिता विभाग के कार्यालयों का जीर्णोद्धार	10.00	0.00	9.92	0.08	99.20
46		2425-00-108-0415- एकीकृत सहकारी विकास योजना	55.29	0.03	55.26	0.00	**99.95**
47	10-ऊर्जा विभाग	2801-02-190-0001- बिहार स्टेट पावर जेनेरेशन कंपनी लि. (समविकास योजना के अंतर्गत सामानों पर भुगतान किए गये प्रवेश कर की प्रतिपूर्ति)	10.00	2.09	7.91	0.00	79.10
48		2801-05-190-0001- नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि. (समविकास योजना के अंतर्गत सामानों पर भुगतान किए गये प्रवेश कर की प्रतिपूर्ति)	20.00	7.98	12.02	0.00	60.10
49		4801-02-190-0203- पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी.आर.जी.एफ.) (राज्यघटक) बी.एस.पी.जी.सी. एल. के लिए	50.00	22.10	27.90	0.00	55.80
50		4801-05-190-0208- पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी.आर.जी.एफ.) (राज्यघटक) बी.एस.पी.टी.सी.एल. के लिए	900.00	175.64	724.36	0.00	80.48

क्रम सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	योजनाओं का नाम (लेखाओं का शीर्ष)	कुल प्रावधान	व्यय	अभ्यर्पित राशि	बचत	प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
51	10-ऊर्जा विभाग	4801-05-190-0209- पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी.आर.जी.एफ.) (राज्यघटक) एस.बी.पी.डी.सी.एल. के लिए	850.00	230.00	620.00	0.00	72.94
52		4801-05-190-0210- पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी.आर.जी.एफ.) (राज्यघटक) एन.बी.पी.डी.सी.एल. के लिए	850.00	236.63	613.37	0.00	72.16
53		6801-00-190-0015- साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि. (ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से लिए गये ऋण के सूद के भुगतान हेतु)	20.00	1.90	18.10	0.00	90.50
54		6801-00-190-0016- नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि. (ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से लिए गये ऋण के सूद के भुगतान हेतु)	30.00	8.96	21.04	0.00	70.13
55		6801-00-190-0017- साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि. (ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से लिए गये ऋण के मूल धन के भुगतान हेतु)	16.05	3.37	12.68	0.00	79.00
56		6801-00-190-0018- नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि. (ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से लिए गये ऋण के मूल धन के भुगतान हेतु)	25.32	4.02	21.30	0.00	84.12
57		6801-00-201-0101- बिहार राज्य जल विद्युत निगम को ऋण	38.93	10.00	28.93	0.00	74.31
58	12-वित्त विभाग	2054-00-095-0103- बिहार राजस्व प्रशासन इन्ट्रानेट (ब्रेन प्रोजेक्ट एवं मिशन माड प्रोजेक्ट)	80.00	12.81	67.19	0.00	83.99
59	16-पंचायती राज विभाग	2015-00-109-0002- जिला परिषदों/पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों का चुनाव	20.00	3.61	15.54	0.85	77.70
60		2515-00-101-0213- पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (जिला घटक) (ए.सी.ए.)	815.02	313.52	481.58	19.92	59.09
61		2515-00-197-0205- राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान	25.00	1.58	22.45	0.97	89.80
62		2515-00-197-0305- राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान	8.30	0.65	6.95	0.70	83.73
63	18-खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	3456-00-789-0302- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	183.80	19.89	142.94	20.97	77.77
64		3456-00-796-0302- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	12.25	2.02	8.63	1.60	70.45

क्रम सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	योजनाओं का नाम (लेखाओं का शीर्ष)	कुल प्रावधान	व्यय	अभ्यर्पित राशि	बचत	प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
65	19-पर्यावरण एवं वन विभाग	2406-01-101-0110- वनों का संरक्षण एवं ढ़ाँचागत सुदृढ़ीकरण (वित्त आयोग)	8.70	3.42	5.25	0.03	60.34
66	20-स्वास्थ्य विभाग	4210-01-051-0104- शहरी क्षेत्र में राजकीय औषधालय का निर्माण	15.00	0.23	14.77	0.00	98.47
67		4210-01-110-0113- जिला तथा अनुमंडलीय अस्पताल भवनों का निर्माण तथा जीर्णोद्धार	72.00	10.80	61.20	0.00	85.00
68		4210-02-110-0203- एन.आर.एच.एम. सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	100.00	27.84	72.16	0.00	72.16
69		4210-02-110-0303- एन.आर.एच.एम. सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	33.33	15.52	17.81	0.00	53.44
70	22-गृह विभाग	2055-00-104-0004- आतंकवाद निरोधक दस्ता	27.23	4.51	20.66	2.06	75.87
71		2070-00-108-0102- अग्निशामक उपकरणों का क्रय	25.00	3.36	21.64	0.00	86.56
72	23-उद्योग विभाग	2408-01-103-0201- राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन	18.14	2.30	15.84	0.00	87.32
73	24-सूचना एवं जनसंर्पक विभाग	2220-60-106-0101- क्षेत्रीय प्रचार योजना	78.00	11.93	66.07	0.00	84.71
74	25-सूचना प्रावैधिकी विभाग	2852-07-202-0106- ज्ञान सिटी परियोजना	47.17	9.99	37.18	0.00	78.82
75		2852-07-202-0109- ई–शासन राज्य योजना	35.80	6.29	28.31	1.20	79.08
76		2852-07-202-0212- राष्ट्रीय ई–प्रशासन कार्य योजना (एन.ई.जी.ए.पी.) (ए.सी.ए.)	46.45	19.27	27.18	0.00	58.51
77		3451-00-090-0118- सचिवालय का स्थानीय नेटवर्क	10.00	3.36	6.64	0.00	66.40
78		4859-02-004-0101- बिहार स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क (स्वान)	10.00	4.00	6.00	0.00	60.00
79	27-विधि विभाग	2014-00-003-0001- बिहार न्यायिक अकादमी	18.59	8.55	10.04	0.00	54.01
80		2014-00-117-0101- परिवार न्यायालय	7.68	1.63	6.05	0.00	78.78
81	35- योजना एवं विकास विभाग	2053-00-093-0105- वित्त आयोग राज्य नवाचार निधि	19.00	7.50	11.50	0.00	60.53
82		3454-02-204-0401- आर्थिक गणना	28.28	3.29	24.99	0.00	88.37
83		4070-00-051-0210- सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी.ए.डी.पी.)	63.58	31.37	32.21	0.00	50.66

क्रम सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	योजनाओं का नाम (लेखाओं का शीर्ष)	कुल प्रावधान	व्यय	अभ्यर्पित राशि	बचत	प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
84	35- योजना एवं विकास विभाग	4070-00-789-0103- मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना	143.64	17.92	95.72	30.00	66.64
85		4070-00-796-0101- मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना	7.68	0.29	6.97	0.42	90.76
86		5475-00-112-0202- सांख्यिकी सुदृढ़ीकरण को समर्थन	43.41	1.54	41.28	0.59	95.09
87	36- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	4215-01-102-0101- ग्रामीण जलापूर्ति योजना	7.90	1.37	6.53	0.00	82.66
88	37-ग्रामीण कार्य विभाग	3054-04-105-0001- ग्राम सड़क–अन्य रख–रखाव व्यय	850.00	94.24	735.20	20.56	86.49
89		4515-00-789-0101- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	50.00	16.00	34.00	0.00	68.00
90	39-आपदा प्रबंधन विभाग	2245-02-101-0004- प्रभावितों को वस्त्र एवं बर्तन का मुफ्त वितरण	10.00	0.81	9.10	0.09	91.00
91		2245-02-101-0006- आग लगने से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए अनुदान	15.00	0.70	14.19	0.11	94.60
92		2245-02-101-0007- आग लगने से क्षतिग्रस्त वस्त्रों के लिए अनुदान	10.00	2.59	7.14	0.27	71.40
93		2245-02-112-0002- जनसंख्या का निष्क्रमण	52.35	7.29	44.49	0.57	84.99
94		2245-02-112-0003- आपदा प्रभावितों की खोज एवं बचाव कार्य हेतु बचाव तथा निष्क्रमण संयत्रों का क्रय	15.00	2.01	12.75	0.24	85.00
95		2245-05-114-0001- कृषि इनपुट अनुदान (क्षतिग्रस्त्र फसलों के लिए)	105.43	37.42	68.01	0.00	64.51
96		2245-80-102-0104- राज्य आपदा रिस्पांस फोर्स	16.00	6.85	8.48	0.67	53.00
97		2245-80-800-0102- जागरूकता एवं क्षमता निर्माण	11.28	1.91	9.30	0.07	82.45
98	40-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	2029-00-102-0101- सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य का पुनरीक्षण	64.00	30.62	33.32	0.06	52.06
99		2029-00-103-0206- राष्ट्रीय भू–अभिलेख प्रबंधन कार्यक्रम (एन.एल.आर.एम.पी.)	13.98	4.64	8.71	0.63	62.30
100	41-पथ निर्माण विभाग	3054-80-001-0006- राष्ट्रीय उच्च पथ परियोजना–निदेशन	50.00	0.06	35.53	14.41	71.06
101		5054-03-789-0101- वृहद्–सड़कें	400.00	65.83	295.15	39.02	73.79
102	42- ग्रामीण विकास विभाग	2216-03-105-0106- मुख्यमंत्री शताब्दी इंदिरा आवास प्रोत्साहन योजना	10.00	0.08	9.90	0.02	99.00
103		2216-03-105-0202- इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.)	1144.80	425.28	686.40	33.12	59.96
104		2216-03-105-0302- इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.)	484.88	160.61	319.40	4.87	65.87

क्रम सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	योजनाओं का नाम (लेखाओं का शीर्ष)	कुल प्रावधान	व्यय	अभ्यर्पित राशि	बचत	प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
105	42- ग्रामीण विकास विभाग	2216-03-789-0202- इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.)	1529.28	534.27	995.01	0.00	65.06
106		2216-03-789-0302- इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.)	509.76	162.25	347.51	0.00	68.17
107		2501-06-101-0202- राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन (एन.आर.एल.एम.)	124.22	12.68	110.99	0.55	89.35
108		2501-06-101-0302- राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन (एन.आर.एल.एम.)	46.75	4.44	42.23	0.08	90.33
109		4515-00-103-0102- प्रखंड लघु निर्माण कार्य	25.00	9.49	15.05	0.46	60.20
110	43-विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	4202-02-104-0102- पॉलिटेक्नीक / इंजीनियरिंग / तकनीकी महाविद्यालय	15.70	7.80	7.90	0.00	**50.32**
111	44-अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	2225-01-277-0218- अनुसूचित जातियों के विकास की योजना	96.47	28.43	67.69	0.35	70.17
112	45- गन्ना उद्योग विभाग	2401-00-108-0109- ईख विकास	125.46	35.39	89.35	0.72	71.22
113		2401-00-789-0108- ईख विकास	17.51	1.70	15.54	0.27	88.75
114		2852-08-201-0103- आर्थिक सहायता	79.97	27.21	52.76	0.00	65.97
115		2852-08-789-0101- आर्थिक सहायता	12.00	4.08	7.92	0.00	66.00
116		6860-04-190-0001- चीनी मिलों को ऋण	167.62	0.63	166.99	0.00	99.62
117	48-नगर विकास एवं आवास विभाग	2215-02-106-0302- राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एन.आर.सी.पी.)	58.50	12.73	45.77	0.00	78.24
118		2217-01-191-0115- परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	60.84	12.34	47.75	0.75	78.48
119		2217-03-193-0104- सिविल क्षेत्र में नागरिक सुविधाएँ	49.02	17.04	26.55	5.43	54.16
120		2217-03-193-0210- जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकृत मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) (ए.सी.ए.)	160.00	37.68	122.32	0.00	76.45
121		2217-80-192-0001- वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में नगर परिषद् को प्राथमिक कार्यो के लिए सहायता अनुदान	72.53	19.80	52.73	0.00	72.70
122		2217-80-193-0001- वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में नगर पंचायतों को प्राथमिक कार्यों के लिए सहायता अनुदान	52.05	14.11	37.46	0.48	71.97

क्रम सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	योजनाओं का नाम (लेखाओं का शीर्ष)	कुल प्रावधान	व्यय	अभ्यर्पित राशि	बचत	प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
123	48-नगर विकास एवं आवास विभाग	2217-80-800-0126- योजनाओं का अनुश्रवण/मूल्यांकन/पर्यवेक्षण एवं राज्य संसाधन केन्द्र एवं अन्य समतुल्य कार्यक्रमों की स्थापना	10.00	0.73	9.27	0.00	92.70
124	49-जल संसाधन विभाग	2701-04-101-0002- अन्य रख–रखाव व्यय	12.60	4.87	7.70	0.03	61.11
125		4700-01-051-0103- कोशी बेसिन की सिंचाई परियोजना (कार्य) (नाबार्ड संपोषित योजना)	16.00	4.28	11.72	0.00	73.25
126		4700-01-051-0204- त्वरित सिंचाई लाभ तथा बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम तथा जल संसाधन के अन्य कार्यक्रम (ए.आइ.बी.पी.)	114.05	26.45	65.64	21.96	57.55
127		4700-01-051-0304- त्वरित सिंचाई लाभ तथा बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम तथा जल संसाधन के अन्य कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.)	22.82	1.49	20.33	1.00	89.09
128		4700-01-789-0101- कोशी बेसिन की सिंचाई परियोजना	24.50	9.37	14.42	0.71	58.86
129		4700-02-051-0103- गंडक बेसिन की सिंचाई परियोजना (कार्य) (नाबार्ड संपोषित योजना)	30.00	8.79	21.14	0.07	70.47
130		4700-04-051-0101- किऊल–बडुआ–चान्दन बेसिन की सिंचाई परियोजना (कार्य)	20.70	2.68	17.90	0.12	86.47
131		4700-04-051-0103- किऊल–बडुआ–चान्दन बेसिन की सिंचाई परियोजना (कार्य) (नाबार्ड संपोषित योजना)	17.00	0.40	16.60	0.00	97.65
132		4701-03-789-0101-सोन बेसिन की सिंचाई परियोजना	33.71	2.45	25.50	5.76	75.65
133		4701-04-051-0101- किऊल–बडुआ–चान्दन बेसिन की सिंचाई परियोजना (कार्य)	24.30	6.09	17.22	0.99	70.86
134		4701-04-051-0103- किऊल–बडुआ–चान्दन बेसिन की सिंचाई परियोजना (कार्य) (नाबार्ड संपोषित योजना)	16.08	4.01	11.83	0.24	73.57
135		4701-04-789-0101 किऊल–बडुआ–चान्दन बेसिन की सिंचाई परियोजना	14.46	1.83	12.13	0.50	83.89
136		4711-01-051-0408- गंगा नदी को छोड़कर अन्य नदियों के कटाव निरोधक योजना (नेपाल भाग एवं सीमावर्ती क्षेत्र में नदी प्रबंधन कार्य) (शत–प्रतिशत केन्द्रांश)	178.00	27.23	150.70	0.07	84.66
137		4711-01-051-0102- जल निस्सरण परियोजनाएँ (कार्य)	13.03	2.97	9.50	0.56	72.91

क्रम सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	योजनाओं का नाम (लेखाओं का शीर्ष)	कुल प्रावधान	व्यय	अभ्यर्पित राशि	बचत	प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
138	49-जल संसाधन विभाग	4711-01-051-0106-जमींदारी बाँधों का जीर्णोद्धार	25.50	11.74	13.75	0.01	53.92
139		4711-01-051-0209- त्वरित सिंचाई लाभ तथा बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम तथा जल संसाधन के अन्य कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.)	352.59	21.17	324.57	6.85	92.05
140		4711-01-051-0309- त्वरित सिंचाई लाभ तथा बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम तथा जल संसाधन के अन्य कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.)	276.76	50.05	216.58	10.13	78.26
141	50-लघु जल संसाधन विभाग	2702-02-005-0002- उद्वह सिंचाई योजनाओं का अनुरक्षण	20.00	8.83	11.17	0.00	55.85
142		2702-02-005-0101- सर्वेक्षण और जाँच	23.40	0.22	23.18	0.00	99.06
143		2702-03-101-0002- अन्य रख–रखाव व्यय	8.00	0.34	7.56	0.10	94.50
144		2702-03-102-0005- अन्य रख–रखाव व्यय	14.00	0.29	13.63	0.08	97.36
145		2702-03-103-0007- अन्य रख–रखाव व्यय	106.47	6.29	100.17	0.01	94.08
146		2702-03-789-0101- निजी नलकूप	8.76	3.48	5.25	0.03	59.93
147		4702-00-102-0102- नई/अधूरी मध्यम सिंचाई योजनाओं को पूरा करने हेतु नाबार्ड से ऋण	27.94	4.60	23.23	0.11	83.14
148	51-समाज कल्याण विभाग	2235-02-101-0106- निर्धनों एवं निराश्रितों का कल्याण	38.00	13.00	25.00	0.00	65.79
149		2235-02-102-0105- समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत प्रबंधन सूचना प्रणाली	11.00	4.81	5.60	0.59	50.91
150		2235-02-102-0116- परवरिश	10.00	2.40	7.60	0.00	76.00
151		2235-02-102-0224- किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु राजीव गाँधी योजना (सबला)	143.04	37.25	104.14	1.65	72.80
152		2235-02-103-0219- इंदिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना सहित राष्ट्रीय महिला शक्तिकरण मिशन	63.38	26.84	35.91	0.63	56.66
153		2235-02-104-0104- बिहार सामाजिक संरक्षण परियोजना (विश्व बैंक संपोषित)	68.00	2.00	66.00	0.00	97.06
154		2236-02-101-0203- समेकित बाल विकास सेवाएँ (आई.सी.डी.एस.)	1198.35	398.78	789.59	9.98	65.89
योग			**16534.26**	**4140.43**	**12102.42**	**291.41**	**73.20**

(स्रोतः विस्तृत विनियोग लेखा, बिहार सरकार)

परिशिष्ट– 2.8

(संदर्भ: कंडिका 2.3.7; पृष्ठ 41)

निधियों का शत–प्रतिशत अभ्यर्पण (पाँच लाख से अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	योजनाओं के नाम (लेखाशीर्ष)	कुल प्रावधान का प्रत्यर्पण
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1-कृषि विभाग	2401-00-001-0103- नई कार्य योजना का राज्यांश–एग्रीकल्चरल मार्केटिंग	8.46
2		2401-00-107-0408-भारत में कीट प्रबंधन का सुढ़ृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण	0.23
3		2401-00-789-0124- एग्रीकल्चर मार्केटिंग	1.40
4		2401-00-789-0127- कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण	0.35
5		2401-00-789-0132- एग्री बिजनेस इन्फ्रास्ट्रकचर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (ई.ए.पी.)	5.60
6		2401-00-789-0323- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	2.80
7		2401-00-796-0145-कृषि विपणन	0.14
8		2401-00-796-0154-एग्री बिजनेस इन्फ्रास्ट्रकचर डेवलपमेंट (ई.ए.पी.)	0.56
9		4401-00-789-0101- कृषि कार्यालय भवनों की स्थापना	3.54
10		4401-00-796-0102- कृषि विभाग के भवनें	0.85
11	2-पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	2403-00-103-0211- राष्ट्रीय पशुधन प्रबंधन कार्यक्रम	1.17
12		2403-00-103-0212- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.) (ए.सी.ए.)	10.00
13		2403-00-104-0205- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.) (ए.सी.ए.)	13.30
14		2403-00-106-0212- राष्ट्रीय मवेशी प्रबंधन	5.82
15		2403-00-106-0312- राष्ट्रीय पशुधन प्रबंधन	0.47
16		2403-00-789-0206- राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम	3.58
17		2403-00-789-0207- राष्ट्रीय पशुधन प्रबंधन	1.11
18		2403-00-789-0306- राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम	0.83
19		2403-00-789-0307- राष्ट्रीय पशुधन प्रबंधन	0.19
20		2404-00-102-0112- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	0.25
21		2404-00-102-0214- राष्ट्रीय डेयरी विकास योजना	2.00
22		2415-03-277-0101- बिहार पशु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	1.00
23	3-भवन निर्माण विभाग	2059-01-053-0102- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का जीर्णोद्धार	2.00
24		2059-80-103-0004- निरीक्षण भवनों का साज–सज्जा	0.20
25		2059-80-103-0005- राज भवन का साज–सज्जा	0.50
26		4059-01-051-0106- मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के लिये अभिलेख प्रकोष्ठ–सह–कार्यालय भवनों का जीर्णोद्धार	3.00
27		4059-01-051-0122- अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय	2.60
28		4059-01-796-0104-अनुसूचित जनजातियों के लिए भवन	0.20
29		4059-60-051-0420- उपभोक्ता अदालत फेज–II का सुदृढ़ीकरण	3.93
30		4059-60-051-0101- सचिवालय स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण	6.00
31		4059-60-051-0108- विरासत संरक्षण–वित्त आयोग	65.50
32		4059-60-051-0120-व्यवहार न्यायालय, पटना में जी + 7 न्यायालय भवन का निर्माण	10.00

क्रम सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	योजनाओं के नाम (लेखाशीर्ष)	कुल प्रावधान का प्रत्यर्पण
(1)	(2)	(3)	(4)
33	3-भवन निर्माण विभाग	4059-60-051-0219- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.) पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के भवन हेतु (ए.सी.ए.)	20.00
34		4059-80-004-0001-निर्माण के पूर्व के प्रारम्भिक कार्य	0.15
35		4059-80-051-0001- अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2.00
36		4202-02-104-0207- राष्ट्रीय उच्च शिक्षा मिशन	2.00
37		4210-03-105-0116- मेडिकल कॉलेज	5.00
38		4216-01-700-0001- अन्य प्रशासनिक सेवाएं	0.05
39		4216-01-700-0206- ग्राम नगरपालिका सहित ग्राम न्यायालयों हेतु अवसंरचना सुविधाओं का विकास	3.00
40		4216-01-700-0306- ग्राम नगरपालिका सहित ग्राम न्यायालयों हेतु अवसंरचना सुविधाओं का विकास	0.76
41		4216-80-051-0103- अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के लिए आवास	2.00
42		4216-80-101-0001- निर्माण के पूर्व के प्रारम्भिक कार्य	0.10
43		4235-02-104-0101- वृद्धाश्रम	24.00
44		4250-00-053-0207- अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम	31.00
45		4250-00-053-0307- अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम	15.00
46		4515-00-789-0106- बिहार पंचायत सुदृढ़ीकरण परियोजना अंतर्गत पंचायत सरकार भवन का निर्माण (विश्व बैंक संपोषित)	51.96
47	4-मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	2052-00-090-0147- सचिवालय ग्रंथागार का आधुनिकीकरण एवं पुस्तकों का क्रय	0.70
48		2070-00-001-0103- जनशिकायत निवारण व्यवस्था	10.00
49	5-राज्यपाल सचिवालय	2012-03-103-0004- राज्यपाल का सज्जा–भत्ता	0.05
50		2012-03-103-0005- विद्युत (ऊर्जा उपभोग)	0.05
51		2012-03-103-0008- मरम्मति	0.14
52	7-निगरानी विभाग	2070-00-104-0005- विद्युत निगरानी ऊर्जा चोरी निरोध कोषांग	5.30
53	9-सहकारिता विभाग	2401-00-796-0126- पायलट मौसम आधारित फसल बीमा योजना हेतु राज्य फसल बीमा निधि को प्रीमियम अनुदान–अनुसूचित जनजाति उप–योजना	7.21
54		2425-00-003-0102- विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए अनुदान	0.07
55		2425-00-107-0141-पैक्सों को उर्वरक भंडारण एवं कारोबार हेतु	5.27
56		2425-00-108-0107-समेकित सहकारी विकास परियोजना के लिए केन्द्रीय सहकारी बैंको को सहायता अनुदान	1.95
57		4425-00-108-0465- एकीकृत सहकारी विकास योजना	0.36
58		6425-00-107-0106-पैक्सों को उर्वरक भंडारण एवं कारोबार हेतु	15.74
59		6425-00-108-0418- एकीकृत सहकारी विकास योजना	1.95
60	10-ऊर्जा विभाग	2801-05-190-0004- साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि. (सम विकास योजना के अंतर्गत सामानों पर भुगतान किये गये प्रवेश कर की प्रतिपूर्ति)	20.00
61		2810-60-600-0002- बिहार पारंपरिक ऊर्जा विकास अभिकरण को सहायता अनुदान	8.54

क्रम सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	योजनाओं के नाम (लेखाशीर्ष)	कुल प्रावधान का प्रत्यर्पण
(1)	(2)	(3)	(4)
62	11- पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	2225-03-277-0108- छात्राओं के लिए छात्रावास–मुख्य निर्माण कार्य राज्यांश (50:50)	1.00
63		2225-03-277-0213- आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास हेतु योजना	2.00
64		4225-03-190-0101- पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	1.00
65		4225-03-277-0101- आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार	5.00
66	12-वित्त विभाग	2070-00-800-0008- विविध तथा आकस्मिक व्यय	1.50
67		2204-00-104-0005- अखिल भारतीय सेवाओं के लिए आयोजित प्रतियोगिता हेतु सचिवालय स्पोर्ट्स क्लब को सहायक अनुदान	0.07
68	16-पंचायती राज विभाग	2515-00-003-0204- राजीव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण कार्यक्रम	50.00
69		2515-00-003-0304- राजीव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण कार्यक्रम	16.60
70		2515-00-101-0110-पंचायती राज व्यवस्था और मानव संसाधन	83.00
71		2515-00-196-0208- राजीव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान	25.00
72		2515-00-196-0308- राजीव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान	8.40
73		2515-00-197-0004-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ब्लॉक पंचायतों को अंशदान	170.27
74		2515-00-198-0009- राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों को अंशदान	746.63
75		2515-00-198-0212- राजीव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान	125.00
76		2515-00-198-0312- राजीव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण योजना	41.70
77		2515-00-789-0107-पंचायती राज व्यवस्था और मानव संसाधन विकास	17.00
78		4515-00-101-0104-पंचायत सरकार भवन–वित्त आयोग की अनुशंसा	0.50
79		4515-00-101-0206- राजीव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण योजना	75.00
80		4515-00-101-0306- राजीव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण योजना	25.00
81	17-वाणिज्य–कर विभाग	2040-00-101-0002-भामासाह सम्मान योजना	0.75
82	18-खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	3456-00-001-0407- उपभोक्ता अदालत फेज–II का सुदृढ़ीकरण	1.10
83		3456-00-102-0103-जिला प्रभार–जन वितरण प्रणाली व्यवस्था,उपभोक्ता संरक्षण	9.00
84		3456-00-102-0105-लक्षित जन–वितरण प्रणाली का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण	200.00
85		3456-00-102-0206-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	50.00
86		3456-00-102-0407- लक्षित जन–वितरण प्रणाली का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण	17.89
87		3456-00-191-0101- निगरानी तथा अनुश्रवण हेतु गठित समिति के गैर–सरकारी सदस्यों को बैठक में भाग लेने के लिए बैठक एवं यात्रा भत्ता	0.50

क्रम सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	योजनाओं के नाम (लेखाशीर्ष)	कुल प्रावधान का प्रत्यर्पण
(1)	(2)	(3)	(4)
88	18-खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	3456-00-192-0101- निगरानी तथा अनुश्रवण हेतु गठित समिति के गैर–सरकारी सदस्यों को बैठक में भाग लेने के लिए बैठक एवं यात्रा भत्ता	0.86
89		3456-00-193-0101- निगरानी तथा अनुश्रवण हेतु गठित समिति के गैर–सरकारी सदस्यों को बैठक में भाग लेने के लिए बैठक एवं यात्रा भत्ता	1.50
90		3456-00-198-0101- निगरानी तथा अनुश्रवण हेतु गठित समिति के गैर–सरकारी सदस्यों को बैठक में भाग लेने के लिए बैठक एवं यात्रा भत्ता	2.50
91	19-पर्यावरण एवं वन विभाग	2406-01-796-0134- वनों का संरक्षण एवं ढाँचागत सुदृढ़ीकरण (वित्त आयोग)	0.90
92		2406-04-101-0202-राष्ट्रीय संसाधन तथा पारितंत्र संरक्षण	1.00
93		2406-04-101-0302- राष्ट्रीय संसाधन तथा पारितंत्र संरक्षण	0.30
94	20-स्वास्थ्य विभाग	2210-01-110-0016- मानसिक आरोग्यशाला	10.00
95	21-शिक्षा विभाग	2202-03-103-0101- राजकीय महिला महाविद्यालय	2.00
96	22-गृह विभाग	2055-00-001-0006- उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधित व्यय (प्रतिपूर्ति भारत सरकार से)	0.43
97		2055-00-003-0004- नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधित व्यय (प्रतिपूर्ति भारत सरकार से)	0.30
98		2070-00-108-0205-पुलिस तथा अन्य बलों के आधुनिकीकरण की राष्ट्रीय योजना	4.93
99		4055-00-207-0001-पुलिस आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत केन्द्र सरकार के समतुल्य राशि	72.00
100	23-उद्योग विभाग	2408-01-789-0301- राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन	0.95
101		4851-00-102-0102- टूल रूम ट्रेनिंग सेन्टर	0.53
102		4860-60-102-0201- निर्यात के लिए अवसंरचना विकास हेतु राज्यों को सहायता (ए.एस.आई.डी.ई.)	12.07
103		4860-60-102-0301- निर्यात के लिए अवसंरचना विकास हेतु राज्यों को सहायता (ए.एस.आई.डी.ई.)	0.40
104		4860-60-789-0301- निर्यात के लिए अवसंरचना विकास हेतु राज्यों को सहायता (ए.एस.आई.डी.ई.)	0.10
105		6885-01-190-0110-बिहार राज्य वित्तीय निगम को ऋण	0.20
106	24-सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	2220-60-103-0002- शताब्दी पत्रकारिता सम्मान कोष	0.07
107	25-सूचना प्रावैधिकी विभाग	2230-03-001-0101- कौशल विकास मिशन	60.00
108		2852-07-202-0101- राष्ट्रीय ई–शासन योजना–कॉमन सर्विस सेन्टर	1.00
109		2852-07-202-0103- ई–शासन परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन	2.00
110		2852-07-202-0104- ई–क्रय योजना	1.00
111		2852-07-202-0105- राज्य की पोर्टल योजना	2.00
112		2852-07-202-0108- राज्य डाटा सेन्टर	1.00
113	26-श्रम संसाधन विभाग	2230-02-101-0112- सीमापर श्रमिक आवास अन्य मानव बल के नियोजन हेतु ब्यूरो	0.15
114		2230-03-003-0129- बिहार कौशल विकास मिशन	130.32
115		2235-60-110-0202- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना सहित असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा	60.00
116	27-विधि विभाग	2014-00-114-0105- बिहार राज्य/जिला/अनुमंडल बार काउंसिल/एसोसिएशन को अनुदान	5.00

क्रम सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	योजनाओं के नाम (लेखाशीर्ष)	कुल प्रावधान का प्रत्यर्पण
(1)	(2)	(3)	(4)
117	30-अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	2250-00-003-0101- अल्पसंख्यक वर्ग के प्रशिक्षण	0.10
118		2250-00-800-0107- वक्फ संपत्ति के रख–रखाव, सुरक्षा तथा संवर्द्धन	0.20
119		2250-00-800-0108- वक्फ संपत्ति विकास हेतु वक्फ बोर्ड को रिवौलविंग फंड के रूप में अनुदान	0.20
120	33-सामान्य प्रशासन विभाग	2051-00-103-0002- बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग	2.35
121		2070-00-003-0006-बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड)	5.90
122	35-योजना एवं विकास विभाग	2052-00-090-0103-योजना तंत्र का सुदृढ़ीकरण	2.50
123		2053-00-093-0107-मुख्यमंत्री जिला विकास योजना	10.00
124		3454-02-204-0120-भारत सांख्यिकी सुदृढ़ीकरण परियोजना	1.30
125		3454-02-205-0405-लघु सिंचाई सांख्यिकी	5.16
126		3454-02-205-0406-राजीव आवास योजना (क्षमता निर्माण)	0.59
127		3454-02-206-0101-वित्त आयोग यू.आई.डी. कार्य	73.84
128		4401-00-789-0101-कृषि कार्यालय भवनों की स्थापना	9.29
129		4401-00-796-0102-कृषि विभाग के भवन	0.85
130		4515-00-789-0103-पंचायत सरकार भवनों का निर्माण–वित्त आयोग (पंचायती राज विभाग)	84.92
131	36-लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	2215-02-003-0102-बिहार राज्य जल स्वच्छता मिशन को प्रशिक्षण–सह शोध केन्द्र के संचालन एवं अन्य कार्यो हेतु अनुदान	0.50
132		4215-01-102-0115-जल संरक्षण, भू–गर्भीय जल रिचार्ज एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग	0.05
133		4215-01-102-0125-प्रयोगशाला का उन्नयन तथा जल की गुणवत्ता का अनुश्रवण	0.25
134		4215-01-102-0126-प्रशिक्षण एवं कार्यशाला	0.10
135		4215-01-102-0229-निर्मल भारत अभियान	250.00
136		4215-01-796-0109-ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जलापूर्ति के लिए संरचना के विकास हेतु (नाबार्ड से ऋण)	0.38
137		4215-01-796-0111-प्राथमिक तथा मध्य विद्यालयों में जलापूर्ति	0.50
138		4215-01-796-0115-ग्रामीण जलापूर्ति योजना	0.10
139		4215-02-051-0101-श्मशान घाटों का आधुनिकीकरण एवं विकास	2.00
140	38-निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	2030-03-001-0004-विवाह निबंधन पंजियों एवं प्रपत्रों की छपाई लागत	0.10
141		2039-00-001-0007-उत्पाद दुकानों के बंदी के लिए मुआवजा	0.20
142	39-आपदा प्रबंधन विभाग	2245-01-101-0002-खाद्यान्न की आपूर्ति	10.00
143		2245-01-101-0003-संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान	0.10
144		2245-01-101-0005- अन्य कार्य	10.00
145		2245-01-101-0006-कृषि विभाग हेतु अन्य कार्य अनुदान (कृषि इनपुट)	13.00
146		2245-01-102-0001- ट्रकों एवं टैंकरों द्वारा पेयजल की आपूर्ति	10.00
147		2245-01-282-0002-जलापूर्ति हेतु कुओं आदि की मरम्मत	10.00
148		2245-02-101-0011- नदियों के मार्ग में परिवर्तन के कारण भूमि के पयात भाग का क्षरण	2.00
149		2245-02-101-0012- विभिन्न पंचायतों में भूखमरी से प्रभावित परिवारों के लिए एक क्विंटल खाद्यान्न का सुरक्षित भंडार	5.34
150		2245-02-101-0013-स्वरोजगार योजना हेतु ग्रामीण विकास विभाग को नकद भुगतान	0.10

क्रम सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	योजनाओं के नाम (लेखाशीर्ष)	कुल प्रावधान का प्रत्यर्पण
(1)	(2)	(3)	(4)
151	39-आपदा प्रबंधन विभाग	2245-02-101-0014- पाला एवं शीत लहर से बचाव हेतु नकद–अनुदान	0.10
152		2245-02-102-0001- पेयजल की आपूर्ति	3.76
153		2245-02-106-0001- क्षतिग्रस्त सड़कों एवं पुलों की मरम्मति तथा पुनः स्थापना	20.00
154		2245-02-107-0001- सरकारी स्वास्थ्य एवं शिक्षा भवनों का मरम्मति एवं प्रत्यास्थापन	0.10
155		2245-02-108-0001- सरकारी आवासीय भवनों का मरम्मति एवं प्रत्यास्थापन	0.10
156		2245-02-112-0004-संचार उपकरणों का क्रय	5.00
157		2245-02-114-0002- वार्षिक फसलों के लिए सहायता	0.50
158		2245-02-114-0003-कृषि फसलों के लिए सहायता	0.50
159		2245-02-114-0004- बागवानी फसलों के लिए सहायता	0.10
160		2245-02-114-0005- शाश्वत फसलों के लिए सहायता	0.10
161		2245-02-115-0001- भूमि से रेत/गाद/लवणता साफ करने के लिए किसानों की सहायता	0.50
162		2245-02-115-0002- मत्स्य प्रक्षेत्र से गाद/बालू आदि का निष्कासन	0.10
163		2245-02-116-0001-खराब ट्यूबवेलों/पंपसेटों आदि की मरम्मति के लिए किसानों की सहायता	0.10
164		2245-02-119-0002- सूत एवं अन्य सामग्रियों के क्रय हेतु सहायता	0.05
165		2245-02-119-0003- हस्तकरघा बुनकरों को सहायता अनुदान	0.13
166		2245-02-196-0001- जिला परिषद्/जिला स्तरीय पंयायत को सहायता अनुदान	0.05
167		2245-02-197-0001- प्रखंड स्तरीय पंचायत/मध्य स्तरीय पंचायत को सहायता अनुदान	0.05
168		2245-02-282-0004- कल्याण विभाग हेतु अनुपूरक पोषाहार की आपूर्ति	0.44
169		2245-02-800-0007-गैर सरकारी संस्थानों से प्राप्त राहत सामग्रियों के परिवहन पर होने वाले व्यय	0.10
170		2245-02-800-0008- क्षतिग्रस्त विद्युत प्रणाली	2.33
171		2245-06-101-0001- मृत व्यक्ति के परिवार को अनुग्रह अनुदान	0.10
172		2245-06-113-0001- भूकम्प से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मति/पुनर्स्थापन	0.05
173		2245-80-001-0103- आपदा प्रबंधन कार्यालय का आधुनिकीकरण	1.26
174		2245-80-003-0001- आपदा प्रशिक्षण पर व्यय	0.05
175		2245-80-102-0105- जागरूकता एवं क्षमता विकास	10.00
176	40-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	2029-00-104-0004- जमींदारी उन्मूलन बन्ध पत्र	0.42
177		4047-00-050-0106-भूमि बैंक योजना	1.00
178	41-पथ निर्माण विभाग	5054-80-003-0101-प्रशिक्षण एवं अनुसंधान	0.50
179	42-ग्रामीण विकास विभाग	2501-06-789-0202-राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन (एन.आर.एल.एम.)	48.56
180		2501-06-789-0302- राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन (एन.आर.एल.एम.)	19.29
181		2501-06-796-0202- राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन (एन.आर.एल.एम.)	35.16

क्रम सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	योजनाओं के नाम (लेखाशीर्ष)	कुल प्रावधान का प्रत्यर्पण
(1)	(2)	(3)	(4)
182	42-ग्रामीण विकास विभाग	2501-06-796-0302- राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन (एन.आर.एल.एम.)	13.97
183		2515-00-102-0116- बिहार एकीकृत सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना (ई.ए.पी.)	5.00
184		4515-00-102-0102- बिहार एकीकृत सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना (ई.ए.पी.)	5.00
185	43-विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	2203-00-004-0001- अनुदान और अनुसंधान छात्रवृत्ति	0.35
186		2203-00-004-0101-बिहार काउन्सिल ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, पटना रिमोट सेंसिंग केन्द्र/इन्दिरा गाँधी विज्ञान परिसर, प्लेनेटोरियम, पटना	18.50
187		2203-00-112-0105- कौशल विकास मिशन	30.00
188	44-अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	2225-01-102-0216- प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पी.एम.ए.जी.वाई.)	5.00
189		2225-01-793-0401- अनुसूचित जाति के बहुमुखी विकास	40.00
190		2225-02-102-0101- अनुसूचित जनजाति के बहुमुखी विकास– संविधान की धारा 275 (1) के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्ति	11.61
191		2225-02-102-0102- अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	14.37
192		2225-02-277-0214- अनुसूचित जनजाति के लिए छात्रों की शिक्षा के लिए छतरी योजना	7.17
193		2225-02-277-0314- अनुसूचित जनजाति के लिए छात्रों की शिक्षा लिए छतरी योजना	0.05
194	46-पर्यटन विभाग	5452-01-102-0101- नालन्दा धरोहर पर्यटन योजना	50.00
195	48-नगर विकास एवं आवास विभाग	2215-02-106-0202- राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एन.आर.सी.पी.)	117.60
196		2215-02-789-0203- राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एन.आर.सी.पी.)	21.00
197		2215-02-789-0303- राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एन.आर.सी.पी.)	0.90
198		2215-02-796-0205- राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एन.आर.सी.पी.)	1.40
199		2215-02-796-0305- राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एन.आर.सी.पी.)	0.60
200		2217-01-053-0001-बुद्ध स्मृति एवं अन्य पार्क	13.00
201		2217-01-191-0217- जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकृत मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) (ए.सी.ए.)	50.00
202		2217-01-789-0204- जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकृत मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) (ए.सी.ए.)	30.00
203		2217-03-191-0208- जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकृत मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) (ए.सी.ए.)	200.00
204		2217-03-191-0308- जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकृत मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) (ए.सी.ए.)	40.00
205		2217-03-192-0106- शहरी आधारभूत संरचना समस्याओं से संबंधित परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु नगर निकायों/प्राधिकरणों एवं इसके समतुल्य संस्थाओं को सहायक अनुदान	4.00
206		2217-03-193-0105-शहरी आधारभूत संरचनाओं से संबधित	2.00
207		2217-03-193-0310- जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकृत मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) (ए.सी.ए.)	32.00
208		2217-03-789-0204- जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकृत मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) (ए.सी.ए.)	10.00

क्रम सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	योजनाओं के नाम (लेखाशीर्ष)	कुल प्रावधान का प्रत्यर्पण
(1)	(2)	(3)	(4)
209	48-नगर विकास एवं आवास विभाग	2217-03-789-0304-जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकृत मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) (ए.सी.ए.)	2.00
210		2217-04-191-0202- जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकृत मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) (ए.सी.ए.)	50.00
211		2217-04-191-0302- जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकृत मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) (ए.सी.ए.)	10.00
212		2217-04-192-0202- जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकृत मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) (ए.सी.ए.)	50.00
213		2217-04-192-0302- जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकृत मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) (ए.सी.ए.)	10.00
214		2217-04-193-0202- जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकृत मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) (ए.सी.ए.)	50.00
215		2217-04-193-0302- जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकृत मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) (ए.सी.ए.)	12.00
216		2217-04-789-0202- जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकृत मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) (ए.सी.ए.)	6.44
217		2217-04-789-0302- जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकृत मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) (ए.सी.ए.)	5.93
218		2217-80-800-0119- शहरी आधारभूत संरचना समस्याओं से संबंधित परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु नगर निगमों/प्राधिकरणों एवं इसके समतुल्य संस्थाओं को सहायक अनुदान	2.00
219		2217-80-800-0133-अल्प लागत जलवाही शौचालय	0.08
220		3475-00-108-0202- राष्ट्रीय शहरी जीविकोपार्जन मिशन	60.00
221		3475-00-108-0302- राष्ट्रीय शहरी जीविकोपार्जन मिशन	20.00
222		3475-00-789-0202- राष्ट्रीय शहरी जीविकोपार्जन मिशन	2.25
223		3475-00-789-0302- राष्ट्रीय शहरी जीविकोपार्जन मिशन	0.75
224		4217-04-050-0101- जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकृत मिशन की परियोजनाएँ (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) (ए.सी.ए.)	1.00
225	49-जल संसाधन विभाग	4700-80-051-0203- राष्ट्रीय जल संरक्षण कार्यक्रम	2.00
226		4711-01-051-0105- जल निस्सरण परियोजनायें (कार्य) (नाबार्ड संपोषित योजना)	0.10
227		4711-01-051-0107- वित्त आयोग के अधीन बाढ़ नियंत्रण परियोजना	83.25
228	50-लघु जल संसाधन विभाग	2702-02-016-0101- बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना	24.70
229		2702-02-789-0101- बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना	10.36
230		2702-02-796-0105- बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना	0.42
231		2702-03-796-0101- निजी नलकूप	0.35
232		4702-00-796-0103-लघु सिचाई	0.85
233	51-समाज कल्याण विभाग	2235-02-101-0111- विभिन्न संस्थाओं के लिए क्षेत्रीय पदाधिकारियों का प्रशिक्षण	0.30
234		2235-02-102-0119- स्वस्थ्य पोषण से संबंधित निगरानी एवं अनुश्रवण (ई.ए.पी.)	87.50
235		2235-02-103-0110- नारी शक्ति योजना	1.00
236		2235-02-103-0113- स्वस्थ पोषण से संबंधित निगरानी एवं अनुश्रवण (ई.ए.पी.)	28.50
237		2235-02-789-0108- मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना	0.20
238		4235-02-102-0106- सुधार गृह, बाल गृह के लिए भवन	0.50
		योग	**4347.77**

(स्रोतः विस्तृत विनियोग लेखा, बिहार सरकार, 2014–15)

परिशिष्ट– 2.9

(संदर्भ: कंडिका 2.3.9; पृष्ठ 41)

प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक एवं 10 प्रतिशत से ज्यादा अभ्यर्पित नहीं किए गए बचत की विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान/विनियोजन संख्या एवं नाम	मुख्य शीर्ष	बचत	अभ्यर्पण	बचत जिन्हें अभ्यर्पित किया जाना शेष रहा	प्रतिशत
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
1	1-कृषि विभाग	2415	149.94	64.85	85.09	56.75
2		2435	6.70	0.86	5.84	87.16
3	3-भवन निर्माण विभाग	4225	28.00	4.63	23.37	83.46
4	5-राज्यपाल सचिवालय	2012	1.67	0.32	1.35	80.84
5	11-पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	2225	33.62	25.57	8.05	23.94
6	12-वित्त विभाग	2070	2.30	1.80	0.50	21.74
7	13-सूद भुगतान	2049	419.28	37.48	381.80	91.06
8	14-ऋण अदायगियाँ	6003	2.07	0.00	2.07	100.00
9	15-पेंशन	2071	321.82	0.12	321.70	99.96
10	21-शिक्षा विभाग	2202	8689.74	74.29	8615.45	99.15
11	22-गृह विभाग	2055	812.14	26.57	785.57	96.73
12		2056	77.56	21.68	55.88	72.05
13		4055	238.02	72.00	166.02	69.75
14		4070	15.67	13.28	2.39	15.25
15	23-उद्योग विभाग	2851	144.48	30.02	114.46	79.22
16		4885	1.00	0.20	0.80	80.00
17	30-अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	4250	11.33	1.82	9.51	83.94
18	35-योजना एवं विकास विभाग	4070	882.39	148.52	733.87	83.17
19	37-ग्रामीण कार्य विभाग	4515	498.66	106.78	391.88	78.59
20	39-आपदा प्रबंधन विभाग	2235	7.13	4.14	2.99	41.94
21	46-पर्यटन विभाग	3452	3.52	1.02	2.50	71.02
22	51-समाज कल्याण विभाग	4235	1.24	0.50	0.74	59.68
योग			**12348.28**	**636.45**	**11711.83**	**94.85**

(स्रोतः कार्यालय महालेखाकार (ले. एवं हक.), बिहार से प्राप्त सूचना)

परिशिष्ट- 2.10

(संदर्भ: कंडिका 2.3.9; पृष्ठ 41)

वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस में ₹ 10 करोड़ तथा कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक के निधियों का अभ्यर्पण के मामले

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	कुल प्रावधान की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	1	2401-फसल कृषि–कर्म	2667.64	1009.48	37.84
2		2402-मृदा तथा जल संरक्षण	125.01	79.06	63.24
3		4401-फसल कृषि–कर्म पर पूँजीगत परिव्यय	46.41	10.61	22.86
4	2	2403-पशुपालन	380.31	141.04	37.09
5		2405-मत्स्य पालन	109.58	42.37	38.67
6	3	2059-लोक निर्माण कार्य	468.63	82.85	17.68
7		4047-अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	35.92	28.86	80.35
8		4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय	1585.89	593.96	37.45
9		4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	49.05	38.05	77.57
10		4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय	72.12	54.43	75.47
11		4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	34.00	30.90	90.88
12		4408-खाद्य भंडारण तथा भांडागार पर पूँजीगत परिव्यय	700.00	171.32	24.47
13		4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	305.66	305.60	99.98
14	9	2401-फसल कृषि–कर्म	496.22	86.14	17.36
15		2425-सहकारिता	298.81	77.76	26.02
16		4425-सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय	42.90	19.17	44.69
17		6425-सहकारिता के लिए कर्ज	117.68	17.68	15.02
18	10	2801-बिजली	4752.87	999.93	21.04
19		4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	6316.07	1140.97	18.06
20		6801-बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज	420.21	176.05	41.90
21	12	2052-सचिवालय–सामान्य सेवाएँ	78.83	23.23	29.47
22		2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन	172.02	20.25	11.77
23	16	2015-निर्वाचन	21.93	15.87	72.37
24		2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	4685.89	2257.47	48.18
25		4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	100.50	100.50	100.00
26	17	2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर	134.72	38.32	28.44
27	18	3456-सिविल पूर्ति	943.81	338.17	35.83
28	20	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	3733.84	640.92	17.17
29		4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	1064.19	440.95	41.44
30	22	2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	365.24	52.71	14.43
31		4055-पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय	560.17	72.00	12.85
32		4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	25.00	13.28	53.12

क्रम सं.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	कुल प्रावधान की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
33	22	4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	50.00	14.80	29.60
34	23	4860-उपभोक्ता उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	12.57	12.57	100.00
35	24	2220-सूचना तथा प्रचार	205.43	88.79	43.22
36	25	2230-श्रम तथा रोजगार	60.00	60.00	100.00
37		2852-उद्योग	142.42	104.53	73.40
38	26	2230-श्रम तथा रोजगार	303.78	80.38	26.46
39		2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	140.55	60.05	42.73
40	27	2014-न्याय प्रशासन	665.27	169.88	25.54
41	28	2014-न्याय प्रशासन	129.00	42.13	32.66
42	33	2051-लोक सेवा आयोग	67.00	32.57	48.61
43		2053-जिला प्रशासन	344.11	111.74	32.47
44		2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	50.39	19.24	38.18
45	35	2053-जिला प्रशासन	125.36	53.51	42.69
46		3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	309.67	178.06	57.50
47		4401- फसल कृषि कर्म पर पूँजीगत परिव्यय	71.25	25.16	35.31
48		4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	914.42	158.23	17.30
49		5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	43.41	41.28	95.09
50	36	2215-जलापूर्ति तथा सफाई	419.57	71.07	16.94
51		4215-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	1486.83	602.40	40.52
52	37	2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	266.43	75.93	28.50
53		3054-सड़क तथा सेतु	850.00	735.20	86.49
54	38	2030-स्टांप तथा निबंधन	72.18	18.82	26.07
55		2039-राज्य उत्पाद	72.53	21.06	29.04
56	40	2029-भू–राजस्व	676.06	191.03	28.26
57		4047-अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	31.77	14.59	45.92
58	41	3054-सड़क तथा सेतु	1255.69	427.01	34.01
59		5054-सड़क तथा सेतु पर पूँजीगत परिव्यय	5290.64	652.47	12.33
60	42	2216-आवास	3741.00	2109.97	56.40
61		2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	294.74	275.41	93.44
62		2505-ग्राम रोजगार	1953.00	640.83	32.81
63		2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	708.47	92.11	13.00
64		4515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	30.00	20.05	66.83
65	43	2203-तकनीकी शिक्षा	114.68	52.44	45.73
66		4202-शिक्षा, खेल–कूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	38.21	16.04	41.98
67	44	2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण	1166.57	196.57	16.85

क्रम सं.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	कुल प्रावधान की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
68	45	2401-फसल कृषि–कर्म	156.93	23.26	14.82
69		2852-उद्योग	96.44	36.97	38.33
70		6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज	167.62	166.99	99.62
71	46	5452- पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय	141.05	30.51	21.63
72	47	2041-वाहन कर	48.82	10.04	20.57
73	48	2215-जलापूर्ति तथा सफाई	525.62	218.81	41.63
74	48	2217-शहरी विकास	2681.53	1095.84	40.87
75		3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ	83.00	78.00	93.98
76	49	2701-मध्यम सिंचाई	106.31	25.42	23.91
77		4700-मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	1041.90	297.49	28.55
78		4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	159.29	106.43	66.82
79	50	2702-लघु सिंचाई	646.84	314.84	48.67
80		4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	361.79	174.13	48.13
81	51	2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	5002.31	924.26	18.48
82		2236-पोषण	2410.48	1186.45	49.22
योग			**66644.05**	**21275.26**	**31.92**

(स्रोतः कार्यालय महालेखाकार (ले. एवं हक.), बिहार से प्राप्त सूचना)

परिशिष्ट– 2.11
(संदर्भ: कंडिका 2.3.10; पृष्ठ 42)
माह मार्च 2015 में सघन व्यय

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	मुख्य शीर्ष	विवरण	वर्ष 2014–15 का कुल व्यय	माह मार्च 2015 में कुल व्यय	कुल व्यय की प्रतिशतता
1	5475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	3.54	2.62	74.01
2	3604	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	4.04	2.82	69.80
3	3454	जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	59.37	30.52	51.41
4	4216	आवास पर पूँजीगत परिव्यय	17.73	9.07	51.16
5	4801	बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	4153.00	2119.26	51.03
योग			**4237.68**	**2164.29**	**51.07**

(स्रोतः लेखे पर टिप्पणियाँ 2014–15, बिहार सरकार)

परिशिष्ट- 2.12

(संदर्भ: कंडिका 2.5; पृष्ठ 42)

वर्ष 2014–15 के दौरान ₹ 10 करोड़ से ज्यादा (प्रत्येक मामले में) की असमाशोधित राशि की विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	मुख्य शीर्ष	लेखांकित व्यय	असमाशोधित राशि
(1)	(2)	(3)	(4)
1	2011- संसद/राज्य/संघ शासित क्षेत्र विधानमंडल	122.20	105.21
2	2014- न्याय प्रशासन	603.10	324.49
3	2015- निर्वाचन	263.24	192.52
4	2029- भू–राजस्व	458.73	419.29
5	2030- स्टांप तथा पंजीकरण	51.97	11.50
6	2039- राज्य उत्पाद	49.98	32.81
7	2040- बिक्री, व्यापार आदि पर कर	95.89	73.14
8	2041- वाहन पर कर	38.56	25.16
9	2049- ब्याज भुगतान	5048.38	5032.27
10	2051- लोक सेवा आयोग	53.80	34.25
11	2054- कोषागार एवं लेखा प्रशासन	82.86	78.35
12	2055- पुलिस	4619.72	1643.92
13	2056- कारा	179.15	11.15
14	2059- लोक निर्माण कार्य	393.90	381.66
15	2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	380.34	18.94
16	2071- पेंशन तथा अन्य सेवानिवृति लाभ	11342.93	11340.93
17	2202- सामान्य शिक्षा	16114.52	11506.23
18	2203- तकनीकी शिक्षा	81.86	37.82
19	2204- खेलकूद तथा युवा सेवाएँ	31.24	28.59
20	2205- कला एवं संस्कृति	39.54	31.72
21	2210- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	2915.37	2762.21
22	2211- परिवार कल्याण	371.34	350.70
23	2215- जलापूर्ति एवं सफाई	603.28	574.38
24	2216- आवास	1521.00	1436.51
25	2217- शहरी विकास	1415.85	1407.87
26	2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ें वर्गों का कल्याण	2304.50	2010.37
27	2230- श्रम तथा रोजगार	118.73	68.97
28	2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	4165.70	3870.20
29	2236- पोषण	1196.78	990.04
30	2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	419.20	407.42
31	2401- फसल कृषि–कर्म	1832.21	563.96
32	2402- मृदा तथा जल संरक्षण	29.97	29.90
33	2403- पशुपालन	156.06	57.58
34	2404- डेरी विकास	97.83	27.62
35	2405- मछली पालन	55.31	13.89
36	2406- वानिकी तथा वन्य प्राणी	301.26	301.26
37	2408- खाद्य भंडारण तथा भांडागार	218.30	218.30
38	2415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	589.33	21.64
39	2425- सहकारिता	136.70	59.81
40	2501- ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	19.31	18.76
41	2505- ग्राम रोजगार	896.08	895.40
42	2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	3152.06	3116.27
43	2700- मुख्य सिंचाई	323.71	76.03

क्रम सं.	मुख्य शीर्ष	लेखांकित व्यय	असमाशोधित राशि
(1)	(2)	(3)	(4)
44	2701- मध्यम सिंचाई	84.89	39.85
45	2702- लघु सिंचाई	272.35	134.82
46	2705- कमान क्षेत्र विकास	113.68	113.68
47	2711- बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास	225.02	97.40
48	2801- बिजली	3752.94	409.39
49	2852- उद्योग	492.92	280.28
50	3054- सड़क तथा सेतु	907.22	855.51
51	3454- जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	59.38	40.52
52	3456- सिविल पूर्ति	440.53	433.44
53	4047- अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	21.65	16.65
54	4055- पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय	219.15	93.87
55	4059- लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय	985.66	985.66
56	4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	523.19	508.56
57	4202- शिक्षा, खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	263.64	253.88
58	4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	315.77	190.77
59	4215- जलापूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय	885.21	885.21
60	4216- आवास पर पूँजीगत परिव्यय	17.74	17.74
61	4250- अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	181.94	181.94
62	4401- फसल कृषि–कर्म पर पूँजीगत परिव्यय	48.07	48.07
63	4406- वानिकी तथा वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय	23.14	23.14
64	4408- खाद्य भंडारण तथा भांडागार पर पूँजीगत परिव्यय	88.68	88.68
65	4425- सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय	24.70	24.70
66	4515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	4647.83	4561.82
67	4700- मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	741.90	664.15
68	4701- मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	51.19	48.25
69	4702- लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	180.79	180.79
70	4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	450.07	450.07
71	4801- बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	4153.00	2136.77
72	5053- नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय	18.49	18.49
73	5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय	4176.75	4176.75
74	5452- पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय	65.96	62.42
75	5465- सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश	25.50	25.50
योग		**87350.74**	**68657.81**

(स्रोतः कार्यालय महालेखाकार (ले. एवं हक.), बिहार से प्राप्त सूचना)

परिशिष्ट- 2.13

(संदर्भ: कंडिका 2.6; पृष्ठ 43)

नित्य प्रयोजन के लिये आकस्मिकता निधि से निकासी की विस्तृत विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	मुख्य शीर्ष	विभाग का नाम	प्रयोजन	राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2012	राष्ट्रपति, उप–राष्ट्रपति/ राज्यपाल,संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	नये वाहनों का क्रय	0.30
2	2013	मंत्रिपरिषद्	दूरभाष तथा विद्युत पर व्यय	0.43
3	2014	न्याय प्रशासन	पारिवारिक न्यायालय की स्थापना	4.74
4			न्यायिक अकादमी के वाहन हेतु	0.09
5			मधेपुरा, बेतिया, मुंगेर बाँका, लखीसराय, सुपौल और अररिया के न्यायिक अधिकारियों के वाहन हेतु	1.00
6	2039	राज्य उत्पाद शुल्क	दो नये कारों का क्रय	0.25
7	2040	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	केन्द्रीय प्रायोजित मिशन मोड प्रोजेक्ट	0.77
8	2049	ब्याज अदायगियाँ	एन.सी.डी.सी. का ब्याज	4.05
9	2051	लोक सेवा आयोग	बिहार कर्मचारी आयोग हेतु कार	0.32
10			प्रतियोगिता परीक्षा के कार्य संपादन	0.25
11	2052	सचिवालय–सामान्य सेवाएँ	गृह (आरक्षी) के वाहन हेतु	0.07
12			मुख्यसचिव, बिहार के टाटा सफारी का क्रय	0.15
13			लोकायुक्त कमिटी का वेतन	0.20
14			पाँचवें वित्त आयोग के व्यय	1.00
15			वाहन का क्रय	0.40
16			संविदा कर्मचारियों का व्यय	0.08
17			मुख्यसचिव एवं प्रधानसचिव के कर्मचारियों का मानदेय	0.10
18			वित्त (अंकेक्षण) विभाग के नव नियुक्त अंकेक्षकों के प्रशिक्षण	0.02
19	2053	जिला प्रशासन	जिला अल्पसंख्यक पदाधिकारी के वेतन एवं वाहन हेतु	0.42
20	2055	पुलिस	ए.टी.एस. स्थापना	9.08
21			नार्कोटिक निवारण हेतु सामग्रियों का क्रय	0.23
22	2059	लोक निर्माण कार्य	एक स्कार्पियों एवं तीन एम्बेस्डर कार का क्रय	0.33
23	2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	भागलपुर दंगा	0.35
24			बिहार भवन हेतु कार	0.98
25			मधुबनी गोलीकांड के स्थापना	0.23
26			सतर्कता अन्वेषण का वेतन	0.98
27			मधुबनी गोलीकांड आयोग	0.14
28			सिविल डीजी हेतु कार	0.06
29			मानव आयोग	0.47
30			प्रमडंलीय कर्मचारियों का वेतन	0.02
31			सेक्रेटरी जेनरल के निजी कर्मचारियों का वेतन	0.95
32			कोशी बांध हेतु न्यायियक आयोग	0.05
33			फारबिसगंज गोलीकांड का स्थापना व्यय	0.60
34			भागलपुर दंगा कर्मचारियों का वेतन	0.32
35			पश्चिमी चंपारण मे नवरंगियाथान का स्थापना व्यय	0.48
36	2210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	पटना दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना में वेतन एवं छात्रवृत्ति का भुगतान	0.53
37			आई.जी.आई.एम.एस., पटना	51.00

क्रम सं.	मुख्य शीर्ष	विभाग का नाम	प्रयोजन	राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
38	2225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ें वर्गों का कल्याण	एस सी, एस टी एवं बी सी कल्याण	0.75
39	2245	प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	वेतन भुगतान	0.20
40	2250	अन्य सामाजिक सेवाएँ	हज पदाधिकारियों का वेतन	0.40
41			हज समिति हेतु अनुदान	0.30
42	2251	सचिवालय–सामाजिक सेवाएँ	अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हेतु वाहन	0.21
43			कल्याण मंत्री हेतु वाहन	0.11
44			प्रधान सचिव, श्रम संसाधन के सफारी स्टोरमैक्स का क्रय	0.13
45			अल्पसंख्यक समिति हेतु वाहन	0.14
46			मुख्यमंत्री के सलाहकार हेतु सफारी कार	0.14
47	2403	पशुपालन	दुग्ध, अण्डा इत्यादि उत्पादन	0.21
48			दुग्ध, अण्डा इत्यादि उत्पादन	0.21
49	2406	वानिकी तथा वन्य प्राणी	वाल्मीकि ब्याघ्र परियोजना	0.46
50			कृषि वनरोपण	4.79
51	2408	खाद्य भंडारण तथा भांडागार	धान कृषक के बोनस	200.00
52	2425	सहकारिता	पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन एवं मजदूरी का भुगतान	0.25
53	2705	कमान क्षेत्र विकास	कमान क्षेत्र विकास में वेतन भुगतान	0.22
54	2801	बिजली	बकाया विद्युत विपत्र का भुगतान	800.00
55	3451	सचिवालय–आर्थिक सेवाएँ	गन्ना सचिव हेतु वाहन	0.08
56			चिकित्सा प्रतिपूर्ति	0.05
57			विभागीय मंत्री हेतु दो कारें	0.24
58			लघु सिंचाई मंत्री हेतु सफारी कार	0.10
59	3456	सिविल पूर्ति	बी.पी.एल. परिवार हेतु खाद्य सामग्री	130.33
60			उपभोक्ता हेल्प लाइन	0.27
61			बिहार राज्य खाद्य कमिटि हेतु वेतन	0.92
62			कार्यालय व्यय एवं अन्य	0.20
63	4059	लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय	राज भवन में विद्युत कार्य	1.60
64	4210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	आई.जी.आई.सी., पी.एम.सी.एच. भवन	4.60
65	4515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क	389.55
66			ग्रामीण सड़क हेतु जमा	44.87
67	6003	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	एन.सी.डी.सी. का ब्याज	4.38
योग				**1667.15**

(स्रोतः कार्यालय महालेखाकार (ले. एवं हक.), बिहार से प्राप्त सूचना)

परिशिष्ट- 2.14

(संदर्भ: कंडिका 2.7.2; पृष्ठ 45)

अनावश्यक पूरक प्रावधान (अनुदान सं. 23)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	लेखा शीर्ष	मूल प्रावधान	पूरक प्रावधान	कुल प्रावधान (3+4)	व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01	2408-खाद्य भंडारण तथा भांडागार -01-खाद्य-103-खाद्य संसाधन-0201-राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन	9.07	9.07	18.14	2.30
02	2408- खाद्य भंडारण तथा भांडागार-01-खाद्य-103-खाद्य संसाधन -0301-राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन	1.63	3.27	4.90	1.63
03	2408 खाद्य भंडारण तथा भांडागार -01-खाद्य-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-0301-राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन	0.47	0.47	0.94	0.00
04	2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-00-103- हस्तकरघा-उद्योग-0103- हस्तकरघा विकास की योजना	18.05	17.97	36.02	0.01
05	2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-00-103- हस्तकरघा-उद्योग -0113- हस्तकरघा शिल्प अनुसंधान संस्थान की योजना का सुदृढ़ीकरण	18.60	0.10	18.70	1.47
06	2851-ग्राम तथा लघु उद्योग -00-103-हस्तकरघा-उद्योग-0226-राष्ट्रीय हस्तकरघा विकास कार्यक्रम	8.27	6.00	14.27	0.00
07	2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-00-103-हस्तकरघा - उद्योग-0326-राष्ट्रीय हस्तकरघा विकास कार्यक्रम	0.15	0.15	0.30	0.00
08	2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-00-104-शिल्प उद्योग-0101-हस्तशिल्प का विकास	12.90	5.50	18.40	7.97
09	2851-ग्राम तथा लघु उद्योग -00-107-रेशम उत्पादन उद्योग -0204-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	0.00	1.44	1.44	0.00
10	2851-ग्राम तथा लघु उद्योग -00-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना -0103-जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना	0.30	0.30	0.60	0.00
11	2851-ग्राम तथा लघु उद्योग -00-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना -0207-रेशम–कीट पालन के अंतर्गत उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम	0.14	0.38	0.52	0.00
12	2852-उद्योग-80-सामान्य-102-औद्योगिक उत्पादकता-0110- औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार	77.82	7.40	85.22	8.40
13	2852-उद्योग-80- सामान्य-102- औद्योगिक उत्पादकता-0135- इंटरप्रेनियोर्स डेवलपमेंट योजना की स्थापना	17.15	10.71	27.86	4.88
14	2852-उद्योग-80-सामान्य-102-औद्योगिक उत्पादकता-0159-खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हेतु प्रोत्साहन	26.00	56.00	82.00	0.00
15	2852-उद्योग -80-सामान्य-102-औद्योगिक उत्पादकता-0163-व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के अग्रसरण हेतु अन्य आधारभूत संरचनाओं का सृजन विकास एवं रख-रखाव–बिहार व्यापार विकास कोष	19.00	25.15	44.15	7.33
16	2852-उद्योग-80- सामान्य-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना -0102-इंटरप्रेनियोर्स डेवलपमेंट योजना की स्थापना	107.21	102.34	209.55	5.87
योग		**316.76**	**246.25**	**563.01**	**39.86**

(स्रोतः विस्तृत विनियोग लेखा, 2014–15)

परिशिष्ट- 2.15

(संदर्भ: कंडिका 2.7.4; पृष्ठ 46)

वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन निधि का अभ्यर्पण (अनुदान सं. 23)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	शीर्ष	कुल प्रावधान (मूल+पूरक)	अभ्यर्पित राशि	पत्र सं.	तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	2408-खाद्य भंडारण तथा भांडागार - 01-खाद्य -103-खाद्य संसाधन-0201-राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन	18.14	6.77	1363	31/3/2015
2	2408-खाद्य भंडारण तथा भांडागार - 01-खाद्य -103-खाद्य संसाधन -0301-राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन	4.89	1.64	1363	31/3/2015
3	2408-खाद्य भंडारण तथा भांडागार - 01-खाद्य -789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना -0301-राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन	0.95	0.47	1363	31/3/2015
4	3451-सचिवालय–आर्थिक सेवाएँ-00-090-सचिवालय-0001-उद्योग विभाग	2.90	0.44	1362	31/3/2015
5	4851-ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय-00-102- लघु उद्योग -0102-टूल रूम प्रशिक्षण केन्द्र	0.53	0.53	1367	31/3/2015
6	4860-उपभोक्ता उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय-60-अन्य-102-खाद्य और पेय-0201-निर्यात के लिए अवसंरचना विकास हेतु राज्यों को सहायता (ए.एस.आइ.डी.ई.)	12.07	12.07	1364	31/3/2015
7	4860-उपभोक्ता उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय-60-अन्य-102-खाद्य और पेय-0301- निर्यात के लिए अवसंरचना विकास हेतु राज्यों को सहायता (ए.एस.आइ.डी.ई.)	0.40	0.40	1364	31/3/2015
8	4860-उपभोक्ता उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय-60–अन्य-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना -0301- निर्यात के लिए अवसंरचना विकास हेतु राज्यों को सहायता (ए.एस.आइ.डी.ई.)	0.10	0.10	1364	31/3/2015
9	4885-उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूँजीगत परिव्यय-02-पिछड़े क्षेत्रों का विकास-050- भूमि-0101- औद्योगिक विकास के लिए भूमि अर्जन।	0.20	0.20	1366	31/3/2015
10	6885-उद्योग और खनिज के लिए अन्य कर्ज-01-औद्योगिक वित्तीय संस्थानों को कर्ज-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज-0110-बिहार राज्य वित्तीय निगम को ऋण	0.20	0.20	1365	31/3/2015
योग		**40.38**	**22.82**		

(स्रोतः विस्तृत विनियोग लेखा, 2014–15 तथा विभाग द्वारा प्रदत्त सूचनाएँ)

परिशिष्ट- 2.16

(संदर्भ: कंडिका 2.7.5; पृष्ठ 46)

निधि के अनुपयोग के कारण शत–प्रतिशत अभ्यर्पण (अनुदान सं. 23)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	लेखा शीर्ष	अभ्यर्पित राशि
(1)	**(2)**	**(3)**
1	2408-खाद्य भंडारण तथा भांडागार -01-खाद्य-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-0301-राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन	0.95
2	4851-ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय-00-102-लघु उद्योग -0102-टूल रूम प्रशिक्षण केन्द्र	0.53
3	4860-उपभोक्ता उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय-60-अन्य-102-खाद्य और पेय -0201-निर्यात के लिए अवसंरचना विकास हेतु राज्यों को सहायता (ए.एस.आई.डी.ई.)	12.07
4	4860-उपभोक्ता उद्योगों पर पूँजी परिव्यय-60-अन्य-102-खाद्य और पेय -0301-निर्यात के लिए अवसंरचना विकास हेतु राज्यों को सहायता (ए.एस.आई.डी.ई.)	0.40
5	4860-उपभोक्ता उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय-60-अन्य-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-0301- निर्यात के लिए अवसंरचना विकास हेतु राज्यों को सहायता (ए.एस.आई.डी.ई.)	0.10
6	6885-उद्योग और खनिज के लिए अन्य कर्ज-01-औद्योगिक वित्तीय संस्थानों को कर्ज-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज-0110-बिहार राज्य वित्तीय निगम को ऋण	0.20
योग		**14.25**

(स्रोतः विस्तृत विनियोग लेखा, 2014–15)

परिशिष्ट- 2.17

(संदर्भ: कंडिका 2.7.6; पृष्ठ 46)

महालेखाकार (ले. एवं हक.) तथा विभागीय व्यय के आँकड़े के बीच भिन्नता (अनुदान सं. 23)

(राशि ₹ में)

क्रम सं.	शीर्ष	महालेखाकार (ले. एवं हक.) द्वारा लेखांकित आँकड़े	विभागीय व्यय के आँकड़े	अंतर (3)–(4)=(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-00-102-लघु उद्योग-0001- प्रदर्शन केंद्र	182751460	183125332	373872
2	2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-00-103-हस्तकरघा-उद्योग-0001- हस्तकरघा विकास की योजना	12276449	12020435	256014
3	2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-00-104-शिल्प उद्योग-0001-हस्तशिल्प तथा शिल्प अनुसंधान संस्थान का विकास	32802866	33101210	298344
4	2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-00-104-शिल्प उद्योग-0101- हस्तशिल्प का विकास	79708800	104708800	25000000
5	2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-00-107-रेशम उत्पादन उद्योग-0001-रेशम का विकास	62883409	63381906	498497
6	2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-00-107-रेशम उत्पादन उद्योग-0101-पिछड़ी जातियों के लिए विशेष अंगीभूत योजना–रेशम का विकास	117230144	118078469	848325
7	2852-उद्योग -08-उपभोक्ता उद्योग -001-निदेशन तथा प्रशासन -0001-खाद्य प्रसंस्करण उद्योग निदेशालय	5435063	5257851	177212
8	2852-उद्योग-80- सामान्य -001-निदेशन तथा प्रशासन -0002-निदेशन	183150213	193294753	10144540
9	2852-उद्योग-80-सामान्य-003-औद्योगिक शिक्षा–अनुसंधान तथा प्रशिक्षण-0001-शिल्पी प्रशिक्षण केंद्र	16111602	16222579	110977
10	2852-उद्योग -80-सामान्य-102-औद्योगिक उत्पादकता -0004- औद्योगिक समूहों की स्थापना	4261953	4910821	648868
11	2852-उद्योग -80-सामान्य -102-औद्योगिक उत्पादकता -0135- इंटरप्रेनियोर्स डेवलपमेंट योजना की स्थापना	48823790	61198790	12375000
12	2852-उद्योग -80-सामान्य-102- औद्योगिक उत्पादकता -0159-खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हेतु प्रोत्साहन	0	260000000	260000000
13	2852-उद्योग-80-सामान्य-102- औद्योगिक उत्पादकता -0160-प्री–प्रोडक्शन एवं पोस्ट प्रोडक्शन सुविधाओं की योजना	3663200289	3750000000	86799711
14	2852-उद्योग-80-सामान्य-102-औद्योगिक उत्पादकता-0163-व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के अग्रसरण हेतु अन्य आधारभूत संरचनाओं का सृजन, विकास एवं रख–रखाव–बिहार व्यापार विकास कोष	73327680	73328000	320
15	2852-उद्योग-80-सामान्य -789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-0102-इंटरप्रेनियोर्स डेवलपमेंट योजना की स्थापना	58707210	65107210	6400000
16	3451-सचिवालय–आर्थिक सेवाएँ-00-090-सचिवालय-0001-उद्योग विभाग	24177082	24639369	462287
योग				**404393967**

(स्रोतः विस्तृत विनियोग लेखा, 2014–15 तथा विभाग द्वारा प्रदत्त सूचनाएँ)

परिशिष्ट– 2.18

(संदर्भः कंडिका 2.8.2; पृष्ठ 47)

वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन निधि का अभ्यर्पण (अनुदान सं. 42)

(₹ लाख में)

क्रम सं.	शीर्ष	मूल प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	पत्र सं.	दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
1	2216–आवास–03–ग्रामीण आवास–105–इंदिरा आवास योजना–0101–गरीबी रेखा के नीचे (बी.पी.एल.) का कार्य	0.01	0.01	226160	31/3/2015
2	2216–आवास–03–ग्रामीण आवास–105–इंदिरा आवास योजना–0104–इंदिरा आवास योजना का अनुश्रवण एवं तकनीकी सहयोग	0.01	0.01	226162	31/3/2015
3	2216–आवास–03–ग्रामीण आवास–105–इंदिरा आवास योजना–0105–मुख्यमंत्री शताब्दी इंदिरा आवास जीर्णोद्धार योजना	2500.00	0.10	226164	31/3/2015
4	2216–आवास–03–ग्रामीण आवास–105–इंदिरा आवास योजना–0106–मुख्यमंत्री शताब्दी इंदिरा आवास जीर्णोद्धार योजना	1000.00	990.00	226165	31/3/2015
5	2216–आवास–03–ग्रामीण आवास–105–इंदिरा आवास योजना–0202–इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.)	114480.00	64939.74	226166	31/3/2015
6	2216–आवास–03–ग्रामीण आवास–105–इंदिरा आवास योजना–0302–इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.)	48488.43	20739.73	226167	31/3/2015
7	2216–आवास–03–ग्रामीण आवास–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना –0202–इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.)	152928.00	99500.64	226169	31/3/2015
8	2216–आवास–03–ग्रामीण आवास–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–0302–इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.)	50976.00	22051.34	226170	31/3/2015
9	2216–आवास–03–ग्रामीण आवास–796–जनजातीय क्षेत्र उप–योजना–0202–इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.)	2592.00	2071.64	226172	31/3/2015
10	2216–आवास–03–ग्रामीण आवास–796–जनजातीय क्षेत्र उप–योजना–0302–इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.)	1135.55	703.83	226173	31/3/2015
11	2501–ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम–01–एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम–001–निदेशन एवं प्रशासन–0104–बिजनेस प्रोसेस रि–इंजिनियरिंग	500.00	437.17	226174	31/3/2015
12	2501–ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम–02–सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम–101–लघु सिंचाई–0101–सुखाड़ोन्मुख क्षेत्रीय कार्यक्रम	30.00	7.45	226176	31/3/2015

क्रम सं.	योजना का नाम (मुख्य लेखा शीर्ष)	मूल प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	पत्र सं.	दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
13	2501–ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम–06–स्वरोजगार कार्यक्रम–001–निदेशन एवं प्रशासन–0101–स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना–मुख्यालय स्थापना	150.00	76.48	226177	31/3/2015
14	2501–ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम– 06–स्वरोजगार कार्यक्रम–101–स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना–0202–राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन (एन.आर.एल.एम.)	12422.00	11099.29	226178	31/3/2015
15	2501–ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम–06–स्वरोजगार कार्यक्रम–101–स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना–0302–राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन (एन.आर.एल.एम.)	4675.00	4223.33	226179	31/3/2015
16	2501–ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम–06–स्वरोजगार कार्यक्रम–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–0202–राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन (एन.आर.एल.एम.)	4855.76	4855.76	226180	31/3/2015
17	2501–ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम–06–स्वरोजगार कार्यक्रम–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–0302–राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन (एन.आर.एल.एम.)	1928.50	1928.50	226181	31/3/2015
18	2501–ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम–06–स्वरोजगार कार्यक्रम–796–जनजातीय क्षेत्र उप–योजना–0202–राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन (एन.आर.एल.एम.)	3516.24	3516.24	226182	31/3/2015
19	2501–ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम–06–स्वरोजगार कार्यक्रम–796–जनजातीय क्षेत्र उप–योजना–0302–राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन (एन.आर.एल.एम.)	1396.50	1396.50	226183	31/3/2015
20	2505–ग्राम रोजगार–01–राष्ट्रीय कार्यक्रम–701–राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन कार्यक्रम–0102– मुख्यालय स्थापना	300.00	51.18	226184	31/3/2015
21	2505–ग्राम रोजगार–02–ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना–101–राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना–0201–महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)	132800.00	53146.36	226185	31/3/2015
22	2505–ग्राम रोजगार–02–ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–0201–महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)	25600.00	10245.08	226187	31/3/2015
23	2505–ग्राम रोजगार–02–ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना–796–जन जातीय क्षेत्र उप–योजना–0201– महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)	1600.00	640.32	226189	31/3/2015

क्रम सं.	योजना का नाम (मुख्य लेखा शीर्ष)	मूल प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	पत्र सं.	दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
24	2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–00–102–सामुदायिक विकास–0001–प्रखंड स्थापना	34808.88	8710.68	226157	31/3/2015
25	2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–00–102–सामुदायिक विकास–0116–बिहार एकीकृत सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना (बाह्य संपोषित परियोजना)	500.00	500.00	226192	31/3/2015
26	3451–सचिवालय आर्थिक सेवाएँ–00–090–सचिवालय–0010–ग्रामीण विकास विभाग	863.00	240.94	226155	31/3/2015
27	4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय–00–102–सामुदायिक विकास –0102–बिहार एकीकृत सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना (ई.ए.पी.)	500.00	500.00	226199	31/3/2015
28	4515– अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय–00–103–ग्राम विकास–0102–प्रखंड लघु निर्माण कार्य	2500.00	1504.69	226201	31/3/2015
योग		**603045.88**	**314077.01**		

(स्रोतः विभाग द्वारा प्रदत्त सूचना)

परिशिष्ट– 2.19

(संदर्भः कंडिका 2.8.2; पृष्ठ 47)

वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन कुल प्रावधान का अभ्यर्पण (अनुदान सं. 42)

(₹ लाख में)

क्रम सं.	शीर्ष	मूल प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	पत्र सं.	दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
1	2216–आवास–03–ग्रामीण आवास–105–इंदिरा आवास योजना–0101–गरीबी रेखा के नीचे (बी.पी.एल.) का कार्य	0.01	0.01	226160	31/3/2015
2	2216–आवास–03–ग्रामीण आवास–105–इंदिरा आवास योजना–0104–इंदिरा आवास योजना का अनुश्रवण एवं तकनीकी सहयोग	0.01	0.01	226162	31/3/2015
3	2216–आवास–03–ग्रामीण आवास–105–इंदिरा आवास योजना–0105–मुख्यमंत्री शताब्दी इंदिरा आवास जीर्णोद्धार योजना	2500.00	0.10	226164	31/3/2015
4	2216–आवास–03–ग्रामीण आवास–105–इंदिरा आवास योजना–0106–मुख्यमंत्री शताब्दी इंदिरा आवास प्रोत्साहन योजना	1000.00	990.00	226165	31/3/2015
5	2216–आवास–03–ग्रामीण आवास–105–इंदिरा आवास योजना–0202–इंदिरा आवास योजना	114480.00	64939.74	226166	31/3/2015
6	2216–आवास–03–ग्रामीण आवास–105–इंदिरा आवास योजना–0302–इंदिरा आवास योजना	48488.43	20739.73	226167	31/3/2015
7	2216–आवास–03–ग्रामीण आवास–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना –0202–इंदिरा आवास योजना	152928.00	99500.64	226169	31/3/2015
8	2216–आवास–03–ग्रामीण आवास–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–0302–इंदिरा आवास योजना	50976.00	22051.34	226170	31/3/2015
9	2216–आवास–03–ग्रामीण आवास–796–जनजातीय क्षेत्र उप–योजना–0202–इंदिरा आवास योजना	2592.00	2071.64	226172	31/3/2015
10	2216–आवास–03–ग्रामीण आवास–796–जनजातीय क्षेत्र उप–योजना–0302–इंदिरा आवास योजना	1135.55	703.83	226173	31/3/2015
11	2505–ग्राम रोजगार–01–राष्ट्रीय कार्यक्रम –701–राष्ट्रीय ग्राम रोजगार कार्यक्रम–0102– मुख्यालय स्थापना	300.00	51.18	226184	31/3/2015
12	2505–ग्राम रोजगार–02–ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना–101–राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना–0201–महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)	132800.00	53146.36	226185	31/3/2015
13	2505–ग्राम रोजगार–02–ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–0201–महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)	25600.00	10245.08	226187	31/3/2015

क्रम सं.	शीर्ष	मूल प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	पत्र सं.	दिनांक
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(6)**	**(7)**
14	2505–ग्राम रोजगार–02–ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना–796–जनजातीय क्षेत्र उप–योजना–0201– महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)	1600.00	640.32	226189	31/3/2015
योग		**534400.00**	**275079.98**		

(स्रोतः विभाग द्वारा प्रदत्त सूचना)

परिशिष्ट– 2.20

(संदर्भः कंडिका 2.8.3; पृष्ठ 48)

निधि के अनुपयोग के कारण शत–प्रतिशत अभ्यर्पण (अनुदान सं. 42)

(₹ लाख में)

क्रम सं.	शीर्ष	अभ्यर्पित राशि
(1)	**(2)**	**(3)**
1	2216–आवास–03–ग्रामीण आवास–105–इंदिरा आवास योजना–0101–गरीबी रेखा के नीचे (बी.पी.एल.) का कार्य	0.01
2	2216–आवास–03–ग्रामीण आवास–105–इंदिरा आवास योजना–0104–इंदिरा आवास योजना का अनुश्रवण एवं तकनीकी सहयोग	0.01
3	2501–ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम–06 स्वरोजगार कार्यक्रम –789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–0202–राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन (एन.आर.एल.एम.)	4855.76
4	2501–ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम–06–स्वरोजगार कार्यक्रम–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–0302–राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन (एन.आर.एल.एम.)	1928.50
5	2501–ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम–06–स्वरोजगार कार्यक्रम–796–जनजातीय क्षेत्र उप–योजना–0202–राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन (एन.आर.एल.एम.)	3516.24
6	2501–ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम–06–स्वरोजगार कार्यक्रम–796–जनजातीय क्षेत्र उप–योजना–0302–राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन (एन.आर.एल.एम.)	1396.50
7	2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम –00–102–सामुदायिक विकास–0116–बिहार एकीकृत सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना (बाह्य संपोषित परियोजना)	500.00
8	4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय–00–102–सामुदायिक विकास–0102–बिहार एकीकृत सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना(बाह्य संपोषित परियोजना)	500.00
योग		**12697.02**

(स्रोतः विभाग द्वारा प्रदत्त सूचना)

परिशिष्ट– 2.21

(संदर्भःकंडिका 2.8.4; पृष्ठ 48)

महालेखाकार (ले. एवं हक.) तथा विभागीय व्यय के आँकड़े के बीच भिन्नता (अनुदान सं. 42)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	शीर्ष	महालेखाकार (ले. एवं हक.) द्वारा लेखांकित आँकड़े	विभागीय व्यय के आँकड़े	अंतर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2216–आवास–03–ग्रामीण आवास–105–इंदिरा आवास योजना–0202–इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.)	425.28	458.40	33.12
2	2216–आवास–03–ग्रामीण आवास–105–इंदिरा आवास योजना–0302–इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.)	160.61	165.49	4.88
3	2216–आवास–03–ग्रामीण आवास–796–जनजातीय क्षेत्र उप–योजना–0202–इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.)	29.77	42.20	12.43
4	2216–आवास–03–ग्रामीण आवास–796–जनजातीय क्षेत्र उप–योजना–0302–इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.)	11.34	18.32	6.98
5	2501–ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम–02–सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम–101–लघु सिंचाई–0101–सुखाड़ोन्मुख क्षेत्रीय कार्यक्रम	0.24	0.23	0.01
6	2501–ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम–06–स्वरोजगार कार्यक्रम–001–निदेशन एवं प्रशासन–0101–स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना–मुख्यालय स्थापना	1.42	0.73	0.69
7	2501–ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम–06–स्वरोजगार कार्यक्रम–101–स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना–0202–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.)	12.68	13.23	0.55
8	2501–ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम–06–स्वरोजगार कार्यक्रम–101–स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना–0302–राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन (एन.आर.एल.एम.)	4.43	4.52	0.09
9	2505–ग्राम रोजगार–02–ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना–101–राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना–0201–महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)	540.13	796.54	256.41
10	2505–ग्राम रोजगार–02–ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना–101–राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना–0301–महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)	188.47	290.50	102.03
11	2505–ग्राम रोजगार–02–ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–0301–महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)	0.00	56.00	56.00
12	2515–अन्य ग्राम विकास योजना–00–003–प्रशिक्षण–0101–बिहार ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान	2.86	3.50	0.64
13	2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम –00–102–सामुदायिक विकास–0001–प्रखंड स्थापना	254.97	256.27	1.30
14	3451–सचिवालय आर्थिक सेवाएँ–00–090–सचिवालय–0010–ग्रामीण विकास विभाग	5.99	6.21	0.22
15	4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय–00–103–ग्रामीण विकास–0102–प्रखंड लघु निर्माण कार्य	9.49	9.95	0.46
	योग			**475.81**

(स्रोतः विस्तृत विनियोग लेखा 2014–15 तथा विभाग द्वारा प्रदत्त आँकड़े)

परिशिष्ट– 3.1

(संदर्भ: कंडिका 3.3, पृष्ठ 51)

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम की धारा 14 के तहत् चिह्नित लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों की सूची

क्रम सं.	विभाग	कार्यालय का नाम	जिला का नाम	अब तक लेखा परीक्षित
1	स्वास्थ्य	इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान (आई.जी.आई.एम.एस.)	पटना	फरवरी 2014
2		बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति	पटना	मार्च 2012
3	शिक्षा	एल. एन. मिश्रा आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान	पटना	मार्च 2015
4		बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्	पटना	मार्च 2014
5		सिमलुतल्ला शिक्षा समिति	जमुई	दिसंबर 2012
6		ए. एन. सिन्हा सामाजिक शोध संस्थान	पटना	मार्च 2013
7	सामाजिक कल्याण	महिला विकास निगम	पटना	मार्च 2013
8		राज्य महिला आयोग	पटना	मार्च 2013
9		बिहार राज्य समाजिक कल्याण परिषद्	पटना	मार्च 2014
10		बिहार बाल अधिकार सुरक्षा आयोग	पटना	दिसंबर 2012
11	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण	बिहार महादलित विकास मिशन	पटना	मार्च 2014
12		राज्य महादलित आयोग	पटना	मार्च 2015
13		राज्य अनुसूचित जाति आयोग	पटना	मार्च 2015
14		राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग	पटना	दिसंबर 2012
15	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण	राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग	पटना	2015-16 के दौरान लेखापरीक्षा के लिए योजना बनाई
16	आपदा प्रबंधन	बिहार राज्य आपदा प्रबंधन	पटना	अक्टूबर 2013
17	ऊर्जा	बिहार नवीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी (बी.आर.ई.डी.ए.), पटना	पटना	मार्च 2013
18	जल संसाधन	सोन कमांड क्षेत्रीय विकास एजेंसी (एस.सी.ए.डी.ए.), पटना	पटना	मार्च 2013
19		गंडक कमांड क्षेत्रीय विकास एजेंसी (जी.सी.ए.डी.ए.), मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर	अप्रैल 2015
20		कोशी कमांड क्षेत्रीय विकास एजेंसी (के.सी.ए.डी.ए.), सहरसा	सहरसा	मार्च 2013
21		किऊल बदुआ चान्दन कमांड क्षेत्रीय विकास एजेंसी (एस.सी.ए.डी.ए.), भागलपुर	भागलपुर	नवंबर 2014
22	उद्योग	बिहार औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, पटना	पटना	मार्च 2014
23		संरचना विकास प्राधिकार, पटना	पटना	फरवरी 2015

(स्रोतः महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय, बिहार, पटना के आर्थिक और सामाजिक प्रक्षेत्रों द्वारा दी गई जानकारी)

परिशिष्ट– 3.2

(संदर्भ: कंडिका 3.4, पृष्ठ 51)

प्रमाणीकरण हेतु प्राधिकरणों अथवा निकायों के लेखा/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति में विलंब

क्रम सं.	निकाय का नाम	सौंपने की अवधि	जिस वर्ष तक लेखा प्रस्तुत किये गए	लेखा प्राप्ति की तिथि	जिस अवधि तक पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किया गया	पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी करने की तिथि	विधान मंडल में पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन उपस्थापन	लेखाओं की प्रस्तुति में विलंब	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	बिहार राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना	2009-10 तक	2009-10	12/9/2013	2009-10	21/4/2014	दिनांक: 23/12/2009 के पत्र के अनुसार वर्ष 2001–02 तक का पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को विभाग द्वारा विधान मंडल में को उपस्थापित किया गया	तीन वर्ष दो माह	वर्ष 2010–11 से अंकेक्षण के सुपुर्दगी हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना को पत्र सं. इ.एस. (मु.)/ 2014–15/287 दिनांक: 4/7/2014 द्वारा पत्र लिखा गया था।
2	बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना	2003-04	--	--	2008-09	27/8/2014	अभी तक सूचना अप्राप्त	--	शहरी विकास और आवास विभाग, बिहार द्वारा जारी किये गये सुपुर्दगी पत्र पर खातों का अंकेक्षण वर्ष 2004–05 से 2008–09 का किया गया। आगे की सुपुर्दगी के लिए शहरी विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार को पत्र निर्गत किया गया।
3	बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना	स्थायी	2012-13	1/8/2014	2012-13	24/4/2015	सूचना प्राप्त नहीं हुई	एक वर्ष एक महीना	पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विलंब से प्राप्ति के कारण समय से जारी नहीं किया गया।
4	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा, समस्तीपुर	2011-12 तक	2010-11 2011-12	30/3/2012 1/11/2013	2010-11	11/11/2014 (2010-11 वर्ष के लिए)	वित्तीय वर्ष 2001–02 से 2002–03 तक का पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को विधान मंडल में उपस्थान हेतु दिनांक: 29/7/2009 को भेजा गया था	नौ माह एक वर्ष चार माह	वर्ष 2012–13 के अंकेक्षण की सुपुर्दगी के लिए बिहार सरकार तथा उप कुलपति आर. ए.यू. पूसा, समस्तीपुर के पत्र संख्या: ई. एस. (मुख्यालय/ आर.ए.यू./ 2015–16/492–493 दिनांक– 12/8/2015 द्वारा पत्र लिखा गया है।

(स्रोत: महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय, बिहार, पटना के सामान्य, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों द्वारा दी गई जानकारी)

परिशिष्ट– 3.3

(संदर्भ: कंडिका 3.8, पृष्ठ 54)

लघु शीर्ष 800–'अन्य प्राप्तियाँ' का परिचालन

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	मुख्य शीर्ष	नामावली	कुल प्राप्ति	लघु शीर्ष 800 के तहत प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियों से लघु शीर्ष 800 के तहत् प्राप्ति की प्रतिशतता
1	0029	भू–राजस्व	277.13	176.84	63.81
2	0210	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	30.22	15.95	52.78
3	0215	जलापूर्ति तथा सफाई	4.36	2.30	52.75
4	0220	सूचना एवं प्रचार	0.40	0.22	55.00
5	0230	श्रम तथा रोजगार	8.65	6.20	71.68
6	0235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	0.02	0.03	150.00#
7	0250	अन्य सामाजिक सेवाएं	0.0004	0.0004	100.00
8	0404	डेयरी विकास	0.0003	0.0003	100.00
9	0506	भूमि सुधार	0.14	0.16	114.29#
10	0515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	29.37	20.02	68.16
11	0851	ग्राम तथा लघु उद्योग	0.05	0.04	80.00
12	0852	उद्योग	0.10	0.10	100.00
13	1053	नागर विमानन	4.95	4.77	96.36
14	1054	सड़क तथा सेतु	54.52	54.56	100.07#
15	1056	अंतर्देशीय जल परिवहन	0.003	0.003	100.00
16	1452	पर्यटन	1.34	1.34	100.00
17	1456	सिविल पूर्त्ति	0.14	0.14	100.00

 # मुख्य शीर्ष–0235, 0506 तथा 1054 अंतर्गत क्रमशः ₹ 0.01 करोड़, ₹ 0.02 करोड़ और ₹ 0.04 करोड़ की लेखा में वापसी सम्मिलित है। इसलिए प्रतिशत 100 से अधिक है।

(स्रोतः वर्ष 2014–15 के लिए लेखे की टिप्पणियाँ)

संकेताक्षरों की शब्दावली

संकेताक्षरों की शब्दावली

क्रम सं.	संकेताक्षर	पूर्ण विस्तार
1	ए एण्ड ई	लेखा एवं हकदारी
2	ए सी	सार आकस्मिक
3	ए ई	संचयी व्यय
4	ए आइ ए	अखिल भारतीय औसत
5	ए पी	वार्षिक योजना
6	ए टी एस	आतंकवाद प्रतिरोधी दस्ता
7	बी बी एम	बिहार बजट नियमावली
8	बी ई	बजट अनुमान
9	बी पी एल	गरीबी रेखा के नीचे
10	बी टी सी	बिहार कोषागार संहिता
11	सी ए जी	नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
12	सी ए जी आर	मिश्रित वार्षिक विकास दर
13	सी ई	पूँजीगत व्यय
14	सी एफ एस	राज्य के संचित निधि
15	सी एस एफ	संचित निक्षेप निधि
16	डी सी	विस्तृत आकस्मिक
17	डी सी आर एफ	ऋण संकलन एंव राहत सुविधा
18	डी डी ओ	आहरण एवं संवितरण अधिकारी
19	डी ई	विकास व्यय
20	डी आर डी ए	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण
21	ई एस	आर्थिक सेवाएँ
22	जी आई ए	सहायता अनुदान
23	जी ओ बी	बिहार सरकार
24	जी ओ आई	भारत सरकार
25	जी एस	सामान्य सेवाएँ
26	जी एस डी पी	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
27	आई ए वाई	इंदिरा आवास योजना
28	आई जी ए एस	भारत सरकार लेखाकरण मानक
29	एम टी एफ पी	मध्यकालिक राजकोषीय नीति
30	एन ए बी ए आर डी	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक
31	एन सी डी सी	सहकारी राष्ट्रीय विकास निगम
32	एन पी आर ई	गैर –योजना राजस्व व्यय
33	एन एस एस	राष्ट्रीय लघु बचत
34	एन एस एस एफ	राष्ट्रीय लघु बचत निधि
35	एन टी आर	करेत्तर राजस्व

क्रम सं.	संकेताक्षर	पूर्ण विस्तार
36	ओ टी आर	स्वयं कर राजस्व
37	पी ए सी	लोक लेखा समिति
38	पी एफ	भविष्य निधि
39	पी एम जी एस वाई	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
40	आर बी आई	भारतीय रिजर्व बैंक
41	आर ई	राजस्व व्यय
42	आर आर	राजस्व प्राप्तियाँ
43	एस एण्ड डब्लू	वेतन एवं मजदूरी
44	एस ए आर	पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन
45	एस एस	सामाजिक सेवाएँ
46	एस एस ए	सर्व शिक्षा अभियान
47	टी एच एफ सी	तेरहवें वित्त आयोग
48	यू सी	उपयोगिता प्रमाण–पत्र
49	भी ए टी	मूल्य वर्धित कर